लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 9 में अंक 21 से 28 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No 58
Dated 11/3/06

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)
अंक 28, शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2005/9 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 482, 483, 485, 486, 489 और 490	2-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 481, 484, 487, 488 और 491 से 500	34-93
अतारांकित प्रश्न संख्या 5162 से 5391	93-514
सभा पटल पर रखे गए पत्र	514-521
राज्य सभा से संदेश	521
प्राक्कलन समिति	
आठवां प्रतिवेदन	521
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
84वे से 88वां प्रतिवेदन	521-522
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) श्रम संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शंकर सिंह वाघेला	522-523
(दो) ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवदेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	523-527
सभा का कार्य	527-536
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) शैक्षणिक ऋण योजना के बारे में	536-538
(दो) जीवन रक्षक औषधियों और चिकित्सा उपकरणों को वैट से मुक्त रखे जाने के बारे में	538-542
धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005	542-543
वित्त विधेयक, 2005	543

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सुधांशु सील	543-547
प्रो. एम. रामदास	547-551
श्री मधु गौड यास्खी	552-556
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	556-560
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	560-561
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	561
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (अनुच्छेद 16 और नौवीं अनुसूची का संशोधन)	
श्री मणि चारेनामै	561-562
(दो) उत्तरांचल राज्य (वन भूमि पर 1980 से पूर्व के उपनिवेशों का राजस्व भूमि में नियमितीकरण और संपरिवर्तन) विधेयक, 2005	
श्री के.सी. सिंह "बाबा"	562
(तीन) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरिधर गमांग	563-567
श्री रामदास आठवले	567-569
श्री के. वेंकटपति	569-576
(चार) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2004 (धारा 2 आदि का संशोधन)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बसुदेव आचार्य	576-587
श्री सन्दीप दीक्षित	587-596
श्री जोवाकिम बखला	596-602
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	602
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	603-604
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	604-612
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	613
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	614

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2005/9 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री इब्राहिम सुलैमान सेट के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री इब्राहिम सुलैमान सेट 1967 से 1996 तक चौथी से दसवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने चौथी और पांचवीं लोक सभा में केरल के कोजीकोड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का, छठी से नौवीं लोक सभा तक केरल के मंजेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का और दसवीं लोक सभा में केरल के पोन्नानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके पूर्व श्री सेट 1960 से 1966 तक राज्य सभा के सदस्य थे। एक सांसद के रूप में अपने लंबे और उत्कृष्ट जीवन-काल के दौरान श्री सेट ने विभिन्न संसदीय समितियों में कुशलतापूर्वक कार्य किया।

एक सुविख्यात, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री सेट ने अपना जीवन एक अध्यापक के रूप में आरंभ किया। एक बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी श्री सेट की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में गहरी रुचि थी और वे अल्पसंख्यकों के धार्मिक और शैक्षणिक अधिकारों के समर्थक थे। 1954 से 1957 तक वे कोचीन के मानद मिजस्ट्रेट थे और 1957 से 1959 तक केरल मुस्लम एजुकेशन एसोसिएशन, एर्णाकुलम के महासचिव और 1959 से 1965 तक इसके उपाध्यक्ष रहे। वह 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव थे और राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्य थे। वह 1982 से 1985 तक केन्द्रीय हज परामर्शदात्री बोर्ड और केन्द्रीय वक्फ परिषद के सदस्य रहे।

वह एक विद्वान व्यक्ति थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उर्दू सोसायटी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका के संपादक रहे। उन्होंने चयनित उर्दू कविताएं, मुस्लिम लीग, इसका इतिहास और उद्देश्य तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ पर पुस्तकें प्रकाशित कीं।

श्री सेट ने अनेक देशों की यात्रा की। वह 1971 में अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की तथा 1975 में स्वीट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम गये भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री इब्राहिम सुलैमान सेट का 27 अप्रैल, 2005 को 83 वर्ष की आयु में बंगलौर में निधन हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण, दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 481, श्री अजय चक्रवर्ती उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 482, श्री ई. पोन्नुस्वामी।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

***482. श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री अर्जुन सेठी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की कितनी-कितनी हिस्सेदारी है;

(घ) क्या देश में इस योजना के अंतर्गत अनेक जिलों की पहचान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कितनी ग्रामीण जनसंख्या को बिजली प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पांच वर्षों में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के लक्ष्य की पूर्ति हेतु "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं आवासों के विद्युतीकरण की स्कीम आरंभ की गई है। इस स्कीम को रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्न के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी:-

(i) समुचित रूप से राज्य पारेषण प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लॉक में एक 33/11 के.वी. (या 66/11 के.वी.) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर.ई.डी.बी.) का निर्माण।

(ii) प्रत्येक गांव/वास स्थान के लिए उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रावधान और सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वी.ई.आई.) का निर्माण।

(iii) उन गांवों/वास स्थानों के लिए पारंपरिक स्रोतों से विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डी.डी.जी.) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ सभी ग्रामीण वास स्थानों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार 100% पूंजीगत सब्सिडी के साथ देश में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण हेतु वित्तपोषण किए जाने का प्रावधान किया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र बनने वाली परियोजनाओं के संबंध में परियोजना स्वीकृति से पूर्व निम्न के लिए राज्यों से पूर्व वचनबद्धता प्राप्त की जायेगी:-

(i) इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण विद्युत वितरण के प्रबंधन हेतु प्रतिनिधियों की तैनाती करना।

(ii) राज्य यूटीलिटियों के लिए आवश्यक राजस्व सब्सिडी का प्रावधान जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अपेक्षित है।

विद्युत की आपूर्ति के लिए राज्यों द्वारा भी पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी अपेक्षित है और ग्रामीण व शहरी घरों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

यह स्कीम कृषि तथा निम्न समेत अन्य क्रियाकलापों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा।

- सिंचाई पम्प सेट
- लघु एवं मझौले उद्योग
- खादी व ग्रामोद्योग
- कोल्ड चैन
- स्वास्थ्य रक्षा
- शिक्षा व सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

यह समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार उत्पादन और गरीबी उन्मूलन को सुविधाजनक बनायेगा।

(ग) यह अनुमानित किया गया है कि समग्र स्कीम के लिए 16000 करोड़ रुपये अपेक्षित होंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई स्कीम के चरण-I के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 5000 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं।

(घ) और (ङ) स्कीम में पूरे देश को शामिल किया गया है और प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति के आधार पर निधियां जारी की जायेंगी।

(च) गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), उपभोक्ता संघों, सहकारिताओं या व्यक्तिगत उद्यमियों जैसे प्रतिनिधियों के माध्यम से पंचायती संस्थान ग्रामीण विद्युत वितरण के प्रबंधन में संबद्ध रहेंगे।

(छ) स्कीम के अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 2.34 करोड़ ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य इस स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने 5 वर्षों में सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस महीने के पहले सप्ताह में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर एक योजना शुरू की है। यह योजना 90 प्रतिशत केन्द्रीय राजसहायता के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कार्यान्वित की जायेगी। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बिजली उपलब्ध कराने वाली एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है।

पहले ही 100 प्रतिशत केन्द्रीय राजसहायता वाली 'कुटीर ज्योति' नामक योजना चल रही है। इसके बावजूद माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार देश के 1,12,401 गांवों और 780.9 लाख घरों को बिजली उपलब्ध नहीं है। वे नहीं जानते कि उन्हें बिजली कब मिलेगी ये उन 63 लाख किसानों से अलग है जो गांवों में अपने पंप-सेटों के लिए विद्युत कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह उन समय-बद्ध परियोजनाओं, विशेषकर ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, निधियों को किस प्रकार जुटाएंगे?

श्री पी.एम. सईद: माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के समय देश में केवल 1500 गांव विद्युतीकृत थे। आज ऐसे गांवों की संख्या 4.75 लाख है। महोदय, मैं सदस्य की चिंताओं से अवगत हूं। आरम्भ में 25 सदस्य ऐसे थे जो इस प्रश्न को पूछना चाहते थे। जब इस पर बैलट हुआ तो केवल श्री पोन्नुस्वामी को पहला अवसर मिला। इससे यह भी पता चलता है कि सदस्य इस विषय को कितना महत्त्व देते हैं।

महोदय, इस ग्रामीण विद्युतीकरण में हम संपूर्ण छठी और सातवीं योजना के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 22000 गांवों को विद्युत उपलब्ध करा सके। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि 9वीं योजना के दौरान पूरी योजना अव्यस्थित हो गई। उस योजना में प्रति वर्ष 2200 गांवों को ही विद्युत उपलब्ध कराई जा सकी जो कि छठी और सातवीं योजना का केवल 10 प्रतिशत थी। यह 1997 से 2002 की वह अवधि थी जब "भारत उदय" की बात हो रही थी। जब मैंने मई में इस मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया तो हमने इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। इस गति से हम अगले 10 वर्षों में भी गांवों को विद्युतीकृत नहीं कर पायेंगे।

अत: किन्हीं ठोस परियोजनाओं की जरूरत थी।

जैसा कि माननीय सदस्य श्री ई. पोन्नुस्वामी ने बताया है कि 'कुटीर ज्योति योजना' पहले से चल रही थी। यह 1988 में श्री राजीव गांधी ने शुरू की थी और इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 प्रतिशत सब्सिडी देकर विद्युत देने की परिकल्पना की गयी थी। उसमें वायरिंग, सर्विस कनैक्शन और एक बल्ब शामिल था। इस योजना में एक स्वाभाविक खराबी यह थी कि ग्रामीण विद्युत कनैक्शन के अंतर्गत गांवों में विद्युत बिल्कुल नहीं थी अत: गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को केवल पांच लाख कनैक्शन ही दिये जा सके और यह योजना देश भर में नहीं पहुंच सकी।

अब इस महीने की 4 तारीख को माननीय प्रधान मंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरण योजना का शुभारम्भ किया। यह पुरानी योजना के विपरीत है। पहले परिभाषा यह थी कि यदि किसी गांव में एक कनैक्शन भी है तो उस गांव को विद्युतीकृत माना जायेगा। फरवरी, 2004 में अधिसूचित नयी परिभाषा के अनुसार किसी गांव को विद्युतीकृत गांव तभी समझा जायेगा जब उस गांव में 10 प्रतिशत लोगों के पास और सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और छोटे-छोटे गांवों में विद्युत कनैक्शन हों।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए केंद्र 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। उसमें से 90 प्रतिशत राज्यों को अनुदान के रूप में मिलता है और 10 प्रतिशत निधियों का वित्तपोषण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम करता है।

इसके अतिरिक्त हम अपने सरकारी उपक्रमों की सेवाएं राज्य सरकारों को उपलब्ध करायेंगे ताकि योजना अवधि के दौरान, कार्य के समापन तक उन्हें निधियां मिलती रहें और निगमों को सहायता भी मिले। इस रीति से हम चाहते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र विद्युतीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि आपको इसमें कितना समय लगेगा?

श्री पी.एम. सईद: पांच वर्षों के भीतर हम 1,25,000 गांवों को विद्युतीकृत करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे पांच वर्षों के भीतर करेंगे?

श्री पी.एम. सईद: जी हां, हम इसे पांच वर्षों के भीतर करेंगे।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: ठीक है, सरकार सभी संबंधित लोगों की सलाह और राय मशवरे से इस विकट स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर रही है। किंतु मेरा प्रश्न यह था कि सरकार उन सभी

कार्यक्रमों के लिए निधियां किस प्रकार जुटाएगी। जब तक विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली में खामियां हैं और जब तक हम विद्युत चोरी को नहीं रोकते और राज्य सरकारों को हुई 60,000 करोड़ रुपये के हानियों को समाप्त नहीं करते तथा राज्य सरकारों से देय राशियों की वसूली के लिए प्रयास नहीं करते तब तक मैं नहीं समझता कि हम ग्रामीण गरीबों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को विद्युत किस प्रकार उपलब्ध कराएंगे एवं इस समय-बद्ध कार्यक्रम के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह देय राशियों की वसूली और चोरी को रोकने तथा घाटों को समाप्त करने के लिए किस प्रकार प्रयास करेंगे ताकि गरीबों को वितरित करने के लिए हमारे पास अधिक विद्युत उपलब्ध हो सके।

श्री पी.एम. सईद: पूरी परियोजना के लिए पांच वर्षों में व्यय करने हेतु अनुमानित 16000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। दसवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए अभी 5000 करोड़ रुपए हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री अर्जुन सेठी–उपस्थित नहीं।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: हमारी कार्यसूची की एक मद यह है कि उन सभी गांवों में विद्युत पहुंचायी जायेगी जहां अभी विद्युत नहीं है। ग्रामीण विद्युत अवसंरचना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक स्वागतयोग्य योजना है।

इस स्कीम के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि: "विद्युत की आपूर्ति के लिए राज्यों द्वारा भी पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी अपेक्षित हैं और ग्रामीण व शहरी घरों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।"

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि विद्युत आपूर्ति की वर्तमान दशा बहुत खराब है। शहरी क्षेत्रों में बिजली नहीं आती है, लोड शेडिंग होती है और कई-कई घंटे बिजली नहीं आती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: मैं उसी की बात कर रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बदतर है। उन्हें जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों या किसी सम्मिलित न किए गए क्षेत्र में विद्युतीकरण के प्रसार हेतु हमें और विद्युत की जरूरत है और उसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एक अध्ययन किया गया था। वह देश के जल विद्युत क्षमता का पुनर्मूल्यांकन अध्ययन है। इस अध्ययन से पता चलता है कि असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है। यदि संभावनाएं तलाश की जाएं तो उससे हमारी वर्तमान आवश्यकता और भावी आवश्यकता की भी पूर्ति हो सकती है।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा सवाल यह है। क्या वह स्पष्ट करेंगे कि असम में जल विद्युत के व्यापक संसाधनों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की योजना है?

श्री पी.एम. सईद: महोदय, इस प्रश्न का संबंध ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरों के विद्युतीकरण से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्कीम से है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को कुछ उत्तर देने की स्थिति में हूं।

जल से ऊर्जा प्राप्त करने के संबंध में हमने पहले ही ग्यारहवीं योजना में 50,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लगभग 162 परियोजनाओं की पहले ही पहचान कर ली गई है और 73 परियोजनायें डी.पी.आर. के लिए चिन्हित हैं। हम विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अधिक जोर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि विद्युतीकरण के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना इन्होंने शुरू की है और पांच साल में देश के सभी गांवों और घरों में बिजली पहुंचाने का इनका लक्ष्य है। मैं माननीय मंत्री जी से बिहार के बारे में जानना चाहता हूं। हम लोग बिहार से आते हैं। बिहार के बारे में यहां दिखाया गया है कि हजारों गांवों में विद्युतीकरण हो गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन गांवों में बिजली का एक पोल भी अभी तक नहीं गढ़ा है जबकि यहां कहा गया कि 4 लाख 73 हजार गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या आप बिहार के बारे में इस कथन की पुष्टि के लिए नये सिरे से जांच कराएंगे और जो गांव बचे हुए हैं उनको इसमें जोड़ने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद: यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में बिजली की आपूर्ति को लेकर क्षेत्रीय असंतुलन है। मेरे विचार से मैं माननीय सदस्य को कुछ आंकड़े दे सकता हूं।

विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में व्यापक असमानता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कह रहे हैं कि आप इस पर ध्यान देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एम. सईद: बिहार में लगभग 50 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंध है, स्थिति बदतर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे किया जाना है।

श्री पी.एम. सईद: जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया विशेषकर बिहार में 22,400 गांवों को पावरग्रिड कारपोरेशन को सौंप दिया गया है। अब, हमारे लिए यह कार्य आसान है।

महोदय, यह एक समवर्ती विषय है। राज्य सरकार को अनुमति देनी है। राज्य सरकार ने भी अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय: यह समाचार अच्छा है।

श्री पी.एम. सईद: राज्य सरकार बिहार में परामर्श एवं पावरग्रिड के क्रियान्वयन को स्वीकार करने हेतु आगे भी आई है। इसीलिए, उन्होंने 22,400 गांवों को चुना है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं?

श्री पी.एम. सईद: यह बहुत प्रगति कर रहा है। अत: श्री झा की आशंका खत्म की जाएगी हम बिहार में पूरे जोर-शोर से आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा उत्तर है।

डा. बाबू राव को अगला अनुपूरक प्रश्न पूछना है। मेरे विचार से हम मुख्य प्रश्न से इतर दूर तक भटक रहे हैं।

डा. बाबू राव मिडियम: महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक अत्यंत प्रशंसनीय कदम है। मेरा प्रश्न है कि क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य को इस योजना में सम्मिलित किया गया है या नहीं। पहले कुटीर ज्योति योजना को हमारे राज्य में नहीं लिया गया था। यदि यह योजना लागू की जा रही है तो राज्य में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गांव सम्मिलित किए गए हैं क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: उत्तर कैसे दिया जा सकता है?

माननीय मंत्री महोदय, क्या यह योजना आन्ध्र प्रदेश पर लागू होती है, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने गांवों को कवर किया जा रहा है?

श्री पी.एम. सईद: महोदय, यह कठिन है। मेरे पास यह आंकड़ा नहीं है। हम यह सूची तैयार नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह योजना आन्ध्र प्रदेश पर लागू होती है?

श्री पी.एम. सईद: यह योजना पूरे देश पर लागू होती है।

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय सदस्य को ब्यौरा दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने देश में एक बड़ी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की है जिसके लिए यू.पी.ए. सरकार बधाई की पात्र है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने पांच वर्षों में पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके क्या मानक होंगे? प्रथम वर्ष में किन गांवों को चयनित किया जाएगा और क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गांवों को प्राथमिकता के आधार पर प्रथम वर्ष में चयनित करने का काम करेंगे?

मेरा इसी से संबंधित दूसरा सवाल है कि आप सौ प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को आवंटित करने का काम कर रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी राज्य सरकारों को ऐसे दिशा-निर्देश देने का काम करेंगे कि माननीय सांसदों से ही उन गांवों के शत-प्रतिशत प्रस्ताव लिए जाएं और प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाए।

श्री पी.एम. सईद: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि पांच साल के अन्दर गांवों का विद्युतीकरण करने की जो योजना बनायी गई है, क्या वह सफल होगी या नहीं? पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में, यहां और वहां भी जन-प्रतिनिधि हैं, क्षमता के आधार पर गांवों का आइडैंटिफिकेशन होता है। अभी यहां से केवल धनराशि भेजने की बात नहीं है। अगर हम उसे भेज देते हैं तो पहले जैसे होता था कि वह कहीं से कहीं चली जाती थी, लेकिन इस योजना में ऐसी बात नहीं होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार को कहां-कहां विद्युतीकरण का काम करना है, इसका आइडैंटिफिकेशन करने से पहले प्लान करना पड़ेगा। योजना बनाने के लिए हमारे निगम में कार्यरत लोगों की सहायता उपलब्ध होगी। हम उसके आधार पर जो योजना बनाएंगे, उन्हें हमारे निगम ही लागू करेंगे। इस काम को राज्य सरकार कहां प्राथमिकता देती है, कहां नहीं देती है, यह उनके ऊपर निर्भर करेगा। यह राज्यों के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा।

श्री राजेश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने यह सवाल किया कि राज्य सरकार जो मानक निर्धारित करेगी, क्या उनमें माननीय सांसदों के प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह स्टेट गवर्नमैंट का काम है।

श्री राजेश वर्मा: स्टेट्स में माननीय सदस्य उपेक्षित होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सांसदों के प्रस्ताव लिए जाएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है संसद सदस्य सिफारिशें भेज सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

श्री पी.एम. सईद: मैं जो महसूस करता हूं वह यह है कि यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

श्री पी.एम. सईद: चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में है, मैं महसूस करता हूं कि विधान सभाओं और संसद दोनों के स्तरों पर जनता के प्रतिनिधियों का कोई संगठन होना चाहिए जिसके द्वारा यह एक निगरानी समूह के रूप में आकलन कर सके और प्रगति की निगरानी कर सके।

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य सरकार को आपकी सिफारिश है।

सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य

***483. श्री मधु गौड यास्खी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में एशियाई विकास बैंक से प्रकाशित 'एशियन डेवलपमेंट आउटलुक' की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें बैंक ने सकल उत्पाद की वृद्धि की भारी उतार-चढ़ाव की आशंका जताई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एशियाई विकास बैंक ने इसके क्या कारण बताए हैं और साथ ही आउटलुक में क्या सुझाव दिए गऐ हैं; और

(ङ) सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) सकल घरेलू उत्पादन (स.घ.उ.) के वृद्धि लक्ष्य वार्षिक रूप से नियत नहीं किए जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में दसवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान 8 प्रतिशत की एक औसत वार्षिक वृद्धि दर की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) जी, हां। एशियाई विकास बैंक आउटलुक 2005 में क्रमश: वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान भारत की समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर के क्रमश: 6.5 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत तथा 7.0 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया है।

एशियाई विकास बैंक के अनुमान निर्दिष्ट करते हैं कि वृद्धि 2005-06 में, मुख्यत: 4.4 प्रतिशत कृषि वृद्धि तथा क्रमश: 6.7 प्रतिशत तथा 7.7 प्रतिशत की उद्योग तथा सेवा क्षेत्र वृद्धियों की वजह से बढ़कर 6.9 प्रतिशत होगी। 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का क्रमश: उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत तथा 7.3 प्रतिशत की कम वृद्धि की वजह से कम होकर 6.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के पुनरुद्धार के साथ, वृद्धि का 2007-08 में 7.0 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। एशियाई विकास बैंक आउटलुक में निर्दिष्ट अर्थव्यवस्था हेतु मध्यावधि चुनौतियों में ढांचागत निवेशों को बढ़ाना, बढ़ रहे विदेशी मुद्रा भंडारों का प्रबंधन, एम.एफ.ए.-पश्च विश्व में वस्त्र तथा परिधानों में अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धा लाभ को बढ़ाना शामिल हैं।

(ङ) वर्ष 2005-06 के लिए केन्द्रीय बजट में कई प्रोत्साहनों यथा बढ़ते सार्वजनिक निवेश पर जोर देना, कृषि विविधीकरण, ढांचागत विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी के संवर्धन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) को उदार बनाने और एक सभर्थकारी नीति परिवेश के माध्यम से उद्योगों और सेवा क्षेत्र में वृद्धि सुकर बनाने आदि का प्रस्ताव किया गया है। इन विभिन्न उपायों से अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

श्री मधु गौड यास्खी: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/किए गए उपायों के बारे में जानना चाहता हूं जो कि दसवीं योजना में विहित है। विश्व बैंक के विशेषज्ञों की राय है कि भारत 2010 तक चीन के सकल घरेलू उत्पाद की बराबरी कर सकता है और

2020 तक चीन के सकल घरेलू उत्पाद से आगे निकल सकता है। अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने बजट 2005-06 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अधिक निजी निवेश को आकृष्ट करके, देश की अवसंरचना में तीव्र सुधार और विकास तथा इससे भी महत्वपूर्ण वित्तीय समेकन के मार्गोपाय बनाने को उच्च प्राथमिकता देते हुए इन सबकी प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य रखा है।

महोदय, इससे भी महत्वपूर्ण है कि हमें 300 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की जिम्मेदारी बिना भूले सुधार जारी रहने चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

श्री पी. चिदंबरम: महोदय, योजना दस्तावेज में योजना लक्ष्य का निर्धारण होता है और प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया गया बजट वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण करता है। यदि हमें 8 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करनी है और यदि आप इसे क्षेत्रवार देखें तो हमें कृषि में औसतन 4 प्रतिशत, उद्योग में 8.9 प्रतिशत और सेवा में 9.3 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। स्पष्टतः हम इन क्षेत्रीय लक्ष्यों से पीछे चल रहे हैं। चालू योजना के तीन वर्षों में, हमने समग्रतः केवल 6.5 प्रतिशत का औसत और क्षेत्रवार भी, हमने कृषि में केवल 1.2 प्रतिशत, उद्योग में 7 प्रतिशत और सेवा में 8.6 प्रतिशत के लक्ष्य प्राप्त किए हैं।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अनेक पहल प्रस्तावित की है और मैंने अपने उत्तर में संक्षेप में उनका उल्लेख किया है। हमें सावर्जनिक निवेश में वृद्धि करनी है, कृषि का विवधीकरण करना है, सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उदारीकृत करना है और विकास को सुकर बनाना है। इनमें से अनेक मामलों पर सर्वसम्मति है और कुछ मामलों को लेकर हम अभी भी सर्वसम्मति बना रहे हैं। यदि हम इन सब पर प्रयास करें तो हम आठ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बजट भाषण में, मैंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसे हमने "भारत निर्माण" कहा है। भारत निर्माण में आगामी पांच वर्षों में वास्तविक परिणाम दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम वर्तमान योजना के शेष वर्षों में वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत जारी रखते हैं, हम आगामी योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपका कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न हो तो पूछें।

श्री मधु गौड यास्खी: महोदय, हमारा देश तुलनात्मक रूप में एक गरीब और अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के अनुभव से सिद्ध होता है कि गरीबी को समाप्त करने का प्रथम उपाय निर्माण में व्यापक वृद्धि करना है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से दूसरा अनुपूरक प्रश्न इसे से संबंधित है।

क्या कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को जोड़ने और निर्यात पर व्यापक ध्यान देने की तुलना में घरेलू खपत को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाने की कोई पहल की गई है।

श्री पी. चिदंबरम: महोदय, चीन के साथ अधिकांश रूप से तुलना की जाती है। मैं समझता हूं कि इनमें से कुछ तुलना उपयोगी हैं लेकिन हमें निश्चतरूप से स्मरण रखना चाहिए कि चीन की कार्य प्रणाली भारत की प्रणाली से भिन्न है। चीन के निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यातोन्मुखी वृद्धि के कारण त्वरित वृद्धि हुई है। चीन की निर्माण क्षेत्र की वृद्धि के प्रति मेरी यही समझ है।

अब हमने भी निर्माण क्षेत्र में बल दिया है। शायद आपको स्मरण हो कि एन.सी.एम.पी. और गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के बजट भाषण में कृषि पर बल दिया गया है और इसके पश्चात् ही हमने निर्माण क्षेत्र पर बल दिया है। हमने राष्ट्रीय निर्माण प्रतिस्पर्द्धा परिषद् भी गठित की है ताकि हमारे निर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से बेहतर अवसर मिल सके। लेकिन हमारी रणनीति थोड़ी भिन्न है। हमारी रणनीति में, अधिकांश निवेश घरेलू संसाधनों से जुटाया जाता है। हम कुछ प्रतिशत तक ही एफ.डी.आई. की अनुमति दे रहे हैं और इसमें भी क्षेत्रवार अधिकतम सीमा है।

दूसरे हमारा निर्माण क्षेत्र ज्यादातर घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह ठीक है कि गत वर्ष में निर्यात में व्यापक वृद्धि हुई है और हमारी अग्रणी निर्माता कंपनियां अपने उत्पादों को निर्यात बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनः व्यवस्थित कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि विदेशी निवेश और निर्यात आधारित रणनीति में अभी व्यापक अवसर व्याप्त हैं। हमारे द्वारा इन दो क्षेत्रों पर बल दिया जाना चाहिए जिससे कि निर्माण क्षेत्र में वृद्धि लगभग 9 प्रतिशत से ऊपर हो जाए।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, किसी वृद्धि लक्ष्य को पाने के लिए बुनियादी संसाधनों का तत्कालिक विकास आवश्यक है। हमें मिल रही चुनौतियों में से एक इससे संबंधित है। बढ़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार का किस प्रकार प्रबंधन किया जाए। मैं इस भंडार की मात्रा के बारे में नहीं बल्कि इसका बुनियादी संसाधन के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है इस बारे में बोल रहा हूं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने इस मुद्दे पर कुछ सुझाव दिए थे और हमने देखा कि कतिपय वित्तीय संस्थाओं ने इन प्रस्तावों पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की जो हमारे बुनियादी संसाधनों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के उपयोग से संबंधित था।

वित्त मंत्री जी क्या सरकार के पास हमारी तत्कालिक बुनियादी संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा विकसित करने के लिए बढ़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने की कोई योजना है।

श्री पी. चिदंबरम: महोदय, यह एक अच्छा प्रश्न है जिसे समय-समय पर उठाया जाता रहा है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को इसकी गहराई से जांच करने का अनुरोध करूंगा? बुनियादी संसाधनों के लिए धन की आवश्यकता होती है और यह रुपए अथवा विदेशी मुद्रा में हो सकती है। यदि हम बुनियादी परियोजनाओं जैसे किसी भवन अथवा नहर अथवा सिंचाई प्रणाली के निर्माण में धन लगाते हैं तो इसमें धन के रूप में मुख्यत: रुपए की आवश्यकता होगी और इसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। लेकिन किसी उच्च जाति वाले मालवाहक कारीडोर के निर्माण में, जिस पर अभी चर्चा चल रही है, धन का अधिकांश हिस्सा विदेशी मुद्रा के रूप में लगाना होगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके लिए हमें लोकोमोटिव, रालिंग स्टाक और पटरियों का भी आयात करना पड़ेगा।

विदेशी मुद्रा भंडार से हम आयात सघन बुनियादी संसाधनों वाली परियोजनाएं शुरू करने में आश्वस्त रहते हैं। अत: योजना आयोग के उपाध्यक्ष के मन में यही बात थी। हम समान रूप से सोच रहे हैं और हम बुनियादी संसाधनों वाली परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। हम उन परियोजनाओं के लिए भारत में ही रुपए की व्यवस्था करते हैं जिसमें इसकी आवश्यकता है और इसका व्यय करते हैं। दूसरी तरफ जिन परियोजनाओं में विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होती है हमारे पास इस समय इसका व्यापक भंडार उपलब्ध है। अत: हमें बुनियादी, संसाधनों वाली परियोजनाओं जिसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है को शुरू करने में भय नहीं है।

महोदय, हम इस पर सहमत हो चुके हैं। बजट में मैंने एस.पी.बी. के गठन की घोषणा की है। एस.पी.बी. द्वारा लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जायेगा। जब यह पूरा हो जायेगा हम इसमें लगभग 20 हजार से 25 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की आशा कर सकते हैं। इसके लिए जितनी भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी उसे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से पूरा किया जायेगा। इस सुझाव के पीछे यही धारणा है।

श्री मिलिन्द देवरा: महोदय, हमारे सकल घरेलू उत्पाद का आधार मात्र सेवा क्षेत्र से और कृषि क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र से एक-एक चौथाई भाग आता है। चाहे यह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो अथवा पूंजी बाजार का क्षेत्र हो कुल मिलाकर हमारे सेवा क्षेत्र की स्थिति ठीक है। तथापि निर्माण के संबंध में, विशेषकर वस्त्र क्षेत्र में, जो सरकार के अलावा सबसे बड़ा नियोक्ता है; मैं यह जानना चाहता हूं कि 'मल्टी फाइबर एग्रीमेंट' को समाप्त कर देने के पश्चात् हमने देखा है कि जनवरी से अप्रैल के बीच चीन ने अपने निर्माण में व्यापक वृद्धि की है और भारत अभी भी इससे बहुत पीछे है। सरकार का वस्त्र क्षेत्र में क्या-क्या मुख्य पहल करने का प्रस्ताव है हालांकि, कई बातों की इस बजट और पूर्व के बजट में घोषणा की गई है जिनके आधार पर भारत चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हो पायेगा।

अंत में कृषि क्षेत्र में हम हमेशा ही पांच प्रतिशत की स्वाभाविक वृद्धि दर पाते हैं और शेष मानसून पर निर्भर होता है। मैं केवल सरकार से इतना ही जानना चाहता हूं कि यह कृषि को मानसून पर ही निर्भर नहीं रहने देने के लिए बागवानी जैसे मिशन के अतिरिक्त क्या कर रही है।

श्री पी. चिदंबरम: मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य वस्त्र क्षेत्र के प्रति इतने निराश क्यों हैं। अब वस्त्र क्षेत्र में व्यापक गति आयी है। गत वर्ष 2004-05 में अनुमान के अनुसार वस्त्र क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। चालू वर्ष में, हम 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की आशा कर रहे हैं। सी.ई.एन.वी.ए.टी. (सेनवेंट) को समाप्त कर दिया गया है। टी.यू.एफ. को पुन: नए सिरे से शुरू किया गया है और वस्त्र क्षेत्र को कई लाभ दिए गए हैं। पूंजी राजसहायता योजना शुरू की गई है। मैंने मानव निर्मित धागों पर उत्पाद शुल्क 24 प्रतिशत से कम करके 16 प्रतिशत कर दिया है। मैं समझता हूं कि हमारा वस्त्र उद्योग सुदृढ़ है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं चाहे यह गुजरात अथवा तमिलनाडु हो मैं वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ पाता हूं। तथापि मैं इससे सहमत हूं कि हमें चीन की बराबरी करने में अभी और समय लगेगा। चीन उत्पादन व्यापक मात्रा के कारण भारत से आगे है। कई वर्षों से हमने वस्त्र क्षेत्र की कई मदों को आरक्षित श्रेणी में रखा था। इनमें से कई मदों को गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हटा दिया गया है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा करना चाहते हैं तो हमें व्यापक मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहन देना होगा। हमारा पैमाना विश्वस्तरीय होने के पश्चात् मैं समझता हूं कि हम चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं। हम अभी भी चीन के साथ स्पर्द्धा कर रहे हैं। विदेश में प्रत्येक डिपार्टमेंट स्टोर में आप लोगों को चीन, भारत और बंगलादेश सहित अन्य विकासशील देशों के कपड़े का उपयोग करते देखेंगे। मैं समझता हूं कि हमारा वस्त्र क्षेत्र सुदृढ़ है। यदि माननीय सदस्यगण के पास कोई सुझाव है तो मैं इसे मुझे देने अथवा वस्त्र मंत्रालय को भेजने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 487 श्री सुरेश चंदेल, अनुपस्थित; श्री संतोष गंगवार, अनुपस्थित।

त्वरित न्यायालय

***485. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**

श्री तथागत सत्पथी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्यधिक संख्या में लंबित पड़े मामलों को निपटाने हेतु राज्यों में चल रहे त्वरित न्यायालयों (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने अपनी स्थापना के निहित उद्देस्यों को प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिनांक 31-12-2004 तक इन न्यायालयों में लंबित पड़े और निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या अत्यधिक संख्या में लंबित पड़े मामलों को निपटाने हेतु स्थापित किए गए 1690 त्वरित न्यायालय बारहवें वित्त आयोग द्वारा धन का आबंटन न करने के कारण बंद होने की स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में धन आबंटित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(च) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) न्याय विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2005 को 1711 त्वरित निपटान न्यायालय अधिसूचित कर दिए गए हैं जिसमें से 1562 न्यायालयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इन न्यायालयों ने उनको समनुदेशित 14.33 लाख मामलों में से 7.87 लाख मामलों का निपटान कर दिया है।

(ग) न्याय विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31-12-2004 को त्वरित निपटान न्यायालयों ने उनको समनुदेशित 12.58 मामलों में से 6.07 लाख मामलों का निपटान कर दिया था।

(घ) और (ङ) न्याय विभाग ने बारहवें वित्त आयोग से विद्यमान त्वरित निपटान न्यायालयों को जारी रखने और मजिस्ट्रेट स्तर पर अन्य 1500 त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए भी अनुरोध किया था। तथापि, बारहवें वित्त आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है। उच्चतम न्यायालय ने बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ के मामले में अपने तारीख 31 मार्च, 2005 के आदेश में त्वरित निपटान न्यायालयों के कार्यकरण को अप्रैल, 2005 तक एक मास के लिए बढ़ा दिया है।

(च) न्याय विभाग ने आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) के समक्ष विद्यमान 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों को आगे पांच वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखने का प्रस्ताव किया था। सी.सी.ई.ए. ने 27-4-2005 को बुलाई गई अपनी बैठक में न्याय विभाग के विद्यमान 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों को आगे पांच वर्ष की और अवधि अर्थात् 31-3-2010 जारी रखने के लिए 509 करोड़ रुपए के प्रावधान के प्रस्ताव को स्वीकार किया है।

सरकार न्यायालयों में लंबित मामलों का निरंतर पुनर्विलोकन कर रही है। समय-समय पर न्यायाधीश संख्या में वृद्धि करने के अतिरिक्त न्यायालयों द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं अर्थात् विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेष न्यायपीठों का गठन और नियमित अंतरालों पर लोक अदालतों का आयोजन, आदि।

सरकार ने निपटान के वैकल्पिक ढंगों को बढ़ावा भी दिया है जिसके अंतर्गत मध्यकता, बातचीत और माध्यस्थम् भी हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण जैसे विशेष अधिकरण, कुटुंब न्यायालय, श्रम न्यायालय और उपभोक्ता न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटान के लिए स्थापित किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मामलों की सूची तैयार करने, वादकारियों और अधिवक्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: दिए गए उत्तर के अनुसार मामलों के निपटान दर प्रतिवर्ष मात्र 50 प्रतिशत है और इसलिए, लंबित मामलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। हालांकि 1711 फास्ट ट्रैक न्यायालयों की अधिसूचना जारी की गई लेकिन केवल 1562 न्यायालय ही कार्य कर सके। न्याय विभाग ने बारहवें वित्त आयोग से विद्यमान फास्ट ट्रैक न्यायालयों को जारी रखने का अनुरोध किया था और इसके साथ ही दण्डाधिकारी स्तर पर 1500 फास्ट ट्रैक न्यायालयों के सृजन का भी अनुरोध किया था। तथापि, सरकार ने केवल विद्यमान न्यायालयों को ही जारी रखने के लिए निधियों का आवंटन किया है। इस स्थिति में मामलों के तेजी से निपटान के लिए न्यायालयों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं इस महान सभा को यह बताना चाहता हूं कि यह नया कार्यक्रम पुराने लम्बित मामलों को निपटाने के लिए शुरू किया गया था जो काफी समय से लंबित थे और वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया धन प्रयोग किया गया। वह धन 31 मार्च, 2005 को व्यपगत हो गया। तत्पश्चात् इस सरकार ने लंबित बकायों पर ध्यान दिया है। शेष मामलों के निपटान के लिए शेष पांच वर्षों के लिए 509 करोड़ रु. देने पर यह सरकार सहमत है। इस मसले पर सरकार का ध्यान है। हमने कम्प्यूटरीकरण के लिए लगभग 305 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है ताकि वे मामलों का तत्काल निपटारा कर सकें। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा भी विचाराधीन है। यह कार्य किया जा रहा है? इसलिए सरकार को यह मालूम है कि न्यायालयों में लम्बित मामलों की समस्या पर नियंत्रण पाना होगा और हम राज्यों द्वारा मांगे गए संसाधनों को उपलब्ध करा रहे हैं?

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? कितने पद रिक्त हैं? केरल में कार्यरत फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या कितनी है, और 31 मार्च, 2005 तक लंबित मामलों की संख्या कितनी है?

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास आंकड़े हैं? आप उन्हें माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं उन्हें भेज दूंगा।

श्रीमती सुस्मिता कुमारी बाउरी: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने से न्यायालय समुचित न्याय दे पाने में सक्षम रहे हैं? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में नहीं रखने के क्या कारण हैं?

श्री हंस राज भारद्वाज: इन न्यायालयों ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि उन्होंने बकाया मामलों में से 7.87 लाख मामलों को निपटाया हो। न्यायाधीशों को नियुक्त करने का मामला अब उच्च न्यायालयों पर छोड़ दिया गया है। अधिकांश राज्यों में उच्च न्यायालयों ने नियमित न्यायाधीशों को नियुक्त किया है किंतु कुछ क्षेत्रों मे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का भी उपयोग किया गया है। हमने उच्च न्यायालयों से आग्रह किया है कि जहां तक संभव हो उन्हें वैतनिक न्यायालय गठित करने चाहिए न कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ताकि लोगों के विश्वास को प्रेरित किया जा सके। इसलिए यह उच्चतम न्यायालय के परामर्श से उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया गया है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: यद्यपि मंत्री विद्यमान फास्ट ट्रैक न्यायालयों को जारी रखने के लिए 500 करोड़ रु. प्राप्त करने में सफल रहे हैं। उत्तर में ही यह कहा गया है कि विभाग ने 1500 नए न्यायालयों की सिफारिश की हो पहले माननीय सदस्य ने गठित किए जाने वाले नए न्यायालयों के बारे में पूछा था। क्या विभाग की रुचि नहीं है अथवा मंत्रिमंडल नवसृजित न्यायालय को धन देने पर सहमत नहीं है? इस पर आने वाला खर्च सामान्य न्यायालयों के खर्च का मात्र एक तिहाई है क्योंकि इन न्यायालयों में कोई स्थायी संरचना नहीं है। मामलों का भी तेजी से निपटारा हो रहा हो इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अधिक नए न्यायालयों का सृजन किया जाना चाहिए।

श्री हंस राज भारद्वाज: आप जानते हैं कि ये न्यायालय राज्यों में अधीनस्थ न्यायापालिका के अंतर्गत हैं जो मुख्य रूप से राज्यों का विषय है। किंतु बकाया मामलों की समस्या के संबंध में सरकार राज्य की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है। इस समय राज्यों ने अनुरोध किया है कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों अर्थात् 1562 को जारी रखने की आवश्यकता है और इसे पूरी तरह से मान लिया गया। जहां तक अन्य न्यायालयों का संबंध है हम इस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं कि कितने मैजेस्ट्रियल न्यायालय गठित किए जा सकते हैं। मैं पश्चिम बंगाल राज्य गया था। वहां विधि मंत्री ने मुझे बताया कि उन्हें सत्र न्यायालयों से अधिक मैजेस्ट्रियल न्यायालयों की आवश्यकता है। मैं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध कर रहा हूं कि जहां कहीं उन्हें जिला अथवा सत्र न्यायालय की आवश्यकता नहीं है वे उन्हें मैजिस्ट्रियल न्यायालय में तब्दील कर सकते हैं। किंतु यह एक सतत् कार्यक्रम है। हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि बकाया मामले पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएं। मैं राज्यों के विधि मंत्रियों से सम्मेलन में मिलने के लिए कह रहा हूं। हम देखेंगे कि संयुक्त कार्यक्रम बनाया जा सकता है ताकि हम बकाया मामलों को निपटा सकें। इसलिए, सरकार राज्यों की सहायता के लिए कृतसंकल्प है।

श्री मधुसूदन रेड्डी: महोदय, विशेष न्यायालयों की अवधारणा स्वागतयोग्य और क्रांतिकारी कदम है। तथापि, क्या विशेष न्यायालय अथवा फास्ट ट्रैक न्यायालयों अथवा त्वरित न्याय सिर्फ निम्न अदालतों अथवा उच्च न्यायालयों तक सीमित हैं? वे संवैधानिक न्यायालय हैं जहां अत्यधिक मामले लंबित हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में वर्षों लग रहे हैं।

मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश में, न्यायाधीशों की नियुक्ति में पिछले वर्ष से विलम्ब हो रहा है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फास्ट ट्रैक न्यायालयों की अवधारणा सिर्फ निचली अदालतों के लिए है अथवा अन्य अदालतों के लिए भी है। मैं जानता हूं कि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं माननीय संसद सदस्य को बताना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय फास्ट ट्रैक न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। उच्च न्यायालयों का अपना मानदंड है। उच्च न्यायालयों में जहां कहीं भी मामले लंबित हैं, हम प्रत्येक तीन वर्षों में लंबित और निपटाए गए मामलों की समीक्षा करते हैं। तद्नुरूप, समीक्षा के बाद, प्रत्येक तीन वर्ष पर अतिरिक्त न्यायालय गठित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय उसी उच्च न्यायालयों के अंतर्गत यही व्यवस्था है। इसलिए जहां तक इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों का संबंध है हम राज्यों की सहायता करने के लिए आगे बढ़े हैं ताकि निचले न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम हो सके।

जहां तक न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में बकाया मामलों का संबंध है हम उच्च न्यालयों के संपर्क में हैं। हम जब सत्ता में आए तो 300 से अधिक रिक्तियां थीं। हमने एक वर्ष के अंदर 110 नियुक्तियां की हैं। हमने 10 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। इसलिए, समस्या यह है कि रिक्तियां समय पर नहीं भरी जाती हैं जिससे कि न्यायाधीश के सभी पद नहीं भरे होते हैं। इसलिए पहले समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता है और फिर हम यदि आवश्यक हुआ तो अधिक न्यायालयों का गठन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: निपटान के वैकल्पिक साधनों के बारे में आपने जो उल्लेख किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे?

श्री हंस राज भारद्वाज: मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि देश में विवादों के समाधान हेतु वैकल्पिक साधनों को लेकर आंदोलन बढ़ा है। हमने हाल ही में पश्चिम बंगाल में सेमिनार किया था। यह इतना उत्साहजनक था कि न्यायाधीशों, वकीलों और विधायकों ने अत्यन्त ही निर्भीक होकर चर्चा की कि देश में सुलह समझौते की जो परम्परा है उसे अपनाया जाना चाहिए। गरीब लोगों को कानूनी विवाद में फंसाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें उनके विवादों को स्थानीय स्तर पर समझौतों और सदस्यता दें माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और यह प्रयोग पश्चिम बंगाल से शुरू किया गया है। मैं चाहता हूं कि देश उनकी परंपरा का पालन करे और हम जैसा वे चाहेंगे इसे बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। हमने भी दिल्ली में सही मायने में एक केन्द्र की शुरुआत की है। मैं समझता हूं कि यदि यह समझौता प्रणाली देश में शुरू की जाती है तो ग्रामीण जनता की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम जहां कहीं भी आवश्यक होगा प्रोत्साहन और कानूनी सहायता देंगे किंतु बिना किसी समझौता और माध्यस्थम पद्धति के नियमित न्यायालय बकाया मामलों को नहीं निपटा सकेंगे क्योंकि सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायधीशों इस आम सहमति पर पहुंचे हैं। नियमित न्यायालय अकेले बकाया मामलों को नहीं निपटा सकते। इसलिए हमें ए.डी.आर. प्रणाली अपनानी होगी जहां पश्चिम बंगाल ने मार्ग दिखाया है और जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए।

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता

+

***486. श्री ए. साई प्रताप:**

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संयुक्त मूल्यांकन मिशन ने फरवरी, 2005 के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया था ताकि इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सुनामी पश्चात् पुनर्निर्माण क्रियाकलापों के लिए आवश्यक सहायता का अनुमान लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इन निकायों द्वारा प्रस्तुत ऐसे अनुमानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है; और

(घ) इन क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए अब तक प्रदान की गयी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई "हानि और आवश्यकता आकलन संबंधी आरंभिक रिपोर्ट" में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के लिए अल्प और मध्यावधिक संदर्भ में 1.213 बिलियन डालर मूल्य की समग्र राहत और पुनर्निर्माण की जरूरतों का अनुमान लगाया गया है। ब्यौरा निम्नलिखित है:-

आंध्र प्रदेश	-	72.6 मिलियन डालर
केरल	-	157.7 मिलियन डालर
तमिलनाडु	-	868.3 मिलियन डालर
पांडिचेरी	-	114.4 मिलियन डालर

(ग) तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए एक आपात सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना, जिसमें लगभग 465 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक की सहायता शामिल है, के लिए हाल ही में विश्व बैंक के साथ वार्ता की गई है। इसके अलावा, केरल और तमिलनाडु के लिए लगभग 200 मिलियन अमरीकी डालर की एशियाई विकास बैंक की सहायता वाली सुनामी आपात सहायता परियोजना को भी हाल ही में एशियाई विकास बैंक बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई है।

(घ) भारत सरकार ने तत्काल राहत, मत्स्य और कृषि क्षेत्र के सुधार, अस्थायी शेल्टरों के तुरन्त निर्माण और अवसंरचना की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए सहायता मुहैया कराने हेतु "सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज" नामक 3644.05 करोड़ रु. के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। तमिलनाडु के लिए 2347.19 करोड़ रु., आंध्र प्रदेश के लिए 70.00 करोड़ रु., केरल के लिए 249.36 करोड़ रु. और पांडिचेरी के लिए 155.62 करोड़ रु. का पैकेज दिया गया है।

श्री ए. साई प्रताप: धन्यवाद, महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि विश्व बैंक, ए.डी.पी. और यू.एन.डी.पी. द्वारा किए गए आकलन के अनुसार सुनामी प्रभावित राज्यों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 1,213 बिलियन डालर का प्राक्कलन किया गया है। जिसमें से मेरी जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश में लोगों की जानें गई हैं सम्पत्ति, भवनों, अस्पतालों का अत्यधिक नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश को मंजूर की गई धनराशि, अर्थात् 70 करोड़ रुपए की धनराशि, अत्यल्प है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि देश में दान स्वरूप कितनी राहत राशि प्राप्त हुई है और विदेशी एजेन्सियों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है। मैं सुनामी प्रभावित राज्यों को किए गए आवंटन के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं।

श्री पी. चिदंबरम: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य आंकड़ों को गलत पढ़ रहे हैं। यह आकलन 1.213 बिलियन डालर है। इसका अलग-अलग ब्यौरा विवरण मैंने अपने उत्तर में दिया है। आंध्र प्रदेश के लिए आकलन 72.6 बिलियन डालर है, न कि 72.6 करोड़।

अध्यक्ष महोदय: यह धनराशि लगभग 300 करोड़ रुपए है।

श्री पी. चिदंबरम: यह धनराशि लगभग 300 करोड़ रुपए होगी। गृह मंत्रालय द्वारा घोषित पहले के पुनर्वास पैकेज में सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश को 70 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह केवल 70 करोड़ रुपए ही नहीं है। नुकसान का आकलन 300 करोड़ रुपए है। इस योजना के अन्तर्गत, आंध्र प्रदेश को धनराशि विदेशी एजेन्सियों द्वारा जारी करने पर मिलेगी।

श्री ए. साई प्रताप: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भविष्य में अप्रभावित तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से उनकी सुरक्षा करने तथा वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं।

श्री पी. चिदंबरम: इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। यह आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दा है। उन्हें यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री रवि प्रकाश वर्मा - उपस्थित नहीं।

श्री हन्नान मोल्लाह: सुनामी से देश के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक है। अंडमान में पुनर्निर्माण कार्य में बाकी समय लगंगा और इसके लिए ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होगी। अंडमान द्वीपसमूह में एक समूचा क्षेत्र धंस गया है। मैं माननीय मंत्री से उस धनराशि के बारे में जानना चाहता हूं जिसे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पुनर्वास कार्य हेतु केन्द्र सरकार और विदेशी स्रोतों द्वारा खर्च की जाएगी।

श्री पी. चिदंबरम: एक नीतिगत निर्णय लिया गया था कि हम अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में विदेशी एजेन्सियों को शामिल नहीं करेंगे। अत: इसमें से कुछ भी अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में खर्च नहीं किया जाएगा। मैं स्पष्ट करूं कि अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह की कुल जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रभावित लोगों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए जो भी धनराशि आवश्यक होगी उसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी और हम उसके लिए धनराशि मुहैय्या कराएंगे। राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के अन्तर्गत अपने उत्तर के भाग घ में मैंने राज्यों के बारे में उल्लेख किया है - अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रारम्भ में 821.88 करोड़ रु. की धनराशि दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले प्रश्न पूछेंगे। मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य अपनी बात कम शब्दों में कहेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, सुनामी के इंसीडेंट के बाद जहां भारत सरकार ने बहुत अच्छी मदद की है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पांडीचेरी और तमिलनाडु में कुछ एरिया एडोप्ट किया है। मुझे जानकारी चाहिए कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने रिहेबिलीटेशन के लिए कुछ एरिया एडोप्ट किया है, क्या उसी तरह किसी दूसरे स्टेट ने भी कोई एरिया एडोप्ट किया है? प्रभावित लोगों का रिहेबिलीटेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए,

उसके लिए भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह वित्त मंत्री के लिए नहीं है।

श्री पी. चिदंबरम: मैं सदस्य की चिन्ता से गृहमंत्री को अवगत करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय:

श्री गुरुदास दासगुप्त - उपस्थित नहीं।

श्री एन.एस.बी. चित्तन - उपस्थित नहीं।

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ - उपस्थित नहीं।

श्री कीर्तिवर्धन सिंह - उपस्थित नहीं।

सिक्कों की ढलाई

***489. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सिक्के ढालने की सरकारी टकसालों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा एक रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे जैसे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों की ढलाई विदेशों में हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार के सिक्कों की विदेशों में ढलाई पर वार्षिक कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है;

(घ) क्या सरकार का विचार सेलम स्टील प्लांट्स कॉइन्स ब्लैन्क्स मिल में उपलब्ध सुविधा का उपयोग करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) हमारी टकसालों की ढलाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) टकसालें कच्ची सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा (ए) आमंत्रित करती हैं जिन पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाता है। सलेम स्टील संयंत्र ने पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित मात्रा की आपूर्ति की है:-

फैरिटिक स्टेनलेस स्टील

वर्ष	कोरे सिक्के (मीट्रिक टन में)	क्वायल (मीट्रिक टन में)
2003	1524	4856
2004	666	2525

(च) सिक्कों का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य उस वर्ष विशेष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मांग के अनुसार तय किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्कों की अपनी वार्षिक मांग में कमी की है और जनता में वितरण हेतु उनके पास सिक्कों के अधिशेष स्टॉक के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 2005-06 के लिए उसकी मांग शून्य है। टकसालों के महाप्रबंधकों को दूसरे देशों को सिक्कों के निर्यात की संभावना टटोलने के लिए कहा गया है ताकि बिना किसी पूंजी व्यय के टकसालों की अतिरिक्त क्षमता, यदि कोई हो, तो उसे उपयोग में लाया जा सके।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन: यह एक आम जानकारी है कि हमारे देश में उपलब्ध सिक्कों की ढलाई विदेशों में हुई है। किन्तु उत्तर में इसका उल्लेख नहीं है?

यदि इस वर्ष कोई इरादा है, तो ऐसा क्यों है?

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री ए.वी. बेल्लारमिन: जहां तक गत वर्ष की बात है तो मंत्रालय द्वारा सिक्कों की कितनी टकसाली विदेशों से कराई गई थी? कृपया विवरण दीजिए?

अध्यक्ष महोदय: किस का विवरण?

मंत्री जी, क्या आपको बात समझ में आ गई है?

श्री पी. चिदंबरम: जी हां। मैं नहीं समझता कि हमें विदेशों में सिक्कों की टकसाली कराने की जरूरत क्यों है। हमारे पास सिक्का बनाने की क्षमता है, हमारे पास डिजाइन की क्षमता है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने भी इसका विरोध किया था जब मैं यूनियन का अध्यक्ष था।

श्री पी. चिदंबरम: अत: हमने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन: महोदय, अल्प मूल्य वाली एक रुपए के नोट की मुद्रा काफी प्रचलित मुद्रा है। किन्तु इसकी उपलब्धता

अब बहुत कम है। क्या सरकार जमीनी वास्तविकता का अध्ययन करेगी और उसके अनुसार कार्यवाही करेगी?

अध्यक्ष महोदय: यह एक रुपए के नोट के सिक्के की टकसाली से संबंधित है।

श्री पी. चिदंबरम: एक रुपए कीमत के नोट छापना आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है। अत: हमने एक रुपए के सिक्के शुरू किए हैं। वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक का आकलन है कि सिक्के अत्यधिक प्रचुर मात्रा में हैं। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक हमारी टकसालों से सिक्कों के लिए नहीं कह रहे हैं।

यदि किसी मूल्यवर्ग के सिक्कों की कोई कमी है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि इन सिक्कों की आपूर्ति की जाए। इस समय तो मैं अपनी टकसालों में आर्डर की प्रत्याशा कर रहा हूं। यदि माननीय सदस्य कोई आदेश देंगे तो बहुत कृतज्ञ होऊंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

बड़ी विद्युत परियोजनाएं

***490. श्री मुन्शी राम:**

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में "एन.एच.पी.सी. का पूरा ध्यान बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष एन.एच.पी.सी. द्वारा राज्य-वार ऐसी कितनी परियोजनाएं आरंभ की गयीं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक परियोजना से कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया और इसमें से राज्यों को कितनी विद्युत का संवितरण किया गया;

(घ) इस संबंध में एन.एच.पी.सी. की भावी योजनाएं क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में गैर सरकारी भागीदारी को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) बड़ी परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की वृहद् विद्युत परियोजना नीति की पहली बार घोषणा 1995 में की गई तथा इसे समय-समय पर संशोधित किया गया। इस नीति में मार्च, 2003 में किए गए अद्यतन संशोधन के अनुसार, सभी अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो अन्य बातों के साथ-साथ, थर्मल हेतु 1000 मे.वा. तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 500 मे.वा. न्यूनतम आरंभिक क्षमता के मूल मानदंडों को पूरा करती हैं, सीमा से छूट की पात्र है, बशर्ते कि वे नीति में दी गई शर्तों को पूरा करती हों। गत तीन वर्षों, अर्थात् 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वृहद जल विद्युत परियोजनाओं, (500 मे.वा. या उससे अधिक स्थापित क्षमता वाली) तथा नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. द्वारा कार्यान्वयन हेतु हाथ में ली गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक कारपोरेशन के विचाराधीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (500 मे.वा. या उससे अधिक स्थापित क्षमता वाली) का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों सहित निजी उद्यमों द्वारा निवेशों को प्रोत्साहित करने की नीति को पहले ही 1991 में लागू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन (थर्मल एवं हाइडल दोनों क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि एवं वितरण हेतु अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना है। जल विद्युत (हाइड्रो पावर) विकास हेतु जल विद्युत पॉलिसी अगस्त, 1998 में घोषित की गई जिसमें अन्य के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत सरकार द्वारा मई, 2003 में जारी 50,000 मे.वा. हाइड्रोइलैक्ट्रिक पहल के अंतर्गत 16 राज्यों में फैली 47,930 मे.वा. कुल स्थापित क्षमता की 162 योजनाओं की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पी.एफ.आर.) तैयार कर ली गई है। इनमें से 33,000 मे.वा. (लगभग) की कुल स्थापित क्षमता की 73 न्यून शुल्क योजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए पहले लिया गया है जो इन परियोजनाओं के विकास हेतु अगला कदम है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

अनुबंध-I

गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत तथा एन.एच.पी.सी. द्वारा कार्यान्वयन हेतु हाथ में ली गई वृहद जल विद्युत परियोजनाओं (500 मेगावाट अथवा इससे अधिक) का विवरण

क्रमांक	स्वीकृति का वर्ष	राज्य	परियोजना का नाम/ स्थापित क्षमता (मेगावाट)	डिजाइन एनर्जी (मि.यू. प्रति वर्ष)	अभ्युक्तियां
1.	2002-03	हिमाचल प्रदेश	पार्बती-II (800 मेगावाट)	3108.66	लाभ प्राप्त करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ है। परियोजना सितंबर, 2009 में पूरी होनी है। परियोजना को सिद्धांततः वृहद परियोजना का दर्जा दिया गया है।
2.	2003-04	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसिरी लोअर (2000 मेगावाट)	7421.59	लाभ प्राप्त करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा हैं। परियोजना अक्तूबर, 2010 में पूरी होनी है। परियोजना को वृहद परियोजना का स्थान दिए जाने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
3.	2003-04	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर (520 मेगावाट)	1166.57	परियोजना का निर्माण नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. (एन.एच.डी.सी.), एन.एच.पी.सी. एवं मध्य प्रदेश सरकार की इक्विटी भागीदारी सहित एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जा रहा है। परियोजना फरवरी, 2008 तक पूरी होनी है।

अनुबंध-II

एन.एच.पी.सी. के विचाराधीन वृहद जल विद्युत परियोजनाओं (500 मेगावाट या अधिक) का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	डिजाईन एन.जी. (मि.यू. में)
1	2	3	4	5
1.	पार्बती-III	हिमाचल प्रदेश	520	1977.23
2.	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	1000	3640.95

1	2	3	4	5
3.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज स्कीम*	पश्चिम बंगाल	900	1666.97
4.	पकाल डल	जम्मू व कश्मीर	1000	3590
5.	बरसर	जम्मू व कश्मीर	1020	2018
6.	सियांग लोअर	अरुणाचल प्रदेश	1600	7744.55
7.	सुबानसिरी मिडिल	अरुणाचल प्रदेश	1600	4875
8.	सुबानसिरी अपर	अरुणाचल प्रदेश	2000	6581
9.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	3000	स्थापित होनी है
10.	सियांग अपर/सियांग इंटरमीडियट	अरुणाचल प्रदेश	11000	स्थापित होनी है

* परियोजना को राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार तथा एन.एच.पी.सी. के बीच एक संयुक्त उद्यम, भारत सरकार के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 490 - श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा- उपस्थित नहीं।

श्री मुंशीराम, कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए, हमारे पास बहुत कम समय है।

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी बिन्दुवार प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिये हैं, मैं उनसे संतुष्ट हूं।

मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरा उसी से सम्बन्धित एक प्रश्न है। यदि आप अनुमति दें तो मैं माननीय मंत्री जी से मालूम कर सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उनकी जानकारी पर निर्भर है कि क्या उनकी जानकारी इस समय उनके पास उपलब्ध है। हां, आप अपना पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम: माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर उत्तरांचल की सीमा से लगे मंडल हैं, जहां विद्युत का बहुत बड़ा संकट है। यहां तक कि आठ घंटे बिजली वहां अधिकांश क्षेत्रों में मिलती है। उत्तरांचल में अलकनन्दा, भगीरथी, यमुना और गंगा नदियों पर टिहरी जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि टिहरी जल विद्युत परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उससे कितना भाग हमें विद्युत का मिलेगा? अलकनन्दा, भगीरथी, गंगा और यमुना नदियों पर आप जितनी नई जल विद्युत परियोजनाएं बनाएंगे, उनसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना विद्युत लाभ होगा, इतना ही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब उन्हें उत्तर देने दीजिए क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है।

मंत्री जी, आप भी कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री पी.एम. सईद: यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

मंत्री जी, आप बाद में उन्हें अपेक्षित सूचना भेज सकते हैं।

श्री पी.एम. सईद: जी हां, मैं उन्हें विवरण भेज दूंगा। जिस भी ढंग से यह सुझाव है, हम उनकी सहायता भी करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पूर्वोत्तर के पास पर्याप्त जल विद्युत क्षमता है। असम की एक तिपईमुख मेगा परियोजना है जिसकी मंजूरी काफी पहले दी गई थी किन्तु कुछ सुरक्षा कारणों से इस परियोजना का निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि अपने जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आज जल विद्युत अनुपात 26:74 है जो 40:60 होना चाहिए। अत: इस अनुपात को बढ़ाने के लिए और जल विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने के लिए क्या विद्युत मंत्रालय तिपईमुख परियोजना का निर्माण तेजी से करेगा।

अध्यक्ष महोदय: आप हां या नहीं कह सकते हैं क्योंकि समय नहीं है।

श्री पी.एम. सईद: महोदय, इस विशेष परियोजना के बारे में, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, मेरे माननीय मित्र श्री संतोष मोहन देव सदैव...

अध्यक्ष महोदय: आप पर दबाव डाल रहे हैं।

श्री पी.एम. सईद: वह मेरे पीछे पड़े हैं। इसलिए हम इसे कर रहे हैं; और यह देख रहे हैं कि सबसे अच्छी तरह हम इसे कैसे कर सकते हैं। जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया है, सुरक्षा पहलू का प्रश्न भी है।

जहां तक जल विद्युत और ताप विद्युत के अनुपात में वृद्धि का संबंध है तो हम वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। पहले यह अनुपात 24 था और अब 26 है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक विशेष परियोजना है जिसके बारे में वह पूछ रहे हैं।

श्री पी.एम. सईद: जी हां, उसके लिए। हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसकी लागत भी हमें परेशान कर रही है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। जिस भी तरह यह व्यवहार्य होगी और यदि यह व्यवहार्य है तो हम निश्चितरूप से इसे शुरू करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपके उत्तर में 'किन्तु परन्तु' बहुत हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

शेयरों का बेचना

*481. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मारुति उद्योग लिमिटेड और बाल्को के शेष सरकारी शेयरों को बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विनिवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड में सरकारी इक्विटी के विनिवेश के संबंध में कोई सुनिश्चित निर्णय नहीं लिया गया है। भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को) के मामले में अनुकूल साझीदार ने सरकार के 49 प्रतिशत अवशिष्ट शेयरों के लिए विनिवेश के समय सम्पन्न शेयर धारक करार के अनुसरण में क्रय विकल्प का प्रयोग किया है। सरकार द्वारा धारित 49 प्रतिशत अवशिष्ट शेयर धारिता में से क्रय के लिए 5 प्रतिशत तक शेयरों की पेशकश कर्मचारियों को की जाएगी जैसा कि शेयर धारक करार में व्यवस्था की गई है और शेष शेयर अनुकूल साझीदार को बेच दिए जाएंगे। शेयर धारक करार के प्रावधानों के अनुसार अनुकूल साझीदार को अन्तरित किए जाने वाले शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है।

(ग) बाल्को में सरकार द्वारा धारित 49 प्रतिशत अवशिष्ट शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाला अर्थागम शेयरों के मूल्य निर्धारण पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नकद जमा अनुपात

*484. **श्री सुरेश चन्देल:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नकद जमा अनुपात में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों द्वारा ऋणों को संस्वीकृत करने के दौरान सिंगल एक्सपोजर मानदण्डों की कड़ी शर्तें रखी गई हैं और ये

बैंक सिंगल एक्सपोजर के अंतर्गत किसी पक्ष अथवा व्यक्ति को कितना ऋण स्वीकृत कर सकते हैं तथा ऋण की दर क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन बैंकों को सिंगल एक्सपोजर की शर्तों से छूट देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नकदी जमा अनुपात में मामूली उतार-चढ़ाव रहा है। पिछले तीन वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नकदी जमा अनुपात का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	जमा (लाख रुपए)	नकदी (लाख रुपए)	नकदी जमा अनुपात (%)
2001-02	4453915.09	63822.95	1.43
2002-03	5009833.52	68635.81	1.37
2003-04	5635008.23	77283.05	1.37

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एकल उधारकर्ता/निवेश की अधिकतम सीमा को स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की विद्यमान सीमा से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है जो 31 मार्च, 2002 से प्रभावी है। चूंकि ऋणों और अग्रिमों की दरों को अविनियमित कर दिया गया है, ब्याज की दरें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण समिति/कार्यपालक समिति के अनुमोदन से निर्धारित की जाती है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकल एक्सपोजर मानदण्डों से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि स्वाधिकृत निधि की धारणा को "शेयर पूंजी जमाराशियों" को भी शामिल करने के लिए व्यापक बनाया गया है।

[अनुवाद]

मूल्यवर्धित कर (वैट) का कार्यान्वयन

***487. श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्यवर्धित कर (वैट) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैट के कार्यान्वयन के कारण समस्याएं पैदा हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ङ) सरकार द्वारा वैट प्रणाली को कार्यान्वित न करने वाले राज्यों से निपटने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इस प्रणाली के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ज) वैट प्रणाली को देश भर में कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा; और

(झ) इस नयी प्रणाली के अंतर्गत राजस्व संग्रह में कितना परिवर्तन आने की संभावा है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): (क) से (झ) 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 1 अप्रैल, 2005 से वैट कार्यान्वित कर दिया है। हरियाणा राज्य ने पहले ही 1 अप्रैल, 2003 से वैट कार्यान्वित कर दिया है। इस प्रकार, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वैट कार्यान्वित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

चूंकि वैट का आशय बिक्री कर को प्रतिस्थापित करने वाले कर से है, अत: यह राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई इस कर सुधार प्रक्रिया में केवल सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभा रही है। राज्य स्तरीय वैट के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई थी। इसलिए वैट को लागू करने के कारण उठी समस्याओं, यदि कोई हों, के समाधान के लिए अधिकार-प्राप्त समिति को उपाय करने हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार जहां वैट अभी क्रियान्वित किया जाना है, उसके कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता के लिए सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभाना जारी रखेगी।

यह सच है कि व्यापारी समुदाय का एक वर्ग वैट के विरुद्ध आन्दोलन कर रहा है। अधिकार-प्राप्त समिति इस मुद्दे से अवगत

है और उनकी वास्तविक समस्याओं/चिंताओं की जांच कर रही है। इसके अलावा, अधिकार-प्राप्त समिति ने वैट प्रणाली के लाभों के बारे में व्यापारी समुदाय को जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू किया है ताकि वैट के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर किया जा सके।

इस अवस्था में वैट प्रणाली के तहत राजस्व संग्रहण के बारे में बताना संभव नहीं है। तथापि, हरियाणा राज्य, जिसने 1 अप्रैल, 2003 से वैट क्रियान्वित किया था, ने वैट लागू किए जाने के फलस्वरूप राजस्व में वृद्धि सूचित की है। इसके अलावा, अन्तरराष्ट्रीय अनुभव भी परिपुष्ट करता है कि वैट राजस्व बढ़ाता है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट के कार्यान्वयन की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	हरियाणा	वैट पहले 1 अप्रैल, 2003 से लागू किया गया।
2.	आन्ध्र प्रदेश	वैट 1 अप्रैल, 2005 से कार्यान्वित किया गया।
3.	पश्चिम बंगाल	
4.	केरल	
5.	कर्नाटक	
6.	उड़ीसा	
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
8.	त्रिपुरा	
9.	बिहार	
10.	अरुणाचल प्रदेश	
11.	सिक्किम	
12.	पंजाब	
13.	गोवा	
14.	मिजोरम	
15.	नागालैंड	
16.	दादर एवं नगर हवेली	
17.	दमन एवं दीव	
18.	जम्मू एवं कश्मीर	
19.	मणिपुर	
20.	महाराष्ट्र	
21.	हिमाचल प्रदेश	
22.	असम	वैट शीघ्र लागू किया जाना है।
23.	मेघालय	
24.	चंडीगढ़	
25.	पांडिचेरी	
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	कोई बिक्री कर/वैट नहीं।
27.	लक्षद्वीप	
28.	उत्तर प्रदेश	राज्य, जिन्होंने इस अवस्था में वैट लागू करने के लिए मना कर दिया है।
29.	तमिलनाडु	
30.	उत्तरांचल	
31.	राजस्थान	
32.	गुजरात	
33.	मध्यप्रदेश	
34.	छत्तीसगढ़	
35.	झारखंड	

विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

***488. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल और नाप्था के बढ़ते मूल्यों और विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की कमी की वजह से मंत्रालय ने देश में विद्युत उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए पुराने एवं खराब रखरखाव वाले संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के पश्चात् विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(घ) इन संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने हेतु किन एजेंसियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है और इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण में कितना समय लगने एवं कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) भारत सरकार ने 10वीं योजना के दौरान 9200.0 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जीवन विस्तार (एल.ई.) कार्यों हेतु 10413 मे.वा. क्षमता वाली 106 पुरानी थर्मल यूनिटों की पहचान की है। नई स्कीमों के क्रियान्वयन के पश्चात् यूनिटों का आर्थिक जीवन 15-20 वर्ष और बढ़ जाएगा तथा उत्पादन क्षमता बढ़कर 10747 मे.वा. हो जाएगी, साथ ही यूनिटों के समग्र निष्पादन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा 14270 मे.वा. क्षमता वाली 57 थर्मल यूनिटें, जो अपेक्षाकृत नई हैं और भलीभांति कार्य कर रही है, की भी नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर. एण्ड एम.) कार्यों हेतु पहचान की गई है ताकि 977.00 करोड़ रुपये की अनुभानित लागत से उनके निष्पादन को बरकरार रखा जा सके।

भारत सरकार ने 10वीं योजना के दौरान 2227.062 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 9977.5 मे.वा. क्षमता वाली 62 मौजूदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण हेतु भी कार्यक्रम बनाया है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात् 1516.31 मे.वा. क्षमता का लाभ प्राप्त होगा।

परामर्शदाताओं/प्राधिकारियों की सलाह के अनुसार अर्जन प्रक्रिया पर आधारित यूटिलिटियां आर. एण्ड एम. परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एजेंसियों का पता लगाती है।

विद्युत मंत्रालय ने पी.एल.एफ. निष्पादन बनाए रखने के लिए 60% से कम संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) वाले 26 थर्मल विद्युत स्टेशनों की पहचान की है, साथ ही पी.एल.एफ. निष्पादन में सुधार करके इसे 60% या इससे अधिक बनाए रखने का निदेश भी दिया है।

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

***491. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बकाया राशियों को वसूल करने के संबंध में बैंकों की सलाह पर विचार करने के लिए मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न बड़े औद्योगिक घराने बैंकों को अपनी बकाया राशियों का भुगतान नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में बढ़ोतरी हो रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न बैंकों की बैंकवार कुल कितनी राशि की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां हैं;

(छ) उक्त अवधि के दौरान बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई कुल राशि का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ज) बैंकों द्वारा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को बट्टे खाते डालने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(झ) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कमी करने के उद्देश्य से इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार/बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): (क) और (ख) जी, नहीं। 30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002" के माध्यम से की गई वसूली निम्नानुसार है:-

विवरण	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
जारी किए गए नोटिस	70254	21988.74
की गई वसूली	29301	2237.95

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) शीर्ष दस चूककर्ता कंपनियों की विभिन्न बैंकों को लगभग 3900 करोड़ रुपए की देनदारी है। जिन कंपनियों के नाम क्रेडिट इन्फारमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सी.आई.बी.आई.एल.) द्वारा यथा प्रकाशित 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक के वाद दायर खातों की सूची में दर्शाए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं:-

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	बकाया राशि (करोड़ में)
1.	मालविका स्टील लिमिटेड	1037.59
2.	मार्दिया केमिकल्स लिमिटेड	561.05
3.	दाईबू मोटर्स इंडिया लिमिटेड	373.63
4.	लायड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड	307.42
5.	मार्दिया स्टील लिमिटेड	284.58
6.	इंडियन चार्ज क्रोम लिमिटेड	284.20
7.	श्रीधमा फाइन केमिकल्स एंड फार्मास्यूटीकल (के) लिमिटेड	275.43
8.	एल्टोस इंडिया लिमिटेड	263.93
9.	जे.सी.टी. इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	261.95
10.	लायड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड	259.18
	कुल	3908.96

गत तीन वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा निवल अनुपयोज्य आस्तियों तथा बट्टे खाते डाली गई राशि का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ज) बैंकों द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों को बट्टे खाते डालने का सहारा अंतिम विकल्प के रूप में तब लिया जाता है जब ऋण वसूल करने के सभी प्रयास सफल नहीं होते। यह एक तकनीकी बट्टे खाते डालना है जिसमें बकाया राशि बैंकों की बहियों से प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खाते डाली जाती है जबकि यह राशि संबंधित शाखाओं की बहियों में रहती है। बैंक की शाखाएं ऋणों को बट्टे खाते में डालने के पश्चात् भी इन ऋणों को सभी संभव उपायों के माध्यम से वसूल करने के लिए प्रयास करती रहती है।

(झ) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों की वसूली के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें बैंकों द्वारा वसूली नीति बनाना एवं कार्यान्वयन, सिविल न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करना, समझौता निपटान तथा विभिन्न स्तरों पर एन.पी.ए. की निगरानी एवं अनुवर्तन शामिल हैं। बैंकों में उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रसार करने के लिए एक ऋण सूचना ब्यूरो का गठन कर दिया गया है। आंतरिक एवं बाह्य कारकों के कारण समस्याओं का सामना करने वाली अर्थक्षम कंपनियों के कार्पोरेट ऋण का पुनर्निर्धारण करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कार्पोरेट ऋण पुनर्निर्धारण (सी.डी.आर.) योजना लागू कर दी गई है। अनुपयोज्य आस्तियों से निबटने के प्रयोजन से आस्ति पुनर्गठन कंपनी (इंडिया लिमिटेड) को निगमित कर दिया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में हाल ही में किए गए संशोधन से बैंकों की वसूली प्रक्रिया और सुदृढ़ हुई है।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की निवल अनुपयोज्य आस्तियां

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	2002	2003	2004
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	1160	887	363
आन्ध्रा बैंक	237	206	121

1	2	3	4
बैंक ऑफ बड़ौदा	1913	1700	1761
बैंक आफ इंडिया	2304	2382	2062
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	480	459	288
केनरा बैंक	1288	1464	1378
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1699	1562	1264
कार्पोरेशन बैंक	253	198	249
देना बैंक	1227	997	884
इंडियन बैंक	904	755	383
इंडियन ओवरसीज बैंक	958	912	578
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	454	225	0
पंजाब एंड सिंघ बैंक	651	639	577
पंजाब नैशनल बैंक	1810	1527	449
सिंडिकेट बैंक	674	700	532
यूको बैंक	724	697	753
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1338	1253	845
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	542	406	299
विजया बैंक	373	206	100
भारतीय स्टेट बैंक	6810	6183	5442
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	342	282	107
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	417	315	77
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	153	138	0
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	362	273	186
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	255	161	0
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	204	164	0
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	425	280	154
कुल (सरकारी क्षेत्र के बैंक)	27958	24963	18852

विवरण-II

बट्टे खाते डाली गई राशि का बैंक-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	2001	2002	2003
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	57.54	159.74	208.5
आन्ध्रा बैंक	80.95	71.03	93.65
बैंक ऑफ बड़ौदा	465.60	424.53	456.77
बैंक ऑफ इंडिया	324.34	556.11	535.7
बैंक ऑफ माहाराष्ट्र	78.03	83.24	92.35
केनरा बैंक	556.14	515.41	112.24
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	242.54	257.38	418.22
कार्पोरेशन बैंक	33.76	88.89	16.15
देना बैंक	53.73	193.27	637.87
इंडियन बैंक	215.85	153.65	57.1
इंडियन ओवरसीज बैंक	175.06	106.14	125.81
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	256.69	शून्य	4.97
पंजाब एंड सिंध बैंक	97.04	47.17	55.32
पंजाब नैशनल बैंक	0.57	6.85	157.93
सिंडिकेट बैंक	119.74	13.45	42.32
यूको बैंक	53.42	116.89	132.59
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	135.38	197.43	378.22
युनाइडेट बैंक ऑफ इंडिया	385.48	329.79	.223
विजया बैंक	2.64	2.70	122.59
भारतीय स्टेट बैंक	1104.83	2331.05	3939.93
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	94.62	92.05	94.84

1	2	3	4
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	120.52	116.26	289.34
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	57.84	80.88	110.57
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	64.43	64.11	129.99
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	80.25	154.29	175.29
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	31.70	99.18	98.69
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	113.61	100.18	81.65
कुल (सरकारी क्षेत्र के बैंक)	5002.30	6261.67	8791.6

ग्रामीण शिल्पकारों की सहायता

***492. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण शिल्पकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संघटक हैं तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाने के लिए उन्हें नई दक्षताओं से पारंगत करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण शिल्पकारों की दक्षता के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या संस्थागत स्रोतों द्वारा ग्रामीण शिल्पकारों को कच्चा माल खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) स्वाभाविक कौशल वाले ग्रामीण कारीगरों को, जो ग्रामीण समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यथोचित प्राथमिकता दी जाती है। योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र कारीगरों को प्रतिष्ठित संस्थानों अर्थात् इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक्स, गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए उनके कौशल विकास/उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि वे बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें। योजना में आम सुविधाएं, डिजाईन विकास, विपणन सहायता और बाजार संपर्क का विकास आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता के प्रावधान पर भी विचार किया जाता है।

कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में मंत्रालय और कपार्ट द्वारा अनेक **"सरस"** मेले और **"ग्रामश्री"** मेले आयोजित किए गए हैं।

(ग) और (घ) एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत, स्वरोजगारियों को कच्चे माल की व्यवस्था के लिए तथा सरकारी सब्सिडी और बैंक ऋण के जरिए आय सर्जक क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

***493. श्री चंद्रशेखर साहु:**
श्री के.सी. सिंह "बाबा":

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2004 में आरंभ किए गए काम के बदले अनाज कार्यक्रम ने अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए खाद्यान्न की गुणवत्ता कैसी है;

(ग) क्या उन राज्यों ने, जहां यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है, योजना के कार्यान्वयन हेतु और अधिक मात्रा में खाद्यान्न की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस योजना के अंतर्गत राज्यों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के उपयोग के संबंध में इन राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत जारी खाद्यान्नों की कालाबाजारी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें इस योजना का कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार कर रही हैं;

(ज) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 हेतु कितना आवंटन किया गया है और वर्ष 2004-05 हेतु आवंटित धन का कितना उपयोग किया गया है;

(झ) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की है; और

(ञ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) नवम्बर, 2004 में शुरू किया गया काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक तथा समुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत सुविधाओं के सृजन के जरिए ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त पूरक मजदूरी रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के चुनिंदा 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने वाला कार्यक्रम है तथा इसके सतत् और नियमित कार्यान्वयन से इसके उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। चूंकि यह कार्यक्रम नवम्बर, 2004 से शुरू किया गया है इसलिए सभी राज्यों से उसकी निष्पादन रिपोर्टें मई, 2005 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। मंत्रालय को कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित खाद्यान्नों की खराब गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आबंटन आधारित कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंतर्गत समूचा आबंटन निर्धारित मानदंड के आधार पर चुनिंदा जिलों के बीच वितरित किया जाता है और इस प्रकार पात्र अंश से अधिक खाद्यान्न देने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। जैसा कि उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किया गया है, सभी राज्यों से निष्पादन रिपोर्टें मई, 2005 तक प्राप्त होने की संभावना है।

(ङ) से (छ) जी हां। काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और सभी राज्य सरकारों और संबंधित जिलों को भेज दिए गए हैं। कार्यक्रम में जल संरक्षण, सूखा रोधन (वनीकरण/पौधरोपण सहित), भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा (जल जमाव वाले क्षेत्रों में निकासी सहित) और ग्रामीण संपर्क पर बल दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय संसद सदस्यों और विधायकों से परामर्श करके जिले के लिए एक पंचवर्षीय भावी योजना तथा प्रखंड-वार एवं ग्राम पंचायत-वार कार्यों की सूची बनाई जाएगी। दिशा-निर्देशों में मजदूरी का समय पर अर्थात् एक पखवाड़े से पहले भुगतान करने और मजदूरी के हिस्से के रूप में प्रतिदिन पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने तथा मजदूरी के कम-से-कम 25 प्रतिशत हिस्से का नकद भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर सजग और सतर्क निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। निगरानी तंत्र में पंचायतों द्वारा पर्यवेक्षण एवं निगरानी, कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन और गुणवत्ता एवं लागत को परखना जिसे मंत्रालय की ओर से स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कराई जाने वाली जिला स्तरीय निगरानी के तहत किया जाएगा, राज्य, जिला, मण्डलीय और ब्लाक स्तर के अधिकारियों द्वारा कुछ कार्यों की जांच, जिसकी जानकारी प्रत्येक माह इस मंत्रालय को दी जाएगी, का अनिवार्य प्रावधान शामिल है। इसके अलावा, कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए क्षेत्र के ग्रामवासियों की एक निगरानी समिति होगी, इसमें पांच से नौ सदस्य होंगे। इस समिति से किसी विशेष कार्य के शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक के विभिन्न चरणों में उसके आवधिक मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्ट की अपेक्षा होगी।

(ज) 2005-06 के लिए संसाधनों का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है तथा छः राज्यों द्वारा अब तक दी गई जानकारी के अनुसार 2004-05 के दौरान निधियों के राज्यवार आबंटन तथा उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(झ) और (ञ) जी, हां। प्रमुख राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की, 5 मार्च, 2005 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए तथा पुनः 15 मार्च, 2005 को निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक में समीक्षा की गई थी जिसमें राज्यों से कहा गया था कि वे संसाधनों के उपयोग की गति में तेजी लाएं और पांच वर्षों के लिए भावी योजना बनाने के कार्य को पूरा करें। काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मई और जून माह में कलक्टरों/जिला पंचायतों के सी.ई.ओ. अथवा राज्य सरकारों द्वारा नामित अधिकारियों की क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

2005-06 के दौरान काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों का आबंटन

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	निधियों का आबंटन (रु. लाख में	खाद्यान्नों का आबंटन (मीट्रिक टन में)		
				गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	27199.63	27199.63	0	301948
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	127.16	425.26		
3.	असम	5	37100.61	37100.61	0	416151
4.	बिहार	15	58812.89	58812.89	0	655916
5.	छत्तीसगढ़	10	23181.35	23181.35	0	262540
6.	गुजरात	6	3994.69	8895.33	98814	0
7.	हरियाणा	1	281.85	627.62	6968	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1	303.91	676.75	3337	4177
9.	जम्मू-कश्मीर	2	494.26	1100.60	3589	8627
10.	झारखण्ड	14	50315.90	50315.90	160249	398331
11.	कर्नाटक	3	2925.38	6514.20	14465	57855
12.	केरल	1	547.14	1218.36	4509	9017
13.	मध्य प्रदेश	15	35201.76	35201.76	259507	131275
14.	महाराष्ट्र	11	34504.70	34504.70	201426	181381
15.	मणिपुर	1	266.06	889.78	0	9982
16.	मेघालय	1	362.46	1212.16	0	13601
17.	मिजोरम	1	63.66	212.89	0	2390
18.	नागालैंड	1	303.72	1015.71	5697	5697
19.	उड़ीसा	18	49621.06	49621.06	0	551018
20.	पंजाब	1	716.32	1595.09	17711	0

1	2	3	4	5	6	7
21.	राजस्थान	5	3532.69	7866.58	87322	0
22.	सिक्किम	1	210.42	703.70	0	7897
23.	तमिलनाडु	4	4851.58	10803.45	0	119936
24.	त्रिपुरा	1	1028.60	3439.89	0	38585
25.	उत्तरांचल	2	1014.86	2259.88	8402	16681
26.	उत्तर प्रदेश	15	58738.53	58738.53	513459	138477
27.	पश्चिम बंगाल	6	25496.32	25496.32	0	283063
	कुल	150	195166	449630.00	1385455	3614545

विवरण-II

2004-05 के दौरान काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन, रिलीज तथा उपयोग

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	निधियां (रु. लाख में)			% उपयोग
			आबंटन	रिलीज	उपयोग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	12214.72	12214.72		
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	190.80	190.80		
3.	असम	5	16645.79	16645.79		
4.	बिहार	15	26411.54	26456.54	1030.89	3.90
5.	छत्तीसगढ़	10	10410.19	10410.19	2628.39	25.25
6.	गुजरात	6	3994.69	3994.69		
7.	हरियाणा	1	281.85	281.85		
8.	हिमाचल प्रदेश	1	303.91	303.91		
9.	जम्मू-कश्मीर	2	494.26	494.26		
10.	झारखण्ड	14	22595.70	22595.70		

1	2	3	4	5	6	7
11.	कर्नाटक	3	2925.38	2925.38		
12.	केरल	1	547.14	547.14		
13.	मध्य प्रदेश	15	15808.32	15808.32	2894.58	18.31
14.	महाराष्ट्र	11	15495.26	15495.26		
15.	मणिपुर	1	399.22	399.22		
16.	मेघालय	1	543.85	543.85		
17.	मिजोरम	1	95.52	95.52		
18.	नागालैण्ड	1	455.72	455.72		
19.	उड़ीसा	18	22283.67	22283.67		
20.	पंजाब	1	716.32	716.32		
21.	राजस्थान	5	3532.69	3532.69	1672.00	47.33
22.	सिक्किम	1	315.73	315.73	150.00	47.51
23.	तमिलनाडु	4	4851.58	4851.58	739.73	15.25
24.	त्रिपुरा	1	1543.37	1543.37		
25.	उत्तरांचल	2	1014.86	1014.86		
26.	उत्तर प्रदेश	15	26378.11	26378.11		
27.	पश्चिम बंगाल	6	11449.81	11449.81		
	कुल	150	201900.00	201945.00	9115.59	4.51

ग्रामीण विद्युतीकरण

***494. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**

श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 90% पूंजीगत राज सहायता प्राप्त "रूरल इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड हाऊस इलेक्ट्रिफिकेशन" नामक एक नई योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना हेतु किन राज्यों की पहचान की गई है और कितने गांवों को इस योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या है और उन्हें कितना धन आवंटित किया गया है;

(घ) देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित गांव ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पिछड़ रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र को पर्याप्त धन जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (च) पांच वर्षों में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के लक्ष्य की पूर्ति हेतु "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं आवासों के विद्युतीकरण की स्कीम आरंभ की गई है। इस स्कीम को रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्न के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी:-

(i) समुचित रूप से राज्य पारेषण प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लॉक में एक 33/11 के.वी. (या 66/11 के.वी.) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर.ई.डी.बी.) का निर्माण।

(ii) प्रत्येक गांव/वास स्थान के लिए उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रावधान और सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वी.ई.आई.) का निर्माण।

(iii) उन गांवों/वास स्थानों के लिए पारंपरिक स्रोतों से विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डी.डी.जी.) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ सभी ग्रामीण वास स्थानों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार 100% पूंजीगत सब्सिडी के साथ देश में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण हेतु वित्तपोषण किए जाने का प्रावधान किया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र बनने वाली परियोजनाओं के संबंध में परियोजना स्वीकृति से पूर्व निम्न के लिए राज्यों से पूर्व वचनबद्धता प्राप्त की जायेगी:-

(i) इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण विद्युत वितरण के प्रबंधन हेतु प्रतिनिधियों की तैनाती करना।

(ii) राज्य यूटीलिटियों के लिए आवश्यक राजस्व सब्सिडी का प्रावधान जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अपेक्षित है।

विद्युत की आपूर्ति के लिए राज्यों द्वारा भी पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी अपेक्षित है और ग्रामीण व शहरी घरों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

यह स्कीम कृषि तथा निम्न समेत अन्य क्रियाकलापों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा।

- सिंचाई पम्प सेट
- लघु एवं मझौले उद्योग
- खादी व ग्रामोद्योग
- कोल्ड चैन
- स्वास्थ्य रक्षा
- शिक्षा व सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

यह समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार उत्पादन और गरीबी उन्मूलन को सुविधाजनक बनायेगा।

स्कीम में पूरे देश को शामिल किया गया है और प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति के आधार पर निधियां जारी की जायेंगी।

31-03-2004 तक गैर विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गयी है। स्कीम का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में सभी गैर विद्युतीकृत गांवों और गैर विद्युतीकृत वास स्थानो का विद्युतीकरण पूरा करना है।

यह अनुमानित किया गया है कि समग्र स्कीम के लिए 16000 करोड़ रुपये अपेक्षित होंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई स्कीम के घरण-I के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 5000 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

स्कीम के कार्यान्वयन में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए आर.ई.सी. से कहा गया है।

विवरण-I

31-03-2004 के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	अविद्युतीकृत गांव
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	$

क्र.सं.	राज्य	अविद्युतीकृत गांव
2.	अरुणाचल प्रदेश	1314
3.	असम	5604
4.	बिहार	19224
5.	झारखण्ड	21695
6.	गोवा	-
7.	गुजरात	$
8.	हारेयाणा	-
9.	हिमाचल प्रदेश	106
10.	जम्मू-कश्मीर	176
11.	कर्नाटक	295
12.	केरल	-
13.	मध्य प्रदेश	1332
14.	छत्तीसगढ़	1188
15.	महाराष्ट्र	$
16.	मणिपुर	139
17.	मेगालय	2468
18.	मिजोरम	7
19.	नागालैण्ड	-
20.	उड़ीसा	9326
21.	पंजाब	-
22.	राजस्थान	613
23.	सिक्किम	42
24.	तमिलनाडु	-
25.	त्रिपुरा	37
26.	उत्तर प्रदेश	40080
27.	उत्तरांचल	2550
28.	पश्चिम बंगाल	6205
	कुल (राज्य)	112401
	कुल (यू.टी.एस.)	$
	अखिल भारत	112401*

$ शेष गांव विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं है।

* नीचे इंगित ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा (वर्ष 2004-05 से प्रभावी) के आधार गैर विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या लगभग 125000 अनुमानित की गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

1. पुरानी परिभाषा

ग्राम विद्युतीकरण की पुरानी परिभाषा जैसा कि अक्तूबर, 1997 में सरकार द्वारा अपनाई गई है, में प्रावधान है कि:

"उस गांव को विद्युतीकृत माना जायेगा यदि बिजली का उपयोग किसी भी प्रयोजनार्थ गांव की राजस्व सीमा के भीतर बसे हेतु स्थान में किया गया हो।"

2. ग्रामीण विद्युतीकरण-नई परिभाषा (2004-05 से प्रभावी)

"किसी भी गांव को विद्युतीकृत घोषित तभी किया जाएगा यदि:-

(i) वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी आधारभूत अवसंरचना बसे हुए स्थान और दलित बस्ती/हैमलेट जहां यह विद्यमान हैं, में प्रदान कर दी गई हो। (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है)।

(ii) विद्युत सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों आदि में प्रदान कर दी गई हो, और

(iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव में घरों की कुल संख्या का न्यूनतम 10% होना चाहिए।

ग्राम विद्युतीकरण को पूरा करने के संबंध में ग्राम पंचायत से आवश्यक प्रमाणन प्राप्त किया जाना है।

विवरण-II

31-3-2004 की स्थिति अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति

क्र.सं.	पूर्वोत्तर राज्य	1991 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शेष अविद्युतीकृत गांव	विद्युतीकृत गांव का %
1.	अरुणाचल प्रदेश	3649	2335	1314	64
2.	असम	24685	19081	5604	77.30
3.	मणिपुर	2182	2043	139	93.63
4.	मेघालय	5484	3016	2468	55
5.	मिजोरम	698	691	7	99
6.	नागालैंड	1216	1216	-	100
7.	त्रिपुरा	855	818	37	95.67
8.	सिक्किम	447	405	42	90.60
	कुल (एन.ई. राज्य)	39216	29605	9611	75.49
	अखिल भारत	587556	474982	112401*	80.80%

ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा (2004-05 से प्रभावी) के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की संख्या 1,25,000 के आसपास है।

राज्य विद्युत बोर्डों के लाभ एवं हानि

***495. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:**
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य विद्युत बोर्डों की पारेषण एवं वितरण हानि अभी भी बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने पारेषण एवं वितरण हानि में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड के संचयी लाभ एवं हानि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को राज्य-वार प्रदान की गई सहायता का स्वरूप क्या है; और

(च) राज्य विद्युत बोर्डों के घाटे में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) जी हां। कुछ राज्य विद्युत बोर्डों की पारेषण एवं वितरण हानियां पुरानी एवं कमजोर प्रणाली, मौजूदा लाइनों एवं सब-स्टेशन उपस्करों की ओवरलोडिंग, पुराने लाइनों एवं उपस्करों का उन्नयन नहीं होने, हाई टेन्शन एवं लो टेंशन के बीच कम अनुपात, उपस्करों का असंतोषजनक मरम्मत एवं अनुरक्षण, अपर्याप्त कैपेसिटर, अपर्याप्त मीटरीकरण एवं असंतोषजनक बिलिंग और संग्रहण क्षमता, विद्युत दुरुपयोग, मीटरों के साथ छेड़छाड़ एवं उच्च विद्युत चोरी के कारण काफी अधिक हैं।

(ग) सरकार द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार है:-

(i) 11 के.वी. फीडरों तथा उपभोक्ताओं का मीटरीकरण।

(ii) ऊर्जा एकाउन्टिंग एवं ऑडिटिंग।

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए और कठोर प्रावधान।

(iv) ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण।

(v) ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा नकद हानि में कमी को प्रोत्साहन।

(vi) उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली की शुरुआत।

(vii) आई.टी. एप्लीकेशन की शुरुआत।

(घ) पावर फाइनेंस कारपोरेशन की सूचना के अनुसार वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान विद्युत यूटिलिटियों के वाणिज्यिक लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) निम्नलिखित के लिए सहायता दी जाती है:-

(i) ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ii) ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत राज्य विद्युत यूटिलिटियों की नकदी हानि में कमी को प्रोत्साहन का ब्यौरा, विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(च) भारत सरकार ने रा.वि.बो./विद्युत यूटिलिटियों की कमजोर वित्तीय हालत में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र सुधार के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा सहमत सुधार एजेंडा पर संतोषजनक प्रगति करने की शर्त पर केन्द्र सरकार की सहायता दी जाएगी। केन्द्र सरकार राज्य यूटिलिटियों को मदद करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी हानियों में कमी करने तथा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और अनुदान के जरिए नकद हानियों में कमी के लिए अभिज्ञात वितरण क्षेत्रों में निवेश हेतु निधि आपूर्ति कर रही है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय रा.वि. को पुराना ऋणों का त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कर लिया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत उद्योग के विकास, इसमें प्रतिस्पर्धा पैदा करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा सभी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति, विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीति, कुशल एवं पर्यावरणीय रूप से अनुकूल नीतियों को बढ़ावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगों का गठन तथा अपीलीय अधिकरण की स्थापना के लिए उदार संरचना उपलब्ध कराता है। अधिनियम विद्युत आपूर्ति उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश संबंधी बाधाओं को दूर करता है और उनमें प्रतिस्पर्धा पैदा करता है जिससे कुशलता में सुधार होगा। इसमें विद्युत चोरी से निपटने एवं टैरिफ यौक्तिकरण के लिए भी कठोर उपाय किए गए हैं।

विवरण-I

विद्युत युटिलिटियों की राज्यवार वाणिज्यिक लाभ/हानियों का ब्यौरा

कुल (करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	एस.ई.बी./यूटिलिटीज	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	-2948	-1209	-1399
2.	असम	-696	-775	-655
3.	अरुणाचल प्रदेश	-93	-117	-82

1	2	3	4	5
4.	बिहार	-893	-1095	-980
5.	छत्तीसगढ़	203	792	587
6.	दिल्ली	एन.ए.	-658	-1750
7.	गोवा	-7	131	153
8.	गुजरात	-3102	-2250	-3021
9.	हरियाणा	-947	-804	-769
10.	हिमाचल प्रदेश	-107	-53	-46
11.	झारखंड	-255	-397	-522
12.	जम्मू-कश्मीर	34	-1243	-1229
13.	कर्नाटक	-1846	-1566	-1236
14.	केरल	-1253	-935	-915
15.	मध्य प्रदेश	-1347	-822	-1230
16.	महाराष्ट्र	-540	-255	-549
17.	मणिपुर	-129	-128	-125
18.	मेघालय	-38	-19	64
19.	मिजोरम	-30	-34	-49
20.	नागालैंड	-50	-55	-42
21.	उड़ीसा	221	-433	582
22.	पंजाब	-1868	-1386	-663
23.	पांडिचेरी	-44	34	38
24.	राजस्थान	-1324	-1738	-1777
25.	सिक्किम	-10	-30	-15
26.	तमिलनाडु	-5175	-2099	-1417
27.	त्रिपुरा	-100	-94	-5
28.	उत्तर प्रदेश	-2518	-2374	-2848

1	2	3	4	5
29.	उत्तरांचल	-27	32	-35
30.	पश्चिम बंगाल	-1705	-913	-296
	कुल	-26,596	-20,494	-20,232

विवरण-II

ए.पी.डी.आर.पी. के निवेश घटक के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	जारी निधियां		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	163.82	402.94	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	36.68	0.00
3.	असम	96.97	0.00	61.88
4.	बिहार	66.11	20.88	226.19
5.	छत्तीसगढ़	10.00	43.07	106.14
6.	दिल्ली	105.51	0.00	0.00
7.	गोवा	22.04	8.54	82.82
8.	गुजरात	105.41	183.45	111.40
9.	हरियाणा	56.33	112.66	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	43.05	120.87	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	20.00	180.50	114.47
12.	झारखंड	12.00	43.60	98.27
13.	कर्नाटक	145.15	290.30	0.00
14.	केरल	30.43	74.38	125.89

1	2	3	4	5
15.	मध्य प्रदेश	74.87	10.00	45.00
16.	महाराष्ट्र	138.48	107.98	21.77
17.	मणिपुर	2.67	0.00	0.00
18.	मेघालय	6.57	14.56	37.24
19.	मिजोरम	3.78	25.18	0.00
20.	नागालैंड	13.14	10.47	19.22
21.	उड़ीसा	54.35	0.00	19.67
22.	पंजाब	53.98	124.76	0.00
23.	राजस्थान	125.64	219.70	40.49
24.	सिक्किम	17.21	60.17	77.35
25.	तमिलनाडु	111.57	232.59	97.66
26.	त्रिपुरा	2.67	6.10	28.87
27.	उत्तर प्रदेश	80.12	0.00	54.40
28.	उत्तरांचल	174.63	6.13	60.00
29.	पश्चिम बंगाल	19.02	21.15	0.00
	कुल	1755.52	2356.51	1428.73

विवरण-III

ए.पी.डी.आर.पी. के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	जारी की गई प्रोत्साहन राशि
1	2	3
1.	गुजरात	236.38
2.	महाराष्ट्र	137.89
3.	हरियाणा	105.49
4.	राजस्थान	137.71
5.	आंध्र प्रदेश	265.11
6.	पश्चिम बंगाल	73.00
	कुल	955.58

[हिन्दी]

गांवों में सौर ऊर्जा

*496. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश के दूर-दराज के गांवों को ऊर्जा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सौर-ऊर्जा इसकी वास्तविक लागत से कम दर पर प्रदान करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के संवर्धन हेतु अधिमान्य शुल्क-दरों के अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान, राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे त्वरित मूल्य ह्रास, रियायती सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क उपलब्ध हैं। ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों को वहनीय बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्तीय सहायता तथा राजकोषीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों को एकीकृत करते हुए उनके त्वरित और समन्वित कार्यान्वयन हेतु अक्षय ऊर्जा पर जिला सलाहकार समितियां गठित की जा रही हैं जिसके अध्यक्ष जिला कलैक्टर हैं। समूचे देश में अब तक लगभग 400 जिला सलाहकार समितियां गठित हो चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा के बारे में व्यापक जागरूकता सृजन हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से दिनांक 20 अगस्त को "राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस" के रूप में मनाना घोषित करना, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर अक्षय ऊर्जा पर विशेष डाक टिकट जारी करना, क्रमशः ग्रिड विद्युत, ग्रामीण तथा शहरी अनुप्रयोगों पर तीन प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन, इस क्षेत्र में विकासों के व्यापक सर्कुलेशन के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विमासिक 'अक्षय ऊर्जा' न्यूजलैटर को जारी करना, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों/युक्तियों पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र-पत्रिकाओं को उपलब्ध कराना, मोबाईल प्रदर्शनी वाहनों का प्रावधान, तथा अक्षय ऊर्जा उत्पादों और बैकअप सहायता के लिए फुटकर आउटलेट उपलब्ध कराने हेतु आदित्य सौर दुकानों की स्थापना करना शामिल है।

(ख) से (ङ) 25,000 से अधिक दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों, जहां ग्रिड विस्तार न तो लागत प्रभावी है और न ही व्यवहार्य है, को सौर ऊर्जा सहित अक्षय साधनों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना है। इनमें से 5,000 ऐसे दूरस्थ गांवों को 10वीं योजना अवधि के दौरान विद्युतीकृत किया जाना है। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को शामिल करते हुए दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों में घरों के विद्युतीकरण के लिए परियोजना की लागत का 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से सहायता

*497. **श्री डी. विट्टल राव:**

श्री मणि शारेनामे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण/सहायता जारी करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्यों को कितनी धनराशि जारी/स्वीकृत की गई;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्यों को ऋण संवितरित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या ऋण धनराशि के उपयोग के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने कोई शर्तें रखी हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): (क) और (ख) ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत नाबार्ड में विभिन्न राज्य

सरकारों से ऋण/वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार आर.आई.डी.एफ.-10 के तहत मंजूरी हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर एवं संवितरित ऋण/वित्तीय सहायता की राज्य-वार राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) आर.आई.डी.एफ. के तहत संवितरण राज्य सरकार द्वारा किए गए दावो के आधार पर मंजूर परियोजनाओं के तहत व्यय प्राप्त कर लिए जाने के बाद किए जाते हैं। आर.आई.डी.एफ. के तहत नाबार्ड द्वारा संवितरण हेतु निर्धारित आंतरिक लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान उपलब्धियां क्रमश: 86 प्रतिशत, 80.04 प्रतिशत और 95.93 प्रतिशत हैं।

(च) जी, हां।

(छ) ऋण राशि का उपयोग करने के लिए सामान्य शर्तें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं:-

- राज्य सरकार ऋण राशि का उपयोग पूर्णत: और अनन्य रूप से उसी प्रयोजनके लिए करेगा, जिसके लिए नाबार्ड ने इसे मंजूर किया है।
- राज्य सरकार मंजूरी पत्र में निर्धारित समय के अंदर परियोजनाओं को निष्पादित एवं पूर्ण करेगा।
- राज्य सरकार निविदा करने हेतु पूर्व अर्हता अपेक्षा जैसी कुछ शर्तों जैसे संविदाकार का संतोषजनक पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड, समुचित शुद्ध मालियत, अनुभव आदि का अनुपालन करेगा।
- राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों की पुन: तैनाती के जरिए परियोजना को पहले ही पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- परियोजनाओं की संतोषजनक प्रगति के लिए रिकार्ड रखना और नाबार्ड को सूचना देना।
- राज्य सरकार परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कानूनी/प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।
- परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण एवं परियोजना निगरानी सुनिश्चित की जानी है।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वापसी-अदायगी कार्यक्रम के अनुसार नाबार्ड को वापसी-अदायगी की जाएगी।

विवरण-I

आर.आई.डी.एफ.-10 के तहत मंजूरी हेतु राज्य-वार क्षेत्र-वार प्रस्ताव

(31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	सिंचाई		ग्रामीण सड़कें		ग्रामीण पुल		जल विभाजक		बाढ़ परियोजना		नाली	
		सं.*	राशि	सं.*	राशि	सं.*	राशि	सं.*	राशि	सं.*	राशि	सं.*	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	108	324.59	819	637.44	300	293.69						
2.	अरुणाचल प्रदेश			1	5.57	7	8.23						
3.	असम	22	9.85			1	5.89			13	47.99	26	240.22
4.	बिहार			12	50.68	1	191.44						
5.	गोवा												
6.	गुजरात	3	667.76										
7.	हरियाणा	59	84.62	1	196.81								
8.	हिमाचल प्रदेश	170	74.00	63	77.86	3	3.35						
9.	जम्मू-कश्मीर	9	43.42							2	3.95		
10.	कर्नाटक	205	136.48	583	206.83	50	18.57			1	0.23	1	0.24
11.	केरल	20	2.34	67	36.38	37	102.05			4	20.45		
12.	मध्य प्रदेश	87	276.53	31	71.53	27	44.79						
13.	महाराष्ट्र	36	371.37	1724	481.40	215	130.86	1	101.08				

14.	मणिपुर											
15.	मेघालय											
16.	मिजोरम	16	6.90									
17.	नागालैंड			50	22.41							
18.	उड़ीसा	343	195.84	104	202.31	34	69.57		6	19.87		
19.	पंजाब	105	135.96	125	191.36	24	46.83		39*	27.69		
20.	राजस्थान	7	78.39	891	162.93				1	22.47		
21.	तमिलनाडु	320	253.27	504	171.66	30	32.88					
22.	त्रिपुरा			1	65.34							
23.	उत्तर प्रदेश	1451	124.74	1057	171.71	42	71.93		73	134.65	88	16.28
24.	पश्चिम बंगाल	117	89.81	174	200.63	15	55.76		118	80.41		
25.	सिक्किम	105	1.90	4	2.13				11	0.26		
26.	झारखण्ड	3	108.33	294	236.23							
27.	छत्तीसगढ़	39	62.53									
28.	उत्तरांचल	13	37.15	211	247.65	18	8.21		15	15.44		
	कुल	3238	3085.78	6716	3438.86	804	1084.05	101.08	283	373.51	115	256.74

करोड़ रुपए

क्र.सं.	राज्य	विद्युत परियोजना		ग्रामीण पेय		शिक्षा		**अन्य		कुल	
		सं.*	राशि	सं.*	राशि	सं.*	राशि	सं.*	राशि	सं.*	राशि
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	आन्ध्र प्रदेश			364	167.28	1176	239.67	327	327.81	3094	1990.48
2.	अरुणाचल प्रदेश			2	6.35					10	20.15
3.	असम							1	3.92	37	67.65
4.	बिहार					902	132.84	2378	110.38	3319	725.56
5.	गोवा										
6.	गुजरात			22	643.93					25	1311.69
7.	हरियाणा			222	84.06			162	4.53	444	370.02
8.	हिमाचल प्रदेश			1	35.02					237	190.23
9.	जम्मू-कश्मीर							1	1.99	12	49.36
10.	कर्नाटक			21	26.55	1411	47.95	101	18.00	2372	454.61
11.	केरल							171	62.37	300	223.83
12.	मध्य प्रदेश					42616	181.03			42761	573.88
13.	महाराष्ट्र									1976	1084.71
14.	मणिपुर							1	0.53	1	0.53
15.	मेघालय										
16.	मिजोरम									16	6.90

17.	नागालैण्ड					13	7.83	63	30.24
18.	उड़ीसा							487	487.69
19.	पंजाब	126	147.90					419	549.74
20.	राजस्थान	3	68.57			2056	149.79	2958	482.15
21.	तमिलनाडु	499	22.37	549	184.90	2544	132.24	4446	797.32
22.	त्रिपुरा							1	65.34
23.	उत्तर प्रदेश							2711	519.31
24.	पश्चिम बंगाल	3	180.00	11	1.85	126	29.05	564	637.51
25.	सिक्किम	2	1.84			11	1.85	133	7.98
26.	झारखण्ड							297	344.56
27.	छत्तीसगढ़							39	62.53
28.	उत्तरांचल							257	308.45
	कुल	1265	1383.87	46665	788.24	7892	850.29	66979	11362.42

** अन्य में बाजार स्थान/गोदाम, काडा, शीतागार, मत्स्य पत्तन, अंर्देशीय जल मार्ग, रबड़ बागान, जन स्वास्थ्य, बीज/कृषि/बागवानी/फार्म, नागरिक सूचना केन्द्र, फूड पार्क, पशु पालन, वन प्रबंधन, मृदा संरक्षण एवं ग्रामीण पुस्तकालय, नदी में मछली पकड़ना, वर्षा जल एकत्रीकरण, मांस प्रसंस्करण शामिल हैं।

❂ शिक्षा में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।

* परियोजनाओं की संख्या दर्शाता है।

विवरण-II

राज्य-वार वर्ष-वार मंजूरी एवं संवितरण (31-3-2005 की स्थिति के अनुसार)

करोड़ रुपए

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05		कुल	
	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण
आन्ध्र प्रदेश	907.76	577.11	868.20	648.34	1560.86	655.98	3336.82	4310.49
कर्नाटक	231.03	238.71	297.17	266.17	420.96	242.40	949.16	1465.41
केरल	196.21	134.60	81.17	127.26	222.74	71.01	500.12	636.78
तमिलनाडु	387.97	358.85	547.73	363.24	657.72	275.91	1593.42	2203.45
गोवा	16.1	2.58		14.99			16.10	17.57
गुजरात	283.82	193.76	899.21	373.85	1311.69	510.16	2494.72	3288.67
महाराष्ट्र	443.09	220.10	67.03	2.75	258.49	512.75	768.61	1061.12
हरियाणा	270.87	124.24	153.62	144.88	173.21	145.00	597.70	740.95
हिमाचल प्रदेश	170.73	141.58	142.15	142.35	91.72	83.18	404.60	600.98
जम्मू-कश्मीर	175.64	140.07	153.82	80.39	49.35	138.60	378.81	562.23
पंजाब	210.17	188.46	288.18	180.02	312.62	165.99	810.97	1135.27
राजस्थान	346.75	296.40	140.27	178.55	356.25	163.93	843.27	1135.40
छत्तीसगढ़	281.3	96.99	432.88	140.60	62.54	182.32	776.72	915.33
मध्य प्रदेश	575.23	382.44	277.46	391.96	533.50	249.30	1386.19	1834.66
उत्तर प्रदेश	322.71	307.93	217.84	272.20	516.35	300.67	1056.90	1614.99

उत्तरांचल	75.43	54.98	230.08	49.88	308.44	122.41	613.95	765.79
बिहार	218.93	16.28	97.24	47.97	290.90	66.29	607.07	518.68
झारखण्ड			49.13		174.79	5.00	223.92	228.92
उड़ीसा	246.83	182.42	185.11	107.57	375.68	154.60	807.62	1005.38
पश्चिम बंगाल	520.73	308.44	213.41	251.63	526.97	195.45	1261.11	1495.90
अरुणाचल प्रदेश		30.93	15.12	22.31	20.15	12.77	35.27	101.28
असम	76.23	40.07	189.75	29.96	13.77	13.83	279.75	287.38
मणिपुर					0.53		0.53	0.53
मेघालय	18.39	12.65	15.52	20.70		15.09	33.91	63.96
मिजोरम	2	18.32	13.50	23.25	6.90	2.11	22.40	64.08
नागालैण्ड	6.68	7.11	16.94	11.60	28.65	16.76	52.27	81.06
त्रिपुरा	50.13	23.67	3.17	24.95		10.44	53.30	62.23
सिक्कम	4.89	4.73	3.30	4.72	7.97	5.07	16.16	25.79
कुल योग	6039.62	4103.42	5599.00	3922.09	8282.75	4317.02	19921.37	26224.28

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिशें

*498. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के 27 उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उपक्रमों के मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजने से पूर्व इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उपक्रमों के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने क्या सुझाव दिए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): (क) और (ख) 31 जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 72 उपकमों (31 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम - 41 राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) को समाप्त करने के लिए सिफारिश की गई है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की एक सूचीक्रमश: संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रत्येक कंपनी के निदेशक मंडल को इसकी अर्थक्षमता सुनिश्चित करनी होती है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) को भेजे जाने वाले मामले सांविधिक स्वरूप के होते हैं। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत जब एक औद्योगिक कंपनी रुग्ण औद्योगिक कंपनी बन जाती है, तब निदेशक मंडल को कंपनी के लेखों के निपटान की तारीख से साठ दिन के भीतर बाइफर को मामला भेजना होता है। तथापि, भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरुज्जीवन तथा पुर्निर्धारण के लिए दिसम्बर, 2004 में सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया है।

(ङ) रुग्ण कंपनियों के लिए योजना मंजूर करते समय कर्मकारों के हितों पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के पुनर्वास के संबंध में सुझाव देने के लिए बाइफर को कोई अधिदेश नहीं है।

विवरण-I

क्रम सं.	कंपनी	राज्य
1	2	3
1.	आई.डी.पी.एल.	हरियाणा
2.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	कर्नाटक
3.	टैनरी एंड फुटवियर कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
4.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
5.	साइकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
6.	रिचर्डसन क्रूडास लिमिटेड	महाराष्ट्र
7.	माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कार्पेरेशन लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
8.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	झारखण्ड
9.	नेशनल बाइसाइकिल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	महाराष्ट्र
10.	उड़ीसा ड्रग एंड केमिकल्स लिमिटेड	उड़ीसा
11.	फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	बिहार
12.	दि एलजिन मिल्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
13.	भारत प्रोसेस एंड मकेनिकल इंजीनियरिंग	पश्चिम बंगाल
14.	मंदया नेशनल पेपर लिमिटेड	कर्नाटक
15.	वेहबर्ड इंडिया लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
16.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
17.	कॉनपोर टेक्सटाइल लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
18.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
19.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल

1	2	3
20.	भारत आपथेल्मिक ग्लास लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
21.	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
22.	नेशनल जूट मन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन	पश्चिम बंगाल
23.	इस्को उज्जैन पाइप एंड फाऊन्ड्री कंपनी लिमिटेड	मध्य प्रदेश
24.	सदर्न पस्टीसाइड कार्पोरेशन लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
25.	रेरोल बर्न लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
26.	स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
27.	हिन्दुस्तार फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	तमिलनाडु
28.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिक	महाराष्ट्र
29.	बर्डस जूट एंड एक्सपोर्टस लिमिटेड	पश्चिम बंगाल
30.	हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
31.	पाइराइट्स, फासफेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	झारखण्ड

विवरण-II

क्रम सं.	कंपनी	राज्य
1	2	3
1.	आटोकास्ट लिमिटेड	केरल
2.	कलट्रान रेक्टीफायर्स लिमिटेड	केरल
3.	कलट्रान पावर डिवाइस लिमिटेड	केरल
4.	यू.पी. स्टेट सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
5.	यू.पी. टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
6.	यू.पी. कार्बाइड एंड केमिकल्स	उत्तरांचल
7.	ए.पी. स्टील्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
8.	भदोई वूलन्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
9.	कलट्रान काउंटर्स लिमिटेड	केरल
10.	केरल स्टेट डिटर्जेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड	केरल
11.	ए.पी. हैवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
12.	ए.पी. स्कूटर लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
13.	रिपब्लिक फोर्ज	आन्ध्र प्रदेश
14.	कर्नाटक इम्पलीमेंट एंड मशीनरी कंपनी लिमिटेड	कर्नाटक
15.	ओरिकैम लिमिटेड	उड़ीसा
16.	उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स	उड़ीसा
17.	गुजरात स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात
18.	श्यादरी ग्लास वर्क्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
19.	त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	केरल
20.	दि प्रताप स्पिनिंग विविंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
21.	पुलगांव कॉटन मिल्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
22.	एन.जी.इ.एफ. लिमिटेड	कर्नाटक
23.	पंजाब स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड	पंजाब
24.	कुमारधुबी मेटल कास्टींग एंड इंजीनियरिंग्स	बिहार
25.	पंजाब पावर पैक्स लिमिटेड	पंजाब
26.	मैरीन एंड कम्यूनिकेशन इलैक्ट्रानिक	आन्ध्र प्रदेश
27.	सदर्न ट्रांसफार्मर्स एंड इलै. लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश

1	2	3
28.	कर्नाटक स्टेट टैक्सटाइल्स लिमिटेड	कर्नाटक
29.	घातमपुर शुगर कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
30.	हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड	हरियाणा
31.	तमिलनाडु मैग्नीशियम एंड मैरीन केमिकल्स	तमिलनाडु
32.	नंदगुंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
33.	दि मैसूर लैम्प वर्क्स लिमिटेड	कर्नाटक
34.	कर्नाटक टेलीकॉम लिमिटेड	कर्नाटक
35.	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर्स कंपनी लिमिटेड	मेघालय
36.	आई.डी.सी.ओ.एल. पाइपिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड	उड़ीसा
37.	इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स पंजाब लिमिटेड	पंजाब
38.	कर्नाटक स्टेट वेनीर्स लिमिटेड	कर्नाटक
39.	दि मैसूर एसीटेट एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	कर्नाटक
40.	महाराष्ट्र इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	महाराष्ट्र
41.	गुजरात कम्यूनिकेशन्स इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	गुजरात

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

***499. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999 में वस्त्र और जूट उद्योगों के लिए शुरू की गई प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना को वर्ष 2007 तक बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत वस्त्र और जूट उद्योगों को कौन-कौन से लाभ/सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत जूट और वस्त्र लघु उद्योग को अधिक पूंजीगत राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में मुख्य रूप से इस योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले पांच प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। तथापि, इसके अलावा निम्नलिखित प्रोत्साहन भी इस योजना के तहत उपलब्ध हैं:-

(i) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में 5% ब्याज सहायता के बदले 5% बिन्दु से अनधिक प्रति वर्ष की विनिमय दर की कटौती का कवरेज;

(ii) लघु वस्त्र और पटसन औद्योगिक एककों के लिए, या तो 15% ऋण संबद्ध पूंजी सहायता (सी.एल.सी.एस.) अथवा मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति लेने का विकल्प।

(iii) लघु विद्युतकरघा एककों के लिए, 100 लाख रु. की लागत तक के विद्युतकरघा और बुनाई संबंधी प्रारंभिक मशीनरी के लिए ऋण संबद्ध 20% पूंजी सहायता का अतिरिक्त विकल्प और इसके साथ एक ऐसे व्यापक नेटवर्क से ऋण प्राप्त करने की सुविधा जिसमें सभी सहकारी बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य वास्तविक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन.बी.एफ.सी.) शामिल हैं।

(iv) केवल वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजी सहायता।

(ग) और (घ) टी.यू.एफ.एस. के तहत लघु पटसन और वस्त्र उद्योग को अपेक्षाकृत अधिक पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने इस योजना के तहत 13-01-05 से निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

(i) विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए, मशीनरी के लिए पूंजी सीमा 60.00 लाख रु. से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रु. कर दी गई; और

(ii) लघु वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए, ऋण संबद्ध पूंजी सहायता की दर 12% से बढ़ाकर 15% कर दी गई।

उच्च न्यायालय की पीठ

*500. **श्री काशी राम राणा:**

श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राज्यों में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या कई राज्यों में उच्च न्यायालयों की पीठों की संख्या बढ़ाने की मांग काफी समय से लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का मामलों के त्वरित निपटान हेतु और अधिक पीठों की स्थापना के बारे में कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ङ) जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रधान स्थान से दूर किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना की समीचीनता और वांछनीयता के प्रश्न और उक्त न्यायपीठ के स्थान का चयन करने में ध्यान में रखे जाने वाले तथ्यों को विनिश्चित करते समय अनुसरण किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मापदंडों का सुझाव दिया है।

किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के प्रश्न पर, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस राज्य सरकार से जब कभी कोई संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है तब इन सिद्धांतों और मानदंडों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाता है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किसी राज्य सरकार से प्राप्त ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

रिलायंस उद्योग समूह पर बकाया कर

5162. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** रिलायंस उद्योग समूह के बारे में 8 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4952 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिलायंस उद्योग समूह से कितने कर की वसूली की जा चुकी है और कितना कर अब भी बकाया है; और

(ख) उनसे सम्पूर्ण बकाए कर की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) दिनांक 25 अगस्त, 2000 (न कि प्रश्न में यथा उल्लिखित 8 अगस्त, 2000) को उत्तर दिए गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 4952 के उत्तर में उल्लिखित रिलायन्स ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीज की 11 कम्पनियों के विरुद्ध कोई मांग बकाया नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाक विभाग में जी.डी.एस. सेक्शन के प्रति भेदभाव

5163. डा. के.एस. मनोज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोस्टल बोर्ड और संचार मंत्रालय द्वारा डाक विभाग के जी.डी.एस. सेक्शन हेतु महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि को मूल वेतन में विलय की सिफारिश किए जाने के बावजूद इस सेक्शन में ऐसा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डाक विभाग के जी.डी.एस. सेक्शन को शीघ्र यह लाभ दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार ने इस मुद्दे के लिए अन्तर-विभागीय समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क अधिकारियों के खिलाफ सी.बी.आई. जांच

5164. श्री रामस्वरूप कोली: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने मध्यप्रदेश में उत्पाद शुल्क अधिकारियों तथा वर्ष 2003 से अवैध व्यापार में लिप्त होने के कारण 'डोडा चूरा' के लाइसेंस धारक व्यापारियों के खिलाफ कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उक्त अधिकारियों और व्यापारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण जल प्रबंधन योजना

5165. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की ग्रामीण जल प्रबंधन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004 और 2005 के दौरान और अब तक उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए राज्यों को कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उक्त योजनाओं के अंतर्गत शुरूकी गई परियोजनाओं/शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) यह मंत्रालय ग्रामीण जल प्रबंधन योजना जैसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि विकसित करने के लिए तीन कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को 1-4-1995 से वाटरशेट आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। जल प्रबंधन इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल संघटकों में से एक संघटक है।

(ख) उत्तर प्रदेश में मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई राशि का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

कार्यक्रम	जारी की गई निधियां (केन्द्र का भाग) (लाख रुपये में)	
	2003-2004	2004-2005
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	1974.33	1802.86
डी.पी.ए.पी.	1498.13	1456.68

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) मांग आधारित कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

(घ) वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्वीकृत की गई/शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत वर्ष के दौरान स्वीकृति के लिए जिलों की प्राथमिकता राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान प्रत्येक जिले में 5000 हैक्टेयर की दर से 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 10 परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए एक प्राथमिकता सूची स्वीकृति के लिए इस विभाग में प्राप्त हुई है। ये जिले - उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बदायूं , मुरादाबाद, बांदा, कानपुर शहर, जौनपुर, महोबा और ललितपुर हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत यह मंत्रालय कार्यक्रम वाले सभी राज्यों को हर वर्ष नई वाटरशेड परियोजनाएं स्वयं अपने आप स्वीकृत करता है। वर्ष 2005-2006 के दौरान अभी तक उत्तर प्रदेश को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कोई नई वाटरशेड परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

विवरण-I

वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान उत्तर प्रदेश को आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	क्षेत्र (हैक्येटर में)	कुल परियोजना लागत	जारी की गई निधियां (केन्द्र का भाग)
1	2	3	4	5	6
1.	कौशाम्बी-I	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
2.	आगरा-III	2003-04 से 07-08	5000	300.00	123.63
3.	इटावा-I	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
4.	फिरोजाबाद-II	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
5.	सहारनपुर	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
6.	हरदोई	2003-04 से 07-08	5000	300.00	123.75
7.	मुजफ्फरनगर	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
8.	मिर्जापुर-III	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
9.	महोबा	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
10.	जालौन	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
11.	इलाहाबाद-II	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
12.	प्रतापगढ़-II	2003-04 से 07-08	5000	300.00	41.25
13.	सुल्तानपुर-II	2003-04 से 07-08	5000	300.00	123.75
14.	शाहजहांपुर-II	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
15.	राय बरेली-II	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
16.	सीतापुर-III	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
17.	फैजाबाद-II	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
18.	बाराबंकी-II	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
19.	आगरा-IV	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
20.	कन्नौज	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25

1	2	3	4	5	6
21.	ललितपुर-III	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
22.	इलाहाबाद-III	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
23.	मिर्जापुर-IV	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
24.	झांसी-IV	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
25.	ओरैया-II	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
26.	हमीरपुर-III	2004-05 से 08-09	5000	300.00	41.25
	योग		130000	7800.00	1319.88

विवरण-II

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं.		शामिल किया गया क्षेत्र (है. में)		कुल परियोजना लागत		जारी की गई निधियां
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	इलाहाबाद	3	3	1500	1500	90.00	90.00	20.25
2.	बेहराइच	30	30	15000	15000	900.00	900.00	202.50
3.	श्रावस्ती	12	12	6000	6000	360.00	360.00	81.00
4.	बलरामपुर	12	12	6000	6000	360.00	360.00	81.00
5.	बांदा	18	18	9000	9000	540.00	540.00	121.50
6.	चित्रकूट	15	15	7500	7500	450.00	450.00	101.25
7.	हमीरपुर	6	6	3000	3000	180.00	180.00	40.50
8.	जालौन	6	6	3000	3000	180.00	180.00	81.00
9.	झांसी	15	15	7500	7500	450.00	450.00	101.25
10.	लखीमपुर खीरी	6	6	3000	3000	180.00	180.00	40.50

1	2	3		4		5		6
11.	ललितपुर	4	4	2000	2000	120.00	120.00	27.00
12.	महोबा	4	4	2000	2000	120.00	120.00	27.00
13.	मिर्जापुर	4	4	2000	2000	120.00	120.00	27.00
14.	सीतापुर	9	9	4500	4500	270.00	270.00	60.75
15.	सोनभद्र	16	16	8000	8000	480.00	480.00	108.00
	योग	160	160	80000	80000	4800.00	4800.00	1120.50

तिरूपुर जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम

5166. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी की अग्रगामी परियोजना के रूप में प्रचारित तिरूपुर जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार है;

(ख) इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ङ) इस परियोजना के लाभान्वितों की संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। तमिलनाडु जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तिरूपुर जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना की मुख्य विशेषता यह है कि यह सरकारी और निजी भागीदारी तथा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य आधार पर तैयार की गई है। परियोजना से हर दिन 185 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति तथा तिरूपुर नगर पालिका में सीवरेज सिस्टम का निर्माण होने की संभावना है। परियोजना की अनुमानित लागत 1023 करोड़ रुपये है। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के माध्यम से इक्विटी के रूप में 10 करोड़ रुपए दिए थे। भारत सरकार से निर्यात प्रोत्साहन के लिए बुनियादी सुविधा विकास कार्यक्रम हेतु 30 करोड़ रुपए की सहायता भी प्राप्त हुई थी। परियोजना से तिरूपुर नगर पालिका और आसपास के शहर तथा गांवों के 7,50,000 लोगों को लाभ मिलेगा। तिरूपुर नगर पालिका में 2,00,000 लोगों को सीवरेज सिस्टम प्राप्त होगा। इसके अलावा, तिरूपुर की 675 औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ मिलेगा।

[हिन्दी]

हथकरघा विकास केन्द्र

5167. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए देश में हथकरघा विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कितना अनुदान दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) हथकरघा विकास केन्द्रों/गुणवत्ता रंगाई एककों (एच.डी.सी./क्यू.डी.यू.) की स्थापना की योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई थी और 31-3-1999 तक लागू रही। तथापि, योजना के तहत प्रतिबद्ध देयता 31-3-2002 तक ली गई थी।

(ख) से (घ) योजना के चालू रहने के दौरान 1848 हथकरघा विकास केन्द्रों एवं 391 गुणवत्ता रंगाई एककों की स्थापना के लिए 9570.19 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। स्थान से संबंधित विशेष ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, स्वीकृत हथकरघा विकास केन्द्रों/गुणवत्ता रंगाई एककों की राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण तथा अवमुक्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

हथकरघा विकास केन्द्र/गुणवत्ता रंगाई एकक योजना (1993-94 से 2000-01 तक जारी निधियों का ब्यौरा)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
		एच.डी. सी.	क्यू.डी. यू.	राशि	एच.डी. सी.	क्यू.डी. यू.	राशि	एच.डी. सी.	क्यू.डी. यू.	राशि	एच.डी. सी.	क्यू.डी. यू.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	24	246.95000	30	13	414.09000	47	3	217.82000	159	49	671.67000
2.	अरुणाचल प्रदेश												
3.	असम	45		100.00000	58	12	489.235000			84.49000			
4.	बिहार				14		74.48000	35	4	114.41000	1		4.00000
5.	गुजरात				6		20.42000			8.25000	1		0.15000
6.	गोवा												
7.	हरियाणा							1		4.00000			
8.	हिमाचल प्रदेश	1		2.00000	4		30.36000	5	1	26.19500	1	2	23.99500
9.	जम्मू-कश्मीर				2		6.08000	1		3.04000			
10.	कर्नाटक	6	1	17.50000	15	3	84.69000	2		26.69500	7		12.51000
11.	केरल	8		29.37000	36	3	260.98000	18	5	116.05000	9	4	86.95400
12.	मध्य प्रदेश	5		20.00000	12	6	82.06500	11		31.87000			
13.	महाराष्ट्र	1	1	6.00000	14	1	53.38500	5	1	26.48000			

14.	मणिपुर	41		113.74000	96	7	607.52500			132.00000			
15.	मेघालय												
16.	मिजोरम												
17.	नागालैण्ड							2		8.00000	60	1	239.91000
18.	उड़ीसा	38	26	178.30000	48	8	278.28000	55	1	153.84000	57	5	84.43000
19.	पंजाब												
20.	राजस्थान				1		3.04000			2.23500			
21.	तमिलनाडु	30	6	124.85000	119	17	805.83000	99	5	449.10500	38	4	114.20000
22.	त्रिपुरा				13	10	48.01000			17.87500			
23.	उत्तर प्रदेश				76	42	404.89000	7	8	140.13000	2		2.38000
24.	पश्चिम बंगाल	42	8	161.29000	56	12	336.64000	38	8	165.85500	55	12	104.82000
25.	पाण्डिचेरी				5		18.50150						
26.	सिक्किम												
27.	दिल्ली												
	योग	267	66	1000.00000	605	134	4018.50150	326	36	1728.34000	390	77	1345.01900

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98			99-2000	2000-01	2001-02	योग		
		एच.डी. सी.	क्यू.डी. यू.	राशि	केवल शेष	केवल शेष	केवल शेष	एच.डी. सी.	क्यू.डी. यू.	राशि
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आन्ध्र प्रदेश	111	62	460.34000	13.68624	27.89300		397	151	2052.44924
2.	अरुणाचल प्रदेश									0.00000
3.	असम							103		673.72500
4.	बिहार	3	3	16.97000				53	19	209.86000
5.	गुजरात							7		28.82000
6.	गोवा									0.00000
7.	हरियाणा			5.00000				1		9.00000
8.	हिमाचल प्रदेश				2.84000	5.10000		11	3	90.49000
9.	जम्मू-कश्मीर							3		9.12000
10.	कर्नाटक							30	4	141.39500
11.	केरल	1		4.06000	15.99192			72	12	513.40592
12.	मध्य प्रदेश							28	6	133.93500
13.	महाराष्ट्र							20	3	85.86500
14.	मणिपुर							137	7	853.26500
15.	मेघालय									0.00000

16.	मिजोरम									0.00000
17.	नागालैण्ड	80	6	315.63000	61.39000	78.84000		142	7	703.77000
18.	उड़ीसा	16	2	24.11000				214	42	718.96000
19.	पंजाब									0.00000
20.	राजस्थान						1.77500	1		7.05000
21.	तमिलनाडु	38	4	116.07000	290.08887			324	36	1900.14387
22.	त्रिपुरा							13	10	65.88500
23.	उत्तर प्रदेश	4	1	19.69200	12.18960			89	51	579.28160
24.	पश्चिम बंगाल	7		6.66000				198	40	775.26500
25.	पाण्डिचेरी							5		18.50150
26.	सिक्किम									0.00000
27.	दिल्ली									0.00000
	योग	260	78	968.53200	396.18863	111.83300	1.77500	1848	391	9570.18713

स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत आदर्श ग्राम

5168. श्री काशीराम राणा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र प्रायोजित स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में आदर्श ग्राम के रूप में कितने गांवों को विकसित किया गया है;

(ख) गत वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ग) क्या गुजरात ने उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदनार्थ विशेष परियोजनाओं तथा इनके निमित्त धन निर्गत करने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (घ) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) के अंतर्गत मॉडल ग्राम विकसित करने की योजना को बन्द कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) शुरू किया गया है। टी.एस.सी. के अंतर्गत, निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक एक प्रेरक योजना पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को अपने गांवों को स्वच्छ गांवों में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। पिछले वर्ष के दौरान, पूर्ण स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए राजकोट जिले की राज समाधियाला ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया।

टी.एस.सी. के अंतर्गत, गुजरात सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 20 जिलों के लिए प्रस्ताव, प्रस्तुत किए थे तथा वे सभी परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। इस समय, टी.एस.सी. परियोजनाएं गुजरात के सभी 25 जिलों में स्वीकृत की गई हैं। पिछले वर्ष के दौरान गुजरात में टी.एस.सी. परियोजनाओं के लिए 36.90 करोड़ रु. रिलीज किए गए।

[अनुवाद]

चेक संबंधी धोखाधड़ी

5169. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में विशेषकर तमिलनाडु में "चेक संबंधी धोखाधड़ी" के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसके चलते बैंकों तथा खाताधारकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा दोषी लोगों को दंडित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं अप्रैल, 2004 से दिसम्बर 2004 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जाली चेकों/मांग पत्रों के माध्यम से धन आहरण के मामलों में क्रमश: 1399.03 लाख रुपए, 477.19 लाख रुपए एवं 437.04 लाख रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। तमिलनाडु में वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान एक लाख रुपए से अधिक के पांच मामलों, जिनमें 33.48 लाख रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है, की सूचना दी गई है तथा अप्रैल-दिसम्बर, 2004 के दौरान ऐसे चार मामलों की सूचना दी गई है जिनमें 424.33 लाख रुपए की कुल राशि अंतर्ग्रस्त है।

(ग) जाली चेकों/मांग पत्रों के माध्यम से धन आहरण की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर परिपत्र जारी किए हैं जिनमें उन्हें मांग पत्रों के संग्रहण/उगाही वाले लेन-देनों में अधिक सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। चूंकि जारी एवं चुराए गए चेकों/मांग पत्रों को फर्जी बैंक खातों के माध्यम से भुनाया जाता है इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने खामियों को दूर करने के लिए "अपने ग्राहक को जानें" मानदण्डों के संबंध में नवम्बर, 2004 में बैंकों को एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। खो गए एवं चुराए गए मांग पत्रों के मामले में संबद्ध बैंक अपनी शाखाओं तथा उस क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य बैंकों की शाखाओं को सावधान रहने की सलाह जारी करता है। बैंक जाली मांग पत्रों/चेकों के संबंध में सदस्य बैंकों को सूचना देने के अनुरोध के साथ इस मामले को भारतीय बैंक संघ की जानकारी में भी लाते हैं। इन धोखाधड़ियों में जिन कर्मचारियों की अंतर्ग्रस्तता साबित हो जाती है, उनके विरुद्ध नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती है।

एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत प्रस्ताव

5170. श्री मोहन रावले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल, 2002 में एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत कई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की लागत क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर इन्हें स्वीकृत कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके अनुमोदन/स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) 25 सितम्बर, 2001 से शुरू की गई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आबंटन आधारित कार्यक्रम है और महाराष्ट्र के जिलों सहित देश के सभी ग्रामीण जिलों में चल रही है। यह योजना परियोजना आधारित नहीं है।

खनिज पर रॉयल्टी

5171. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों को वर्ष 2001-02 से कच्ची प्राकृतिक गैस, कोयला र चूना-पत्थर सहित अन्य खनिज संसाधनों पर मिलने वाली रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने खनिज संसाधनों का दोहन किया जाता है और संबद्ध राज्य सरकारों को इनसे कितनी रॉयल्टी मिलती है; और

(ग) रॉयल्टी में कमी के मुख्य कारण क्या हैं और रॉयल्टी से राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) मिनरल क्रूड और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कोयला है और खान मंत्रालय का संबंध चूना पत्थर से है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय तेल कंपनियों तथा निजी/संयुक्त उद्यम प्रचालकों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न राज्यों को वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए रॉयल्टी के रूप में भुगतान की गई कुल राशि क्रमशः 452.67 करोड़ रु. 599.42 करोड़ रु. और 667.98 करोड़ रु. है।

कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य राज्यों को 2001-2002 से कोयले पर रॉयल्टी का नुकसान नहीं हो रहा है।

जहां तक चूना पत्थर पर रॉयल्टी का संबंध है, यद्यपि रॉयल्टी दरें खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाती हैं, तथापि, रॉयल्टी की वसूली संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चूना पत्थर की रॉयल्टी दरें नीचे दी गई हैं:-

	12-9-2000 से 13-10-2004 तक	14-10-2004 के बाद
(क) एल.डी. ग्रेड (सिलिका की मात्रा डेढ़ प्रतिशत से कम)	50 रुपए प्रति टन	55 रुपए प्रति टन
(ख) अन्य	40 रुपए प्रति टन	45 रुपए प्रति टन

खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में चूना पत्थर का उत्पादन क्रमशः 7.30 लाख टन, 8.39 लाख टन और 8.60 लाख टन था।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता। तथापि, रॉयल्टी की दरें केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।

बैंकों की विदेशी शाखाओं को होने वाला लाभ

5172. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को हुए लाभ का बैंकवार और शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों की इन विदेशी शाखाओं को उक्त अवधि के दौरान तथा अनुवर्ती वर्षों की तुलना में कोई नुकसान या लाभ में कमी देखी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) गत वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों की विदेशी शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ के ब्यौरे निम्नांकित हैं:-

(राशि मिलियन यू.एस. डालर में)

बैंक का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
यूको बैंक	-10.00	-5.79	9.76
सिंडिकेट बैंक	0.77	0.55	0.28
भारतीय स्टेट बैंक	0.95	22.95	39.08
इंडियन ओवरसीज बैंक	-2.70	-2.71	8.97
इंडियन बैंक	0.31	-9.56	1.78
केनरा बैंक	2.22	0.37	0.89
बैंक ऑफ इंडिया	19.35	18.64	-44.00*
बैंक ऑफ बड़ौदा	23.40	31.95	42.17
कुल	34.30	56.40	58.93

* बैंक के विरुद्ध लंदन लंदन उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल निर्णय के पश्चात् बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बी.सी.सी.आई. (बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कामर्स इंटरनेशनल) के परिसमापकों को 82.00 मिलियन यू.एस. डालर के भुगतान के कारण।

बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों साथ ही, सरकारी वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार इन बैंकों की अलग-अलग विदेशी शाखाओं के लाभ से संबंधित सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

दस रुपए के सिक्के

5173. श्री अतीक अहमद: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दस रुपए का सिक्का शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दस रुपए के नोट की कमी को देखते हुए दस रुपए का सिक्का शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) दस रुपए का नया सिक्का द्वि-धात्विक होगा, यह गोलाकार और इसका व्यास 27 मिलीमीटर का होगा और इसका घेरा तथा मध्य भाग क्रमशः तांबा-गिलट (क्यूप्रो-निकल) और अल्यूमिनियम-कांसा से बना होगा। सिक्के का भार 7.71 ग्राम होगा।

(ग) वर्तमान में, दस रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट की कोई कमी नहीं है। 10 रुपए के सिक्के का प्रारंभ सरकार की दीर्घावधि सिक्का निर्माण नीति अर्थात् कम मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की जगह सिक्का चलाना, के क्रम में किया गया है।

ग्रामीण भारत का प्रकाशन

5174. श्री बापू हरी चौरे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "ग्रामीण भारत" के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संस्करण के अलावा किसी अन्य संस्करण को प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'ग्रामीण भारत' समाचार पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को स्थानीय जानकारी शामिल करने और अपने-अपने राज्य की भाषा में प्रकाशित करने के लिए भेजा जाता है। किसी और संस्करण को प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वच्छ पेयजल

5175. श्री कैलाश बैठा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने बिहार को स्वच्छ पेय जल कार्यक्रम के अन्तर्गत धन आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान बिहार को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम की सलता हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति भी गठित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु किन जिलों की पहचान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां आबंटित करती है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य) तथा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (स्वजलधारा) उक्त कार्यक्रम के दो मुख्य घटक हैं। इन घटकों के अंतर्गत 2004-05 के दौरान बिहार को आबंटित तथा रिलीज की गई राशि इस प्रकार है:-

(रु. लाख में)

घटक	आबंटित राशि
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य)	7405.00
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (स्वजलधारा)	923.98

(ग) और (घ) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (स्वजलधारा) के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समितियों डी.डब्ल्यू.एस.सी. को निधियां रिलीज की जाती हैं। स्वजलधारा के दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि जिला पंचायत के सी.ई.ओ./जिला कलक्टर/जिला मिजस्ट्रेट डी.डब्ल्यू.एस.सी. के अध्यक्ष होंगे। पेयजल के कार्यपालक अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला सूचना और जन संपर्क अधिकारी जैसे जिला स्तरीय अधिकारी डी.डब्ल्यू.एस.सी. के अन्य सदस्य होंगे। इसके अलावा, ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के तीन विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में समिति में शामिल किया जा सकता है।

(ङ) बिहार के पांच जिलों - पटना, वैशाली, पूर्वी चम्पारन, भागलपुर तथा सीवान को 2004-05 के दौरान स्वजलधारा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

ताप एवं जल विद्युत उत्पादन

5176. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल-विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादित विद्युत की लागत ताप-विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादित विद्युत की लागत से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और दोनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की औसत लागत राज्यवार अलग-अलग कितनी है;

(ग) वर्तमान में देश में इन क्षेत्रों द्वारा राज्यवार कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है; और

(घ) जल-विद्युत क्षेत्र द्वारा कम विद्युत उत्पादन के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की तुलना में सामान्य जल विद्युत केन्द्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की विद्युत कीमत सस्ती होती है।

(ख) सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जायेंगी।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान तापीय जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत उत्पादन की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान देश में जल विद्युत केन्द्रों द्वारा वास्तविक विद्युत उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा है। लक्ष्य उत्पादन 84000 मि.यू. (एम.यू.) की तुलना में वास्तविक उत्पादन 84497 मि.यू. रहा है।

विवरण

वर्ष 2004-05 में ताप/जल/परमाणु संयंत्रों द्वारा राज्यवार किए जा रहे विद्युत उत्पादन की मात्रा

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य	क्षेत्र	2004-05*			
		थर्मल	हाइडल	न्यूक्लीयर	कुल
1	2	3	4	5	6
दिल्ली	राज्य	5711.52			5711.52
	केंद्रीय	5464.1			5464.1
	कुल	11175.62			11175.62
जम्मू-कश्मीर	राज्य	23.74	686.98		710.72
	केंद्रीय		5658.09		5658.09
	कुल	23.74	6345.07		6368.81
हिमाचल प्रदेश	राज्य		1274.32		1274.32
	केंद्रीय		13277.78		13277.78
	निजी		1462.85		1462.85
	कुल		16014.95		16014.95
हरियाणा	राज्य	6878.57	288.66		7167.23
	केंद्रीय	3161.43	0		3161.43
	कुल	10040	288.66		10328.66

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	राज्य	17472.44	937.88		18410.32
	केंद्रीय	2784.35		4572.81	7357.16
	कुल	20256.79	937.88	4572.81	25767.48
पंजाब	राज्य	14388.08	3356.7		17744.78
	केंद्रीय		4339.32		4339.32
	कुल	14388.08	7696.02		22084.1
उत्तर प्रदेश	राज्य	19701.9	1169.33		20871.23
	केंद्रीय	50321		2759.19	53080.19
	कुल	70022.9	1169.33	2759.19	73951.42
उत्तरांचल	राज्य		3118.02		3118.02
	केंद्रीय		496.84		496.84
	कुल	0	3614.86		3614.86
उत्तरी-क्षेत्र	राज्य	64176.25	10831.89		75008.14
	केंद्रीय	61730.88	23772.03	7332	92834.91
	निजी		1462.85		1462.85
	कुल	125907.13	36066.77	7332	169305.9
गुजरात	राज्य	28305.47	1088		29393.47
	केंद्रीय	6863.51	0	2512.43	9375.94
	निजी	12820.56	0		12820.56
	कुल	47989.54	1088	2512.43	51589.97
महाराष्ट्र	राज्य	47046.45	3993.67		51040.12

1	2	3	4	5	6
	केंद्रीय			2586.72	2586.72
	निजी	13950.3	1441.41		15391.71
	कुल	60996.75	5435.08	2586.72	69018.55
मध्य प्रदेश	राज्य	14349.24	2226.22		16575.46
	केंद्रीय	17813.09	1351.18		19164.27
	निजी		29.75		29.75
	कुल	32162.33	3607.15		35769.48
छत्तीसगढ़	राज्य	7918.1	388.21		8306.31
	केंद्रीय	17048.98	0		17048.98
	कुल	24967.08	388.21		25355.29
पश्चिमी क्षेत्र	राज्य	97619.26	7696.1		105315.36
	केंद्रीय	41725.58	1351.18	5099.15	48175.91
	निजी	27106.7	1471.16		28577.86
	कुल	166451.54	10518.44	5099.15	182069.13
आंध्र प्रदेश	राज्य	25347.62	5817.17		31164.79
	केंद्रीय	25279.45	0		25279.45
	निजी	6169.67	0		6169.67
	कुल	56796.74	5817.17		62613.91
कर्नाटक	राज्य	10989.96	8754.78		19744.74
	केंद्रीय			2926	2926
	निजी	1426.91	169.44		1596.35
	कुल	12416.87	8924.22	2926	24267.09

1	2	3	4	5	6
केरल	राज्य	296.91	6070.66		6367.57
	केंद्रीय	610.28	0		610.28
	निजी	127.45	70.58		198.03
	कुल	1034.64	6141.24		7175.88
तमिलनाडु	राज्य	22004.91	4425.49		26430.4
	केंद्रीय	16741.04	0	1480.44	18221.48
	न्यूक्लीयर				1480.44
	निजी	3270.42	0		3270.42
	कुल	42016.37	4425.49	1480.44	47922.3
पांडिचेरी	राज्य	275.52			275.52
लक्षद्वीप	राज्य	23.78			23.78
दक्षिणी क्षेत्र	राज्य	58938.7	25068.1		84006.8
	केंद्रीय	42630.77	0	4406.44	47037.21
	निजी	10994.45	240.02		11234.47
	कुल	112563.92	25308.12	4406.44	142278.48
बिहार	राज्य	154.53	47.4		201.93
	केंद्रीय	6082.79	0		6082.79
	कुल	6237.32	47.4		6284.72
झारखंड	राज्य	2069.74	150.79		2220.53
	केंद्रीय	4356.99	148.57		4505.56
	निजी	816.24			816.24
	कुल	7242.97	299.36		7542.33

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	राज्य	3163.44	6869.63		10033.07
	केंद्रीय	19442.22	0		19442.22
	निजी	1095.34	0		1095.34
	कुल	23701	6869.63		30570.63
पश्चिम बंगाल	राज्य	17080.04	509.01		17589.05
	केंद्रीय	15908.62	114.29		16022.91
	निजी	7252.08	0		7252.08
	कुल	40240.74	623.3		40864.04
सिक्किम	राज्य	0.16	58.67		58.83
	केंद्रीय	0	369.7		369.7
	निजी	0.16	428.37		428.53
अंडमान व निकोबार	कुल	33.27	6.8		40.07
पूर्वी क्षेत्र	राज्य	22501.18	7642.3		30143.48
	केंद्रीय	45790.62	632.56		46423.18
	निजी	9253.19	0		9253.19
	कुल	77544.99	8274.86		85819.85
असम	राज्य	756.1	0		756.1
	केंद्रीय	1614.82	911.55		2526.37
	निजी	136.76	0		136.76
	कुल	2507.68	911.55		3419.23
मेघालय	राज्य	0	615.42		615.42
	केंद्रीय	0	196.33		196.33
	कुल	0	811.75		811.75

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	राज्य	484.87	68.65		553.52
	केंद्रीय	570.93	0		570.93
	कुल	1055.8	68.65		1124.45
मणिपुर	राज्य	0	0		0
	केंद्रीय	0	628.92		628.92
	कुल	0	628.92		628.92
अरुणाचल प्रदेश	राज्य	0	2		2
	केंद्रीय	0	1650.65		1650.65
	कुल	0	1652.65		1652.65
नागालैंड	राज्य	0	0		0
	केंद्रीय	0	255.17		255.17
	कुल	0	255.17		255.17
उ.पू. क्षेत्र	राज्य	1240.97	686.07		1927.04
	केंद्रीय	2185.75	3642.62		5828.37
	निजी	136.76	0		136.76
	कुल	3563.48	4328.69		7892.17
अखिल भारत	राज्य	244476.36	51924.46		296400.82
	केंद्रीय	194063.6	29398.39	16837.59	240299.58
	निजी	47491.1	3174.03		50665.13
	कुल	486031.06	84496.88	16837.59	587365.53

*वास्तविक एवं मूल्यांकित।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम में वित्तीय संकट

5177. श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज): क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा सख्त क्रियान्वयन किए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2005-2006 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) (परिसम्पत्ति, देयताएं और सालिवैन्सी मार्जिन) विनियमन, 2000 के अधीन निर्धारित सालिवैन्सी मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। एक बारगी बहुत बड़ी राशि प्रदान करने की कठिनाई को देखते हुए आई.आर.डी.ए. द्वारा एल.आई.सी. को एक समय अवधि में इस अपेक्षा का अनुपालन करने की छूट दी गई थी। 31-3-2004 की स्थिति के अनुसार एल.आई.सी. ने 150% की आवश्यकता की तुलना में अपेक्षित सालिवैन्सी मार्जिन का 110.7% प्रदान किया है। वर्ष 2005-2006 के लिए अपनी सालिवैन्सी मार्जिन को पूरा करने के लिए एल.आई.सी. ने सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है।

पेयजल योजना

5178. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के उन 12 जिलों की जनसंख्या हेतु विभिन्न पेय जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 207.60 करोड़ रुपए संस्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है जो इस योजना में सम्मिलित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लेने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर-राज्य आवंटन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार राज्य सरकारों के प्रयासों में निधियां जारी करके सहायता प्रदान करती है:-

	प्राथमिकता	प्रतिशत
(क)	ग्रामीण जन संख्या	40
(ख)	ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में डी.डी.पी. डी.पी.ए.पी., एच.ए.डी.पी. तथा विशेष श्रेणी के पहाड़ी राज्यों के अन्तर्गत राज्य	35
(ग)	कवर नहीं/आंशिक कवर गांव (2:1) आधार पर)	15
(घ)	गुणवत्ता प्रभावित गांव	10
	कुल	100

अलग-अलग ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की अयोजना तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है और ऐसे प्रस्तावों को भारत सरकार के साथ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

व्यय सुधार आयोग

5179. श्री टी.के. हमजा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट 1999-2000 में इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस और चार इंडियन गवर्नमेंट प्रेस तथा चार इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स को एक निगमित निकाय के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, हां।

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार की चार टकसालों, दो करेंसी मुद्रणालयों और एक प्रतिभूति कागज कारखाना के निगमीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन

है। वृहत्तर प्रचालनात्मक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करने तथा प्रतिभूति इकाईयों की दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

खनन क्षेत्र को घाटा

5180. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है और भारी पूंजी निवेश के बावजूद कम उत्पाद हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनन क्षेत्र के घाटे में वृद्धि हुई है क्योंकि आयातित खनिजों की दरों में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इनमें किए गए निवेश का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ रुग्ण उपक्रमों को बंद करने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) वर्तमान में खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं, नामत: (1) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको); (2) हिंदुस्तान कॉपर लि. (एच.सी.एल.) और (3) मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि. (एम.ई.सी.एल.) तथा इसकी दो संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां हैं, नामत: (1) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एच.जेड.एल.) और (2) भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.। कंपनी-पार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

नालको

यह अपनी शुरुआत से ही निरंतर लाभ कमाने वाला उद्यम रहा है। विगत कई वर्षों से इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार ने इस कंपनी में प्रदत्त पूंजी के रूप में 1288.62 करोड़ रु. का निवेश किया है।

एच.सी.एल.

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को पिछले एक दशक से निरंतर हानि हो रही थी। तथापि, कंपनी ने पिछले 15 माह के दौरान लाभ दर्शाया है और वर्ष 2004-05 में कंपनी ने 52.07 करोड़ रु. (अनंतिम) का लाभ अर्जित किया। सरकार ने अब तक कंपनी की इक्विटी पूंजी में 768.22 करोड़ रु. तथा अधिमान्य पूंजी में 180.73 करोड़ रु. का निवेश किया है।

एम.ई.सी.एल.

एम.ई.सी.एल. देश की अग्रणी गवेषण एजेंसी है जो भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित संवर्धनात्मक कार्यक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों की ओर से संविदात्मक कार्यक्रमों के तहत् अपने गवेषण कार्यकलाप करती है। कंपनी को पिछले 14 वर्षों से हानि हो रही है (संचित हानि 93.43 करोड़ रु.)। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान इसने 2.44 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है।

बालको

पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान बालको के उत्पादन और लाभ में बढ़ोतरी हुई है।

एच.जेड.एल.

एच.जेड.एल. निरंतर लाभ कमाने वाला उद्यम है। वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी ने अपने खनन कार्यकलापों में 204.27 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया है।

(च) से (ज) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) के गठन से संबंधित दिनांक 6-12-2004 के संकल्प के पैरा 4 में दी गई रुग्ण उद्यमों की परिभाषा के अनुसार एच.सी.एल. और एम.ई.सी.एल. की रुग्ण उद्यमों के रूप में पहचान की है। तथापि, एस.आई.सी.ए. अधिनियम, 1985 के अनुसार एच.सी.एल. और एम.ई.सी.एल., दोनों ही रुग्ण कंपनियां नहीं हैं। एच.सी.एल. और एम.ई.सी.एल. की वित्तीय पुनर्संरचना के प्रस्ताव, बी.आर.पी.एस.ई. को भिजवाए जाने के प्रयोजनार्थ प्राप्त हो गए हैं। संचित हानि की वजह से एच.सी.एल. और एम.ई.सी.एल. को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

लंबित न्यायालय मामले

5181. श्री सुब्रत बोस: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं जिनमें केन्द्र अथवा राज्य सरकारें या सरकारी

अभिकरण/उपक्रम या तो अपीलकर्त्ता/याचिकाकर्त्ता अथवा प्रतिवादी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से इन मामलों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विलंब के लिए दोषी अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मिल्क मार्क आर्गनाइजेशन आफ इंडिया

5182. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के तत्वाधान में "सिल्क मार्क आर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया" गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेशम उत्पादों की जांच करने हेतु सुविधाओं को उपलब्ध कराने और "सिल्क मार्क लेबल" वाले उच्च कोटि के रेशम की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) "भारतीय रेशम मार्क संगठन" (एस.एम.ओ.आई.) की स्थापना केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 17 जून, 2004 को की गई। "रेशम मार्क" शुद्ध एवं प्राकृतिक रेशम से बने उत्पादनों के लिए एक हॉल मार्क है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास पूरे भारत में उसके रेशम अनुकूलन एवं परीक्षण गृहों, क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय विकास कार्यालयों और प्रमाणन केन्द्रों में रेशम के परीक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम मार्क लेबल वाली गुणवत्ता की रेशम की संकल्पना का संवर्द्धन करने के लिए चेन्नई, बेंगलूर और मुंबई में प्रमुख कार्यालयों में उपभोक्ता मंचों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करता है और विभिन्न हथकरघा एक्सपो तथा रेशम फैब्स में भाग लेता है।

सी.एफ.सी. गैसों की तस्करी

5183. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल, बंग्लादेश, तिब्बत और म्यांमार से पूर्वोत्तर सीमा के जरिए देश में प्रतिबंधित क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (सी.एफ.सी.) को तस्करी कर लाया जा रहा है जैसा कि दिनांक 21 मार्च, 2005 के "दि हिंदू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्षों से भारी मात्रा में जब्त की गई सी.एफ.सी. गैसों का निपटान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) महोदय, क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन्स (सी.एफ.सी.) की तस्करी के दृष्टान्त सामने आये हैं और तस्करी किये गये क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन्स की जब्ती के मामले प्रभावित हुए हैं जब्त किये गये क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन्स का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	दर्ज किये गये क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन्स गैसों की जब्ती के मामलों की संख्या	जब्त की गई क्लोरो-फ्लोरो कार्बन्स की मात्रा (कि.ग्रा. में)	जब्त की गई क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन्स गैसों का मूल्य (लाख रु. में)	दिनांक 31-3-05 की स्थिति के अनुसार निपटान हेतु लंबित क्लोरो-फ्लोरो कार्बन्स गैसों की मात्रा और मूल्य
2002-03	47	27511.10	62.34	-
2003-04	110	30236.00	82.60	-
2004-05	262	49825.36	128.76	25785.80 किग्रा. 66.84 लाख रु.

(ग) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जब्तशुदा/अधिगृहीत क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन्स गैसों के प्रभावी निपटारे हेतु दिनांक 26-12-2001 को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। निपटान नियमितरूप से प्रभावित हो रहा है जैसा कि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है। मंत्रालय ने सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन्स गैस सहित सभी जब्तशुदा/अधिगृहीत माल के त्वरित निपटान को प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं।

बेसल-II मानदण्ड

5184. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पर्याप्त पूंजी आधार बनाए रखने के संबंध में बेसल-II द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) बैंकों द्वारा कितना लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बेसिल समिति ने पूंजी अपेक्षाओं को अन्तर्निहित जोखिमों के अधिक करीब लाने के लिए तथा बैंकों एवं उनके पर्यवेक्षकों को पूंजी पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विकल्प देने के लिए वर्तमान ढांचे पर बनाने हेतु बेसिल-II के रूप में ज्ञात एक संशोधित ढांचा जारी किया है। बाद में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बेसिल-II के कार्यान्वयन के लिए सभी बैंकों को प्रतिपुष्टि के लिए प्रारूप दिशानिर्देश भी जारी किए। बैंक बेसिल-II के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं तथा आशा की जाती है कि वे मार्च, 2007 तक बेसिल-II अपेक्षाओं का पालन कर लेंगे। संशोधित ढांचे में निर्बाध स्थानांतरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा बैंकों को अपनी प्रणालियों एवं नीतियों को सरल एवं कारगर बनाने के लिए अवसर देने के उद्देश्य से भारत में बैंकों को 1 अप्रैल, 2006 से संशोधित ढांचे के अनुसार कार्य प्रारम्भ करना अपेक्षित है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की बिक्री

5185. डा. राजेश मिश्रा:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री रामकृपाल यादव:

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके सहयोगी संगठन ने देश के कानून का उल्लंघन करते हुए शेयरों को रियायती मूल्य पर बेचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिलायंस इंफोकॉम ने अपने 10 मिलियन शेयरों को 1 रुपए प्रति शेयर की दर पर बेचा है, जबकि उनके मूल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उनको दिए गए शेयरों के लिए 250 रु. प्रति शेयर की दर से भुगतान किया है;

(घ) यदि हां, तो शेयर मूल्यों में उक्त अंतर के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार/भारतीय प्रतिभूती एवं विनियम बोर्ड/कंपनी लॉ बोर्ड ने इस मामले की जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच के क्या परिणाम निकले; और

(छ) सरकार द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर धारकों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कंपनी रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.) से प्राप्त रिकार्डों के अनुसार, 12 सितम्बर, 2002 को मै. रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड के 10 मिलियन शेयर तीन कंपनियों द्वारा निम्न प्रकार अधिग्रहण किये गये थे:-

(क)	मै. फेयरएवर ट्रेडर्स एण्ड कंसलटेन्ट्स प्रा. लि.	–	34,00,000 इक्विटी शेयर

(ख)	मै. सॉफ्टनेट ट्रेडर्स एण्ड कंसलटेन्ट्स प्रा. लि.	–	33,00,000 इक्विटी शेयर
(ग)	मै. प्रेमा आटो प्रा. लि.	–	33,00,000 इक्विटी शेयर

कंपनी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार को दायर किये गये सांविधिक फार्म के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात के दिनांक 16-12-2002 के समामेलन के आदेश के पश्चात् मै. रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने कंपनी के किसी भी इक्विटी शेयर का आवंटन नहीं किया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड एक सूचीबद्ध कंपनी है। कंपनी के शेयर होल्डरों के हितों के संरक्षण के लिए सेबी के रूप में नियामक संस्थागत संरचना है। किसी दूसरे कानून के उल्लंघन की दशा में, जैसा उचित हो, सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

5186. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने अब बंद पड़े दाबहोल विद्युत परियोजना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए देश में शुरू होने वाली नौ नई विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों और अन्य उपयोगी सेवाओं से सीधा संव्यवहार करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस प्रयोजन हेतु सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से सहयोग लिया है और वर्तमान में नागार्जुन पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड से इसके पी.पी.ए. को कर्नाटक पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन से जोड़ने की सलाह दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा राज्यों से संव्यवहार करने हेतु अन्य क्या निर्णय लिए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के बाद थर्मल उत्पादन का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है और कैप्टिव उत्पादन की स्वतंत्र अनुमति दी गई है। अंतरराज्यीय विक्रय एवं मल्टीबायर मॉडलों को सुगम बनाने के लिए पारेषण एवं ट्रेडिंग में खुली पहुंच को अनुमति दी गई है। हालांकि, परियोजना प्रवर्तकों को वितरण यूटिलिटियों के साथ विद्युत के विक्रय हेतु सभी आवश्यक निवेशों और विद्युत क्रय समझौतों (पी.पी.ए.) पर तालमेल करना पड़ेगा। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों से प्रोत्साहित होकर, वित्तीय संस्थानों/बैंकों ने सूचित किया है कि विश्वसनीय पृष्ठभूमि वाले प्रवर्तकों द्वारा कार्यान्वित की गई व्यवहार्य विद्युत परियोजनाओं के लिए निधियों की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि, विद्युत वित्तीयबंदी प्राप्त करने में आने वाले अवरोधों को हटाने के विचार से राज्य विद्युत यूटिलिटियों, हटाने के विचार से राज्य विद्युत यूटिलिटियों, परियोजना विकासकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों आदि सहित संबंधित ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से इन परियोजनाओं की वित्तीयबंदी को सुगम बनाने में सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है। वित्तीय संस्थानों और विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के एक अंत:संस्थानिक समूह (आई.आई.जी.) का गठन विशेष रूप से उन फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के लिए किया गया है जो कि शीघ्र वित्तीयबंदी प्राप्त कर सकें। लगभग 4000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 11 विद्युत परियोजनाओं ने वित्तीयबंदी प्राप्त कर ली है और 12000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 11 परियोजनाएं शीघ्र वित्तीयबंदी को सुगम बनाने के लिए आई.आई.जी. द्वारा मॉनीटर की जा रही है।

(ग) और (घ) जहां अपेक्षित हों, राज्य सरकारों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और अन्य यूटिलिटियों से प्रतिनिधियों को शेष मामलों के निपटारे हेतु आई.आई.जी. बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाता है। मै. नागार्जुन पावर कारपोरेशन लि. (एन.पी.सी.एल.) की 1015 मेगावाट मंगलौर थर्मल विद्युत परियोजना शीघ्र वित्तीयबंदी हेतु आई.आई.जी. द्वारा वर्तमान में मॉनीटर की जा रही परियोजनाओं में से एक है। चूंकि विद्युत समझौते को अंतिम रूप देना परियोजना की वित्तीयबंदी वाले बकाया मामलों में से एक था इसलिए विद्युत मंत्रालय ने इस ओर अन्य बकाया मामलों के निपटारे हेतु के.पी.टी.सी.एल. और कर्नाटक सरकार सहित परियोजना में ठेकेदारों के बीच बैठकें आयोजित की हैं।

[हिन्दी]

विद्युत बंटवारे के संबंध में करार

5187. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री विश्वेन्द्र सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य सरकारों से पंजाब में जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत के संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त करार में उल्लिखित परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ङ) पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों और भारत सरकार के बीच दिनांक 10-05-1984 को एक करार हुआ था, जिसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि आनंदपुर साहिब हाइडल परियोजना, मुकेरियां हाइडल परियोजना, थीन बांध परियोजना, यू.बी.डी.सी. चरण-II तथा शाहपुरकण्डी हाइडल स्कीम में विद्युत शेयरिंग के बारे में हरियाणा एवं राजस्थान के दावों को ध्यान में रहते हुए भारत सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर मत जानने के लिए उन्हें अनुरोध किया जाना था कि क्या हरियाणा और राजस्थान राज्य उपरोक्त उल्लिखित स्कीमों से उत्पादित विद्युत में हिस्सेदारी के पात्र हैं और यदि हां तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना होगा। यह सहमति हुई थी कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त कर इसे हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को भेजेगी और वे इसे मानने के लिए बाध्य होंगे।

मामलो को सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा गया है। तथापि मामले के समाधान हेतु 1984 से कई औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श हुए हैं। 1997 तथा 1999 में आयोजित नार्थन जोनल काउंसिल की बैठकों में भी इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। बाद में इन मामलों पर आम सहमति हेतु राज्य सरकारों के बीच कई बार विचार-विमर्श हुआ।

[अनुवाद]

क्रेडिट कार्ड धारकों पर सेवा प्रभार

5188. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के उत्पीड़न और सेवा प्रभार लगाने में पारदर्शिता के अभाव पर चिंता व्यक्त की है तथा भारतीय बैंक एसोसिएशन और बैंकों से और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली बैंकिंग एन्टीटीज के लिए आचार संहिता बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक जैसे सरकारी क्षेत्र के बैंक भी कारोबार संबंधी नैतिक परम्पराओं का सबसे अधिक उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसी सेवाओं के लिए सेवा प्रभार का बिल भेजते हैं जो उन्होंने कभी दी ही नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों से अत्यधिक ब्याज दर ली जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(छ) क्या सरकार को इस संबंध में मुम्बई की भारतीय सामाजिक सर्वसेना सहयोगी संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क), (ख), (ङ) और (च) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) की बैठक बुलाने जैसे उपाय पहले ही कर लिए हैं। आई.बी.ए. ने क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए सद् प्रथा संहिता तथा प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (डी.एस.ए.) के लिए आदर्श आचार संहिता को अंतिम रूप दे दिया है। उसने क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतों को बैंकिंग ओम्बड्समैन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय भी लिया है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वे उन ग्राहकों, जिन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करते समय स्पष्ट रूप से बल दिया गया हो, को छोड़कर अन्य किसी क्रेडिट कार्ड पर सेवा प्रभार नहीं लगाते। प्रभारों में कोई परिवर्तन करने से पहले भी क्रेडिटधारकों को परिवर्तन की सूचना दे दी जाती है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि पत्र या टेलीफोन के जरिए प्राप्त सेवाओं या प्रभारों से संबंधित सभी शिकायतों का समाधान कार्डधारक की संतुष्टि के अनुसार किया जाता है।

(छ) और (ज) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय सामाजिक सर्वसेवा सहयोगी संस्था, मुम्बई ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि विदेशी बैंकों को युक्तिसंगत ब्याज दर संबंधी मार्गनिर्देश का पालन करने का निदेश दें। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें पहले ही 15 मार्च, 2005 को क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों पर भारतीय रिजर्व बैंक और आई.बी.ए. द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया है।

'आरक्षित निधि' से राजकोषीय घाटे की क्षतिपूर्ति

5189. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की राजकोषीय स्थिति असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजकोषीय घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए मौद्रिक कोष की "आरक्षित निधि" से धनराशि की निकासी का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में मौद्रिक कोष की "आरक्षित निधि" में कितनी धनराशि उपलब्ध है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राजकोषीय समेकन नब्बे के दशक के प्रारंभ में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का एक समन्वित हिस्सा था। नब्बे के दशक के प्रारंभ में हुई आशाजनक शुरुआत के बाद, राजकोषीय समेकन की प्रगति में वर्ष 1997-98 से कुछ धीमापन आया। केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा, 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.6 प्रतिशत से गिरकर 1996-97 में 4.1 प्रतिशत हो जाने के बाद, बढ़कर 1997-98 में बढ़कर सं.घ. उत्पाद का 4.8 प्रतिशत हो गया और तत्पश्चात् इसने 2001-02 तक वृद्धि की प्रवृत्ति को कायम रखा। बढ़ते घाटों और लोक ऋण और कुल क्रेडिट में निजी क्षेत्र की परिणामी घटती भागीदारी से अर्थव्यवस्था अपनी वृद्धि क्षमता को हासिल कर पाने में रुकावट पाती रही है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत पर वर्ष 2004-05 (सं.अ.) और सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत पर वर्ष 2005-06 के लिए बजटीय प्रावधान में राजकोषीय घाटे से हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में पुन: प्रगति के कुछ आसार दिखाई दिए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट (डब्ल्यू.एस.एस.) भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अनुसार 15 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार निधि में रिजर्व ट्रांश स्थिति (आर.टी.पी.) 1,430 मिलियन अमरीकी डालर की है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम की बकाया राशि पर ब्याज

5190. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या ग्रामीण विकास **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति के मद में धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है/ कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या ऐसे बकाया पर ब्याज लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) दिनांक 01-04-2002 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। सामान्य एस.जी.आर.वाई. तथा एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उठाए गए खाद्यान्नों के लिए बिल प्राप्त हो जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को भुगतान करता है। जैसा कि एफ.सी.आई. द्वारा सूचित किया गया है, 17,396.67 करोड़ रु. के बिलों का भुगतान करना बाकी है।

(ग) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से एफ.सी.आई. के बकाया बिलों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) एफ.सी.आई. ने इस मंत्रालय से वर्ष 2004-05 के लिए बकाया राशि पर संचयी ब्याज की 1157.95 करोड़ रु. की राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया है।

छापों के दौरान आय कर अपवंचन का पता लगना

5191. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आय कर प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन की राशि तथा तत्संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर अपवंचकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाइयों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वित्त वर्ष:		**2003-04**
निष्पादित अधिपत्रों की संख्या:		2492
जब्दी (लाख रुपयों में):-		
(क) नकद	:	11316.00
(ख) आभूषण	:	3143.58
(ग) अन्य परिसम्पत्तियां		8677.84
योग	:	**23137.42**
वित्त वर्ष:		**2004-05**
निष्पादित अधिपत्रों की संख्या	:	2377
जब्दी (लाख रुपयों में):-		
(क) नकद	:	11825.16
(ख) आभूषण	:	3165.94
(ग) अन्य परिसम्पत्तियां		5236.72
योग	:	**20227.82**

(ख) कर निर्धारण के समापन के पश्चात् विभाग द्वारा कर अपवंचन स्थापित किया जाता है जो बाद में अपील की एक विषय वस्तु है। अपीले प्राय: उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तक जाती हैं। गत दो वित्त वर्षों के दौरान की गई तलाशियों के संबंध में अपवंचित कर की मात्रा और विवरणों का पता अपीलों आदि को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही चल सकता है।

(ग) जब कभी वित्तीय अनियमितताओं और परिणामी कर अपवंचन के संबंध में कोई ठोस जानकारी प्राप्त होती है तो लेखा बाह्य आय पर कर लगाने के लिए समुचित कार्रवाई शुरू की जाती है जिसमें तलाशियां, सर्वेक्षण आय की विवरणियों आदि की संवीक्षा शामिल हैं। उचित मामलों में अर्थदण्ड लगाया जाता है और अभियोजन चलाया जाता है।

एफ.आई.आई. द्वारा निवेश

5192. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पी.एन. रूट के माध्यम से होने वाले एफ.आई.आई. निवेश का पता लगाया है;

(ख) क्या इस संबंध में वर्ष 2004-05 के दौरान विस्तृत अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या कुछ पी.एन. रूट निवेश में 4/5 लेयरों का पता लगाया गया है;

(घ) क्या "नो योर क्लाइंट प्रिंसीपल" के सिद्धांत को लागू किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो पी.एन. रूट के माध्यम से किए गए निवेश का माहवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इसमें से कितनी धनराशि प्रत्यक्ष निवेश से प्राप्त हुई है और अन्य लेयरों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सेबी (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 के विनियम 20 के अन्तर्गत पी.एन. के निर्गमकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे मासिक आधार पर सेबी को बकाया पी.एन. संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराएं। उक्त पी.एन. रिपोर्टिंग के लिए एक प्रारूप निर्धारित किया गया है। मासिक रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का प्रत्येक माह मिलान किया जाता है।

(ग) निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार, निर्गमकर्ताओं को उस व्यक्ति का नाम प्रस्तुत करना होता है, जिसे यह लिखत जारी की गई हो।

(घ) जी, हां। सेबी (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम 1995 में विनियम 15क को सन्निविष्ट करके, संशोधन किया गया था, जहां पी.एन. का निर्गम निर्गमकर्ताओं द्वारा "नो योर क्लाइंट" आवश्यकता के अनुपालन के अध्यधीन है।

(ङ) और (च) पिछले सात महीनों की मासिक पी.एन. रिपोर्टों में यथा प्रकटित अंडरलाईंग लिखत का कुल मूल्य निम्नानुसार है:-

अंडरलाइंग लिखत के सांकेतिक मूल्य का जोड़

(करोड़ रुपए)

महीना	इक्विटी	सूचकांक	ऋण	व्युत्पाद	जोड़
अगस्त-04	28,552	1,314	2,696	3,164	35,726
सितम्बर-04	34,251	519	287	1,936	36,993
अक्तूबर-04	37,457	483	277	2,302	40,519
नवम्बर-04	41,864	7,653	600	3,400	53,517
दिसम्बर-04	55,424	7,646	722	4,095	67,886
जनवरी-05	48,922	1,139	500	4,489	55,050
फरवरी-05	48,762	1,293	482	4,405	54,941

राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड

5193. श्री के.एस. राव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बंजरभूमि विकास के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड (एन.डब्ल्यू.डी.बी.) को भूमि अवक्रमण की समस्या को हल करने, पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करने और जलाऊ लकड़ी और चारे की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के कार्यात्मक उत्तरदायित्व के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय में मई, 1985 में गठित किया गया था। वनेतर बंजरभूमि के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से ग्रामीण विकास मंत्रालय में जुलाई, 1992 में बंजरभूमि विकास विभाग (डी.ओ.डब्ल्यू.डी.) का सृजन किया गया था और राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को बंजरभूमि विकास विभाग को अंतरित कर दिया गया था। अप्रैल, 1999 में बंजरभूमि विकास विभाग का नाम बदल कर भूमि संसाधन विभाग (डी.ओ.एल.आर.) कर दिया गया था। भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए तीन मुख्य कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ) बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए कोई नई योजना आरंभ नहीं की गयी है; पहले से चल रही योजनाएं नामत: आई.डब्ल्यू.डी.पी., डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

एल्यूमीनियम संयंत्रों की स्थापना

5194. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्य कर रहे एल्यूमीनियम संयंत्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एल्यूमीनियम की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया है;

(ग) क्य देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में एल्यूमीनियम के नए संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंदी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) एल्युमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में चल रहे एल्युमिनियम संयन्त्रों और उनके उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

कम्पनी	संयन्त्र की अवस्थिति	अल्युमिनियम का उत्पादन (एम.टी.)		
		2002-03	2003-04	2004-05
नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि.	अंगुल, उड़ीसा	244708	298207	338483
भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि.	कोरबा, छत्तीसगढ़	95490	97088	100272
हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लि.	रेनुकूट, उत्तर प्रदेश	266837	323184	343448
	हीरा कुण्ड, उड़ीसा	37102	60877	65620
	अलूपुरम, केरल	14131	4528	-
मद्रास एल्युमिनियम कम्पनी लि.	मेट्टूर डैम, सेलम, तमिलनाडु	30900	32226	35649

(ग) और (घ) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा देश में कोई नया एल्युमिनियम संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लि. ने झारखण्ड और उड़ीसा राज्य सरकारों के साथ क्रमश: 2,60,000 एम.टी. प्रतिवर्ष तथा 3,25,000 एम.टी. प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एल्युमिनियम प्रगालकों की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है तथा भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि. 2,45,000 एम.टी. प्रतिवर्ष क्षमता वाले एक नए प्रगालक के क्रियान्वयन पर कार्रवाई कर रहा है।

पुन: प्रयोज्य हेतु पोतों पर सीमा शुल्क

5195. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात की राज्य सरकार से पोतों के पुन: प्रयोज्य/पोत भंजन के संबंध में सीमा शुल्क घटाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुरोधों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार को गुजरात के मुख्य मंत्री से यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि तोड़े जाने के लिए जहाजों पर सीमा शुल्क लगाए जाने वाले स्क्रैप पर लगने वाले सीमा शुल्क के समान होना चाहिए।

(ग) उक्त सुझाव की बजट 2005-06 के प्रस्तावों के एक भाग के रूप में जांच की गई थी। तोड़े जाने के लिए जहाजों पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है। इस्पात के गलाए जाने वाले स्क्रैप को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। जहाज तोड़ने के क्रियाकलाप से पुन: रोल किए जाने योग्य सामग्रियों को प्राथमिक रूप से बढ़ावा देते हैं। अत: यह उचित समझा गया है कि तोड़े जाने के लिए जहाजों पर सीमा शुल्क पुन: रोल किए जाने योग्य सामग्रियों पर लगने वाले सीमा शुल्क के समान हो न कि इस्पात के गलाए जाने स्क्रैप पर लगने वाले शुल्क के समान/पुन: रोल किए जाने योग्य लौह सामग्री पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत है। इसलिए तोड़े जाने वाले जहाजों पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से कम नहीं करने का निर्णय लिया है।

स्वर्ण आभूषण

5196. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा भारत में पुर्तगाली शासन के दौरान बानको नकीओरेल अल्ट्रामैनरिनो (बी.एन.यू.) द्वारा गोवा, दमन और दीव की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पुर्तगाल ले जाए

गए स्वर्ण आभूषणों को पुन: प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जोकि इस समय लिस्बन की बानको नकीओरेल अल्ट्रामैनरिनो के पास गिरवी रखे हुए हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ आभूषणों का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुन: मंगवा लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास पुर्तगाली बैंक में रखे हुए इन स्वर्ण आभूषणों को उनके दावेदारों को वापस करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क में छूट देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पुर्तगाल प्रवास करने वाले/में बसने वाले भारतीयों से संबंधित कुछ पैकेटों, जिन्हें बी.एन.यू. द्वारा इस समय पुर्तगाल में रहने वाले दावाकर्ताओं को सुपुर्द करने के लिए अपने पास रख लिया गया था, को छोड़कर, बी.एन.यू. के पास गिरवी रखे गए अधिकांश स्वर्ण आभूषणों को वर्ष 1991 में भारत वापस लाया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1991 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 5800 से अधिक सोने के पैकेटों को भारत में रहने वाले दावाकर्ताओं को सुपुर्द करने के लिए भारत वापस लाया गया था।

(घ) और (ङ) जी, हां। 31 जुलाई, 2005 को या इससे पूर्व दावाकर्ताओं को सौंपे जाने वाले स्वर्ण आभूषणों के संबंध में विशेष उपाय के रूप में सीमा शुल्क की छूट प्रदान की गई है। तत्पश्चात् सीमा शुल्क की छूट समाप्त हो जाएगी।

टिहरी हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट

5197. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन को (टी.एच.डी.सी.) उत्तरांचल में टिहरी बांध में अंतिम चरण के कार्य को स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है जिसके परिणामस्वरूप मार्च, 2005 से प्रत्याशित विद्युत उत्पादन में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस समय विद्युत उत्पादन की क्षमता प्रत्याशित 2000 मेगावाट की तुलना में कितनी है और बांध के अंतिम चरण के कार्य के क्रियान्वित होने के बाद इष्टतम विद्युत उत्पादन कब तक प्रारंभ होगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) टिहरी पावर काम्प्लेक्स (2400 मेगावाट) में टिहरी बांध और एच.ई.पी. चरण-1 (1000 मेगावाट), कोटेश्वर बांध एच.ई.पी. (400 मेगावाट) और टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (पी.एस.पी.) (1000 मेगावाट) शामिल किए गए हैं। टिहरी बांध व एच.ई.पी. चरण-1 (1000 मेगावाट) को वचनबद्धता के साथ तथा कोटेश्वर एच.ई.पी. परियोजना (400 मेगावाट) व टिहरी पी.एस.पी. (1000 मेगावाट) के अनिवार्य कार्यों को आरंभ करने हेतु भारत सरकार ने मार्च, 1994 में अनुमोदन दिया था। तत्पश्चात्, अप्रैल, 2000 में भारत सरकार ने कोटेश्वर परियोजना (400 मेगावाट) के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन दे दिया।

टिहरी बांध और एच.ई.पी. चरण-1 (1000 मेगावाट) का कार्य जोरों पर हैं और इस परियोजना की 250 मेगावाट की सभी चार यूनिटें फरवरी, 2006 से आगे अब प्रगतिशील रूप से आरंभ होने की संभावना है। कोटेश्वर बांध और एच.ई.पी. का कार्य भी प्रगति पर है और वर्ष 2007-08 में आरंभ किए जाने हेतु समय सीमा तय की गई है।

टिहरी एच.ई.पी. चरण-1 (1000 मेगावाट) तथा कोटेश्वर, एच.ई.पी. (400 मेगावाट) के निर्माण से टिहरी पी.एस.पी. (1000 मेगावाट) अर्थात् अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जलाशय उपलब्ध होगा। टिहरी जलाशय, टिहरी, पीएस.पी. हेतु अपस्ट्रीम जलाशय के रूप में कार्य करेगा जबकि कोटेश्वर जलाशय निचले जलाशय के रूप में कार्य करेगा। तीन परियोजनाओं अर्थात् टिहरी एच.ई.पी. चरण-1 (1000 मेगावाट), कोटेश्वर एच.ई.पी. (400 मेगावाट) तथा टिहरी पी.एस.पी. (1000 मेगावाट) से स्वतंत्र रूप से विद्युत विनियमित की जाएगी। हाल ही में आयोजित की गई बैठक में टिहरी पी.एस.पी. के पंपिंग प्रचालन हेतु तथा समानुरूपी व्यस्ततमकालीन विद्युत की खरीद के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन को गैर-व्यस्ततमकालीन विद्युत की बिक्री के लिए लाभार्थी राज्य सहमत हो गए हैं।

खरीद मानकों के संबंध में कृतिक बल

5198. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, ईमानदारी सुनिश्चित करने और विवेकाधिकार समाप्त करने के लिए गठित "खरीद मानकों की समीक्षा संबंधी कृतिक बल" ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृतिक बल की सिफारिशों को संपूर्णत: स्वीकार कर लिया है; और

(घ) सरकार ने कृतिक बल की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कार्य बल (टास्क फोर्स) ने अपनी सिफारिशों में सार्वजनिक अधिप्राप्ति प्रणाली में ज्यादा दक्षता, किफायत, जवाबदेही तथा पारदर्शिता लाने के लिए अर्थोपाय सुझाए हैं।

कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सामान, निर्माण तथा परामर्शदायी सेवाओं के लिए मानक दस्तावेज तैयार करने हेतु अलग-अलग तीन कार्य-दल बनाए हैं।

नई विद्युत नीति

5199. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **विद्युत मंत्री** 14-12-2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2249 के उत्तर के संबंध यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक लागू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) नीति की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) यह नीति दिनांक 12-2-2005 से लागू हो गई है अर्थात् उस तिथि से जब से यह राजपत्र में अधिसूचित की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं

1. इस नीति का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र का विकास करना, सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करना और उपभोक्ताओं तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के हितों की रक्षा करना है।

2. **उद्देश्य:**

   - विद्युत की उपलब्धता-अगले पांच वर्षों में सभी घरों में बिजली की उपलब्धता।
   - विद्युत की उपलब्धता-वर्ष 2012 तक विद्युत की संपूर्ण मांग को पूरा किया जाना। ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमियों को पूरा करना है और स्पिनिंग रिजर्व उपलब्ध कराना है।
   - निर्धारित मानकों की तथा उचित दर पर विश्वसनीय एवं उत्तम विद्युत की आपूर्ति।
   - वर्ष 2012 तक विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 1000 यूनिट से भी अधिक बढ़ाना।
   - वर्ष 2012 तक कम से कम 1 यूनिट प्रति घर प्रति दिन की दर से न्यूनतम जीवन रेखा खपत।
   - विद्युत क्षेत्र में वित्तीय सुधार और वाणिज्यिक व्यवहार्यता की प्राप्ति।
   - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा।

3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अगले छः महीने में 12वीं योजना तक की अवधि के लिए प्रथम राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचित करेगा। संबंधित दस्तावेज के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार योजना भावी उत्पादन कंपनियों, पारेषण यूटिलिटियों और पारेषण/वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा उपयोग की जाएगी।

4. अगले 5 वर्षों में घरेलू विद्युतीकरण पूरा करने के एन.सी.एम.पी. लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण वितरण बैकबोन का विकास, ग्राम विद्युतीकरण और घरों का विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को पूंजी सब्सिडी की शर्त पर वित्तीय सहायता देना। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दलित बस्तियों, जन-जातीय क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को विशेष वरीयता देना। केंद्रीय सरकार के स्तर पर ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर.ई.सी. नोडल एजेंसी होगी।

5. 2012 तक कम-से-कम 5% के स्पिनिंग रिजर्व के साथ पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण और 85% पर संस्थापित क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

6. जल विद्युत संभावनाओं का पूर्ण विकास। इन परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्तपोषण का प्रावधान।

7. ताप विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन का चयन विद्युत उत्पादन तथा विद्युत की आपूर्ति और मितव्ययिता आधार पर की जाएगी।

8. राष्ट्रीय ग्रिड का विकास करना।

9. क्षेत्र में वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ में उपयुक्त लागत दर्शाते हुए उपभोक्ताओं से सेवा लागत वसूल करना।

10. निम्नतर टैरिफ की शर्त पर (गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, जिनकी खपत 30 यूनिट प्रतिमाह है) जीवन रेखा उपभोक्ताओं को सहायता का प्रावधान।

11. किफायती संकेतन के माध्यम से बेहतर ग्रिड अनुशासन के लिए उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) को राज्य स्तर तक बढ़ाया जाएगा।

12. पारेषण एवं वितरण हानियों में समयबद्ध कमी पर विशेष जोर प्रदान करना।

13. उपभोक्ता लाभ के उद्देश्य वाली प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उपाय करना।

14. राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा विद्युत की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग की जाएगी।

15. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता हेतु लघु जल विद्युत और बॉयोमास और पवन जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करना।

अन्य विशेषताएं

16. आवश्यक नवीकरण एवं आधुनीकीकरण के जरिए विद्युत उत्पादन संयंत्रों की उच्चतर क्षमता स्तर को हासिल करने पर बल।

17. केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रिड के निरंतर विकास को सुगम बनाएगी। सी.टी.यू. और एस.टी.यू. समन्वित आयोजना एवं विकास करेगी।

18. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पारेषण क्षमता में अतिरिक्त लेवल और मार्जिन होना चाहिए।

19. सुधारकर्त्ता विद्युत यूटिलिटियों के लिए पर्याप्त संक्रमणकालीन वित्तीय सहायता। वितरण में निजी क्षेत्र भागीदारी के लिए आवश्यक प्रोत्साहन।

20. राज्य विनियामक आयोग स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण व्यवस्था करेंगे।

21. उपभोक्ताओं को सही बिल निर्गत करना सुनिश्चित करने के लिए आई.टी. प्रणाली अपनाए जाने हेतु सहायता प्रदान करना।

22. बिजली चोरी के विरुद्ध कठोर उपायों का शीघ्र कार्यान्वयन।

23. आर. एंड डी. आधार के विस्तार पर पूर्ण जोर। अभिज्ञात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए मिशन दृष्टिकोण।

24. ऊर्जा संरक्षण उपायों के जरिए मांग पक्ष प्रबंधन। ऊर्जा क्षमता संबंधी लेवल उपस्करों पर दर्शाए जाने चाहिए। कम विद्युत खपत वाले कृषि पम्पसेटों और प्रकाश व्यवस्था प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यस्ततमकालीन भार की व्यवस्था के लिए यथोचित टैरिफ ढांचा।

25. विद्युत नियंत्रण, व्यापार और बाजार के क्षेत्र में प्रशिक्षण अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना।

26. अक्षय ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बल प्रदान करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष से इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों से राज्य विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत में विद्युत खरीदी जाए।

27. छः माह के भीतर उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए "अम्बडसमेन" की नियुक्ति और आवश्यक नियंत्रण।

कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य

5200. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री खारबेल स्वाई:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कपास निगम द्वारा किसानों से कपास खरीदते समय क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) क्या भारतीय कपास निगम में किसानों द्वारा लाई गई लगभग आधी कपास को बिना विचार किए अस्वीकार कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो किसानों द्वारा लाई गई सारी कपास को खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान कपास खरीदने के लिए भारतीय कपास निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जब कभी कपास (बिनौलों) की कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के स्तर तक गिर जाती हैं तो भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और मात्रा संबंधी किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना कपास की खरीदारी करता है अन्यथा यह अपने निजी जोखिम पर अपने वाणिज्यिक अभियानों के तहत कपास की अधिप्राप्ति करता है।

(ख) और (ग) एम.एस.ए.पी. का निर्धारण उचित औसत कोटि की कपास के लिए किया जाता है। भारतीय कपास निगम एम.एस.पी. अभियानों के तहत खरीदारी करते समय, अधिकृत बाजार यार्डों में किसानों द्वारा उसे पेश की गई एफ.ए.क्यू. ग्रेड के क्वालिटी के प्राचलों को पूरा करने वाली समग्र कपास की खरीद, बिना किसी कटौती के करता है। कपास किसानों को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने और आपात बिक्री को रोकने के लिए भारतीय कपास निगम, एफ.ए.क्यू. ग्रेड से तीन स्तर नीचे तक की क्वालिटी की कपास की खरीद भी उपयुक्त कटौती करके करता है। 19 अप्रैल, 2005 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय कपास निगम ने कपास की 138.35 लाख क्विंटल की रिकार्ड खरीदारी की जो लिंट कपास की 26.98 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) के बराबर है।

(घ) भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि समर्थन मूल्य अभियानों के तहत यह मात्रा संबंधी किसी प्रतिबंध के बिना कपास की खरीद करता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

5201. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का विचार विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से लघु उद्यमियों को सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने उक्त बैंकों के साथ किसी रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लघु उद्योग क्षेत्र को उक्त सहायता कब तक देना शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) वर्ष 1990 में अपने आरम्भ से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) लघु उद्योगों और एस.एम.ई. उद्यमों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता रहा है। एस.एम.ई. क्षेत्र का सुंयक्त रूप से वित्तपोषण करने के लिए सिडबी ने सरकारी क्षेत्र के पांच बैंकों, अर्थात् केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नैशनल बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स तथा इंडियन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता में और वृद्धि होगी।

विकास परियोजना हेतु अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी.) द्वारा सहायता

5202. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी.) ने देश में विशेषकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विकास परियोजना हेतु सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विभिन्न भागों में उक्त परियोजना द्वारा अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) आई.एफ.ए.डी. द्वारा राज्यों को दी गई सहायता के लिए निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई.एफ.ए.डी.) ने उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों को सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग) इस समय आई.एफ.ए.डी. की सहायता-प्राप्त कोई परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में जारी नहीं है। उड़ीसा राज्य में आई.एफ.ए.डी. की सहायता से उड़ीसा जनजातीय अधिकारिता तथा जीविका कार्यक्रम (ओ.टी.ई.एल.पी.) नामक एक परियोजना

को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना से बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्धन लोगों के लाभान्वित होने की आशा है।

(घ) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संबंधी प्रक्रिया के अनुसार आई.एफ.ए.डी. सहायता राज्यों को दे दी जाती है।

[हिन्दी]

कपास का आयात

5203. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष कपास का प्रचुर उत्पादन होने और बड़े पैमाने पर उसके आयात के कारण कपास के मूल्यों में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो घरेलू कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) देश और विश्व में कपास का अधिक उत्पादन होने के कारण चालू कपास वर्ष (अक्तूबर, 2004 - सितंबर, 2005) में कपास की कीमतें पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्रचलित कीमतों की तुलना में नीचे चल रही हैं। चालू वर्ष में घरेलू कपास उत्पादन, पिछले वर्ष 177 लाख गांठ की तुलना में अब तक का सर्वाधिक 232 लाख गांठ होने का अनुमान है। वर्ष 2003-2004 में हुए 20.7 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2004-2005 में विश्व का कपास उत्पादन, 25.91 मिलियन टन होने का अनुमान है। चालू कपास वर्ष में कपास का आयात 7.21 लाख गांठ से कम होकर 6 लाख गांठ होने की संभावना है।

(ग) प्रयोक्ता वस्त्र मिलें प्रतिस्पर्द्धी कीमत पर वांछित गुणवत्ता के मानदंडों वाले कच्चे माल की खरीद कर सकें इसके लिए कपास का आयात नि:शुल्क है बशर्ते सीमा शुल्क का भुगतान किया जाए (जो इस समय 10% है)। इस समय कपास के आयात पर कोई अन्य प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार ने कपास की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है ताकि देश में प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर अच्छी कपास उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और जब कभी कपास की कीमतें, घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) स्तर को छू लेती हैं तो, भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और मात्रा संबंधी किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना कपास की खरीदारी करता है। भारतीय कपास निगम ने चालू कपास वर्ष में कपास की 138.35 लाख क्विंटल की खरीदारी की जो लिंट कपास की 26.98 लाख गांठ के बराबर है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास खंड

5204. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में कम ग्रामीण विकास खंड हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने कुछ नए ग्रामीण विकास खंडों का प्रस्ताव रखा है और क्या उनके पास उक्त बनाए गए नए खंड कार्यालयों के लिए साजो-सामान है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उक्त बनाए गए नए ग्रामीण विकास खंडों की मान्यता की औपचारिक सिफारिश कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो देश के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की गति बढ़ाने के लिए उक्त ग्रामीण विकास खंडों को मान्यता देने और अनुदान जारी करने में क्या कठिनाइयां हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) ग्रामीण विकास से संबंधित विषय राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते हैं जिसमें नये ब्लॉकों का सृजन, ब्लॉकों का पुनर्गठन, जिला/ब्लॉक स्तरों पर स्टाफ/कर्मचारियों की नियुक्ति करना आदि शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय न तो ब्लॉकों के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण करने और न ही ऐसे नवसृजित ग्रामीण विकास ब्लॉकों को मान्यता देने में कोई भूमिका निभाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है।

[हिन्दी]

विदेशी वित्तीय संस्थाएं

5205. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी वित्तीय संस्थाएं स्टॉक मार्केट में अपने प्रवेश के बाद से स्टॉक मार्केट में तेजी और मंदी की स्थिति उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उक्त स्थिति से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कतिपय कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि भारतीय प्रतिभूति बाजार में अनेक प्रकार के निवेशकों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) का एक महत्वपूर्ण समूह है और भारतीय आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों के अपने बोध के अनुसार निवेश करते हैं। एक वर्ष (1998) के अपवाद के साथ भारत में निवल एफ.आई.आई. निवेश प्रारंभ (1992) से आज की तारीख तक सदैव सकारात्मक रहे हैं। इसी अवधि के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों में अनेकों चक्रीय उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार एफ.आई.आई. द्वारा निवल निवेश लगभग 36 बिलियन अमरीकी डालर बैठते हैं।

(ग) और (घ) एफ.आई.आई. द्वारा किए गए निवेश भारत सरकार और सेबी (एफ.आई.आई.) विनियम, 1995 द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए जारी मार्गनिर्देशों द्वारा अभिशासित हैं जो संयुक्त रूप से कुछ प्रतिबंध एवं संतुलन निर्धारित करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

1. सेबी (एफ.आई.आई.) विनियम, 1995 में संस्थागत निवेशकों की श्रेणियां विनिर्दिष्ट की गई हैं जो एफ.आई.आई. पंजीकरण प्रदान किए जाने के लिए अर्हक हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड-आधारित संस्थागत निवेशकों, जो अपने मूल देश में विनियमित होते हैं, को ही एफ.आई.आई. पंजीकरण की अनुमति दी जाती है।
2. किसी कंपनी में एक एफ.आई.आई. द्वारा कुल निवेश उस कंपनी की कुल निर्गमित पूंजी के दस प्रतिशत की निवेश सीमा की शर्त के अध्यधीन होता है। यह भी कि किसी कंपनी में सभी एफ.आई.आई. द्वारा कुल निवेश उस क्षेत्रक, जिससे कंपनी संबंधित है, पर प्रयोज्य एफ.डी.आई. की क्षेत्रक सीमा तक सीमित होते हैं। इसके अतिरिक्त, ऋण प्रतिभूतियों में एफ.आई.आई. द्वारा निवेश सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सकल सीमा और सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट एफ.आई.आई.-वार व्यष्टि सीमा तक सीमित हैं। फिर, फ्यूचर्स और आप्शन्स में एफ.आई.आई. निवेश सेबी द्वारा निर्धारित स्थिति सीमाओं तक प्रतिबंधित हैं।
3. एफ.आई.आई. खरीदी और बेची गई प्रतिभूतियों के आदान-प्रदान की सुपुर्दगी के आधार पर ही अपना व्यवसाय कर सकते हैं तथा उन्हें प्रतिभूतियों की अल्प बिक्री करने से निषिद्ध किया गया है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

5206. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि मांगी है;

(ख) क्या राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के अधिकांश हिस्से का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान तथा अन्य उन राज्यों को अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां पर धनराशि की कमी के कारण कार्य रुका हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) जी हां। बहुत से राज्यों, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, ने अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए नए सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 69,450 करोड़ रु.

सहित लगभग 1,32,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने 28 फरवरी, 2005 को अपने बजट भाषण में भारत निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की थी जिसके लिए वर्ष 2009 तक, ग्रामीण सड़कों के लिए लगभग 48,000 करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, कार्यक्रम के लिए पहचान किए गए हाई स्पीड डीजल पर उपकर से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत, ग्रामीण सड़कों हेतु वित्तपोषण के लिए अपर्याप्त माना गया है। अतिरिक्त वित्तपोषण, अन्य साधनों - एशेयाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक से जुटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए, 400 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए नवम्बर, 2004 में एशियाई विकास बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के लिए अगस्त, 2004 में विश्व बैंक के साथ 399.5 मिलियन डॉलर के ऋण/उधार हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 400 मिलियन डॉलर के एशियाई विकास बैंक के द्वितीय ऋण के लिए विचार-विमर्श अग्रिम स्तर पर है। वित्त मंत्रालय से भी एशियाई विकास बैंक को 350 मिलियन डॉलर के तृतीय अग्रिम ऋण के लिए तथा इसे द्वितीय ऋण के साथ मिलाने और साथ-ही-साथ 500 मिलियन डॉलर के द्वितीय विश्व बैंक आई.डी.ए. ऋण/उधार में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

जिला स्तर पर कपास की खरीद

5207. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कपास उत्पादक से जिला स्तर पर कपास खरीदने की कोई योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो कपास की खरीद के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार को कपास उत्पादकों के सामने कपास बेचने में आ रही समस्याओं की जानकारी है; और

(घ) कपास किसानों हेतु लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जब कभी कपास (बिनौलों) की कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के स्तर तक गिर जाती हैं तो भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और मात्रा संबंधी किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना कपास की खरीदारी करता है अन्यथा यह अपने निजी जोखिम पर अपने वाणिज्यिक अभियानों के तहत कपास की अधिप्राप्ति करता है। भारतीय कपास निगम एम.एस.पी. अभियानों के तहत खरीदारी करते समय अधिकृत बाजार यार्डों में किसानों द्वारा उसे पेश किए गए समग्र कपास की खरीद करता है।

(ग) और (घ) कपास कृषकों को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने के लिए जब कभी बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर पहुंची हैं, भारतीय कपास निगम ने समर्थन मूल्य अभियानों के तहत 138.35 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है जो लिंट कपास की 26.98 लाख गांठों (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) के बराबर है।

कपास का आयात

5208. श्री प्रदीप गांधी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कपास का बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय बाजार में भारतीय कपास की तुलना में आयातित कपास का मूल्य कितना है; और

(घ) कपास के आयात के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) भारत सरकार कपास का आयात नहीं करती है। तथापि, प्रयोक्ता वस्त्र मिलें प्रतिस्पर्द्धी कीमत पर वांछित गुणवत्ता के मानदंडों वाले कच्चे माल की खरीद कर सकें, इसके लिए कपास का आयात नि:शुल्क है बशर्ते सीमा शुल्क का भुगतान किया जाए (वर्तमान में 10%)। कपास का आयात पिछले कपास वर्ष (अक्तूबर, 2003-सितंबर, 04) में 7.21 लाख गांठ से घटकर चालू कपास वर्ष (अक्तूबर, 2004-सितंबर, 05) के दौरान 6 लाख गांठ हो जाने की संभावना है।

(ग) समान किस्म के आयातित कपास का औसत घरेलू कपास मूल्य और औसत लैंडिड मूल्य निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

दक्षिण/केन्द्रीय भारत में मिलों के लिए रुपए में प्रति कैंडी

भारतीय किस्म	औसत घरेलू मूल्य	विदेशी समतुल्य किस्म	मिल परिसरों में आयात का औसत लैंडिड मूल्य
जे-34 (हरियाणा)	17,308	पाक अलाका	18.609
एच-4 (एम.पी.)	17,528	नाइजीरियाई-वानक	19,364
एस-6	18,672	तुर्की विमला-घ	20,306

नोट:-भारतीय/विदेशी किस्मों की तुलना केवल संकेतात्मक है।

(घ) कपास का आयात अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग, आपूर्ति, मूल्य, गुणवत्ता आदि। अत्यधिक लंबे स्टेपल कपास की मांग और पूर्ति में किस्म संबंधी असंतुलन, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना और बाई-बैक व्यवस्था के तहत आयात भी भारत में कपास के आयात के लिए सहायक कारक हैं।

हथकरघा में उत्पादन

5209. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार का भागलपुर जिला हथकरघा और वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उद्योग सरकार से सहायता के अभाव के कारण बंद होने के कगार पर है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भागलपुर में हथकरघा और रेशम उद्योग के विकास हेतु विशेष पैकेज देने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार भागलपुर में यार्न बैंक स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बैंक के कब तक चालू होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी हां।

(ख) हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय में बिहार सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भागलपुर में यार्न बैंक स्थापित करने के लिए बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुवाहाटी में शिल्पग्राम परियोजना

5210. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुवाहाटी में शिल्पग्राम परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति और उसे चालू करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रदान की गई वित्तीय सहायता और सोची गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) सरकार की हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए शिल्पग्राम परियोजना नाम की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुदेश

5211. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 1 अप्रैल, 2005 तक निदेशक मंडल में बोर्ड के आधे सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में रखने का अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु मानदंडों का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता जताई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सूचीकरण करार के खंड 49 में मंडल के गठन के संबंध में दिए गए उपबंधों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों, जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) शामिल हैं, से यह अपेक्षित है कि वे अपने मंडलों में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन रखें, जिसमें निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक हों। यह अपेक्षा 21 फरवरी, 2000 से प्रचालन में है।

(ख) और (ग) कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने सेबी से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या सरकारी निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक भी माना जा सकता है। उन्हें सूचित किया गया था कि सरकारी निदेशक स्वतंत्र निदेशक माने जाने के लिए अर्हक नहीं हैं।

बायो-गैस संयत्रों की स्थापना

5212. श्री क्षितेन बर्मन: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) इन राज्यों में आज तक कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) 415 करोड़ रु. के वित्तीय आबंटन की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र की स्थापना करने के लिए वास्तविक लक्ष्य 10,00000 है। वार्षिक बजटीय प्रावधानों और राज्यों द्वारा प्रस्तावित मांगों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार आबंटित लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। अब तक योजना अवधि के दौरान संचयी वास्तविक उपलब्धि 127.67 करोड़ रु. के वित्तीय आबंटन की तुलना में 3.88 लाख संयंत्र है।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम

दसवीं पंचवर्षीय योजना (अर्थात् वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05) के पहले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15400	15755	20000	22812	11500	13000
2.	अरुणाचल प्रदेश	300	157	300	237	200	136
3.	असम	200	0	200	298	100	0
4.	बिहार	500	550	4000	31	1000	0
5.	छत्तीसगढ़	8000	5010	5000	5400	1500	2175
6.	गोवा	100	73	100	80	90	88
7.	गुजरात	7000	7002	7000	7414	4000	6474

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	1000	1254	1500	1433	1000	1036
9.	हिमाचल प्रदेश	250	251	250	306	200	247
10.	जम्मू-कश्मीर	100	0	20	0	10	0
11.	झारखंड	200	25	1000	34	100	0
12.	कर्नाटक	20000	17169	27500	8118	11500	11500
13.	केरल	1500	1465	2500	2369	2500	2576
14.	मध्य प्रदेश	10850	12110	12000	11053	7000	4778
15.	महाराष्ट्र	10000	10020	8000	8288	8000	7221
16.	मणिपुर	300	70	300	81	200	21
17.	मेघालय	200	112	300	300	200	0
18.	मिजोरम	400	197	400	232	400	123
19.	नागालैंड	300	75	300	300	300	0
20.	उड़ीसा	13000	13002	15000	15231	8000	9000
21.	पंजाब	3000	2759	3000	2794	1500	880
22.	राजस्थान	200	176	200	192	0	0
23.	सिक्किम	400	400	400	249	200	200
24.	तमिलनाडु	2000	1986	2000	2118	1500	1622
25.	त्रिपुरा	300	250	300	200	200	0
26.	उत्तर प्रदेश	10000	10165	10000	9909	7000	5676
27.	उत्तरांचल	500	519	500	500	400	478
28.	पश्चिम बंगाल	13000	15790	15400	17367	11500	13473
29.	अन्य (के.वी.आई.सी., मुंबई एस.डी.ए., केरल बायोटेक, केरल आदि)	31000	30727	32530	24998	19900	17851
	कुल	150000	147069	170000	142344	100000	98555

• **प्रशासनिक मंजूरी के अनुसार लक्ष्य।**

**कुछ राज्यों से अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बाहरी लेखा परीक्षा

5213. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले वित्तीय वर्ष में परियोजनाओं की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए बाहरी लेखा परीक्षा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो बाहरी लेखा परीक्षा का परिधि में लाए जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं कौन-सी हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इस पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जरिए सरकारी खर्च की लेखापरीक्षा हेतु एक प्रणाली पहले से ही मौजूद है। इसके अतिरिक्त, 2005-06 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार प्रमुख योजनागत स्कीमों और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के जरिए विकास के परिणामों और कार्यक्रमों के प्रभाव के आकलन पर बल देने का निर्णय लिया गया है। इन मूल्यांकनों से कार्यक्रमों की प्रासंगिकता और प्रभाव के संबंध में फीडबैक मिलेगा तथा उससे सरकार गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विनिर्माण में संशोधन कर सकेगी। मूल्यांकन संबंधी वित्तपोषण संबंधित विभागों/कार्यक्रमों के बजट से किया जाएगा।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत परियोजनाएं

5214. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में पंचायती राज संस्थानों तथा स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश से कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत किए गए प्रस्तावों तथा इन परियोजनाओं के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) मंत्रालय ने कुल 1.76 करोड़ रु. की लागत जिसमें 1.5 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता शामिल है, के साथ ग्राम ऊर्जा सुरक्षा पर 11 परीक्षण परियोजनाएं जिसमें मध्य प्रदेश के 8 जिला, अर्थात् सोयनी, माडला, होशंगाबाद, धार, छिंदवाड़ा, झाबुआ, बेतूल तथा हरदा शामिल हैं, स्वीकृत की गई। वर्ष 2004-05 के दौरान 0.46 करोड़ रु. की प्रथम किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत एक गांव की कुकिंग, रोशनी तथा मोटिव विद्युत की सम्पूर्ण ऊर्जा आवश्यकताएं माइक्रो हाइडल तथा अन्य अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के साथ अथवा उनके बिना बायोमास, गोबर और जैव ईंधनों से पूरी की जाएगी। यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रणाली की लागत औसतन 20,000 रु./घर होगी। इस लागत के 90% तक की पूर्ति केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से की जाएगी। इन गांवों में तेजी से उगने वाली और तेल देने वाली प्रजातिवों का प्लांटेशन भी आरंभ किया जाएगा। जबकि ग्राम समुदाय सम्पत्तियों का स्वामित्व करेगा। एक ग्राम ऊर्जा समिति इन संपत्तियों का संचालन और रखरखाव करेगी।

किसान क्लब

5215. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री वाई.जी. महाजन:
प्रो. महादेव राव शिवनकर:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मुन्शी राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसान क्लब स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्लबों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) देश में विशेषरूप से महाराष्ट्र में राज्य-वार कितने ऐसे क्लबों की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का चयन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन क्लबों से किसानों को किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने वर्ष 1983 में किसान क्लब (जिसे पूर्व में विकास स्वयंसेवक वाहिनी कहा जाता था) की स्थापना का कार्यक्रम शुरू किया है। तब से अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड बैंकों, कृषि विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों और कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसान क्लब के गठन को सुकर बना रहा है। किसान क्लब का व्यापक उद्देश्य निम्नानुसार है:-

(i) क्लब के सदस्यों के रूप में किसानों का नाम पंजीकरण और विभिन्न कृषि कार्यों का वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना;

(ii) इनके सदस्यों के बीच समय से ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ समन्वय;

(iii) कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में विषय-वस्तु विशेषज्ञों के साथ परस्पर विचार-विमर्श और गेस्ट लेक्चरर की व्यवस्था;

(iv) सदस्य के बदले थोक में निवेश्य वस्तुओं की खरीद के लिए निवेश्य वस्तुओं की आपूर्तिकर्ता कंपनियों से संपर्क;

(v) सदस्यों के लाभ के लिए मूल्य-वर्द्धन, प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद का संग्रह और विपणन आदि जैसे संयुक्त क्रियाकलाप के आयोजन में सरलता।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान देशभर में स्थापित किए जाने वाले किसान क्लबों की संख्या 3500 है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अंडमान और निकोबार-12, आन्ध्र प्रदेश-200, असम-120, अरुणाचल प्रदेश-20, बिहार-150, छत्तीसगढ़-100, दिल्ली-10, गोवा-35, गुजरात-225, हिमाचल प्रदेश-65, जम्मू एवं कश्मीर-45, झारखण्ड-115, कर्नाटक-250, केरल-153, मध्य प्रदेश-200, महाराष्ट्र-370, मणिपुर-20, मेघालय-20, नागालैण्ड-20, उड़ीसा-200, पंजाब एवं हरियाणा-250, राजस्थान-225, सिक्किम-20, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी-200, त्रिपुरा-35, उत्तर प्रदेश-175, उत्तरांचल-100 तथा पश्चिम बंगाल-165।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक किसान क्लबों को प्रायोजित करते रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 2467 क्लबों को प्रायोजित किया है।

(छ) इन क्लबों ने किसानों को निम्नलिखित प्रकार से सहायता प्रदान की है:-

(i) विस्तार एजेंसियों, सरकारी विभागों और बैंकों जैसी सहायक एजेंसियों से संपर्क में वृद्धि;

(ii) नई प्रौद्योगिकियों, कृषि प्रथाओं के पैकेज, मृदा जांच और सरकारी विभागों और बैंकों से उपलब्ध सहायता से संबंधित जागरुकता में वृद्धि;

(iii) किसान क्लब प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण जनता, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाना;

(iv) पशु मेला, ग्रामीण पुस्तकालय, कानूनी जागरुकता कैम्प, स्वास्थ्य कैम्प तथा वानिकी आदि जैसे क्रियाकलाप आयोजित करना।

[अनुवाद]

अग्रिम जमानत के संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां

5216. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायलय ने न्यायालयों द्वारा अग्रिम जमानत देने के संबंध में कोई टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अद्रिधरन दास बनाम पश्चिमी बंगाल, 2005(2) स्केल 212 : जे.टी. 2005(2) एस.सी. 548 वाले मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने के संबंध में कतिपय सिद्धांत/मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए हैं। ये मार्गदर्शक सिद्धांत मुख्यत: निर्णय के पैरा 6 से पैरा 16 में आते हैं, जिसका उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित ये मार्गदर्शक सिद्धांत आबद्धकारी प्रकृति के हैं और सभी न्यायालय उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं।

विवरण

2005 (2) स्केल 212 से उद्धरण

6. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए विद्वान काउन्सेल ने उत्तर में यह प्रस्तुत किया कि संहिता में गिरफ्तार न किए जाने के संबंध में कोई निदेश देने के लिए कोई उपबंध नहीं है यदि

ऐसे निदेश दिए जाते हैं तो ये विधि के विरुद्ध होंगे। यह भी दलील दी गई थी कि अपीलार्थी ने हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला सिद्ध नहीं किया है और उसका आचरण संदेह से परे नहीं है। अभिकथनों की गंभीर प्रकृति पर विचार करते हुए यह ऐसा उचित मामला नहीं है जहां संहिता की धारा 438 के निबंधनों के अनुसार कोई आदेश पारित किया जा सके। अपीलार्थी ने विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उसे कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है जिसका उसने दुरुपयोग किया है। वे दो सहअभियुक्त जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, अन्वेषण में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अत: यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी के आवेदन को आक्षेपित आदेश द्वारा ठीक ही अस्वीकृत किया गया है। स्पष्टीकरण के रूप में श्री सुब्रमानेयम ने यह दलील दी कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। वास्तव में तारीख 20-10-2003 के आदेश द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि मात्र आरोपपत्र फाइल किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि याची को संबद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं है और इसलिए आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया था।

7. उस सुविधा को जो संहिता की धारा 438 में दी गई है, साधारणत: उसे 'अग्रिम जमानत' कहा जाता है। यह अभिव्यक्ति जो विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में प्रयोग की थी, इसका न तो इस धारा में और न ही उसके पार्श्व टिप्पण में प्रयोग किया गया है। किन्तु 'अग्रिम जमानत' अभिव्यक्ति यह उपदर्शित करने का सुगम ढंग है कि गिरफ्तारी की आशंका में जमानत के लिए आवेदन करना संभव है। जमानत का कोई आदेश केवल अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय से ही प्रभावी किया जा सकता है। जहां वाटसन ला लेक्सिकान में 'जमानत' 'को गिरफ्तार किए गए या कैदी व्यक्ति को उसके उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति लेने पर छोड़ने के रूप में स्पष्ट किया गया है।' अत: जमानत मुख्य रूप से परिसंध से, और विशिष्ट रूप से पुलिस की अभिरक्षा से निर्मुक्ति है। जमानत के सामान्य आदेश और संहिता की धारा 438 के अधीन किसी आदेश के बीच विभेद यह है कि पहले मामले में जमानत का आदेश गिरफ्तारी के पश्चात् किया जाता है और इसलिए, इसका अर्थ पुलिस की अभिरक्षा से निर्मुक्ति है, बाद वाले मामले में गिरफ्तारी की आशंका में जमानत मंजूर की जाती है और इसलिए यह गिरफ्तारी के समय ही प्रभावी होती है। (देखें: गुरुबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 एस.सी.सी. 565)। संहिता की धारा 46(1) जिसका संबंध इसबात से है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उपबंधित करती है कि गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, 'गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुत: छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।' संहिता की धारा 438 के अधीन आदेश संहिता की धारा 46(1) द्वारा परिकल्पित छुएगा या परिरुद्ध करेगा से सशर्त उन्मुक्ति प्रदत्त करने के आशय से है। सर्वोच्च न्यायालय ने बालचंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 366) वाले मामले में 'अग्रिम जमानत' अभिव्यक्ति को गलत अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। यह सर्वज्ञात है कि जमानत गिरफ्तारी से सामान्य उन्मुक्ति है, यह कि न्यायालय आदेश करने से पूर्व यह सोचता है कि गिरफ्तारी की दशा में व्यक्ति को जमानत पर निर्मुक्त किया जाए। अभिव्यक्तत: जमानत पर निर्मुक्ति का कोई प्रश्न तब तक नहीं उठता है जब तक कि अभियुक्त को गिरफ्तार न किया जाए और इसलिए केवल गिरफ्तारी पर ही आदेश प्रभावी होता है। धारा 438 के अधीन प्रयोगतव्य शक्ति कुछ असाधारण प्रकृति की है और यह केवल आपवादिक मामलों में ही है जहां यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति को मिथ्या फंसाया जा सकता है या जहां यह अभिनिर्धारित करने के लिए ऐसे युक्तियुक्त आधार हैं कि वह व्यक्ति जो किसी अपराध का अभियुक्त है, अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तब धारा 438 के अधीन इस शक्ति का प्रयोग किया जाना है। यह शक्ति महत्वपूर्ण प्रकृति के होने के कारण केवल न्यायिक मंचों में उच्च स्तर के न्यायालय अर्थात् सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय को ही सौंपी गई है। यह वह-शक्ति है जिसका प्रयोग गैर-जमानती अपराध के प्रत्याशित अभियोग की दशा में किया जा सकता है। संहिता की धारा 438 द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है वह यह है कि उस क्षण जब व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, यदि उसने सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय से पहले ही कोई आदेश अभिप्राप्त कर लिया है तो उसे कारागार में भेजे बिना तुरंत जमानत पर निर्मुक्त किया जाएगा।

8. धारा 438 और धारा 439 विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्त होती है। संहिता की धारा 439 निम्नानुसार है

"439.(1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि:-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त, जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए।"

(बल देने के लिए रेखांकित)

9. उपबंधों के पढ़ने मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि संहिता की धारा 439 के अनुसार कोई आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में होना चाहिए। संहिता की धारा 438 "गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश" से संबंधित है।

10. शलालुद्दीन अब्दुल समद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 1042) वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :

"गैर-जमानती मामलों में गिरफ्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत मंजूर की जाती है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उस नियमित न्यायालय को जिसे अपराधी का विचारण करना है, दरकिनार किया जाए और इसी कारण से उच्च न्यायालय ने जमानत को जारी रखने के लिए अंतिम तारीख नियत करके ठीक कार्य किया है और उसके अवसान पर याचिकाकर्ता को नियमित न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी देने के लिए निदेश दिया था। अपनाए जाने की यह सही प्रक्रिया है क्योंकि यह महसूस किया जाना चाहिए कि जब सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत मंजूर कर रहे हों यह उस प्रक्रम पर मंजूर की जाती है जब अन्वेषण पूरा हो जाता है और इसलिए अभिकथित अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में सूचित नहीं किया जाता है। अत: यह आवश्यक है कि ऐसे अग्रिम जमानत के आदेश केवल सीमित अवधि के लिए होने चाहिए और सामान्यत: उस अवधि या बढ़ायी गई अवधि के अवसान पर अग्रिम जमानत मंजूर करने वाले न्यायालय को इस विषय को नियमित न्यायालय पर कार्रवाई करने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके समक्ष अन्वेषण के पश्चात् या आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।"

(बल देने के लिए प्रदाय किया गया)

11. के.एल. वर्मा बनाम राज्य और अन्य (1996 (7) स्केल 20) वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था:-

"इस न्यायालय ने आगे यह मत व्यक्त किया कि अग्रिम जमानत गैर-जमानतीय मामलों में गिरफ्तारी की आशंका में मंजूर की जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय को दरकिनार कर दिया जाए। अत: यह इसलिए आवश्यक है कि ऐसे अग्रिम जमानत के आदेश केवल सीमित अवधि के होने चाहिए और सामान्यत: उस अवधि या बढ़ायी गई अवधि के अवसान पर अग्रिम जमानत मंजूर करने वाले न्यायालय को उसे इस विषय को नियमित न्यायालय के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन पर अन्वेषण किए जाने के पश्चात् या आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् कार्रवाई करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके द्वारा न्यायालय जो बात कहना चाहता है वह यह थी कि अग्रिम जमानत का कोई आदेश विचारण की समाप्ति तक सुनिश्चित नहीं किया जाता है किन्तु यह सीमित अवधि के लिए होना चाहिए क्योंकि नियमित न्यायालय को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सीमित अवधि का अवधारण मामले के तथ्यों को ध्यान में रखकर और अभियुक्त को नियमित न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी देने के लिए आवश्यकता और नियमित न्यायालय को जमानत अर्जी का अवधारण करने के लिए पर्याप्त समय देने को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब तक जमानत की अर्जी का एक रीति से या दूसरी रीति से निपटारा नहीं कर दिया जाता तब तक न्यायालय अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। दूसरे शब्दों में, इसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की जा सकती है कि अग्रिम जमानत उस अवधि के लिए जो उस तारीख तक बढ़ाई जा सकेगी जिसको जमानत के आवेदन का निपटारा किया जाता है या उसके कुछ दिन पश्चात् भी मंजूर की जा सकेगी जिससे कि अभियुक्तों को उच्चतर न्यायालय में अर्जी देने के लिए समर्थ बनाया जा सके यदि वे ऐसी वांछा करते हैं।"

(बल देने के लिए प्रदाय किया गया)

12. निर्मलजीत कौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [2004(7) सु.को.के. 558] और सुनीता देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य वाले मामले में 2003 की विशेष इजाजत याचिका (अपराध) सं. 4601 से उद्भूत आपराधिक अपील का निपटारा तारीख 6-12-2004 को किया गया, जिसमें के.एल. वर्मा (ऊपर) के मामले में कतिपय निराशाजनक क्षेत्र जानकारी में आए। वे उसी मत से संबंधित थे "या कुछ दिनों के पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अर्जी के लिए समर्थ बनाता है, यदि वह वांछा करे"। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 439 की अपेक्षा उपर्युक्त मत द्वारा नहीं हटाई जा सकती। धारा 439 केवल तभी प्रवर्तन में आती है जब कोई व्यक्ति "अभिरक्षा में" है। के.एल. वर्मा के मामले में (ऊपर) सलाउद्दीन के मामले

(ऊपर) संदर्भ के प्रति निर्देश किया गया था। उक्त मामले में ऐसा उपदर्शन नहीं था, के.एल. वर्मा के मामले (ऊपर) में दिया गया यह कि अभियुक्त को उच्च न्यायालय में जाने के लिए कुछ दिन, यदि वह ऐसी वांछा करे, दिए जा सकते हैं। संहिता की धारा 439 की कानूनी अपेक्षा को उक्त मत से पूर्णतः अप्रवर्तनीय नहीं कर देती है।

13. धारा 439 की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए हुए और निरंजन सिंह और अन्य बनाम प्रभाकर राजा राम खरोटे और अन्य (ए.आई.आर. 1980 सु.को. 785) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि जब तक कि कोई व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तब तक संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत के लिए कोई आवेदन पोषणीय नहीं होगा। प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति संहिता की धारा 439 के अर्थ के भीतर अभिरक्षा में कहा जा सकेगा जब वह इस न्यायालय में उपर्युक्त विनिश्चय में पहले विचार के लिए आया हो।

14. संहिता की धारा 439 के अर्थ के भीतर जब कोई व्यक्ति अभिरक्षा में है, निर्णायक प्रश्न का विश्लेषण करने के पश्चात् निर्मलजीत कौर के मामले (ऊपर) और सुनीता देवी के (ऊपर) मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 439 के अधीन कोई आवेदन करने के लिए मौलिक अपेक्षा है कि अभियुक्त अभिरक्षा में होना चाहिए। जैसा कि सलाउद्दीन के मामले (ऊपर) में मत व्यक्त किया गया कि धारा 338 के निबंधनों में संरक्षण किसी उस समिति अवधि के लिए है जिसमें जमानत के लिए नियमित न्यायालय में आवेदन कर सके। स्पष्टतया ऐसी जमानत संहिता की धारा 439 के निबंधनों में जमानत है, आवेदक के लिए अभिरक्षा में होना आज्ञापक होगा। अन्यथा, धारा 438 और धारा 439 के अधीन आदेशों के बीच विभेद अर्थहीन और अनावश्यक होगा।

15. यदि धारा 438 की संरक्षा का विस्तार उससे परे किया जाता है जो सलाउद्दीन के मामले (ऊपर) दिया गया है का परिणाम अभिरक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा 439 में आज्ञापक है यह इसका परिणाम स्पष्टतया उससे बाहर निकलना होगा।

16. धारा 438 एक प्रक्रियात्मक उपबंध है जो कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है जो अभिवाक्, निर्दोषिता के लिए हकदार है, क्योंकि संहिता की धारा 438 के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए आवेदन की तारीख को वह उस अपराध के संबंध में जिसके लिए जमानत के लिए उसने आवेदन दिया है। आवेदक को आवश्यक रूप से यह दर्शित करना चाहिए कि उसके पास यह 'विश्वास करने का कारण' है कि उसे किसी गैर-जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। 'विश्वास करने का कारण' अभिव्यक्ति का उपयोग यह है कि वह किसी गैर-जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जा सकेगा। 'विश्वास करने का कारण' अभिव्यक्ति का उपयोग यह दर्शित करता है कि आवेदक गिरफ्तार किया जा सकेगा इसका युक्तियुक्त कारण हो। केवल "आशंका" "विश्वास" नहीं है जिसके कारण आवेदक के पास यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त कारण है कि वह कुछ अनिश्चित आशंका रखता है कि उसके अनुसरण में कोई उसे अभियुक्त बना सकता है जिससे उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। वे आधार जिन पर आवेदक का विश्वास आधारित है कि वह गैर-जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, परीक्षण किए जाने के लिए समर्थ होना चाहिए। यदि कोई आवेदन उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में किया जाता है तो संबद्ध न्यायालय को यह विनिश्चित करना है कि कोई मामला अनुतोष देने के लिए बनता है। उपबंधों का अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् अवलंब नहीं लिया जा सकता। साधारणतया कोई आवरण देने वाला आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। धारा की भाषा से ठीक यही अपेक्षा की जाती है कि आवेदक के पास यह दर्शित करने का विश्वास और कारण है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। यह विश्वास केवल युक्तियुक्त कारणों पर आधारित होगा, यदि जहां कुछ वास्तविकता उस आधार पर है या जिसके द्वारा वह कह सकेगा कि आवेदक को यह संभावना है कि वास्तव में उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी। सामान्यतया इस प्रभाव का कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा कि आवेदक को "जिस समय उसे गिरफ्तार किया जाए चाहे अपराध कोई भी हो" जमानत पर छोड़ दिया जाए। ऐसा 'आवरण देना वाला आदेश' पारित नहीं होगा जिससे यह किसी आवरण के रूप में बचाव करे, या प्रत्येक प्रकार के अभिकथित विधि विरुद्ध क्रियाकलापों से संरक्षण प्रदान करे। धारा 438 के अधीन कोई आदेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की युक्ति है, यह न तो अपराध करने का कोई पासपोर्ट है और न ही किसी संभावित या असंभावित किसी या सभी प्रकार के अभियोगों के विरुद्ध कोई कवच है। मामले के उन तथ्यों पर, जिनपर उपर्युक्त दी गई विधिक प्रास्थिति की पृष्ठभूमि में विचार किया गया है किसी मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता है वहां संहिता की धारा 438 के निबंधनों के अनुसार कोई आदेश पारित किया जा सकता है।

बेरोजगार युवाओं को सहायता

5217. श्री जोवाकिम बखला: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है/देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके लिए कुल कितनी निधियां आबंटित तथा जारी की गईं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय अप्रैल, 1999 से पश्चिम बंगाल सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठने योग्य बनाया जा सके। इस योजना में बेरोजगार युवकों को विशेष रूप से लक्ष्य नहीं बनाया गया है। तथापि, पात्र बेरोजगार युवकों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को आबंटित और रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

(रु. लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	कुल रिलीज
1.	2002-03	3900.11	1121.19
2.	2003-04	5388.01	2617.59
3.	2004-05	6744.42	4608.31

सेन्टर फॉर एडवांस्ड मैनेजमेंट एण्ड पावर स्टडीज

5218. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के अंतर्गत एक "सेन्टर फॉर एडवांस्ड मैनेजमेंट पावर स्टडीज" की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में कौन-कौन से पाठ्यक्रम कराए जाते हैं;

(ग) इन पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) क्या एम.बी.ए. (विद्युत प्रबंधन) पाठ्यक्रम को कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस केन्द्र के वित्तपोषण का स्रोत क्या है; और

(छ) इन संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को कहां-कहां नौकरी के अवसर उपलब्ध है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) इस केन्द्र में करवाए जाने वाले पाठ्यक्रम निम्नलिखित है:-

(i) विद्युत प्रबंधन पाठ्यक्रम में दो वर्षीय एम.बी.ए.।

(ii) विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किए गए पारदेशीय भागीदारी हेतु विद्युत संयंत्र प्रबंधन।

(iii) आई.एस.ओ. 9001 और 14001 पर लीड ऑडिटर कोर्स।

(iv) कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम जैसे व्यावहारिक विकास, टीम निर्माण, स्व-प्रबंधन आदि।

(v) विद्युत क्षेत्र मुद्दों जैसे उपलब्धता आधारित टैरिफ, पारेषण लाइनों में खुली पहुंच, विद्युत विनिमय, विद्युत व्यापार, विद्युत अधिनियम, 2003, विनियामक मामले, विद्युत क्षेत्र सुधार, ऊर्जा दक्षता और विद्युत पर्यावरण इंटरफेस आदि पर सेमिनार एवं सम्मेलन।

(ग) इन पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया निम्नवत् है:-

(i) विद्युत प्रबंधन पाठ्यक्रम में दो वर्षीय एम.बी.ए. में दाखिला संबद्ध महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा किया जाता है। दाखिला चाहने वाले अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय आधार पर सभी भारतीय प्रबंधन संस्थान (ए.आई.एम.ए.) द्वारा ली जाने वाली प्रबंधन अभिरुचि परीक्षा (एम.ए.टी.) देनी पड़ती है। इसके पश्चात् मैरिट के क्रम में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक विचार-विमर्श और व्यक्तिगत परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। सीटों की संख्या प्रति वर्ष 60 तक सीमित है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सहित) गैर-प्रायोजित-40, प्रायोजित-17, एन.आर.आई.-03)।

(ii) पारदेशीय विद्युत संयंत्र प्रबंधन पाठ्यक्रम में दाखिला विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

(iii) अन्य अल्पावधि पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन प्रभारीय आधार पर विभिन्न विद्युत क्षेत्र संगठनों से आबंटित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। एम.बी.ए. (विद्युत प्रबंधन) पाठ्यक्रम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टैक्नीकल ऐजूकेशन (ए.आई.ओ.टी.ई.) द्वारा अनुमोदित किया जाता है और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मान्यता प्राप्त और संबद्ध है।

(च) केंद्र एम.बी.ए. छात्रों से प्राप्त फीस और अल्पावधि पाठ्यक्रमों से प्राप्त भागीदारी फीस के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व के कारण स्व-पोषित है।

(छ) प्रथम बैच के छात्र उत्तीर्ण हो गए हैं और सभी को नौकरी मिल गई है। जुलाई, 2005 में पास होने वाले दूसरे बैच के छात्रों को नौकरी की प्रक्रिया चल रही है तथा इनकी नौकरी भी क्रेडिट रेटिंग इनफोरमेशन सर्विसेज इंडिया लि. (क्राइसिल), क्लीनवेल्ड पीट मार्विक गोरडीलर (के.पी.एम.जी.), प्रिंसवाटरहाऊस कूपर्स (पी.डब्ल्यू.सी.), रिलायंस एनर्जी आदि विख्यात कंपनियों में लगने की संभावना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

5219. श्रीमती नीता पटैरिया:

श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अगम्य तथा वन क्षेत्रों में स्थित 37 गांवों के विद्युतीकरण से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण नीति के अनुसार वित्तीय सहायता का 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 60 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अनुदान के 40 प्रतिशत से अधिक करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रतिशत के रूप में अनुदानों में कितनी बढ़ोत्तरी किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) राज्य नोडल एजेंसी, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.यू.वी.एन.) ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से राज्य में 82 दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें वन क्षेत्र में 49 गांव शामिल हैं।

वर्ष 2005-06 के दौरान कार्यान्वयन के लिए दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण योजना के अनुमोदित होने के पश्चात्, इन प्रस्तावों पर योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण हेतु पात्र परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बायो-डीजल के लिए तिलहनों के पौधे

5220. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बायो-डीजल के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले तिलहन के पौधों के नाम क्या हैं;

(ख) ये पौधे किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये कितनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं; और

(ग) इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) बायो-डीजल, खाद्य तेल बीजों जैसे सूरजमुखी, रेपसीड, सोयाबीन आदि तथा विभिन्न अखाद्य तेल बीजों से उत्पादित किया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में अखाद्य तेल बीज के पेड़ों को बायोडीजल उत्पादन के लिए वरीय माध्यम समझा जाता है। भारत में संभावित अखाद्य तेल बीज पेड़ प्रजातियां अन्य के साथ-साथ जटरोफा, करंज, कुसुम, महुआ, नीम, साल और सलवोदरा हैं। ये अखाद्य तेल उत्पादन करने वाले पेड़ प्रजातियां और झाड़ियां संपूर्ण देश में फैली हुई हैं और विभिन्न

कृषि जलवायु क्षेत्रों में उगती हैं। वर्ष 2003 में योजना आयोग द्वारा बायोफ्यूल के विकास पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल अखाद्य तेलों की संभाव्यता प्रतिवर्ष लगभग 0.1 एम.एम.टी. है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना आयोग द्वारा बायोफ्यूल के विकास पर तैयार की गई रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाओं में जटरोफा करकस के पौधारोपण पर विशेष बल देने के साथ बायोडीजल पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस मिशन के लिए मसौदा परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) योजना आयोग को उनके 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है और व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया भी की जा रही है।

[हिन्दी]

एनर्जी पार्क्स

5221. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान देश में 'एनर्जी पार्क्स' स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सुविधा को प्रदान करने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित राज्यवार किन जिलों को चुना गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए ऊर्जा पार्क योजना को वर्ष 2005-06 के दौरान भी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। इस योजना में जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क शामिल हैं। विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय पार्क तथा एक जिले में दो जिला स्तरीय पार्क तक स्थापित किए जा सकते हैं।

(ग) ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए जिलों और संस्थाओं का मंत्रालय द्वारा चयन नहीं किया जाता है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी मंत्रालय को जिला ऊर्जा पार्क के प्रस्तावों के लिए अनुशंसा करती है जिन पर ऊर्जा पार्क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है। अब तक देश में 375 जिला स्तरीय ऊर्जा पार्क, जिसमें महाराष्ट्र के 34 जिला स्तरीय ऊर्जा पार्क शामिल हैं, संलग्न विवरण के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

स्वीकृत जिला स्तरीय ऊर्जा पार्कों के राज्यवार विवरण (31-3-2005 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऊर्जा पार्कों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	11
4.	बिहार	4
5.	छत्तीसगढ़	9
6.	दिल्ली	11
7.	गोवा	2
8.	गुजरात	10
9.	हरियाणा	16
10.	हिमाचल प्रदेश	12
11.	जम्मू-कश्मीर	7
12.	झारखंड	15
13.	कर्नाटक	19
14.	केरल	14
15.	मध्य प्रदेश	11
16.	महाराष्ट्र	34
17.	मणिपुर	10
18.	मेघालय	6

1	2	3
19.	मिजोरम	7
20.	नागालैंड	5
21.	उड़ीसा	9
22.	पंजाब	19
23.	राजस्थान	10
24.	सिक्किम	4
25.	तमिलनाडु	19
26.	त्रिपुरा	9
27.	उत्तर प्रदेश	38
28.	पश्चिम बंगाल	10
29.	उत्तरांचल	8
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6
31.	चंडीगढ़	3
32.	पांडिचेरी	2
33.	अन्य (आई.सी.ए.आर.)	10
	कुल	375

[अनुवाद]

पुयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना

5222. श्री पी. करुणाकरन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक राज्य-वार लगाई गई जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) चालू विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या सहित इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार के पास पुयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना के संबंध में परियोजना रिपोर्टें हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) गत तीन वर्षों में शुरू की गई जल विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) चालू जल विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे एवं संख्या विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) पूयमकुट्टी (जिसका वास्तविक नाम पूयमकुट्टी है) जल विद्युत परियोजना (2x120 मेगावाट) 250 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य पर जनवरी, 1984 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई थी। परियोजना को वन संबंधी स्वीकृति के अधीन अगस्त, 1986 में योजना आयोग द्वारा भी मंजूरी प्रदान की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने जनवरी, 1991 में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि ये परियोजना पश्चिमी घाट के मुख्य वन क्षेत्र में स्थापित थी। परियोजना की समीक्षा 1996 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दोबारा की गई थी और "प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभाव" के आधार पर उनके द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी। विशेषज्ञ समिति के सुझावों पर राज्य सरकार ने (i) पर्यावरण प्रभाव, मूल्यांकन (ii) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (iii) सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्य लाभ विश्लेषण एवं (iv) अभियंता मूल्यांकन के संबंध में अध्ययन करने को कहा गया था।

पैलोड में ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट (टी.बी.जी.आर.आई.) को राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पारिस्थितक रूप से पोषणीय उच्चतम सबमर्जेंस लेवल के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था। टी.बी.जी.आर.आई. ने अध्ययन किए और इसकी रिपोर्ट जुलाई, 2003 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (के.एस.ई.बी.) को प्रस्तुत की। के.एस.ई.बी. की सूचना के अनुसार, अभियंता मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्य लाभ विश्लेषण के लिए पुनरानुमान की आवश्यकता होगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए भी के.एस.ई.बी. को पेश की गई ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट (टी.बी.जी.आर.आई.) की रिपोर्ट पर आधारित परियोजना घटकों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए के.एस.ई.बी. द्वारा संशोधित किए जाने की आवश्यकता होगी। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट के.एस.ई.बी. द्वारा तैयार की जा रही है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों में चालू हुई जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम/राज्य/संगठन सं. x साइज=क्षमता मेगावाट, क्षेत्र	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
2002-03 के दौरान चालू यूनिटें			
1.	**बाणसागर टॉस फेज-III**	3	20
	मध्य प्रदेश/एम.पी.ई.बी.		
	3x20=60 मेगावाट, राज्य क्षेत्र		
2.	**बाणसागर टॉस फेज-III**	2	15
	मध्य प्रदेश/एम.पी.ई.बी.		
	2x15=30 मेगावाट, राज्य क्षेत्र		
3.	**श्रीसेलम एल.बी.पी.एच.**	4	150
	आंध्र प्रदेश/ए.पी.जेनको	5	150
	6x150=900 मेगावाट		
4.	**सरदार सरोवर सी.एच.पी.एच.**	2	50
	गुजरात/एस.एस.एन.एल.	3	50
	5x50=250 मेगावाट		
5.	**बास्पा एच.ई. परियोजना**	1	100
	हिमाचल प्रदेश/जे.पी.एच.पी.एल.	2	100
	3x100=200 मेगावाट, निजी क्षेत्र		
	कुल (8 यूनिटें)		635 मेगावाट
2003-04 के दौरान चालू यूनिटें			
6.	**चमेरा चरण-II**	1	100
	हिमाचले प्रदेश/एन.एच.पी.सी.	2	100
	3x100=300 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र	3	100

1	2	3	4
7.	**नाथपा झाकरी**	6	250
	हिमाचल प्रदेश/एस.जे.वी.एन.एल.	5	250
	6x250=1500 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र	4	250
		3	250
		2	250
		1	250
8.	**कोपिली चरण-II**	1	25
	असम/नीपको		
	1x25=25 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र		
9.	**इंदिरा सागर**	1	125
	मध्य प्रदेश/एन.एच.डी.सी. (जे.वी. एन.एच.पी.सी.)	2	125
	8x125=1000 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र	3	125
		4	125
10.	**श्रीसेलम एल.बी.पी.एच.**	6	150
	आंध्र प्रदेश/ए.पी.जेनको		
	6x150=900 मेगावाट, राज्य क्षेत्र		
11.	**अलमाटी बांध**	1	15
	कर्नाटक/के.पी.सी.एल.		
	1x15+5x55=290 मेगावाट, राज्य क्षेत्र		
12.	**बास्पा एच.ई. परियोजना**	3	100
	हिमाचल प्रदेश/जे.पी.एच.पी.एल.		
	3x100=300 मेगावाट, निजी क्षेत्र		
	कुल (17 यूनिटें)		2590 मे.वा.
2004-05 के दौरान चालू यूनिटें			
13.	**इंदिरा सागर**	5	125

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश/एन.एच.डी.सी. (जे.वी. एन.एच.पी.सी.)	6	125
	8x125=1000 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र	7	125
		8	125
14.	**सरदार सरोवर सी.एच.पी.एच.**	1	50
	गुजरात/एस.एस.एन.एल.	4	50
	5x50=250 मेगावाट, राज्य क्षेत्र	5	50
15.	**अलमाटी बांध**	2	55
	कर्नाटक/के.पी.सी.एल.	3	55
	1x15+5x55=290 मेगावाट, राज्य क्षेत्र	4	55
16.	**सरदार सरोवर आर.बी.पी.एच.**	1	200
	6x200 मेगावाट, राज्य क्षेत्र		
	कुल (11 यूनिटें)		1015 मे.वा.
	कुल योग		4240 मे.वा.

विवरण-II

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क. निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्षेत्र, राज्य	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
केन्द्रीय क्षेत्र		
अरुणाचल प्रदेश	1. कामेंग	600
	2. सुबानसिरी	2000
हिमाचल प्रदेश	3. पार्वती चरण-2	800
	4. कोलडेम	800

1	2	3
जम्मू-कश्मीर	5. दुलहस्ती	390
जम्मू-कश्ममीर	6. सेवा-2	120
मध्य प्रदेश	7. ओंकारेश्वर	520
सिक्किम	8. तीस्ता चरण-5	510
उत्तरांचल	9. धौलीगंगा	280
	10. कोटेश्वर	400
	11. टिहरी चरण-1	1000
पश्चिम बंगाल	12. तीस्ता लो डेम-3	132
	उप-योग:	**7522 मे.वा.**
राज्य क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	13. प्रियदर्शनी जुराला	78
		156
असम	14. कारबी लंगपी	100
गुजरात	15. सरदार सरोवर आर.बी.पी.एच.	1000
हिमाचल प्रदेश	16. लारजी	126
	17. उल्ह	100
जम्मू कश्मीर	18. बगलिहार	450
कर्नाटक	19. अलमाटी डेम	110
केरल	20. कूटिट्याडी अतिरिक्त विस्तार	100
मध्य प्रदेश	21. माडिखेडा	40
	22. बानसागर टोन्स पी.एच.-4	20
महाराष्ट्र	23. घाटसागर पी.एस.एस.	250
मेघालय	24. मिण्टडू	84
उड़ीसा	25. बालिमेला विस्तार	150
तमिलनाडु	26. भवानी बराज-1	30
	27. पायकारा अलटिमेट	150

1	2	3
उत्तरांचल	28. मनेरी भाली-2	304
पश्चिम बंगाल	29. पुरूलिया पी.एस.एस.	900
	उप-योग:	**4148 मे.वा.**
निजी क्षेत्र		
उत्तरांचल	30. विष्णु प्रयाग	400
	उप-योग:	**400 मे.वा.**
	कुल: =30 परयोजना	12100 मे.वा.

ख. स्थगित/सौंपे जाने के अधीन/शुरू होने वाली परियोजनाएं

सेक्टर, राज्य	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
केन्द्रीय क्षेत्र		
मणिपुर	1. लोकटक् डी/एस	90
मिजोरम	2. तूरियल	60
	उप-योग:	**150 मे.वा.**
राज्य क्षेत्र		
हिमाचल प्रदेश	3. कशांग 1	66
कर्नाटक	4. वारही विस्तार	230
उड़ीसा	5. बालिमेला डेम टू पी.एच.	60
तमिलनाडु	6. भवानी बराज-2	30
	7. भवानी बराज-3	30
उत्तरांचल	8. लखवर व्यासी	420
	उप-योग	**836 मे.वा.**
निजी क्षेत्र		
हिमाचल प्रदेश	9. एलेन दुहंगन	192

1	2	3
	10. कारचम वागटू	1000
	11. धमवारी सुन्डा	70
मध्य प्रदेश	12. माहेश्वर	400
उत्तरांचल	13. श्रीनगर	330
	उप-योग:	**1992 मे.वा.**
	कुल=13 परयोजना	2978 मे.वा.
	सकल योग (क+ख)=121+2978 मे.वा.	15078 मे.वा.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश

5223. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपने निवेश द्वारा 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक लाभांश प्राप्त कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वर्ष 2003-04 के लिए, 13 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1015 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया, जो कि इन बैंकों ने सरकार द्वारा धारित कुल इक्विटी का 19.50 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-05 के लिए दस राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अंतरिम लाभांश के रूप में 444.65 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

बीमा कंपनियों द्वारा उल्लंघन

5224. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को बीमा कंपनियों द्वारा टेलीमार्केटिंग के माध्यम से जटिल प्रकृति के बीमा उत्पाद बेचने में उनके कार्यकरण में अनैतिक तरीकों के बारे में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.आर.डी.ए. का बहु-स्तरीय विपणन के माध्यम से बीमा उत्पादों को बेचने वाली इन कंपनियों पर कड़ी सतर्कता लागू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जीवन बीमा पॉलिसी बेचने वाली कई बीमा कंपनियां आई.आर.डी.ए. विनियमों का उल्लंघन करके साधारण बीमा पॉलिसी बेचने वाली उन कंपनियों के साथ गठबंधन कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इन अनैतिक कार्यकलापों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) बीमा पालिसियां वैधानिक संविदा हैं। बीमाकर्ता प्रस्ताव फार्म में प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण सूचना पर आधारित जोखिम स्वीकार करता है और प्रीमियम संग्रहण के पश्चात् पालिसियां जारी करता है जिसमें बीमा का दायरा, निबंधनों, शर्तों और अपवर्जनों आदि का स्पष्ट उल्लेख होता है। मानक पालिसियों का भी टेलीमार्केटिंग के माध्यम से प्रचार किया जाता है।

(ग) और (घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) को बहुस्तरीय विपणन चैनलों के माध्यम से होने वाली गलत बिक्री के प्रचालन की चिन्ता है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर आई.आर.डी.ए. ने कुछ कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। आई.आर.डी.ए. ने बीमाकर्ताओं द्वारा नए कारपोरेट एजेंसी लाईसेंस जारी किया जाना बंद कर दिया है। आई.आर.डी.ए. ने कारपोरेट एजेंसी विनियमों के संबंध में दिशानिर्देश के प्रारूप, जिन्हें बीमाकर्ताओं के बीच हाल ही में परिचालित किया गया है,

में बहुस्तरीय विपणन को निरुत्साहित करते हुए विशेष रूप से प्रावधान किया है।

(ङ) और (च) चूंकि बीमा अधिनियम, 1938 और आई.आर.डी.ए. के विनियमों के उपबंध इस प्रकार की व्यवस्था के लिए अनुमति देने का अधिकार नहीं देते हैं, अत: आई.आर.डी.ए. ने कुछ बीमा कर्ताओं से ऐसे गठजोड़ के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

आंध्र प्रदेश में महिलाओं के सह-उत्तराधिकार संबंधी अधिकार

5225. श्री अशोक अर्गल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिंदू उत्तराधिकार आंध्र प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 1986 और इससे हिन्दुओं की पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकारों में हुए परिवर्तनों की जानकारी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संशोधन के आलोक में आंध्र प्रदेश में महिलाओं के सह-उत्तराधिकारों का अध्ययन कराया है; और

(ग) इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गयी हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्

5226. श्री हरिन पाठक: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे हथकरघा बुनकरों और कारीगरों की संख्या कितनी है जो हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्य हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) विपणन संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित धनराशि के उपयोग की स्थिति क्या है;

(घ) क्या हथकरघा (वस्तुओं के उत्पादन हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन सफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद अपनी सदस्यता पंजी में बुनकरों और कारीगरों की सूची अलग से नहीं रखता है। केवल निर्यातकों, व्यापारियों के साथ-साथ निर्माताओं, को परिषद् के सदस्य बनाया जाता है। 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 2,088 है।

(ख) वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के व्यय के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

विभिन्न शीर्ष	व्यय रुपयों में		
	2001-02	2002-03	2003-04
प्रशासनिक व्यय	91,54,894.60	91,11,816.65	1,01,46,833.65
संवर्धन व्यय	1,35,78,667.50	3,37,29,128.70	5,15,25,091.90
विविध व्यय	12,33,862.25	8,03,319.05	9,54,281.05
कुल	2,39,67,424.35	4,36,44,264.40	6,26,26,206.60

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान, विपणन संवर्धन कार्यक्रम के तहत हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् को 301.09 लाख रुपये, वाणिज्य विभाग की विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) सहित जारी किए गए थे। जिसमें से 300.88 लाख रुपये का उपभोग किया गया और शेष 0.21 लाख रुपये का परिषद् द्वारा उपभोग किया जाना बाकी है।

(घ) और (ङ) विद्युतकरघा एवं मिल क्षेत्र द्वारा हथकरघा बुनकरों की जीविका पर अतिक्रमण करने से बचाव के लिए

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत हथकरघा पर उत्पादित विशिष्ट रूप से 11 वस्त्र मदों या वस्तु श्रेणी को आरक्षित किया गया था। अब तक, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के 188 मामले दर्ज किए गए जिसमें से 146 मामलों पर निर्णय सुना दिया गया और शेष 42 मामले अभी न्यायालय के विचाराधीन लंबित है।

बुनकरों के लिए सहायता में वृद्धि

5227. श्री एम. शिवन्ना: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बुनकरों के लिए वित्तीय सहायता की दर को 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बुनकरों के हितार्थ कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं:-

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
3. हथकरघा निर्यात योजना।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
6. बुनकर कल्याण योजना:-
   - स्वास्थ्य पैकेज योजना।
   - थ्रिफ्ट फंड योजना।
   - नई बीमा योजना।
7. बुनकर बीमा योजना।
8. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।
9. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
10. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

विधि आयोग के सुझाव

5228. श्री बालेश्वर यादव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार को प्राकृतिक और मानव द्वारा उत्पन्न आपदाओं की स्थिति में राहत और पुनर्वास कार्य करने के लिए गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा जुटाये गये धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त विनियामक निकाय का गठन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जी हां, भारत के विधि आयोग ने आपदा राहत के लिए एकत्रित निधियों के विनियमन पर तारीख 15-12-2004 की अपनी 191वीं रिपोर्ट में अभिदाय विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट विभिन्न विभागों को, विचार करने के लिए भेज दी गई है।

कर संबंधी नियमों को सरल बनाया जाना

5229. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर संबंधी नियमों को सरल बनाने और उन्हें करदाताओं के अनुकूल बनाने के लिए इन नियमों को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के कदम से आगामी वर्षों में विकास की उच्च दर प्राप्त करने में कितनी सहायता मिल सकती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) कर कानूनों को सरल बनाने की प्रक्रिया के दायरे में कर संरचना, अनुपालन प्रक्रियाएं और प्रशासन से सम्बन्धित सभी उपबंध समाहित होंगे ताकि स्वैच्छिक अनुपालन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(ग) सरल और करदाता अनुकूल कर कानूनों से स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा मिलता है और कर प्रभाव में बढ़ोत्तरी होती है।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों को गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

5230. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य और जिला सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के लिए अतिरिक्त धनराशि (प्रोविजिनिंग) आवश्यकताएं निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में सहकारी बैंकों की इस प्रकार की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को रोकने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियां अपनाई जानी हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 के परिपत्र के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.)/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) हेतु 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष से ऋण की हानि की पहचान हेतु उनके लिए 90 दिन वाले मानदण्ड के विस्तार के साथ एन.पी.ए. के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण किया गया है, ताकि विद्यमान 180 दिनों से 90 दिनों के मानदण्ड के सुचारु परिवर्तन को सुकर बनाया जा सके। राज्य सरकार की गारंटीकृत एक्सपोजर यथा अग्रिमों एवं निवेशों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों की समीक्षा की गई तथा 20 जनवरी, 2005 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के तहत एस.सी.बी./डी.सी.सी.बी. को अनुदेश जारी किए गए ताकि आस्ति वर्गीकरण हेतु राज्य सरकार की गारंटी मांगने की आवश्यकता एवं उसके संदर्भ में प्रावधान करने को अलग किया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा गारंटी न दिए गए एक्सपोजर के लिए प्रयोज्य, वही मानदण्ड उन पर भी लागू किए जाएं। पुनः, 3 वर्षों से अधिक संदिग्ध वाले एन.पी.ए. की अवधि के अनुसार श्रेणीकृत अतिरिक्त प्रावधान को 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी रूप से एस.सी.बी./डी.सी.सी.बी. के लिए लागू किया गया है।

(ग) नाबार्ड द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण के रिकार्डों के आधार पर यह पाया गया है कि एस.सी.बी./डी.सी.सी.बी. के एन.पी.ए. के स्तर में वृद्धि हुई है।

(घ) एस.सी.बी./डी.सी.सी.बी. के संदर्भ में, नाबार्ड ने एन.पी.ए. के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण वसूली नीति एवं इसका प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन, वसूली कक्ष की स्थापना, ऋण प्रबंधन प्रणाली को मजबूती प्रदान करना, एन.पी.ए. की कमी के लिए समय-बद्ध योजना, जानबूझकर चूक करने वालों के संदर्भ में न्यायालयों में दावों को दर्ज करना, इसके अतिरिक्त, उपचारी उपाय, उदाहरणस्वरूप उपयुक्त ऋण मूल्यांकन एवं प्रबंधन, संभाव्य एवं सीमावर्ती एन.पी.ए. खातों का तत्काल निदान एवं उपचारी उपाय शामिल हैं।

नियमित सांविधिक निरीक्षण के दौरान एवं स्थलेतर पर्यवेक्षण प्रणाली माध्यम से नाबार्ड सहकारी बैंकों द्वारा इन दिशानिर्देशों/अनुदेशों की अनुपालना की आवधिक निगरानी करता है।

गायब हो चुकी कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा

5231. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां गायब हो चुकी है जिनके खातों की विधिवत् लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज की तिथि तक ऐसी कितनी कंपनियां गायब हो गयी;

(ग) क्या निवेशक निकाय ने ऐसी कंपनियों के गायब होने में लेखापरीक्षकों की भूमिका की जांच की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी हां। वर्तमान में, 115 कंपनियों की पहचान लुप्त कंपनियों के रूप में की गई है।

(ख) कंपनी कार्य मंत्रालय और भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड के द्वारा लुप्त कंपनी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए माने गये मानदंड को पूरा करने वाले किसी भी मामले की रिपोर्ट/सूचना पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) मिदास टच निवेशक संघ, मामले को "लुप्त कंपनियों" के चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की भूमिका की जांच के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के पास लाये थे, जो एक संवैधानिक निकाय है तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत इसका गठन किया गया है, और उन्होंने आई.सी.ए.आई. से आचार संहिता की उपेक्षा करने वाले/या उल्लंघन करने वाले लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।

कुछ चार्टर्ड एकाउन्टेटों/लेखापरीक्षकों से संबंधित मामले, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

(ङ) इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये गये है:-

(i) इस घटना का लगातार अनुश्रवण करने के लिए, कंपनी कार्य मंत्रालय और भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड के मध्य में एक समन्वय और अनुश्रवण मैकेनिज्म को रखा गया है।

(ii) कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत अनैतिक कंपनियों, उनके संप्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध अभियोजनें दायर की गई है। उसी प्रकार भारतीय पैनेल कोड के अन्तर्गत इन संप्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के साथ कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी गई है। ये कदम संभवत: दूसरों को भी रोकने का कार्य करते हैं।

(iii) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड ने लुप्त कंपनियों के संप्रवर्तकों/निदेशकों को पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है।

[हिन्दी]

अफीम उत्पादकों की समस्याएं

5232. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अफीम उत्पादकों की समस्याओं से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अफीम उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। समय-समय पर अफीम कृषकों की समस्याओं से संबंधित अभ्यावेदन मिलते रहे हैं।

(ख) इन अभ्यावेदनों में बताई गई मुख्य समस्याएं लाइसेंस को रद्द करने, लाइसेंस प्रदान करने हेतु न्यूनतम अर्हक उपज मानदण्ड के निर्धारण, ग्रेड निर्धारण हेतु अफीम के परीक्षण, अफीम फसल के क्षतिग्रस्त होने पर प्रतिपूर्ति देने, विभागीय निगरानी में अफीम की फसल को उखड़वाने, प्राकृतिक आपदा के कारण पोस्त की फसल क्षतिग्रस्त होने के मामले में लाइसेंस के नवीनीकरण, नए लाइसेंस जारी करके अफीम की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करने, अफीम के खरीद मूल्य में वृद्धि करने इत्यादि से संबंधित होती हैं।

(ग) पिछले वर्षों में अफीम कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत से उपाय किये गए हैं। कृषकों की समस्याओं से संबंधित सभी अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया जाता है और इनके समाधान के लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है किसी भी फसल वर्ष के लिए अफीम लाइसेंसिंग आदेश, जिसमें लाइसेंस की शर्तें निर्धारित की जाती हैं, को पिछले फसल वर्ष में अफीम कृषकों के समक्ष आई परेशानियों पर विचार करने के पश्चात् ही अंतिम रूप दिया जाता है। ऐसे सभी मामलों में बिना चीरी गई अफीम की फसल को उखाड़ते समय इसकी निगरानी हेतु अविलंब उपस्थित होने के प्रयास किए जाते हैं, जिनमें ऐसी फसल को उखाड़ने हेतु आवेदन प्राप्त होता है। दूसरे मामलों में भी, प्राकृतिक आपदा इत्यादि के कारण पोस्त की फसल को यदि कोई क्षति हुई है तो उस क्षति की मात्रा का पता लगाने हेतु संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने हेतु कार्रवाई शुरू की जाती है। कृषकों की शिकायतों के निवारण के लिए इकाई मुख्यालयों पर शिकायत/परामर्श समितियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं और प्राप्त हुए सुझावों की उचित कार्रवाई हेतु जांच की जाती है।

शेट्टी आयोग

5233. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निर्धारित करने और इनमें समानता लाने के लिए शेट्टी आयोग गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस समय उक्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीशों को वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (घ) जी हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एफ.एन.जे.पी.सी.) (शेट्टी आयोग) का, न्यायमूर्ति के.जे. शेट्टी की अध्यक्षता में तारीख 21-3-1996 को गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट तारीख 11-11-1999 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की थी। आयोग ने व्यापक सिफारिशें की, जिसके अन्तर्गत पूरे देश के न्यायिक अधिकारियों का वेतन ढांचा, परिलब्धियां और सेवा शर्तें हैं, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के लिए उच्चतर वेतन भी है। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां तक कार्यान्वित किया गया है, जहां तक उनका संबंध संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों से है, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार तारीख 11-10-2001, 11-3-2002 और 11-02-2005 के आदेशों द्वारा प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है।

(ङ) चूंकि न्याय विभाग प्रशासनिक रूप से केवल संघ राज्यक्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए राज्यों में शेट्टी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उच्चतम न्यायालय सभी राज्यों द्वारा, जो 1989 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022-ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में प्रत्यर्थी हैं, शेट्टी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरी कर रहा है।

[अनुवाद]

चीनी पर सीमा शुल्क

5234. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के अध्यधीन एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम के अंतर्गत लगभग 6.77 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का आयात किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों ने निर्यात संबंधी बाध्यता को पूरा किया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्यात बाध्यता की अवधि को बदलकर 18 महीने से 24 महीने और फिर 36 महीने कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बढ़ायी गयी इस अवधि के दौरान घरेलू बाजार में प्रसंस्कृत चीनी की बिक्री की अनुमति दी थी, और यदि हां, तो क्या कोई सीमा शुल्क लगाया गया था;

(च) क्या इन कंपनियों द्वारा प्रसंस्कृत चीनी को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए उतारकर निर्यात बाध्यता का उल्लंघन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा तद्नुरूप आयातित कच्ची चीनी पर सामान्य रूप से देय सीमा शुल्क का भुगतान न किये जाने के कारण राजकोष को कितने राजस्व का घाटा हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विभिन्न कम्पनियों द्वारा 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के तहत 2.66 लाख मी. टन कच्ची चीनी का आयात किया गया था।

(ख) कुछ कम्पनियों ने निर्यात बाध्यता पूरी की है और अन्यों ने इसे पूरा करने के लिए समय-सीमा में वृद्धि करने की मांग की है।

(ग) और (घ) सचेत नीति निर्णय के रूप में सरकार द्वारा निर्यात बाध्यता अवधि को 18 महीनों से बदल कर 24 महीने कर दिया गया है।

(ङ) और (च) देश में चीनी की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अन्तरदेशीय बाजार में संसाधित चीनी की बिक्री को अनुमति प्रदान करने के लिए सार्वजनिक हित में निर्णय लिया है। ऐसे मामलों में निर्यात बाध्यता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि अग्रिम लाइसेंस धारक को निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात बाध्यता पूरी करनी होगी।

(छ) उपर्युक्त (च) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कायमकुलम विद्युत परियोजना

5235. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) के नाफ्था आधारित कायमकुलम विद्युत स्टेशन से उत्पादित विद्युत की लागत नाफ्था की अधिक लागत के कारण बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के उद्देश्य से सस्ते मूल्य पर नाफ्था की आपूर्ति करने अथवा संयंत्र को कोयला आधारित बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) जी, हां। कायमकुलम विद्युत के परिवर्तनीय प्रभार की दरें ऊंची हैं। नाफ्था की प्रचालित दर 24727.57 रु. प्रति मीट्रिक टन है तथा परिवर्तनीय प्रभार 4.5 रु. प्रति किलोवाट घंटा (कि.वा.घं.) के आसपास है। कायमकुलम परियोजना के लिए वैकल्पिक ईंधन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.)/गैस है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) कायमकुलम की विस्तार योजना और स्टेशन के प्रथम चरण में उपयोग हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर एल.एन.जी. की प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहा है।

सड़कों का निर्माण

5236. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से वर्ष 2003-04 में उड़ीसा के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सात जिलों में आठ सड़कों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या 51.14 कि.मी. के लिए 476.00 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी है और इसे उड़ीसा के लिए जारी कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ग) जी हां, उड़ीसा सरकार ने राज्य के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 7 जिलों में आठ सड़कों के निर्माण के लिए, जिनकी कुल लंबाई 51.14 कि.मी. है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार से, 22-01-05 को कहा गया है कि वे पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत इन सड़कों की उपयुक्तता पर कुछ स्पष्टीकरण दें। उड़ीसा सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना

5237. चौधरी लाल सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता वाली सड़क से बिना जुड़ी 1.70 लाख बस्तियों के बारे में कोर नेटवर्क की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विशेषकर उधमपुर-कठुआ-डोडा जिलों में सड़क से बिना जुड़ी बस्तियों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सड़क से बिना जुड़ी इन बस्तियों को वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान सड़क से जोड़ने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) राज्य सरकारों द्वारा कोर नेटवर्कों के निर्धारण के लिए कराए गए सर्वेक्षणों पर आधारित नवीनतम आकलनों के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,72,772 बसावटें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवरेज की पात्र हैं।

(ख) जम्मू-कश्मीर राज्य में, 1000 या इससे अधिक की आबादी वाली 785 बसावटें, 500-999 की आबादी वाली 942 बसावटें तथा 250-499 की आबादी वाली 1065 बसावटें कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र पाई गई थीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही कार्यक्रम के चरण III (2003-04) तक 300 बसावटों की कवरेज के लिए राज्य के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। चूंकि ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है, केन्द्र स्तर पर सड़क संपर्क विहीन बसावटों के जिले-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। राज्य सरकारों को ये ब्यौरे कार्यक्रम की वेबसाईट www.pmgsy-online.nic.in पर डालने होते हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को बजट प्रावधानों के आधार पर वार्षिक प्रस्ताव करने होते हैं और उस पर आबंटन करना होता है। पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को अधिकतम आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने पर प्राथमिकता देते हुए अपने प्रस्ताव तैयार करने होते हैं। चरण IV (2004-05) तथा चरण V (2005-06) के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

लघु विद्युतकरघों को राजसहायता

5238. श्री जसुभाई धनाभाई बारड: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु विद्युतकरघों के तकनीकी विकास के लिए राज सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर गुजरात में वर्तमान में विद्युतकरघों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) विशेषकर गुजरात में वार्षिक रूप से कितनी मात्रा में वस्त्र का उत्पादन हुआ; और

(ङ) तकनीकी विकास के लिए लघु विद्युतकरघों को दी गई राजसहायता किस सीमा तक सहायक होगी?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) भारत सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र में बुनाई और प्रारंभिक मशीनों से संबंधित निर्धारित प्रौद्योगिकी के लिए 20% ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना 6-11-2003 से पहले से ही क्रियान्वित कर दी है। ऐसी मशीनों के लिए निवेश सीमा को 60.00 लाख रुपए की विगत सीमा को बढ़ा कर 13-01-2005 से 1.00 करोड़ रुपए कर दिया गाय है। विद्युतकरघा क्षेत्र इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ लेने या प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के तहत 5% की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) देश में विद्युतकरघों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्ष में विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के संबंध में वस्त्र उत्पादन और गुजरात राज्य के उत्पादन के अनुमानित आंकड़े निम्नलिखितानुसार हैं:-

वर्ष	वस्त्र उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)	
	अखिल भारत	गुजरात राज्य
2001-02	25192	4812
2002-03	25954	4880
2003-04	26947	4985

(ङ) विद्युतकरघा क्षेत्र प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, तकनीकी कौशल के कम स्तर, कम उत्पादकता, निकृष्ट उत्पाद गुणवत्ता और निर्यात से कम इकाई मूल्य वसूली होने के कारण घाटा उठा रहा है। उपर्युक्त योजना का उद्देश्य तेजी से आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता देना है ताकि विद्युतकरघा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के लाभ उठा सके।

विवरण

दिनांक 31-03-05 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थापित विद्युतकरघों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्व वस्त्र (नियंत्रण) आदेश क, 1986 के तहत इकाई/करघों के संबंध में		वस्त्र (डी. एंड आर.) आदेश, 1992 व वस्त्र (डी. एंड आर.) आदेश, 1993 तथा वस्त्र (डी. एंड आर.) आदेश, 2001 के तहत शामिल इकाई/करघे				इकाई/करघों की अद्यतन स्थिति		माह के अंत में कामगारों की संख्या
				पूर्व माह तक		माह के दौरान जोड़				
		इकाइयों की सं.	करघों की संख्या	इकाइयों की सं.	करघों की संख्या	इकाइयों की सं.	करघों की संख्या	इकाइयों की सं. (3क+4क+5क)	करघों की संख्या (3ख+4ख+5ख)	
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4क)	(4ख)	(5क)	(5ख)	(6क)	(6ख)	(7)
	I. राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	5656	37696	4025	6456	6	22	9687	44174	110435
2.	असम	261	2726	0	0	0	0	261	2726	6815
3.	बिहार	1439	2850	4	44	0	0	1443	2894	7235
4.	गोआ	18	122	0	0	0	0	18	122	305
5.	गुजरात	28167	257658	4015	64699	1	12	32183	322369	805923
6.	हरियाणा	2647	9844	8	57	0	0	2655	9901	24753
7.	हिमाचल प्रदेश	159	1302	23	159	0	0	182	1461	3653
8.	जम्मू-कश्मीर	0	0	56	65	0	0	56	65	163
9.	कर्नाटक	21146	61967	3433	19902	0	0	24579	81869	204673
10.	केरल	434	1971	226	760	0	0	660	2731	6828
11.	मध्य प्रदेश	15106	32981	15559	42752	1	1	30666	75734	189335

12.	महाराष्ट्र	146749	472509	67017	382834	542	4952	214308	860295	[illegible]
13.	उड़ीसा	754	3151	38	170	0	0	792	3321	8303
14.	पंजाब	3412	21618	249	2002	0	0	3661	23620	59050
15.	राजस्थान	3624	27793	394	4516	0	0	4018	32309	80773
16.	तमिलनाडु	56365	227135	17458	135939	493	2723	74316	365797	914493
17.	उत्तर प्रदेश	25028	65366	101	598	0	0	25129	65964	164910
18.	पश्चिम बंगाल	806	4180	80	479	2	6	888	4665	11663
19.	दिल्ली	124	1102	0	0	0	0	124	1102	2755
20.	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर मिजोरम, मेघालय, नागालैंड सिक्किम, त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. संघ राज्य क्षेत्र									
21.	छत्तीसगढ़	11	42	0	0	0	0	11	42	105
22.	दादरा व नगर हवेली	17	444	21	518	0	0	38	962	2405
23.	पांडिचेरी	117	830	0	0	0	0	117	830	2075
24.	अंडमान व निकोबार, दमन व दीव, लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	312040	1233287	112707	661950	1045	7716	425792	1902953	4757383

वस्त्र मिलों की उत्पादन क्षमता में स्थिरता

5239. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री किसनभाई वी. पटेल;
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठित मिल क्षेत्र की बुनाई क्षमता में स्थिरता आ गई है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी स्थिरता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त लक्ष्य कितना रहा; और

(ङ) वस्त्र उत्पादन के लिए संगठित मिल क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान संगठित क्षेत्र की मिलों (मिश्रित एककों और विशिष्ट बुनाई एककों) की बुनाई क्षमता की मिश्रित प्रवृत्ति सामने आई है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है:-

("000" संख्या)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05
संगठित क्षेत्र में करघे (विशिष्ट बुनाई एककों सहित)	36118	34037	34258

(ख) और (ग) यद्यपि सरकार ने ऐसी स्थिरता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं करवाया है, फिर भी उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि बुनाई क्षमता में गिरावट/स्थिरता आने के कारण विद्युतकरघा क्षेत्र सहित विकेन्द्रीकृत बुनाई क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा का होना और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के पक्ष में काफी लंबी अवधि से प्रचलित पक्षपातपूर्ण उत्पाद शुल्क के ढांचे का होना है। वर्ष 2003-04 में बुनाई क्षमता में अत्यधिक गिरावट आने का कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 35 मिलों सहित 57 मिश्रित मिलों का बंद होना है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दी गई है:-

(मिलियन वर्ग मीटर)

मद	2002-03		2003-04		2004-05	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनं.)
कुल कपड़ा उत्पादन	44500	41973	47100	42383	49900	45349

(ङ) कपड़ा उत्पादन के लिए संगठित मिल क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:-

- बजट 2004-05 में संगठित क्षेत्र को विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के समान लाने के लिए उत्पाद शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना।
- टी.यू.एफ.एस. के तहत बुनाई क्षेत्र को शामिल करना।
- शटललैस करघों के आयात पर शून्य प्रतिकारी शुल्क (सी.वी.डी.) के साथ 5% का रियायती आयात शुल्क।

[हिन्दी]

तमिलनाडु के टेक्सटाइल वर्कर्रों को वेतन

5240. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के वस्त्र क्षेत्र में लगे वर्करों को देश के अन्य राज्यों में कार्यरत ऐसे वर्करों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लाभ में वर्करों के हिस्से में वृद्धि करने या उनके वेतन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना

5241. डा. के. धनराजू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रस्तावित सड़कों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बताए गए आवंटन के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। वर्ष 2005-06 के लिए अब तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों से 1186 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए निर्धारित किए गए हाई स्पीड डीजल पर लगाए गए उपकर का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। 6 परियोजना राज्यों को विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक ऋण के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं होतीं तथा वे इसमें शामिल नहीं हैं।

विवरण

2005-06 के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए निर्धारित हाई स्पीड डीजल पर उपकर का अनंतिम राज्यवार आवंटन

क्र.सं.	राज्य	आवंटन (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	52
3.	असम	176
4.	बिहार	332
5.	छत्तीसगढ़	235
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	60
8.	हरियाणा	25
9.	हिमाचल प्रदेश	82
10.	जम्मू-कश्मीर	60
11.	झारखण्ड	170
12.	कर्नाटक	105
13.	केरल	25
14.	मध्य प्रदेश	435
15.	महाराष्ट्र	140
16.	मणिपुर	28
17.	मेघालय	40
18.	मिजोरम	27
19.	नागालैंड	25
20.	उड़ीसा	268
21.	पंजाब	30

1	2	3
22.	राजस्थान	229
23.	सिक्किम	25
24.	तमिलनाडु	85
25.	त्रिपुरा	35
26.	उत्तर प्रदेश	370
27.	उत्तरांचल	95
28.	पश्चिम बंगाल	221
	कुल	3480

[हिन्दी]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि

5242. श्री पंकज चौधरी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत देश में बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा धनराशि आबंटित किये जाने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेरोजगार व्यक्तियों को धनराशि आबंटित न किए जाने से उनमें असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बेरोजगारों को धनराशि आबंटित न करने वाले बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) ऋण-सह-सब्सिडी कार्यक्रम है। तथापि, एस.जी.एस.वाई. में ऋण मुख्य घटक तथा सब्सिडी सिर्फ छोटा और सहायक तत्व है। कार्यक्रम का वित्त पोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। कार्यक्रम के लिए निर्धारित केन्द्रीय आबंटन को गरीबी के आधार पर राज्यों के बीच बांटा जाता है। योजना की शुरुआत अर्थात् 1 अप्रैल, 1999 से लेकर अब तक एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कुल 65,48,556 स्वरोजगारियों को सहायता प्रदान की गई है।

(ख) से (घ) मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि योजना के अंतर्गत ऋण जुटाने में बैंक पिछड़ रहे हैं। मंत्रालय ऋण जुटान को बढ़ाने के लिए बैंकों के खराब निष्पादन से संबंधित मामले को विभिन्न मंचों पर और वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संबंधित बैंकों के साथ उठाता रहा है।

पवन तथा सौर ऊर्जा

5243. श्री सीता राम यादव: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान पवन तथा सौर ऊर्जा पर अलग-अलग कुल कितना खर्च किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन स्रोतों से विद्युत की कुल कितनी मांग की पूर्ति हुई;

(ग) क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए खर्च और संस्थापित पवन तथा सौर ऊर्जा प्रणालियों की क्षमता संबंधी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न पवन और सौर ऊर्जा प्रणालियों के संस्थापन के लिए अपेक्षाकृत उच्च लक्ष्यों की योजना बनाई गई है जिनमें ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाएं, लघु पवन ऊर्जा/हाइब्रिड प्रणालियां और सौर प्रकाशवोल्टीय तथा तापीय प्रणालियां शामिल हैं।

विवरण

क्षेत्र	किया गया व्यय	संस्थापित क्षमता
पवन ऊर्जा कार्यक्रम	15.48 करोड़ रु.	- वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाएं: 1111 मेगावाट
		- एरोजनरेटर/हाइब्रिड प्रणालियां: 40 कि.वा.
सौर ऊर्जा कार्यक्रम	28.35 करोड़ रु.	- सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां: 2.71 मेगावाट पी.
		- सौर तापीय प्रणालियां: 30,000 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र

उच्च न्यायालय की खंडपीठों द्वारा कार्य न किया जाना

5244. श्री रामदास आठवले: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च न्यायालय की कुछ खंडपीठें कार्यरत नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन-कौन से उच्च न्यायालय हैं जिनकी खंडपीठों को पुन: कार्यशील बनाये जाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में विद्युत का पारेषण तथा वितरण

5245. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश को राज्य में इंदिरा सागर तथा सरदार सरोवर बांधों के जरिए उत्पादित हो रही विद्युत का इष्टतम लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में विद्युत पारेषण प्रणाली न होने के पीछे क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) इंदिरा सागर एवं सरदार सरोवर बांध परियोजनाओं में वर्तमान में उत्पादित विद्युत के संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य को बिना किसी बाधा के उपयुक्त लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बकाया ऋण का पुनर्भुगतान

5246. श्री सुबोध मोहिते:
श्री सुनील खां:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 1891 करोड़ रुपये के बकाया ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेषकर मुम्बई में बन्द की गई राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अधिशेष भूमि की बिक्री के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अधिशेष भूमि की शीघ्र बिक्री के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या भूमि की बिक्री से प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों को पुन: चालू करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित एन.टी.सी. की पुनर्वासन योजनाओं में पूंजी पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा किए गए अग्रिम ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, सरकार ने एन.टी.सी. को दी गई 2514.79 करोड़ रु. की बकाया ऋण राशि को इक्विटी में बदलने के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार ने ऐसे ऋणों पर 1454.01 करोड़ रु. की बकाया ब्याज-राशि को माफ करने की भी मंजूरी दे दी है।

(ग) और (घ) जी, हां। एन.टी.सी. ने 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार बंद और अर्थक्षम मिलों की 375.94 करोड़ रु. मूल्य की 514.31 एकड़ बेशी भूमि बेच दी है।

जहां तक मुंबई स्थित एन.टी.सी. मिलों की भूमि की बिक्री का संबंध है, बंबई नगर निगम ने विकास नियंत्रण विनियम अधिनियम, 58 के तहत शहर में स्थित 7 एन.टी.सी. मिलों की बेशी भूमि की बिक्री के लिए अनुमति दे दी है। सरकार ने बेचे जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की अधिकतम मूल्य वसूली के लिए प्रतिष्ठित परामर्शदाता नियुक्त किए तथापि, मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष मुंबई पर्यावरण कार्य समूह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पी.आई.एल.) के बाद प्रस्तावित बिक्री पर आगे की कार्रवाई रोक दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने मुंबई में एन.टी.सी. मिलों की भूमि की बिक्री पर रोक लगा दी है। एन.टी.सी. ने मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार विभिन्न राज्यों में एन.टी.सी. मिलों की बेशी भूमि की बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के लिए इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार और आंशिक रूप से महाराष्ट्र राज्य सरकार से अपेक्षित अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) और (ज) बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित एन.टी.सी. की सहायक कंपनियों की पुनर्वासन योजनाओं में बेशी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाले संसाधनों के माध्यम से अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावों के कार्यान्वयन की परिकल्पना है। इसमें मुख्यत: विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित बेशी भूमि की बिक्री से सरकार द्वारा अर्जित की जाने वाली आय शामिल है।

किसानों के ऋण के संबंध में सर्विस क्षेत्र संबंधी प्रतिबंध

5247. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में किसानों के ऋणों पर सर्विस क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों में संशोधन किया है/जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय बैंक नई नीति को क्रियान्वित करने के लिए अनिइच्छुक हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एस.ए.ए.) योजना की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समीक्षा की गई है और वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीतिगत विवरण में यथा घोषित योजना के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, हालांकि ऋण योजना एवं ऋण व्यवस्था की निगरानी जैसी सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एस.ए.ए.) की सकारात्मक विशेषताओं को बनाए रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित मार्गनिर्देश दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 को सभी बैंकों को जारी किए गए हैं। संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के बीच गांवों का आबंटन, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर, ऋणों पर लागू नहीं होगा। जबकि वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी भी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र में ऋण देने के लिए स्वतंत्र होंगे, उधारकर्ताओं को भी अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए किसी भी शाखा में जाने का विकल्प होगा। इसके परिणामस्वरूप, गैर-सेवा क्षेत्र शाखा द्वारा ऋण दिए जाने के लिए सेवा क्षेत्र शाखा से "अदेयता प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। तथापि, बैंक अपने विवेकानुसार बहुविध वित्तपोषण से बचने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उपाय कर सकते हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

सर्विस टैक्स का संग्रहण

5248. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्विस टैक्स संग्रहण में वृद्धि उत्साहजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सर्विस टैक्स संग्रहण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा कर से संग्रहीत राजस्व निम्नानुसार था:-

सारणी

वर्ष	सेवा कर राजस्व (करोड़ रु. में)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (% में)
2002-03	4122	24.83
2003-04	7891	91.44
2004-05*	14134	79.12

*अनंतिम आंकड़े

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व कर संग्रहण में वृद्धि उत्साहजनक रही है।

(ख) उपयुक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेवा कर संग्रहण में और ज्यादा सुधार लाने हेतु सरकार की यह नीति रही है कि कर संग्रहण में सुधार लाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने के अतिरिक्त सेवा कर आधार को नई सेवाओं तक बढ़ाकर और मौजूदा सेवाओं के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करके सेवा कर आधार का विस्तार किया जाए।

बीमा दावा में परिवर्तन

5249. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान बीमा दावा प्रणालियों में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों की रक्षा) विनियमन, 2001 के अनुसार बीमा कंपनियों से सभी पालिसी धारकों को दावा प्रक्रिया का ब्यौरा देने और दावा के लिए आवश्यक दस्तावेज के संबंध में सूचना देने की अपेक्षा की जाती है। विद्यमान विनियमों में परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा शुल्क

5250. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऋण लेने वाले लोगों को सूचित किए बिना उन पर सेवा शुल्क प्रभारित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का बैंकवार और वित्तीय संस्थावार ब्यौरा क्या है जो अब तक सेवा शुल्क लगाती रही हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या नाबार्ड ने ऐसे शुल्क प्रभारित करने पर कड़ी रोक लगाई है; और

(ङ) यदि हां, तो नाबार्ड द्वारा जारी किए गए तत्संबंधी मानदण्डों का कठोरतापूर्वक अनुपालन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उनके द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए अपने सेवा प्रभारों को निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। अब सेवा प्रभार भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, बैंकों से यह कहा गया है कि विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभार निर्धारित करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्रभार उचित हों और इन सेवाओं को प्रदान किए जाने की औसत लागत के अनुरूप हों। इसके अतिरिक्त, बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि कम कारोबार वाले ग्राहकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई न की जाए।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अपर सेवांग विद्युत परियोजना

5251. श्री तूफानी सरोज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अरुणाचल प्रदेश में अपर सेवांग विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता को घटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता पहले 1100 मेगावाट निर्धारित की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना हेतु कितनी वास्तविक विद्युत उत्पादन क्षमता निर्धारित करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) अरुणाचल प्रदेश में अपर सेवांग नाम की कोई परियोजना नहीं। यह संदर्भ, संभवत: अपर सियांग हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट से है, जो 11000 मे.वा. की अनुमानित उत्पादन क्षमता के साथ, अरुणाचल प्रदेश में सियांग बेसिन के अपर रीचेज में स्थित है। इसके उत्पादन क्षमता के आंकड़े ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किए गए डेस्क अध्ययनों पर आधारित केवल एफ अनुमान है। परियोजना की अंतिम विद्युत उत्पादन क्षमता, बांध की ऊंचाई पर संबंधित राज्यों के दृष्टिकोणों के मद्देनजर सर्वेक्षण और जांच कार्यों के पूरा होने पर स्थल पर किए गए ओप्टिमाईजेशन अध्ययनों के आधार पर सुदृढ़/संशोधित किया जाएगा।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का अवैध लेन-देन

5252. श्री गिरिधारी यादव:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले छह महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान देश में विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के किन्हीं मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान बरामद की गयी विदेशी मुद्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले छह माह के दौरान, विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन में संलिप्त मामलों का पता लगाने और जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत 14 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की माहवार संख्या इस प्रकार है:

अक्तूबर, 2004	5
नवंबर, 2004	1
दिसम्बर, 2004	2
जनवरी, 2005	-
फरवरी, 2005	4
मार्च, 2005	2

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) जब कभी विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के मामले प्रवर्तन निदेशालय के ध्यान में लाए जाते हैं तब विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

राज्य	जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या	संलिप्त राशि (रुपए लगभग लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	4	29.88
असम	1	0.33
गुजरात	3	548.43
महाराष्ट्र	5	423.94
तमिलनाडु	1	19.92

राज्य का नाम	वसूल की गई विदेशी मुद्रा की राशि
महाराष्ट्र	2.48 लाख रु. के समकक्ष विदेशी मुद्रा
तमिलनाडु	अमरीकी डॉलर 10900
	सिंगापुर डॉलर 1200
तमिलनाडु	अमरीकी डॉलर 25557
पश्चिम बंगाल	बांगलादेश टका 5100

वस्त्र क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण

5253. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वस्त्र क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को क्या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों को पूरा करने के लिए वस्त्र क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने की योजना अलग-अलग उद्योग की नीति पर निर्भर करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर का भुगतान करने हेतु जनता को प्रोत्साहित करना

5254. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर का भुगतान करने और रिटर्न जमा करने हेतु जनता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने लोगों ने आयकर का भुगतान किया और कितने लोगों ने अपना रिटर्न भरा;

(ग) क्या सरकार ने आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों को जमा करने हेतु केन्द्रों को अधिकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों में जिन करदाताओं ने आय की विवरणी दायर की और आयकर अदा किया (यदि देय था) उनकी संख्या निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	दायर की गई आय की विवरणियों की संख्या (लाखों में)*
2002-03	240.35
2003-04	233.54
2004-05 (फरवरी, 2005 तक)	202.74

*छः में से एक योजना के अन्तर्गत दायर की गई विवरणियों को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की पदनामित शाखाओं और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रोन्नत कुछ बैंकों को सरकार की तरफ से आयकर एवं अन्य प्रत्यक्ष करों के भुगतानों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) आय की विवरणी के फार्मों का सरलीकरण और एकल पृष्ठीय सरल फार्मों की शुरुआत।

(ii) कर भुगतान के चालानों का सरलीकरण और कर भुगतान के लिए एकल प्रति चालानों की शुरुआत।

(iii) कर भुगतानों के ऑन लाईन क्रेडिट के लिए दिनांक 1-6-2004 से ऑन लाईन कर लेखांकन प्रणाली (ओ.एल.टी.ए.एस.) की शुरुआत।

(iv) करदाता के विकल्प पर करदाता के खाते में एक निर्धारित राशि तक वापिसियों की प्रत्यक्ष क्रेडिट के लिए कुछ शहरों में इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ई.सी.एस.) की शुरुआत।

(v) स्रोत पर कर कटौती विवरणियों, फार्मों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

(vi) स्रोत पर कर कटौती विवरणियों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से दायर करना।

(vii) पेन आवेदन को ई-दायर करना, विवरणी को ऑन लाईन तैयार करना, विवरणी को ई-दायर करना इत्यादि।

अवसंरचना परियोजनाएं

5255. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थाओं और विभिन्न बैंकों के एक अंतर-संस्थानिक समूह का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अंतर-संस्थानिक समूह द्वारा कितनी परियोजनाओं को चलाया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी हां, अवसंरचना परियोजनाओं के प्रायोजकों को संस्थागत सहयोग प्रदान करने और अवसंरनचा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यक बैंकों के एक अंतर-संस्थानिक समूह (आई.आई.जी.) का गठन किया गया है।

(ख) अंतर-संस्थागत समूह ने 12 विद्युत परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था को सुकर बनाया है। इसके अतिरिक्त नौ और विद्युत परियोजनाएं आई.आई.जी. के विचाराधीन हैं।

ग्रामवासियों को जल की आपूर्ति

5256. प्रो. एम. रामदास: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्रोत, गुणवत्ता आदि के संदर्भ में ग्रामीण जलापूर्ति की स्थिति पर आंकड़े जुटाने हेतु क्या नए प्रयास किए गए हैं;

(ख) ग्रामीण जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सभी ग्रामवासियों हेतु जल आपूर्ति के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) समेकित जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उपरोक्त परियोजनाओं हेतु संस्थागत वित्त की व्यवस्था हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति तथा विभिन्न ग्रामीण बसावटों में जल गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से बसावट सर्वेक्षण तथा गुणवत्ता सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था। बसावट सर्वेक्षण डाटा के वैधीकरण का कार्य भारतीय लोक प्रशासन को सौंपा गया है।

(ख) समेकित कार्य योजना 1999 तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित परवर्ती कवरेज स्थिति के अनुसार बसावटों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति इस प्रकार है:-

श्रेणी	बसावटों की संख्या
पूर्णत: कवर	13,56,031
आंशिक रूप से कवर	60,884
कवर नहीं की गई	5,368
निर्जन/शहरीकृत आदि	381
कुल	14,22,664

गुणवत्ता सर्वेक्षण परिणामों से पता चलता है कि निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 2,16,968 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें हैं:-

गुणवत्ता समस्या का प्रकार	प्रभावित बसावटों की संख्या
अत्यधिक फ्लोराइड	31306
अत्यधिक आर्सेनिक	5029
अत्यधिक लवणता	23495
अत्यधिक लौह-तत्व	118088
अत्यधिक नाईट्रेट	13958
अन्य	25092
कुल	218968

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय है। राज्य सरकारों से यह अपेक्षा है कि वे ग्रामीण बसावटों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। केन्द्र सरकार, केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर इस दिशा में राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

[हिन्दी]

विद्युत शुल्क नीति

5257. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"
श्री अनंत नायक:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत शुल्क घटाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या देश में प्रचलित विद्युत शुल्क औसत अंतर्राष्ट्रीय विद्युत शुल्कों से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने हेतु विद्युत सुधारों हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या है जहां विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लायी जा चुकी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऐसा करते समय ये आयोग राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति तथा धारा 61, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे घटक शामिल किए गए हैं जिनसे प्रतिस्पर्धा, कुशलता, संसाधनों का मितव्ययी उपयोग, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा प्रोत्साहित हो तथा साथ ही उचित तरीके से विद्युत लागत की वसूली सुनिश्चित हो, से शासित होते हैं।

भारत एवं अन्य देशों में विद्युत का फुटकर मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति का एक उद्देश्य "कुशल तरीके से एवं उपयुक्त दरों पर विनिर्दिष्ट मानकों की विश्वसनीय एवं अच्छी बिजली की आपूर्ति" करना है।

(घ) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत उद्योग के विकास, इसमें प्रतिस्पर्धा पैदा करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा सभी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति, विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीति, कुशल एवं पर्यावरणीय रूप से अनुकूल नीतियों को बढ़ावा, विनियामक आयोगों का गठन तथा अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए उदार संरचना उपलब्ध कराता है। अधिनियम विद्युत आपूर्ति उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश संबंधी बाधाओं को दूर करती है और उनमें प्रतिस्पर्धा पैदा करती है जिससे कुशलता में सुधार होगा।

अधिनियम में शुरुआत से ही पारेषण में पक्षपातरहित खुली प्रवेश के लिए व्यवस्था है। वितरण में खुली प्रवेश राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा चरण में शुरू की जानी है।

अधिनियम ने विद्युत उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 25 में प्रावधान है कि समुचित आयोग टैरिफ को स्वीकार करेगा, यदि इस टैरिफ को केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए निर्धारित किया गया हो। केन्द्र सरकार ने वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली हेतु दिशानिर्देश जारी कर दिए है।

अधिनियम में एक ही क्षेत्र में स्वयं की वितरण प्रणाली के जरिए अनेक वितरण लाइसेंस का भी प्रावधान है।

विद्युत व्यापार को लाइसेंसप्राप्त कार्य की मान्यता दे दी गई है।

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत पहल की भी व्यवस्था की गई है।

विवरण

अमरीकी डॉलर/कि.वा.घं. में औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फुटकर मूल्य

क्रम सं.	देश	उद्योग	घरेलू
1	2	3	4
1.	आस्ट्रिया	0.07	0.13
2.	बेल्जियम	0.04	0.13
3.	कनाडा	0.03	0.05
4.	चाइनीज ताइपें	0.06	0.08
5.	चेक रिपब्लिक	0.04	0.05
6.	डेन्मार्क	0.05	0.19
7.	फिनलैंड	0.04	0.07
8.	फ्रांस	एन.ए.	0.10
9.	जर्मनी	0.05	0.12
10.	हंगरी	0.05	0.06
11.	भारत	0.07	0.03
12.	आयरलैंड	0.05	0.10
13.	इटली	0.09	0.13
14.	जापान	0.16	0.23
15.	कोरिया	0.06	0.07
16.	लक्जमबर्ग	एन.ए.	0.10
17.	मैक्सिको	0.05	0.07
18.	नीदरलैंड	0.06	0.13
19.	न्यूजीलैंड	0.02	0.06
20.	नॉर्वे	एन.ए.	0.06
21.	पोलैंड	0.04	0.07
22.	पुर्तगाल	0.06	0.11
23.	स्लोवाक रिपब्लिक	0.04	0.05
24.	साउथ अफ्रीका	0.02	0.03
25.	स्पेन	0.05	0.12
26.	स्वीडन	0.03	0.08
27.	स्विटजरलैंड	0.08	0.11
28.	टर्की	0.09	0.09
29.	यूनाइटेड किंगडम	0.05	0.10
30.	यूनाइटेड स्टेट	0.04	0.08

चौथी तिमाही का मूल्य 2000

एन.ए.-उपलब्ध नहीं

स्रोत- इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आई.ई.ए.), की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटस्टिक, 2001 एडिशन

[अनुवाद]

रुग्ण ग्रामीण बैंक

5258. श्री प्रहलाद जोशी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित उन ग्रामीण बैंकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो निधियों और प्रबंधन बाधाओं के कारण बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय करके अथवा उन्हें विशेष पैकेज देकर इन रुग्ण ग्रामीण बैंकों को पुनर्जीवित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) ऐसा कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है जो निधियों और प्रबंधन बाधाओं के कारण बंद होने के कगार पर हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन की निगरानी सूक्ष्मता से करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रायोजक बैंक को इसके नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए पूर्णत: उत्तरदायी बनाया गया है। नए अधिशासन मानदंड अपनाने वाले और विवेकपूर्ण विनियमों से बंधे क्षेत्रीय बैंक पुनर्गठन हेतु सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन के लिए उपाय के रूप में सरकार ने संबंधित राज्य सरकार और नाबार्ड से परामर्श करके राज्य के अंतर्गत उसी बैंक द्वारा प्रायोजित निकटस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

ऋण की वृद्धि दर

5259. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिये गए कुल ऋण की वृद्धि दर आवास, रीयल एस्टेट, कृषि क्षेत्र व परसनल ऋण के रूप में दिए गए ऋणों की वृद्धि दर की तुलना में कम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सेक्टरवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक सेक्टर को ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, हां। औद्योगिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, स्थावर संपदा, वैयक्तिक ऋण एवं कृषि के लिए कुछ बकाया बैंक ऋण तथा साथ ही संबंधित क्षेत्र (कोष्ठक में) में वृद्धि की दर निम्नांकित है:-

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	की स्थिति के अनुसार बकाया			
	19-03-04	21-03-03	22-03-02	22-03-01
औद्योगिक ऋण (लघु उद्योग सहित)	313065	295562	229523	218839
	(5.92%)	(28.77%)	(4.88%)	
आवास	51981	36587	22346	16143
	(42.08)	(63.73)	(38.43%)	
स्थावर संपदा	5577	5894	2596	1766
	(-5.38)	(127.04)	(47%)	
वैयक्तिक ऋण (गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)	35165	27905	23402	18064
	(26.02)	(19.24)	(29.55)	
कृषि	90541	73518	60761	51922
	(23.15)	(21%)	(17.02)	

[अनुवाद]

मुम्बई हेतु परियोजना

5260. श्री गुरुदास कामत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित/सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाएं कौन-सी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आने की संभावना है और इन पर अब तक वास्तविक रूप से कितनी धनराशि व्यय की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) बजट 2005-06 में घोषित नेशनल अर्बन रिनूअल मिशन (एन.यू.आर.एम.) स्कीम और व्यवहार्यता अंतर निधियन स्कीम में मुम्बई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, मुम्बई ट्रांस हार्बर लिंक और वैस्टर्न एक्सप्रैस सीलिंक जैसी परियोजनाएं कवर होंगी।

ये परियोजनाएं निरूपण के प्रारंभिक चरण में हैं।

सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं

5261. श्री अनन्त नायक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. का विचार देश में कुछ नए सुपर ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इन संयंत्रों को स्थापित करने की संभावना है; और

(घ) इन संयंत्रों को चालू करने की संभावित तारीख क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) एन.टी.पी.सी. की वे निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाएं, जिनके लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, के अंतर्गत कोयला आधारित बड़ी सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	अनुमोदित/ आंकलित लागत (करोड़ रु. में) आधार तिथि	चालू होने का कार्यक्रम	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
निर्माणाधीन सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट						
1.	रिहंद-II	उत्तर प्रदेश	2x500	3451.97	01/2005 (वास्तविक)	निर्धारित अवधि से पूर्व प्रारंभ की जा चुकी है।
				III तिमाही, 1998	यूनिट-II मई, 2006	निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है।
2.	विन्ध्याचल-III	मध्य प्रदेश	2x500	4201.50	यूनिट-I फरवरी, 2007	निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है।
				IV तिमाही, 2001	यूनिट-II अगस्त, 2007	
3.	(क) कहलगांव-II फेज-II	बिहार	2x500	4002.28	यूनिट-I नवंबर, 2006	निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है।
				IV तिमाही, 2002	यूनिट-II मई, 2007	
	(ख) कहलगांव-II फेज-II	बिहार	1x500	1866.10	मार्च, 2007	निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है।
				I तिमाही, 2003		
4.	सीपत-I	छत्तीसगढ़	3x660	8323.39	यूनिट-I, अप्रैल, 2008	निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है।
				II तिमाही, 2003	यूनिट-II, फरवरी, 2009	
					यूनिट-III, दिसम्बर, 2009	
5.	सीपत-II	छत्तीसगढ़	2x500	4039.67	यूनिट-I, जून, 2007	निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है।
				II तिमाही, 2003	यूनिट-II, दिसम्बर, 2007	

1	2	3	4	5	6	7
6.	बाढ़ एस.टी.पी.पी.	बिहार	3x660	8692.97 IV तिमाही, 2004	यूनिट-I, मार्च, 2009 यूनिट-II, जनवरी, 2010 यूनिट-III, नवंबर, 2010	निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है।
नया सुपर थर्मल पावर परियोजना जिसकी संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है						
1.	उत्तरी करनपुरा	झारखंड	3x660 III तिमाही, 2001	8584.20	यूनिट-I, 2010-11 यूनिट-II, 2010-11 यूनिट-III, 2011-2	परियोजना को जल आपूर्ति के लिए बांध/सरोवर निर्माण करने हेतु झारखंड सरकार से विभिन्न स्वीकृतियां/निवेश परियोजना के लिए प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना के निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप पर्यावरणीय/वन स्वीकृति और बांध/सरोवर के निर्माण की स्वीकृति झारखंड सरकार को लेनी है।

सहकारी बैंक

5262. श्री अजीत जोगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार अब तक कितने सहकारी बैंक स्थापित किए जा चुके हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक सहकारी बैंकों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है:-

आन्ध्र प्रदेश-169, असम-14, बिहार-09, दिल्ली-19, गोवा-07, गुजरात-361, हरियाणा-8, हिमाचल प्रदेश-05, जम्मू और कश्मीर-04, झारखंड-1, कर्नाटक-324, केरल-66, मध्य प्रदेश-91, महाराष्ट्र-671, मणिपुर-5, मेघालय-03, मिजोरम-01, नागालैंड-01, उड़ीसा-19, पांडीचेरी-01, पंजाब-05, राजस्थान-44, तमिलनाडु-136, त्रिपुरा-01, उत्तर प्रदेश-79, उत्तरांचल-07 तथा पश्चिम बंगाल-55।

31 राज्य सहकारी बैंक हैं, झारखंड को छोड़कर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक-एक। 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, दिल्ली, झारखंड, उत्तरांचल, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ को छोड़कर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक-एक।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:-

आंध्र प्रदेश-22, बिहार-22, छत्तीसगढ़-06, गुजरात-18, हरियाणा-19, हिमाचल प्रदेश-02, जम्मू और कश्मीर-03, झारखंड-08, कर्नाटक-21, केरल-14, मध्य प्रदेश-38, महाराष्ट्र-31, उड़ीसा-17, पंजाब-19, राजस्थान-27, तमिलनाडु-23, उत्तर प्रदेश-50, उत्तरांचल-10 तथा पश्चिम बंगाल-17।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:-

छत्तीसगढ़-12, हरियाणा-86, हिमाचल प्रदेश-1, कर्नाटक-177, केरल-44, मध्यप्रदेश-38, महाराष्ट्र-29, उड़ीसा-53, पंजाब-87, राजस्थान-36, तमिलनाडु-181, पश्चिम बंगाल-24।

(ख) जी, नहीं। भारत सरकार ने कोई सहकारी बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खनिज अन्वेषण

5263. श्री गणेश सिंह: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में खनिज निकालने हेतु अनुमति दिए गए वन भूमि क्षेत्र का हेक्टेयर के हिसाब से कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त कंपनियों को कितनी अवधि के लिए अनुमति दी गई है तथा खनिज निकालने के कार्य के आरंभ होने तथा समाप्त होने की तिथियां क्या-क्या हैं;

(ग) स्वीकृति के लिए अब तक कितने मामले लंबित हैं;

(घ) क्या निर्धारित स्थान पर खनिज निकालने का कार्य चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10(3) के तहत् संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टे प्रदान किए जाते हैं। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट केवल उन खनिजों जिनके लिए खनन पट्टे प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, से संबंधित मामले राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए, वन भूमि क्षेत्र के ब्यौरे के साथ कम्पनी-वार पट्टा क्षेत्र के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप में खान मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के तहत् विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित खनन पट्टे के 29 प्रस्ताव और पूर्वेक्षण लाइसेंस के 3 प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए इसके पास लम्बित है।

(घ) और (ङ) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, खनन गतिविधि मध्य प्रदेश के कटनी, सतना, बालाघाट, छत्रपुर, झाबुआ, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, भादवानी और उमेरिया जिलों में संकेन्द्रित है। वर्ष 2003-2004 में कुल 339 खानों ने उत्पादन की रिपोर्ट दी है।

[अनुवाद]

अप्रवासी भारतीयों द्वारा जमा कराई गई राशि

5264. श्री नवीन जिन्दल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रवासी भारतीयों ने भारतीय बैंकों से धन निकालना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान उनके द्वारा कितनी धन राशि निकाली गई;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अप्रवासी भारतीयों ने 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों में कुल कतनी धनराशि जमा कराई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जनवरी, 2005 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमाराशि 32582 मिलियन यू.एस. डालर थी।

दायर किए गए तथा निपटाए गए मामले

5265. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों ने अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित करने का निर्णय किया है, जिसमें दायर किए गए तथा निपटाए गए मामलों की रिपोर्ट होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस व्यवस्था के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस कदम से न्यायपालिका के आम आदमी के प्रति और अधिक जवाबदेह होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) तारीख 18 सितम्बर, 2004 को आयोजित राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया है कि न्यायालय तंत्र को अपनी उपलब्धियों की और साधनों के उपयोग से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।

(ग) इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) यह आशा की जाती है कि वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक आंकड़ों के साथ-साथ न्याय प्रशासन से संबंधित अन्य जानकारी भी अंतर्विष्ट होगी। यह मामलों के निपटान से संबंधित न्यायालयों के कार्यकरण के संबंध में आवश्यक पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी और उनके कार्यकरण की मानीटरी और मूल्यांकन को सुसाध्य बनाएगी।

विद्युत संयंत्रों से प्रदूषण

5266. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत संयंत्र वायु, जल तथा ध्वनि जैसे सभी प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख घटक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों में तथा इसके आसपास प्रदूषण कम करने के कोई प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रदूषण कम करने के अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कतिपय मान दण्ड तय किए हैं: (1) सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर (एस.पी.एम.) सल्फर आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, जल बहि:प्रवाही तत्वों, ध्वनि स्तर को सीमित करना और (2) विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से फ्लाई ऐश उपयोग ताकि एस.पी.एम. को अप्रैल, 2005 से पुरानी परियोजनाओं में 150 मि.ग्रा./एन.एम.^{3} तथा नई परियोजनाओं में 100 एम.जी./एन.एम.^{3} अधिसूचित स्तर तक नियंत्रित रखा जा सके। विद्युत संयंत्रों के लिए बहि:प्रवाही जल के निस्तारण से पूर्व शोधन कानूनी बाध्यता है। सरकार ने विभिन्न चरणों और एक विशिष्ट समयावधि में उत्पन्न हुई राख के 100% अनुबंधित उपयोग के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। यद्यपि पुराने विद्युत संयंत्र जो कि नियामक मापदंड पूरा करने में असमर्थ थे, में नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत प्रदूषण-नियंत्रण उपकरणों का नवीकरण अथवा प्रतिस्थापना कर दिया गया है।

(ग) उपरोक्त् मापदण्डों के परिणामस्वरूप, विद्युत संयंत्रों के प्रचालन संबंधी प्रदूषण में कमी आई है और अधिकांश विद्युत गृह निर्धारित पर्यावरणीय मापदण्डों के तहत प्रचालित हैं।

जल आपूर्ति योजनाओं के लिए धनराशि

5267. श्री ए. साई प्रताप: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान धनराशि उपलब्ध कराई गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) ग्रामीण पेय जल आपूर्ति राज्य का विषय है। तथापि भारत सरकार, इस संबंध में, केन्द्रीय प्रायोजित, त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए राज्यों को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दिशा निर्देशों में निहित निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार निधियों को आवंटित तथा जारी किया जाता है:-

	प्राथमिकता	प्रतिशत
(क)	ग्रामीण जन संख्या	40
(ख)	ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में डी.डी.पी., डी.पी.ए.पी., एच.ए.डी.पी. तथा विशेष श्रेणी के पहाड़ी राज्यों के अन्तर्गत राज्य	35
(ग)	कवर नहीं/आंशिक कवर गांव (2:1 आधार पर)	15
(घ)	गुणवत्ता प्रभावित गांव	10
	कुल	100

राज्य सरकारों को उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार, उन्हें जारी निधियों से ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं की आयोजना, स्वीकृति कार्यान्वयन तथा निष्पादन करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश को उपर्युक्त फार्मूला आधारित आवंटन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

समान ब्याज दर

5268. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी.एच.डी.सी.सी.आई. ने भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसा तंत्र ईजाद करने का अनुरोध किया है जिससे कि मध्यम तथा छोटी श्रेणी के ऋण लेने वालों को बैंकों से समान ब्याज दर पर ऋण मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन

5269. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हथकरघा कामगारों की सुरक्षा तथा प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चलाती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हथकरघा उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय अनुदानों, ऋण, ब्याज राजसहायता, बाजार हस्तक्षेप जैसी सुविधाएं दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तथा वस्तु-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम हेतु वर्ष-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी हां।

(ख) से (च) हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन, विकास एवं सुरक्षा तथा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है:-

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
3. हथकरघा निर्यात योजना।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10% की दर से एकबारगी छूट की प्रतिपूर्ति की योजना।
6. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
7. बुनकर कल्याण योजना:-
   - स्वास्थ्य पैकेज योजना।
   - थ्रिफ्ट फंड योजना।
   - नई बीमा योजना।
8. बुनकर बीमा योजना।
9. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना
10. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
11. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

पिछले 3 वर्षों (2002-03 से 2004-05 तक) के दौरान जारी निधियों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न हथकरघा प्लान योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान अवमुक्त राशियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	हथकरघा निर्यात योजना			दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.पी.वाई.)			विपणन संवर्धन कार्यक्रम			समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना			बुनकर बीमा योजना		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1238.85	1668.45	406.09	61.88	42.88	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	19.33	0.00	0.00	19.59	7.26	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	33.75	15.00	837.87	445.71	0.00	112.55	101.41	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
4.	बिहार	6.25	0.00	0.00	0	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	6.10	0.00	0.00	42.92	43.88	11.20	29.19	1.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	100.00	13.70	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66	19.25	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
9.	हरियाणा	0.00	9.85	13.50	0.00	0.00	4.58	11.52	17.73	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	32.33	41.55	6.75	137.64	99.18	96.82	9.05	8.09	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	31.89	21.56	20.42	53.42	18.29	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	156.61	126.66	104.76	24.45	24.10	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
14.	केरल	20.25	11.25	6.73	1067.13	679.35	594.10	4.00	11.67	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	62.20	9.06	40.19	41.87	29.70	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	2.82	3.59	36.00	68.31	6.79	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	481.32	112.79	426.35	0.00	5.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	3.91	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	2.46	3.47	7.76	14.92	28.72	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	5.90	5.50	0.00	117.81	516.33	489.21	14.00	34.00	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	6.44	20.25	22.34	20.66	123.36	18.00	43.81	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
22.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	9.77	4.70	43.37	59.08	51.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	0.00	0.00	5.63	2520.65	1581.41	3375.20	0.00	44.11	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	7.72	5.49	34.16	19.07	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	69.40	76.72	34.18	589.04	908.84	1283.83	103.74	84.52	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
29.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	27.25	2.13	53.49	31.67	8.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	31.93	21.30	14.52	347.88	77.91	881.37	11.86	29.26	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	186.26	206.36	116.56	7873.50	6423.79	8134.26	760.08	643.91	755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

विभिन्न हथकरघा प्लान योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान अवमुक्त राशियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कार्यशाला-सह-आवास योजना			बुनकर कल्याण योजना												अनुदान कुल प्लान 2004-05
					स्वास्थ्य पैकेज योजना			शिफ्ट फंड योजना			समूह बीमा			नई बीमा			
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	92.81	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.00	13.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.25
3.	असम	117.95	181.99	137.67	63.55	0.00	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.33
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	5.09	11.42	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	115.43
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.59	2.22	0.00	1.32	3.46	0.00	22.55
9.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.71
10.	हिमाचल प्रदेश	22.30	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.59
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	63.41
12.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	250.00	288.28	236.45	50.00	0.00	36.42	10.00	0.00	40.00	7.51	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	472.18

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14. केरल	34.69	96.85	52.93	0.00	19.64	17.16	26.10	3.08	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.53
15. मध्य प्रदेश	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.77	0.00	0.00	61.22
16. महाराष्ट्र	35.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.73
17. मणिपुर	127.25	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.70
18. मेघालय	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
19. मिजोरम	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.74
20. नागालैंड	24.45	484.51	371.75	0.89	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.13
21. उड़ीसा	0.00	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	7.12	0.00	250.33
22. पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23. पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
24. राजस्थान	0.00	51.71	51.71	5.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	3.34	2.61	124.66
25. सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. तमिलनाडु	227.80	514.44	172.29	106.22	122.64	100.07	210.00	318.79	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3978.96
27. त्रिपुरा	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	54.16
28. उत्तर प्रदेश	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1366.90
29. उत्तरांचल	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.31
30. पश्चिम बंगाल	0.00	28.51	0.00	0.00	1.71	7.09	10.00	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	961.26
कुल योग	1050.00	1797.10	1500.00	237.08	221.25	369.26	275.03	321.87	436.39	10.45	17.93	0.00	7.44	14.83	2.87	11360.29

विभिन्न हथकरघा गैर प्लान योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान अवमुक्त राशियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन			विपणन विकास सहायता योजना			जनता कपड़ा योजना			सेनवेट की प्रतिपूर्ति			10% विशेष छूट			कुल 2004-05 गैर-प्लान
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.93	0.00	0.00	0.00	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.54	26.12	0.00	262.31	227.77	253.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	1.50	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	112.00	625.40	625.40
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	18.66	39.25	19.19	60.76	97.80	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	13.33	108.30
9.	हरियाणा	6.05	7.68	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.59	179.19
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.21	71.21
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	42.65	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.59	112.07
12.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	25.47	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.56	220.22	245.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.	केरल	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	0.00	0.00	287.50	731.58	731.58
15.	मध्य प्रदेश	6.88	5.99	7.20	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13	3.05	3.05
20.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	119.65	44.85	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.04	243.65	416.15
22.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00	13.49
23.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	10.23
24.	राजस्थान	8.73	10.11	23.41	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.12	61.53
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	61.75	38.08	64.60	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.85	630.82	695.42
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	19.13	19.13
28.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	113.15	54.86	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.76	394.31	656.43
29.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	0.00	18.89	0.00	0.00	159.60	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	190.30	303.63	338.06
	कुल योग	120.00	120.00	120.00	500.00	1000.00	586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	173.84	39.61	0.00	1950.00	3826.63	4572.93

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कवर किए गए गांव

5270. श्री संतोष गंगवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कितने गांवों तथा शहरों, अर्ध-शहरी तथा शहरी जिलों और राज्यों को कवर किया हुआ है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना ऋण बकाया रहा;

(ग) इन बैंकों से अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचा; और

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अब तक कितने जिलों, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कवर नहीं किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विद्यमान प्रणाली ग्राम संबंधी सूचना एकत्रित नहीं करती है। तथापि, मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 26 राज्यों में 518 जिलों को कवर करते हुए कार्यरत थे। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसम्बर, 2004 तक की स्थिति के अनुसार कार्यरत आर.आर.बी. की कुल 14423 शाखाओं में से 11825 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 2153 शाखाएं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में तथा 445 शाखाएं शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में कार्यरत थी।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय रेशम कीट विनियामक प्राधिकरण

5271. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय रेशम कीट विनियामक प्राधिकरण (एन.एस.एस.आर.ए.) का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या होंगे;

(ग) सरकार द्वारा रेशम कीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा रेशम कीट का उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए भी क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय ने रेशम कीट बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक विधेयक तैयार किया है जिस पर सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन अपेक्षित है।

(ग) और (घ) किसानों को गुणवत्ता के रेशम कीट बीज की आपूर्ति के लिए तथा उनके हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड लाइसेंस धारी बीज उत्पादकों, राज्य रेशम उत्पादन विभागों और केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों को आपूर्ति किए जाने वाले मूल बीजों के रखरखाव तथा बहुगुणन के लिए पूरा ध्यान दे रहा है ताकि वे उनका और और अधिक बहुगुणन कर सकें और किसानों को वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति कर सकें।

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड की गुणवत्ता की बीज कोयों के प्रजनन के लिए अपनाई गई बीज पालक संकल्पना का संवर्धन कर रहा है।

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एस.एस.टी.एल.) के माध्यम से लाइसेंस धारी बीज उत्पादकों को गुणवत्ता के रेशम कीट बीज उत्पादन में गहन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस प्रयोगशाला में रेशम कीट बीज की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किए हैं।

पाइकारा विद्युत परियोजना

5272. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु से राज्य में "पाइकारा विद्युत परियोजना" के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या तमिलनाडु को "कोल्लीमलाई विद्युत परियोजना" के लिए कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) पाइकारा विद्युत परियोजना के लिए पारेषण लाईन बिठाने अथवा कोल्लीमलाई विद्युत परियोजना के लिए किसी प्रकार की सहायता हेतु तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है। तथापि पाइकारा विद्युत परियोजना के लिए पारेषण लाईन हेतु तमिलनाडु

सरकार ने अनुमोदनार्थ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया था। हमें तमिलनाडु सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपना अंतिम अनुमोदन 11-3-2005 को दे दिया है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

5273. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चरण-4 परियोजना के संबंध में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि की मांग की गई है;

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ङ) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार सम्पन्न समिति ने 11-3-2005 को हुई अपनी बैठक में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत चरण-IV (2004-05) प्रस्तावों पर विचार किया है। 4230.69 कि.मी. की कुल लंबाई के 2301 सड़क कार्यों को मंजूरी दिए जाने की परियोजना पर विचार किया गया। परियोजना का मूल्य 1007.76 करोड़ रु. है। राज्य सरकार को कतिपय प्रक्रिया संबंधी जरूरतों का पालन करना पड़ता है जिसमें रख-रखाव संबंधी जरूरतों का आकलन करना और ऑन लाइन पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यों की लेखाकरण प्रणाली को अपनाना शामिल है ताकि स्वीकृति जारी की जा सके।

ऊर्जा स्रोतों के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग

5274. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):
श्री बालासोवरी बल्लभनेनी:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधनों से होने वाले प्रदूषण द्वारा पर्यावरण को हो रही क्षति के मद्देनजर हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में दीर्घकालिक योजना तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) हाइड्रोजन ऊर्जा, जिसमें परिवहन और विद्युत उत्पादन के लिए एक स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने की संभाव्यता है, अभी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन चरण में है। सरकार उत्पादन, भंडारण, अनुप्रयोगों आदि सहित हाइड्रोजन ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को सहायता प्रदान कर रही है। तथापि, सौर ऊर्जा प्रचालनात्मक प्रयोग में हैं और अभी इसका दोहन सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय रूटों के माध्यम से क्रमश: बिजली का उत्पादन करने और ऊष्मा के लिए किया जा रहा है। सरकार रोशनी, पंपन, स्टैंडअलोन विद्युत उत्पादन, जल तापन, कुकिंग, वायु तापन, पैसिव भवनों आदि के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियों की खरीद/संस्थापना हेतु उपयोगकर्ताओं की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

(ख) से (घ) आने वाले वर्षों में ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया है, जिसमें सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थाओं के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं। यह बोर्ड राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप को तैयार करने तथा कार्यान्वयन और विभिन्न विद्यमान तथा नई पद्धतियों जैसे सोलर और ऊर्जा के अन्य अक्षय स्रोतों से हाइड्रोजन के उत्पादन सहित हाइड्रोजन ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश प्रदान कर रहा है। सौर ऊर्जा प्रणालियां कम पावर ऑफ-ग्रिड उपयोग और अनुकूल जलवायु क्षेत्रों में सौर जल तापन प्रणालियों के लिए छोटे अनुप्रयोगों हेतु हैं। मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में सौर ऊर्जा प्रणालियों की लागत प्रतिस्पर्धा और कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रयास प्रगति पर हैं जिससे उनका व्यापक अनुप्रयोग सुगम होगा।

[अनुवाद]

गुजरात शहरी सुधार परियोजना

5275. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2001 में शहरी सुधार परियोजना (यू.आर.पी.) के माध्यम से गुजरात को विकसित करने के लिए विश्व बैंक मिशन से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रत्येक परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार द्वारा सितम्बर, 2004 में विश्व बैंक को प्रस्तुत किए गए शहरी सुधार परियोजना के मसौदे में तीन घटकों पर प्रकाश डाला गया है:- शहरी नीति सुधार; (ii) राज्य तथा शहरी स्थानीय निकायों दोनों स्तरों पर क्षमता निर्माण; तथा (iii) अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना। आर्थिक कार्य विभाग ने विश्व बैंक से इस परियोजना के निधिकरण पर विचार करने तथा परियोजना तैयारी सुविधा से एक मिलियन अमरीकी डालर राशि की सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है। गुजरात सरकार द्वारा परियोजना अवधारणा संबंधी नोट (पी.सी.एन.) प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ताकि इस संबंध में आगे विचार-विमर्श किया जा सके।

(घ) विगत में गुजरात में आए भूकंप और उसके परिणामों के कारण इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

5278. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 10,396 कि.मी. की लंबाई को शामिल करते हुए 3200 करोड़ रु. की सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं;

(घ) क्या ये परियोजनाएं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहले से ही 80,000 करोड़ रु. की स्वीकृत परियोजनाओं के अतिरिक्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो इससे किन राज्यों को लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(च) इसमें राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क), (ख), (घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सड़क कार्यों के लिए 18,327.85 करोड़ रु. के प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिनमें 1,18,497.73 कि.मी. लंबाई वाले सड़क कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक परियोजना राज्यों के संबंध में, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए 947.23 करोड़ रु. के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस समय पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए वित्तपोषण का मुख्य स्रोत हाई स्पीड डीजल पर लगने वाला उपकर है, जो केन्द्रीय सड़क कोष में जमा होता है और जिसका 50% ग्रामीण सड़कों के लिए निर्धारित है। एशियाई विकास बैंक के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए तथा विश्व बैंक साथ 399.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए ऋण करार भी किए गए हैं।

(च) ग्रामीण सड़कें राज्यों का विषय हैं। राज्य सरकारें कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होती हैं, जिसमें आयोजना, सड़क कार्यों का चयन, निर्माण प्रबंधन, सर्वेक्षण, निगरानी गुणवत्ता आश्वासन तथा निर्मित परिसंपत्तियों का बाद में रख-रखाव शामिल है।

विवरण

चरण-I (2000-01), चरण-V (2005-06), तक पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य

(20-4-2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों का मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	918.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	368.32
3.	असम	674.10
4.	बिहार	656.84
5.	छत्तीसगढ़	1184.48

1	2	3
6.	गोआ	9.72
7.	गुजरात	325.20
8.	हरियाणा	173.83
9.	हिमाचल प्रदेश	776.76
10.	जम्मू-काश्मीर	171.69
11.	झारखंड	501.25
12.	कर्नाटक	424.70
13.	केरल	131.18
14.	मध्य प्रदेश	2727.08
15.	महाराष्ट्र	684.75
16.	मणिपुर	120.71
17.	मेघालय	145.72
18.	मिजोरम	211.24
19.	नागालैंड	124.23
20.	उड़ीसा	1360.53
21.	पंजाब	217.90
22.	राजस्थान	1944.94
23.	सिक्किम	149.37
24.	तमिलनाडु	550.51
25.	त्रिपुरा	116.19
26.	उत्तर प्रदेश	2913.04
27.	उत्तरांचल	258.93
28.	पश्चिम बंगाल	1356.71
	कुल (राज्य)	19195.71
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	32.39
30.	दादर व नगर हवेली	9.95
31.	दमन व दीव	15.00
32.	दिल्ली	5.00
33.	लक्षद्वीप	4.89
34.	पांडिचेरी	12.40
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	79.63
	कुल योग	19275.08

ड्यूटी ड्रावैक

5277. श्री डी. विट्टल राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए वित्त वर्ष के लिए "ड्यूटी ड्रावैक" की दर निर्धारित करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु विभिन्न प्राशसनिक मंत्रालयों और निजी उद्यमियों को आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनसे क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने अपने दिनांक 9 मार्च, 2005 के आदेश के तहत तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया था जिसमें श्री सौमित्र चौधरी (प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद् के सदस्य) को इस समिति का अध्यक्ष, श्री एस.वी. मोहापात्रा, सचिव, (सेवानिवृत्त) और श्री टी.आर. रुस्तगी, मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सेवानिवृत्त) को इस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। विचारणीय विषयों के अनुसार, समिति से साझेदारों के साथ विचार-विमर्श करके शुल्क

प्रतिअदायगी, 2005-06 की सर्व उद्योग दरों की संगणना हेतु तौर-तरीके तैयार करना अपेक्षित था। इस शासनादेश के अनुसार, इस समिति ने साझेदारों, विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, व्यापारिक संगठनों और अलग-अलग निर्यातकों से विचार-विमर्श किया था। समिति ने 20-4-2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों की जांच करने के बाद ही और आगे कार्रवाई की जाएगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि का प्रभाव

5278. श्री टी.के. हमजा:

श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों की संसाधन जुटाने की क्षमता पर निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेश निवेश बढ़ाने की अनुमति देने का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव से देश में पहले से चल रहे भारतीय और विदेशी बैंकों के विरुद्ध भेदभाव का पता चलता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राज्य सरकार अपने बाजार उधार कार्यक्रम के माध्यम से संसाधन जुटाती हैं जहां बैंकों एवं गैर-बैंकों द्वारा निवेश किये जाते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश 25% की अपेक्षित एस.एल.आर. से पहले से ही कहीं अधिक है। राज्य सरकारों द्वारा कुछ निर्गम के न्यून अभिदान की घटनाएं हैं। तथापि, ऐसा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह के प्रभाव की अपेक्षा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकता के कारण है। यह आशा की जाती है कि राज्य स्तर पर राजकोषीय दायित्व कानून को अंतिम रूप देने तथा लागू करने तथा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू होने से स्थिति में और सुधार होगा।

लघु उद्योगों को ऋण

5279. श्री प्रबोध पाण्डा:

श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केन्द्रीय एजेंसियां और वाणिज्यिक बैंक अस्वाभाविक रूप से ज्यादा समय लेते हैं जिससे देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों को परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं;

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से राज्य-वार कितने उद्यमियों को बगैर संपार्श्विक प्रतिभूति के 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया गया;

(घ) क्या कश्मीरी प्रवासियों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना हेतु बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक गारंटी की आवश्यकता होती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। यह सच नहीं है कि लघु उद्योग एककों को ऋण वितरण में अनावश्यक रूप से लंबा समय लगता है। लघु उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गये उपाय संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे राज्य-वार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कोई सम्पार्श्विक प्रतिभूति लिए बिना 25.00 लाख रु. तक के ऋणों के संबंध में आंकड़े प्राप्त नहीं करते हैं। 31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार बिना सम्पार्श्विक प्रतिभूति के खातों की संख्या और बकाया राशि निम्नलिखित है:-

(लाख रु. में)

रु. तक ऋण	खातों की सं.	बकाया राशि
25,000	635302	107415
1,00,000	247844	145592
5,00,000	59024	108110
15,00,000	5568	43647
25,00,000	1322	23061

(घ) से (च) लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कश्मीरी विस्थापितों सहित उद्यमियों द्वारा 5,00,000/- रु. तक के बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु सम्पार्श्विक गारंटी अपेक्षित नहीं है। यदि सम्पार्श्विक प्रतिभूति के उपग्रह के संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त होती है तो मामले की जांच की जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

विवरण

(i) इस क्षेत्र को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण आवेदन पत्रों के निपटान हेतु समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है अर्थात् 25000/- रु. तक के ऋण के आवेदन पत्र 2 सप्ताह में और 5 लाख रु. तक के ऋण 4 सप्ताह में निपटाए जाने हैं, बशर्ते कि ऋण आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हों और उनके साथ "जांच सूची" लगी हो।

(ii) बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण हेतु उनकी कुल निधियों का कम से कम 40 प्रतिशत उन एककों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिन्होंने संयंत्र एवं मशीनरी में 5 लाख रुपए और 25 लाख रुपए तक निवेश किया हो।

(iii) सभी लघु उद्योग ऋण खातों के लिए ऋणों हेतु सम्पार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने के लिए छूट सीमा मौजूदा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना।

(iv) संमिश्र ऋण सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है।

(v) 25 लाख रुपए तक के सम्पार्श्विक रहित ऋण को लघु उद्योगों के लिए नई ऋण गारंटी योजना के तहत शामिल किया गया है।

(vi) बैंकों से कहा गया है कि वे ब्याज दरों में प्रचलित सामान्य गिरावट की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों के संबंध में ब्याज दर निर्धारित करें।

(vii) बैंकों से कहा गया है कि 5 करोड़ रुपए तक के लिए ऋणकर्ता एककों के अनुमानित वार्षिक कारबार का न्यूनतम 20 प्रतिशत की सरलीकृत विधि के आधार पर कार्यशील पूंजी अपेक्षा की गणना करें।

(viii) बैंकों से कहा गया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशिष्ट लघु उद्योग शाखा खोलें।

(ix) बैंकों से कहा गया है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन में लघु उद्योग एककों द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए योजनाएं विकसित करें। सरकार ने लघु उद्योगों के उन्नयन के लिए ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी की योजना भी शुरू की है।

हस्तशिल्प/हथकरघा का निर्यात

5280. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्यात का राज्य-वार और शिल्प-वार वास्तविक आंकड़ा क्या है;

(ख) हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या बुनकरों/शिल्पियों के लिए घोषित अधिकांश योजनाएं, अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकी हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के निर्यात के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात के आंकड़े, शिल्पवार, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। हथकरघा क्षेत्र के लिए शिल्पवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हथकरघा उत्पादों के लिए वर्ष 2002-03 के समग्र निर्यात आंकड़े, समूहवार, इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सूती हथकरघा फैब्रिक्स	सूती	कुल निर्यात
2002-03	842.94	1790.33	2633.27

1-4-2003 से, हथकरघा उत्पादों के अलग आई.टी.सी. (एच.एस.) कोट न होने के कारण अलग-अलग निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिए कोई राज्यवार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प व हथकरघा क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिए आबंटित एवं निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

हथकरघा क्षेत्र

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	आबंटित निधियां	निर्मुक्त की गई निधियां
1.	2002-03	325.00 रुपये	305.90 रुपये
2.	2003-04	485.00 रुपये	441.68 रुपये
3.	2004-05	415.00 रुपये	415.00 रुपये
	कुल	1225.00 रुपये	1162.58 रुपये

हस्तशिल्प क्षेत्र

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	आबंटित निधियां	निर्मुक्त की गई निधियां
1.	2002-03	700.00 रुपये	355.00 रुपये
2.	2003-04	987.00 रुपये	981.76 रुपये
3.	2004-05	1435.00 रुपये	985.35 रुपये (अनंतिम)
	कुल	3122.00 रुपये	2322.11 रुपये

(ग) से (ङ) हथकरघा बुनकरों के लिए दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.वी.वाई.) तथा हस्तशिल्प कारीगरों के लिए निर्यात संवर्धन, वर्कशैड तथा क्रेडिट गारंटी स्कीमों को छोड़कर हथकरघा बुनकरों/हस्तशिल्प कारीगरों के लिए कार्यान्वित की जा रही अधिकांश स्कीमों ने वर्ष 2004-2005 के दौरान 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। निधियों की समुचित उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जाती है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति एक समयबद्ध तरीके से की जा सके।

विवरण

2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के लिए हाथ से बने कालीनों एवं अन्य हस्तशिल्पों के निर्यात को दर्शाने वाला विवरण

करोड़ रुपए में

	मदें	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क.	**कालीन एवं अन्य फर्श बिछावन**			
1.	ऊनी	2293.79	2015.11	1974.00
2.	रेशमी	209.42	198.69	187.25
3.	सिंथेटिक	87.05	86.24	61.95
	कुल (क)	2590.26	2300.04	2223.20
	% (-/+)	+6.33	-11.20	-3.34

1	2	3	4	5
ख.	अन्य हस्तशिल्प			
1.	कलात्मक धातु पात्र	2165.21	2642.42	3364.93
2.	काष्ठ पात्र	511.35	609.07	721.18
3.	मशीन से छपे वस्त्र स्कार्फ्स	1466.52	1611.43	1848.76
4.	कशीदाकारीकृत एवं क्रोशिए से बनी वस्तुएं	2477.75	3286.05	4199.86
5.	शॉल एज आर्ट वेयर	32.70	43.27	53.65
6.	जरी एवं जरी की वस्तुएं	159.47	210.54	252.28
7.	नकली आभूषण	138.79	161.90	200.56
8.	विविध हस्तशिल्प	1391.62	1900.46	2391.48
	कुल (ख)	8343.41	10465.14	13032.70
	%(-/+)	+23.25	+25.43	+24.53
	कुल योग (क+ख)	10933.67	12765.18	15255.90
	%(-/+)	+18.77	+16.75	+19.51

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

5281. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अव्यवहार्य उपक्रमों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वे किस व्यापार में शामिल हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के पुनरुद्धार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन इकाइयों को व्यवहार्य बनाने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) महोदय, उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 31-12-2004 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 73 उद्यम, बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत कराए गए। इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय, संगठनात्मक तथा व्यापार पुनर्संरचना/पुनरुज्जीवन/विनिवेश/बंद करने/बेचने पर सरकार को सलाह देने के लिए दिसम्बर, 2004 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना हेतु एक बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) की स्थापना की गई है।

दिनांक 15-04-2005 तक बी.आर.पी.एस.ई. को संदर्भित प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

आवश्यकता आधारित निधियों को प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	व्यापार	स्थिति
1	2	3	4
1.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड	वस्त्र	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
2.	ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड	भारी अभियांत्रिकी	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
3.	बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	रसायन और फार्मास्यूटीकल	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
4.	एन.टी.सी. (ए.पी.के.के. एंड माहे) लिमिटेड	वस्त्र	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
5.	एन.टी.सी. (गुजरात) लिमिटेड	वस्त्र	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
6.	एन.टी.सी. (महाराष्ट्र उत्तर) लिमिटेड	वस्त्र	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
7.	एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश) लिमिटेड	वस्त्र	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
8.	एन.टी.सी. (पश्चिम बंगाल ए.बी. एंड ओ.) लिमिटेड	वस्त्र	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
9.	एन.टी.सी. (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड	वस्त्र	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
10.	एन.टी.सी. (दक्षिण महाराष्ट्र) लिमिटेड	वस्त्र	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
11.	इन्सट्रुमेंटेशन लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
12.	एन.टी.सी. (डी.पी.आर.) लिमिटेड	वस्त्र	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
13.	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड	इस्पात	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
14.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
15.	प्रोजेक्ट्स एंड डवलेपमैंट इंडिया लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
16.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	खनिज एवं धातु	पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत
17.	भारत पम्प्स एंड कॉम्प्रेशर्स लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	समेट लेने का नोटिस जारी
18.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल	समेट लेने का नोटिस जारी
19.	यू.पी. ड्रग्स एंड. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल	समेट लेने का नोटिस जारी
20.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल	समेट लेने का नोटिस जारी
21.	नेशनल इन्सट्रुमेन्टेशन लिमिटेड	मध्य एवं हल्की अभियांत्रिकी	समेट लेने की संस्तुति
22.	हैवी इंजिनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारी अभियांत्रिकी	समेट लेने की संस्तुति

1	2	3	4
23.	नेशनल जूट मेनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	वस्त्र	समेट लेने की संस्तुति
24.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मेनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	उपभोक्ता सामग्री	समेट लेने की संस्तुति
25.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मा लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स	समेट लेने की संस्तुति
26.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	उपभोक्ता सामग्री	समेट लेने की संस्तुति
27.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	भारी अभियांत्रिकी	समेट लेने की संस्तुति
28.	उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स	समेट लेने की संस्तुति
29.	भारत ऑफथैलमिक ग्लास लिमिटेड	उपभोक्ता सामग्री	समेट लेने की संस्तुति
30.	रिचर्डसन एंड क्रुदस (1972) लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	समेट लेने की संस्तुति
31.	नागालैंड पल्प एंड पेपर लिमिटेड	उपभोक्ता सामग्री	समेट लेने की संस्तुति
32.	फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	उवर्रक	समेट लेने की संस्तुति
33.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड	वस्त्र	समेट लेने की संस्तुति
34.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
35.	भारत प्रोसेस एंड मैकनीकल इंजीनियर्स लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
36.	साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	यातायात कलपुर्जे	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
37.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारी अभियांत्रिकी	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
38.	नेशनल बाइसिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	यातायात कलपुर्जे	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
39.	रेरोल बर्न लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
40.	टेन्नरी एंड फुटवीयर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	उपभोक्ता सामग्री	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
41.	वेवर्ड इंडिया लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत

1	2	3	4
42.	साउथर्न पेस्टीसाइड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
43.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	खनिज एवं धातु	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
44.	इल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
45.	कॉनपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	वस्त्र	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
46.	बंगाल इमुनिटी लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
47.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
48.	पाइराइट्स फॉस्फेट्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड	उर्वरक	सी.पी.एस.ईज को समेटने और बंद करने हेतु संस्तुत
49.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स	अनुरक्षणीय न होने के कारण खारिज
50.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	खनिज एवं धातु	अनुरक्षणीय न होने के कारण खारिज
51.	बीक्को लावरी लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	अनुरक्षणीय न होने के कारण खारिज
52.	टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	उपभोक्ता सामग्री	मसौदा स्कीम परिचालित
53.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स	मसौदा स्कीम परिचालित
54.	अंड्रू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	जांच चालू है
55.	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड	कोयला एवं लिगनाइट	जांच चालू है
56.	भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	भारी अभियांत्रिकी	जांच चालू है
57.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	उपभोक्ता सामग्री	जांच चालू है
58.	एन.ई.पी.ए. लिमिटेड	उपभोक्ता सामग्री	जांच चालू है
59.	प्राग टूल्स लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	जांच चालू है
60.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड	इस्पात	जांच चालू है
61.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	जांच चालू है

1	2	3	4
62.	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स	जांच चालू है
63.	एन.टी.सी. (टी.एन. एंड पांडिचेरी) लिमिटेड	वस्त्र	जांच चालू है
64.	भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड	भारी अभियांत्रिकी	जांच चालू है
65.	आई.टी.आई. लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	जांच चालू है
66.	तुंगभदरा स्टील्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड	भारी अभियांत्रिकी	जांच चालू है
67.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	यातायात कलपुर्जे	स्वस्थ घोषित
68.	नॉर्थ इस्टर्न रेजिनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन	उपभोक्ता सामग्री	स्वस्थ घोषित
69.	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मध्यम एवं हल्की अभियांत्रिकी	स्वस्थ घोषित
70.	भारत इम्यूनोलोजिकल्स बायोलोजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स	निवल मूल्य सकारात्मक होने के कारण छोड़ दिया गया
71.	बर्न स्टंडर्ड कम्पनी लिमिटेड	भारी अभियांत्रिकी	असफल और पुनः प्रारम्भ
72.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	उर्वरक	ए.ए.आई.एफ.आर. द्वारा संस्तुत
73.	भारत रिफ्रेक्टरी लिमिटेड	खनिज एवं धातु	न्यायालय द्वारा रिमांड की गई

विवरण-II

	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नाम	मंत्रालय/विभाग का नाम
1	2	3
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
2.	ब्रिज एंड रूफ कम्पनी इंडिया लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
3.	बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
4.	टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
5.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड	वस्त्र मंत्रालय
6.	नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	वस्त्र मंत्रालय
7.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	उर्वरक विभाग
8.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग

1	2	3
9.	प्राग टूल्स लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
10.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
11.	तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
12.	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	उर्वरक विभाग
13.	ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
14.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
15.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
16.	एन.ई.पी.ए. लिमिटेड	भारी उद्योग विभाग
17.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला मंत्रालय
18.	एम.ई.सी.ओ.एन. लिमिटेड	इस्पात मंत्रालय
19.	सेन्ट्रल इन्लैन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	जहाजरानी मंत्रालय

मरुभूमि विकास परियोजनाओं को समय पूरा होने से पहले ही बंद कर देना

5282. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मरुभूमि विकास परियोजनाएं (डी.डी.पी.) समय पूरा होने से पहले ही बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना को समय से पूर्व बंद करने के क्या कारण हैं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पृथक्-पृथक् इस पर कितनी राशि व्यय की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जी, हां। मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 241 परियोजनाएं समय से पूर्व बंद कर दी गयी हैं। वर्षवार ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

वर्ष	बंद की गई परियोजनाओं की संख्या
2002-03	शून्य
2003-04	150
2004-05	91
योग	241

(ग) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत की गई 11476 परियोजनाओं में से 241 परियोजनाएं समय से पूर्व बंद कर दी गयी हैं। समय-पूर्व बंद कर दी गई परियोजनाओं की प्रतिशतता केवल 2.1% है। इन परियोजनाओं को समय से पूर्व इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि ये परियोजनाएं इनके कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण बढ़ायी गई परियोजना अवधि के भीतर भी सम्पूर्ण केन्द्रीय निधि के लिए दावा नहीं कर सकी थीं। समय-पूर्व बंद कर दी गई परियोजनाओं के संबंध में जारी किए गए केन्द्रीय तथा राज्यों के भाग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

समय-पूर्व बंद कर दी गई परियोजनाओं के मामले में जारी किए गए केन्द्र तथा राज्य के भाग को दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का विवरण			जारी किया गया केन्द्र का भाग	जारी किया गया राज्य का भाग
		जिला	स्वीकृत करने का वर्ष	परियोजनाओं की संख्या		
1.	कर्नाटक	बीजापुर	1995-96	41	6.23	2.07
		बागलकोट	1995-96	24	3.07	1.02
		रायचुर	1998-99	9	0.68	0.23
		बीजापुर	1998-99	15	1.14	0.38
		बेल्लारी	1998-99	40	3.37	1.12
		बागलकोट	1998-99	18	1.36	0.45
		देवनगेरे	1998-99	9	0.38	0.13
2.	जम्मू-कश्मीर	लेह	1998-99	24	5.32	शून्य
		लेह	1996-97	24	5.32	शून्य
		कारगिल	1998-99	25	5.00	शून्य
		लेह	1998-99	36	7.03	शून्य
			योग	241	33.58	5.40

सी.एस.डी. कैन्टीनों में 'वैट'

5283. श्री मधु गौड यास्की:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री मोहन सिंह:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से मूल्यवर्द्धित कर (वैट) से छूट की मांग की है क्योंकि कई सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी रक्षा कैन्टीन से अपने प्रोविजन्स और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की खरीद करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सैन्य कर्मियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वैट का आशय राज्य बिक्री कर को प्रति-स्थापित करने वाला कर है। अत: केन्द्रीय सरकार की किसी विशेष मद पर वैट लगाने अथवा वैट से किसी मद को छूट देने में कोई भूमिका नहीं है। राज्य स्तरीय वैट के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई थी। इसलिए इस संबंध में कोई निर्णय केवल अधिकार-प्राप्त समिति और राज्य सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में कमी

5284. श्री सुरेश चन्देल:
श्री किशन सिंह सांगवान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटरीकरण और संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और भर्ती तथा अनुकंपा के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है जिसके परिणाम स्वरूप बैंक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाए जाने के कारण करीब एक लाख कर्मचारी प्रभावित हुए हैं जिससे शेष कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बैंकों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सहित भर्ती पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) में उनकी आवश्यकता एवं कारोबारी नीतियों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जन शक्ति के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जनशक्ति योजना के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में थोड़ी सी कमी आयी है जो (31-03-2002 की स्थिति के अनुसार) 7,57,048 से घटकर (31-03-2004 की स्थिति के अनुसार) 7,52,627 हो गयी है। बैंकों ने ग्राहक सेवा में सुधार करने एवं अपने कर्मचारियों के काम के बोझ को कम करने के लिए अपनी शाखाओं/कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने में तेजी लाने के लिए भी कदम उठाये हैं। परिणामस्वरूप, कर्मचारी पर काम के बोझ के कम होने के साथ बैंक सेवाओं में पर्याप्त सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) कार्मिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भर्ती पर सरकार द्वारा कोई पाबंदी नहीं लगायी गई है। तथापि, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संदर्भ में जुलाई 2004 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे गुणावगुण आधार पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति के बदले एक मुश्त राशि के भुगतान के लिए अपनी योजना तैयार करें।

[अनुवाद]

साधारण बीमा कम्पनी को घाटा

5285. श्री तथागत सत्पथी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा कम्पनी को वर्ष 2001 और 2004 के बीच मोटर वाहन बीमा एवं विविध प्रचालनों के तहत 955.20 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.ए.जी. ने गैर-जीवन बीमा कम्पनियों को फटकार लगाई है और सरकार से इस मामले में जिम्मेवारी निर्धारित करने के उद्देश्य से जांच करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक)-2005 की रिपोर्ट सं. I, जो 22 मार्च, 2005 को सभा पटल पर

रखी गई, के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान साधारण बीमा कंपनियों ने 955.28 करोड़ रुपए की हानि उठाई जिसमें से 667.00 करोड़ रुपए मोटर बीमा के अधीन और 288.28 करोड़ रुपए विविध बीमा के अधीन था जो आग और समुद्री बीमा पर 1485.36 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान इन कंपनियों ने बीमा कारोबार से वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान क्रमश: 1732.11 करोड़ रुपए और 234.34 करोड़ रुपए की हानि की तुलना में 530.08 करोड़ रुपए का कुल लाभ कमाया।

(ग) और (घ) बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सतत् प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन/ सरकार के समक्ष विभिन्न खामितयों को उजागर करते रहे हैं। नियमित रूप से उचित कार्रवाई के लिए इन मुद्दों को कंपनियों के प्रबंधन के समक्ष उठाया जाता है।

सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5286. श्री गुरुदास दासगुप्त:

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कम्पनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मजदूरी संशोधन की मांग को लेकर एवं बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रस्तावित वृद्धि के विरोध में 23 और 24 मार्च, 2005 को दो दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी प्रत्येक मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों के लगभग 75% अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों अर्थात् मजदूरी संशोधन, पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों को भरने के समर्थन में और बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रस्तावित वृद्धि का विरोध करने के लिए 23 और 24 मार्च, 2005 को दो दिन की हड़ताल की थी।

(ग) मजदूरी में वृद्धि और रिक्तियों को भरने संबंधी मांगें मूलरूप से प्रबंधन के कार्य हैं। मजदूरी वृद्धि पर, प्रबंधन को संघों/ यूनियनों के साथ बात-चीत करके इसका समाधान करना है। जहां तक बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) में वृद्धि का संबंध है, बीमा कंपनियों को अपने कारोबार की वृद्धि के लिए समय-समय पर अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। भारतीय प्रवर्तक कभी-कभी वित्तीय बाध्यताओं के कारण अपनी शेयर धारिता के समानुपात में अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अत: वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को इस समय के 26% से 49% तक बढ़ाने की घोषणा की गई। तथापि, अभी तक किसी वैधानिक प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

नमक पर कर

5287. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्री आलोक कुमार मेहता:

श्री टी.के. हमजा:

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रसंस्कृत ब्रांडिड नमक पर कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्तावित कर से कितना राजस्व प्राप्त होगा;

(घ) क्या प्रस्तावित कर से जनता गैर-आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होगी;

(ङ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को गैर-आयोडीन युक्त नमक के दुष्प्रभावों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आयोडीनयुक्त नमक पर कर को वापस लेने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) 'वैट' का आशय राज्य बिक्री कर को प्रति-स्थापित करने वाला कर है। अत: केन्द्रीय सरकार की किसी विशेष मद पर 'वैट' लगाने अथवा 'वैट' से किसी मद को छूट देने में कोई भूमिका नहीं है। राज्य स्तरीय वैट के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई थी। 26 अप्रैल, 2005 को हुई अपनी बैठक में अधिकार-प्राप्त समिति ने यह निर्णय लिया है कि नमक ब्रांडेड अथवा अन्यथा को 'वैट' से मुक्त रखा जाएगा।

(घ) जी, हां।

(छ) अभ्यावेदनों को विचारार्थ, राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति के सदस्य-सचिव को अग्रेषित किया गया था।

[हिन्दी]

नई बीमा नीति

5288. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई बीमा नीति तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई बीमा नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(घ) उक्त नीति का कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत

5289. श्री जोवाकिम बखला: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक ईंधनों के प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक की उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में पुन: प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत की नई परियोजनाओं की स्थापना पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) मध्यावधि में कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधनों के साथ डीजल के प्रतिस्थापन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। वैकल्पिक ईंधन, नामत: हाइड्रोजन, जैव ईंधन और सिंथेटिक ईंधन अभी विकास के चरण में हैं। जैव ईंधनों के गुणधर्म और लागत को डीजल के गुणधर्म और लागत के समान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयास चल रहे हैं। इस संबंध में ग्राम ऊर्जा सुरक्षा संबंधी कुछ परीक्षण परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनका उद्देश्य अक्षय स्रोतों, मुख्यत: बायोमास और जैव ईंधन के माध्यम से गांव की कुकिंग, रोशनी और मोटिव पावर की सम्पूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। परीक्षण परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने से प्रारंभ में उन दूरस्थ गांवों, जहां ग्रिड विस्तार न तो लागत प्रभावी है और न ही व्यवहार्य है, को कवर करने वाले कार्यक्रम हेतु मार्ग प्रशस्त होगा।

(ग) से (ङ) यह मंत्रालय अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) प्रदान कर रहा है जिसके लिए प्रस्ताव अन्य के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सहित राज्य सरकारों से इसके कार्यक्रमों/योजनाओं की शर्तों और निबंधन के अनुसार तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन प्राप्त होते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

5290. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी गांव में सम्पूर्ण गांव के विद्युतीकृत माने जाने हेतु कितने घरों को विद्युतीकृत किया जाना आवश्यक होता है;

(ख) क्या सरकार सम्पूर्ण गांव को विद्युतीकृत मान लेती है यदि वहां रहने वाले प्रत्येक 100 परिवारों में से 10 परिवारों को विद्युत उपलब्ध हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 2004-05 के दौरान सरकार के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राज्य-वार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण की नई परियोजना के अनुसार,

"किसी भी गांव को विद्युतीकृत घोषित तभी किया जाएगा यदि:-

(i) वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी आधारभूत अवसंरचना बसे हुए स्थान और दलित बस्ती/हैमलेट जहां यह विद्यमान हैं, में प्रदान कर दी गई हो। (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है)

(ii) विद्युत सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों आदि में प्रदान कर दी गई हो, और

(iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव में घरों की कुल संख्या का न्यूनतम 10% होना चाहिए।"

यह परिभाषा वर्ष 2004-05 से प्रभावी हो गई है। राज्य सरकारों को आगे से इस परिभाषा के अनुसार गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति सूचित करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

अवसंरचना में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश

5291. श्री अर्जुन सेठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) हेतु अवसंरचनात्मक विकास में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार का अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी की परियोजनाओं को अर्थक्षमता अन्तर संबंधी सहायता मुहैया कराने और एक ऐसे विशेष प्रयोजन साधन (स्पेशल पर्पज व्हीकल-(एस.पी.वी.) की स्थापना करने का प्रस्ताव है जो अवसंरचना क्षेत्र के पात्र परियोजनाओं को दीर्घकालिक परिपक्वता वाला ऋण मुहैया कराएगा। साथ ही, सरकार के उच्चतम स्तर पर एक अवसंरचना-समिति का गठन किया गया है ताकि इन क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत और विनियामक मुद्दों पर नजर रखी जा सके।

(ग) प्रस्तावित उपायों के लागू हो जाने के बाद ही निजी क्षेत्र की यास्तविक प्रतिक्रिया ज्ञात हो सकेगी।

ग्रामीण विकास हेतु बजटीय आबंटन

5292. श्री चन्द्रशेखर साहु: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास हेतु बजटीय सहायता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु कुछ विशिष्ट क्षेत्र आधारित योजनाओं की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बजट आबंटन को वर्ष 2004-05 के दौरान 15998.40 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में वर्ष 2005-06 के लिए बढ़ाकर 24480 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) विशिष्ट क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करते हुए, देश में कार्यान्वित की जाने वाली क्षेत्रीय विकास योजनाएं हैं - सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) डी.पी.ए.पी. 16 राज्यों के 182 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 7,45,914 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है तथा डी.डी.पी. 7 राज्यों के 40 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 4,57,949 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है। एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में नवम्बर, 2004 से शुरू किया गया है। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत, राज्यों के सामान्य आबंटन के अलावा, निम्नलिखित के लिए डीजल उपकर के ग्रामीण सड़क अंश से विशेष आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है जो वार्षिक आबंटन का अधिकतम 15 प्रतिशत तक होगा:-

(i) पाकिस्तान और चीन की सीमाओं से जुड़े जिले (गृह मंत्रालय के सहयोग से)।

(ii) म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं से जुड़े जिले (गृह मंत्रालय के सहयोग से)।

(iii) जिले में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र।

(iv) अत्यंत पिछड़े जिले (योजना आयोग द्वारा निर्धारित), जिन्हें विशेष समस्या वाले क्षेत्रों के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है।

(v) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं तथा अभिनव पहलें।

देश में उन जिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है, जहां डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी. और एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कवर की गई बसावटों की संख्या		
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8	11	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	एन.सी.	एन.सी.
3.	असम	5	एन.सी.	एन.सी.
4.	बिहार	15	6	एन.सी.
5.	छत्तीसगढ़	10	8	एन.सी.
6.	गोआ	एन.सी.	एन.सी.	एन.सी.
7.	गुजरात	6	14	6
8.	हरियाणा	1	एन.सी.	7
9.	हिमाचल प्रदेश	1	3	2
10.	जम्मू-कश्मीर	2	2	2
11.	झारखंड	14	14	एन.सी.
12.	कर्नाटक	3	15	6
13.	केरल	1	एन.सी.	एन.सी.
14.	मध्य प्रदेश	15	23	एन.सी.
15.	महाराष्ट्र	11	25	एन.सी.
16.	मणिपुर	1	एन.सी.	एन.सी.
17.	मेघालय	1	एन.सी.	एन.सी.
18.	मिजोरम	1	एन.सी.	एन.सी.
19.	नागालैंड	1	एन.सी.	एन.सी.
20.	उड़ीसा	18	8	एन.सी.

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	1	एन.सी.	एन.सी.
22.	राजस्थान	5	11	16
23.	सिक्किम	1	एन.सी.	एन.सी.
24.	तमिलनाडु	4	16	एन.सी.
25.	त्रिपुरा	1	एन.सी.	एन.सी.
26.	उत्तर प्रदेश	15	15	एन.सी.
27.	उत्तरांचल	2	7	एन.सी.
28.	पश्चिम बंगाल	6	4	एन.सी.
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	एन.सी.	एन.सी.	एन.सी.
30.	दादर व नगर हवेली	एन.सी.	एन.सी.	एन.सी.
31.	दमन व दीव	एन.सी.	एन.सी.	एन.सी.
32.	लक्षद्वीप	एन.सी.	एन.सी.	एन.सी.
33.	पांडिचेरी	एन.सी.	एन.सी.	एन.सी.
	कुल	150	182	40

एन.सी.-कवर न की गई

ग्रामीण आवास योजना

5293. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी ग्रामीण आवास योजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है;

(ख) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने गत तीन वर्षों के किसी भी वर्ष में कर्नाटक के ग्रामीण लोगों को ऋण प्रदान किया है;

(ग) यदि हां, तो बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे ग्रामीण निवासी किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) ने 1997 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जी.जे.आर.एच.एफ.एस.) को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के निर्माण, खरीद एवं मरम्मत के लिए आवास ऋण दिये जाने की अनुमति दी जाती है और यह योजना अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, आवास वित्त कंपनियों एवं सहकारी क्षेत्र संस्थाओं द्वारा लागू की जा रही है। आज तक की तिथि के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख आवास इकाइयों का वित्तपोषण किया गया है। उनमें से 653,625 इकाइयों का वित्तपोषण सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा किया गया है। कर्नाटक राज्य में, पी.एस.बी. ने वर्ष 2002-05 (जनवरी, 2005 तक) की तीन वर्ष की अवधि के दौरान 33,042 इकाइयों का वित्त पोषण किया है। गत तीन वर्षों के दौरान जी.जे.आर.एच.एफ.एस. के अंतर्गत आवास इकाइयों के लिए बैंकों द्वारा दिये गये आवास ऋण के बैंक-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में जी.जे.आर.एच.एफ. योजना को उधारकर्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। परिणामस्वरूप इस योजना के तहत लक्ष्यों में तीव्र वृद्धि की गयी थी। यह लक्ष्य 1997 में 50,000 इकाइयों से बढ़कर 2005-06 में 2.75 लाख इकाई हो गया है।

विवरण

कर्नाटक राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जी.जे.आर.एच.एफ.एस. के अन्तर्गत प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	2004-05*		2003-04		2002-03	
		इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1.	इलाहाबाद बैंक	0	0.00	399	542.00	7	25.00
2.	आन्ध्रा बैंक	406	1006.00	9	20.00	-	-
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	3	3.20	17	31.00	51	146.00
4.	बैंक ऑफ इंडिया	195	396.00	35	45.00	151	176.00
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8	4.00	0	0.00	1	0.20
6.	कार्पोरेशन बैंक	1324	4721.00	1290	4099.00	936	2844.00
7.	केनरा बैंक	1590	2019.80	2389	3576.00	4415	6542.00
8.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	68	198.00	50	99.00	65	130.00
9.	देना बैंक	0	0.00	5	6.00	1	2.00
10.	इंडियन बैंक	524	540.00	2	2.00	9	9.00
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	127	569.00	-	-	3	3.00
12.	पंजाब नैशनल बैंक	0	0.00	35	52.00	119	227.00
13.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	385	262.00	232	379,00	230	153.00
14.	भारतीय स्टेट बैंक	160	355.00	648	1320.00	486	1296.00
15.	सिंडिकेट बैंक	3277	6907.16	3942	8057.00	2081	3478.00
16.	यूको बैंक	4	0.75	33	12.00	16	27.00
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	185	227.42	230	237.00	63	70.00
18.	विजया बैंक	2603	7610.02	2799	8436.00	1434	3899.00
	कुल	10859	24819.35	12115	26913.00	10068	19027.20

* जनवरी, 2005 तक

0 प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं (पी.एल.आई.) द्वारा पोषित न किये गये

- पी.एल.आई. द्वारा राज्य-वार ब्यौरा नहीं दिया गया।

[हिन्दी]

पंजाब को ऋण

5294. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
डा. रतन सिंह अजनाला:
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अपने ऋण सेवा भार को कम करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार पंजाब के संबंध में कुल ऋण की क्या स्थिति है;

(ग) राज्य ऋण की तुलना में पंजाब का ब्याज भार कितना है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने पंजाब राज्य सरकार की सहायता हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पंजाब सरकार ने अपने ऋण सेवा भार को कम करने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकार ने उसे इनसरजैंसी तथा आतंकवाद का सामना करने हेतु प्रदान किए गए विशेष अवधि ऋण बकाया को माफ करने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) दिनांक 31-03-2005 की स्थिति के अनुसार राज्य द्वारा वित्त मंत्रालय को देय बकाया ऋण 7182.58 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अनुमानित ब्याज भुगतान (ऋण समेकन को शामिल किए बिना) 887.88 करोड़ रुपए है।

(घ) भारत सरकार ने ऋण समेकन और भारत सरकार के बकाया ऋणों को माफ करने के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। यदि पंजाब राज्य अपेक्षित शर्तों को पूरा करता है, तो आगामी पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2005-10 के दौरान इस स्कीम से पंजाब राज्य को 523.18 करोड़ रुपए के कम ब्याज, 351.48 करोड़ रुपए की कम अदायगी तथा 763.42 करोड़ रुपए की ऋण माफी का लाभ होगा।

[अनुवाद]

जापान से अनुदान/ऋण

5295. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक जापान से कितना अनुदान/ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) ऐसे अनुदानों/ऋणों की निबंधन एवं शर्तें तथा पुनर्भुगतान का तरीका एवं उन पर देय ब्याज कितना है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस अनुदान/ऋण का परियोजना-वार और राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

जापान से अनुदान/ऋण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान से सरकारी विकास सहायता के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान/ऋणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	संवितरित राशि (मिलियन येन)	
2002-03	242	80,824
2003-04	65	79,828
2004-05	876	68,846

सरकारी विकास सहायता के अन्तर्गत जापान से प्राप्त अनुदान/ऋणों की शर्तें तथा निबंधन नीचे दिए गए हैं:-

- भारत सरकार द्वारा जापान सरकार को अनुदान की पुन:अदायगी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पुन:अदायगी के बारे में कोई शर्तें नहीं हैं।
- वर्ष 2002-03 के दौरान सामान्य परियोजनाओं हेतु जापानी सरकारी विकास सहायता के ऋण तीस वर्ष (दस वर्ष की माफी अवधि सहित) के लिए 1.8 प्रतिशत की ब्याज दर पर और पर्यावरणीय परियोजनाओं हेतु 40 वर्ष (दस वर्ष की माफी अवधि सहित) के लिए 0.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध थे। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए सामान्य परियोजनाओं हेतु जापानी सरकारी विकास सहायता के ऋण तीस वर्ष (दस वर्ष की माफी अवधि सहित) के लिए 1.3 प्रतिशत की ब्याज दर पर और पर्यावरणीय परियोजनाओं हेतु 40 वर्ष (दस वर्ष की माफी अवधि सहित) के लिए 0.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध थे। ये जापानी येन के मूल्यवर्ग में हैं।

विवरण-II

जापान से अनुदान/ऋण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान से अनुदान/ऋणों के साथ क्रियान्वित परियोजनाएं:-

राज्य/केन्द्र	परियोजना का नाम	क्षेत्र
1	2	3
अनुदान		
आन्ध्र प्रदेश	पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा वायु एवं जल प्रदूषण की मॉनीटरिंग के लिए उपस्करों की अधिप्राप्ति	पर्यावरण
केन्द्र	फुटवियर अभिकल्पना एवं विकास संस्थान, नोएडा में फुटवियर मोल्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र के लिए मशीनें/उपस्करों की अधिप्राप्ति	उद्योग
केन्द्र	इन्द्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली के लिए जन माध्यम तथा जनसंचार के उपस्करों की अधिप्राप्ति	शिक्षा
केन्द्र	नॉर्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा असम गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति	विद्युत
कर्नाटक	बंगलौर महानगर पालिका अस्पतालों में निरोधी उपकरणों की अधिप्राप्ति	स्वास्थ्य
केरल	प्रादेशिक कैंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम द्वारा लीनियर गतिवर्धक की अधिप्राप्ति	स्वास्थ्य
महाराष्ट्र	सर जे.जे. अस्पताल और कामा एंड एल्बेलेस अस्पताल, मुंबई के लिए चिकित्सा उपस्करों के सुधार हेतु परियोजना	स्वास्थ्य
महाराष्ट्र	कोल्हापुर जिले में करवीर तालुका में माध्यमिक स्कूलों के लिए कम्प्यूटरों और सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति	शिक्षा
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, दिल्ली के लिए ऑटोक्लेव, शेडर्स और एम्बुलेंसों की अधिप्राप्ति	स्वास्थ्य
पंजाब	पंजाब स्टेट ट्यूबवैल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ओपन होल परक्यूशन रिग की अधिप्राप्ति	जलापूर्ति
ऋण		
आन्ध्र प्रदेश	कोथागुंडम 'क' टी.पी.एस. परियोजना	विद्युत
आन्ध्र प्रदेश	सिम्हाद्री और विजाग पारेषण प्रणाली परियोजना	विद्युत
आन्ध्र प्रदेश	श्रीसेलम लैफ्ट बैंक विद्युत स्टेशन परियोजना	विद्युत
आन्ध्र प्रदेश	सिम्हाद्री और विजाग पारेषण प्रणाली परियोजना-II	विद्युत

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	के.सी. नहर आधुनिकीकरण परियोजना	जल संसाधन
आन्ध्र प्रदेश	के.सी. नहर आधुनिकीकरण परियोजना-II	जल संसाधन
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ रेशम उत्पादन परियोजना	वस्त्र
केन्द्र	सिम्हाद्री ताप विद्युत स्टेशन परियोजना	विद्युत
केन्द्र	सिम्हाद्री ताप विद्युत स्टेशन परियोजना-II	विद्युत
केन्द्र	सिम्हाद्री ताप विद्युत स्टेशन परियोजना-III	विद्युत
केन्द्र	सिम्हाद्री ताप विद्युत स्टेशन परियोजना-IV	विद्युत
केन्द्र	टूरियल पन बिजली विद्युत केन्द्र परियोजना	विद्युत
केन्द्र	धौलीगंगा पन बिजली विद्युत संयंत्र निर्माण परियोजना	विद्युत
केन्द्र	धौलीगंगा पन बिजली विद्युत संयंत्र निर्माण परियोजना-II	विद्युत
केन्द्र	धौलीगंगा पन बिजली विद्युत संयंत्र निर्माण परियोजना-III	विद्युत
केन्द्र	उत्तर भारत पारेषण प्रणाली परियोजना	विद्युत
केन्द्र	नैनी में यमुना पुल	सड़क
केन्द्र	एन.एच.-5 सुधार परियोजना	सड़क
केन्द्र	एन.एच.-5 सुधार परियोजना-II	सड़क
केन्द्र	एन.एच.-24 सुधार परियोजना	सड़क
केन्द्र	अजंता एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना-II	पर्यटन
केन्द्र	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना	शहरी परिवहन
केन्द्र	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (II)	शहरी परिवहन
केन्द्र	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (III)	शहरी परिवहन
केन्द्र	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (IV)	शहरी परिवहन
केन्द्र	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (V)	शहरी परिवहन
केन्द्र	यमुना कार्य योजना	पर्यावरण
गुजरात	वानिकी और विकास परियोजना	पर्यावरण
हरियाणा	हरियाणा में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना	पर्यावरण
कर्नाटक	पूर्वी कर्नाटक वानिकी परियोजना	पर्यावरण

1	2	3
कर्नाटक	बंगलौर जलापूर्ति और मल निकासी व्यवस्था	शहरी विकास
केरल	अट्टापाड्डी परती भूमि व्यापक पर्यावरण परियोजना	पर्यावरण
केरल	केरल जलापूर्ति परियोजना	शहरी विकास
मणिपुर	मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना	वस्त्र
मेघालय	उमियम पन विद्युत स्टेशन जीर्णोद्धार परियोजना	विद्युत
महाराष्ट्र	घाटघेर पंप्ड भंडारण परियोजना	विद्युत
मध्य प्रदेश	भोपाल झील संरक्षण और प्रबंधन परियोजना	पर्यावरण
मध्य प्रदेश	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	जल संसाधन
उड़ीसा	रेंगाली सिंचाई परियोजना	जल संसाधन
उड़ीसा	रेंगाली सिंचाई परियोजना (II)	जल संसाधन
पंजाब	पंजाब वानिकी परियोजना	पर्यावरण
पंजाब	पंजाब वानिकी परियोजना (II)	पर्यावरण
राजस्थान	राजस्थान वानिकी विकास परियोजना	पर्यावरण
राजस्थान	राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना	पर्यावरण
तमिलनाडु	तमिलनाडु वानिकी परियोजना	पर्यावरण
उत्तर प्रदेश	अन्नपारा 'बी' ताप विद्युत परियोजना	विद्युत
पश्चिम बंगाल	पुरुलिया पंप्ड भंडारण परियोजना	विद्युत
पश्चिम बंगाल	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	पर्यावरण
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	विद्युत
पश्चिम बंगाल	बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना (II)	विद्युत
पश्चिम बंगाल	बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना (III)	विद्युत
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना-(II)	विद्युत
पश्चिम बंगाल	बक्रेश्वर ताप विद्युत स्टेशन इकाई विस्तार परियोजना	विद्युत
पश्चिम बंगाल	पुरुलिया पंप्ड भंडारण परियोना-II	विद्युत
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता परिवहन अवसंरचना विकास परियोजना	शहरी विकास

विद्युत आपूर्ति

5296. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में विद्युत आपूर्ति में बारम्बार कटौती हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में विद्युत की कुल मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में आगामी गर्मी के मौसम के दौरान विद्युत की आपूर्ति और मांग के अन्तर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) दिल्ली ट्रांस्को लि. के अनुसार दिल्ली में लोड शेडिंग 2003-04 में 1.12% की तुलना में 2004-05 के दौरान कुल ऊर्जा खपत का 0.85% रहा है। गर्मी के दौरान उच्च रिएक्टिव लोड के कारण कुछ क्षेत्रों में ग्रिड की स्थिति, पारेषण एवं वितरण संबंधी खराबी और कम वोल्टेज के कारण लोड शेडिंग होती है।

(ग) मार्च, 2005 माह में दिल्ली में वास्तविक विद्युत आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

ऊर्जा (मि.यू.) मार्च, 2005		व्यस्ततमकालीन (मे.वा.) मार्च, 2005	
आवश्यकता	1513	व्यस्ततमकालीन मांग	2875
उपलब्धता	1507	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	2839
कमी	6	कमी	36
कमी (%)	0.4	कमी (%)	1.3

(घ) आगामी गर्मी के मौसम में विभिन्न महीनों में व्यस्ततमकालीन विद्युत मांग 3300 मे.वा. से 3700 मे.वा. के बीच होने का अनुमान है। मार्च, 2005 में विद्युत मंत्रालय में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के अधिकारियों तथा सभी संबंधित एजेंसियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी गर्मी के मौसम में दिल्ली में विद्युत मांग को पूरा करने के लिए की गई तैयारी की समीक्षा की गई। फलस्वरूप डी.टी.एल. ने इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रबंध कर लिए हैं। केन्द्र सरकार ने आगामी गर्मी के मौसम के दौरान विद्युत उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीक अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों के दौरान अनावंटित कोटे से 280 मे.वा. विद्युत का आवंटन किया है।

[हिन्दी]

जल विद्युत उत्पादन

5297. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जल विद्युत सम्भावना का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं योजना के दौरान जल विद्युत उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं में केन्द्र, राज्य और निजी भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में जल विद्युत परियोजनाओं की सम्भावित क्षमता के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) देश की जल विद्युत संभावना के पुन:मूल्यांकन अध्ययन जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1987 में पूर्ण किया गया था, के तहत जल विद्युत क्षमता को 60% लोड फैक्टर पर 80,044 मेगावाट पर मितव्ययितापूर्ण संदोहन योग्य पाया गया। जब ये योजनाएं पूर्ण विकसित होगी तब इससे सम्पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता लगभग 1,48,701 मेगावाट होगी। विभिन्न बेसिनों में कुल 845 जल विद्युत योजनायें चिन्हित की गई हैं। देश में राज्यवार जल विद्युत संभावना, अधिष्ठापित क्षमता के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) दसवीं योजना अवधि में जल विद्युत उत्पादन के द्वारा 14393 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की योजना बनाई गई है, जिसमें 8742 मेगावाट जल विद्युत केंद्रीय क्षेत्र, 4481 मेगावाट राज्य क्षेत्र और 1,170 मेगावाट निजी क्षेत्र से होगी। इसमें शामिल की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण् (सी.ई.ए.) ने वर्ष 2001-02 में श्रेणी अध्ययन किया था जिसमें 399 योजनाएं, जिनकी कुल संस्थापित क्षमता 1,06,901 मानी गयी। विद्युत योजनाओं के विकास के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करते हुए मुख्य रूप से उनको प्रमुखता देते हुए इन्हें प्राथमिकता दी गई थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 के श्रेणी अध्ययन के आधार पर 50,000 मेगावाट की जल विद्युत पहलों हेतु 16 राज्यों में 162 योजनाओं के लिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली जा चुकी हैं। प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर कुल 34020 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता की 78 योजनाओं की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट को तैयार और जांच व सर्वेक्षण के बाद उनको चिन्हित किया गया है। जिनका प्रथम वर्ष का टैरिफ 2.50 रु./कि.वा.घं. से कम होगा। इस प्रकार से जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु बैंक ग्राह्य डी.पी.आर. प्राप्त हो सकेगा जिससे 11वीं योजना अवधि और इससे आगे लाभ मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा असंदोहित जल विद्युत संभावना के संदोहन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) भारत सरकार ने अगस्त 1998 एक जल विद्युत नीति की घोषणा की है जिसके द्वारा जल विद्युत के विकास में तीव्रता लाने के लिए अनेकों कदम और उपाय को शामिल किया है। यह नीति, निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए विशेष बढ़ावा देगी।

(ii) हाइड्रो पावर को विकसित करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र में और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम में अनेक हाइड्रो पावर कारपोरेशन सृजित किए गए हैं।

(iii) सरकार ने, केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए त्रिस्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया को अनुमोदित किया है। अन्य कार्य विधि सुधारों को भी लिया गया है।

(iv) 16वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ई.पी.एस.) के अनुसार मांग प्रक्षेपणों के आधार पर, 11वीं योजना के अंत तक सम्पूर्ण भारत की व्यस्ततम मांग और ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए, 11वीं योजनावधि में लाभ को सम्मिलित करने के लिए जल विद्युत योजनाओं को चिन्हित करने की अग्रिम कार्यवाही की जा चुकी है।

विवरण-I

पुन:मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार जल विद्युत क्षमता की स्थिति

क्रम संख्या	क्षेत्र/राज्य	अधिष्ठापित क्षमता के रूप में अभिज्ञात शक्यता
1	2	3
	उत्तरी	
1.	जम्मू-कश्मीर	14146
2.	हिमाचल प्रदेश	18820
3.	पंजाब	971
4.	हरियाणा	64
5.	राजस्थान	496
6.	उत्तरांचल	18175
7.	उत्तर प्रदेश	723
	उप जोड़ (उ. क्षेत्र)	53395
	पश्चिमी	
8.	मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़	4485
9.	गुजरात	619
10.	महाराष्ट्र	3769
11.	गोवा	55
	उप जोड़ (प. क्षेत्र)	8928
	दक्षिणी	
12.	आंध्र प्रदेश	4424
13.	कर्नाटक	6602
14.	केरल	3514

1	2	3
15.	तमिलनाडु	1918
	उप जोड़ (द. क्षेत्र)	16458
	पूर्वी	
16.	झारखंड	753
17.	बिहार	70
18.	उड़ीसा	2999
19.	पश्चिम बंगाल	2841
20.	सिक्किम	4286
	उप जोड़ (पू. क्षेत्र)	10949
	उत्तर क्षेत्र	
21.	मेघालय	2394
22.	त्रिपुरा	15
23.	मणिपुर	1784
24.	असम	680
25.	नागालैंड	1574
26.	अरुणाचल प्रदेश	50328
27.	मिजोरम	2196
	उप जोड़ (उ.पू. क्षेत्र)	58971
	अखिल भारत	148701

विवरण-II

10वीं योजना: (2002-07) - चालू होने का वास्तविक कार्यक्रम-जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि

आई.डी. नं.	परियोजना का नाम/ राज्य	रेटिंग सं. X मेगावाट=मे.वा.	10वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य (मेगावाट) (2002-07)
1	2	3	4
केंद्रीय क्षेत्र (सी.एस.)			
	एन.एच.पी.सी.		
सी.एस.-1	धौलीगंगा-1, उत्तरांचल	4x70=280 मे.वा.	280
सी.एस.-2	चमेरा चरण-II, हिमाचल प्रदेश	3x100=300 मे.वा.	300
सी.एस.-3	दुलहस्ती, जम्मू व कश्मीर	3x130=390 मे.वा.	390
सी.एस.-4	तीस्ता-5, सिक्किम	3x170=510 मे.वा.	510
सी.एस.-5	सेवा-II, जम्मू व कश्मीर	3x40=120 मे.वा.	120
सी.एस.-6	तीस्ता लो डैम-III, पश्चिम बंगाल	4x33=132 मे.वा.	132
सी.एस.-7	तीस्ता लो डैम-4, पश्चिम बंगाल	4x42=168 मे.वा.	168

1	2	3	4
सी.एस.-8	बाव-II, महाराष्ट्र	37 मे.वा.	37
	उप जोड़-एन.एच.पी.सी. (एकल)		1937
मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त उद्यम (एन.एच.डी.सी.)			
सी.एस.-9	इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश	8x125=1000 मे.वा.	1000
सी.एस.-10	ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश	8x65=520 मे.वा.	520
पश्चिमी बंगाल राज्य का संयुक्त उद्यम			
सी.एस.-11		4x225=900 मे.वा.	900
	उप जोड़ एन.एच.पी.सी. संयुक्त उद्यम सहित		4357
	एन.जे.पी.सी.		
सी.एस.-12	नाथपा झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश (संयुक्त उद्यम)	6x250=1500 मे.वा.	1500
सी.एस.-13	रामपुर एच.ई. परियोजना, हिमाचल प्रदेश (संयुक्त उद्यम)	400 मे.वा.	400
	उप जोड़ एन.जे.पी.सी.		1900
	एन.जे.पी.सी.		
सी.एस.-14	टिहरी चरण-1, उत्तरांचल	4x250=1000 मे.वा.	1000
सी.एस.-15	टिहरी चरण-2 पी.एस.एस., उत्तरांचल	4x250=1000 मे.वा.	1000
सी.एस.-16	कोटेश्वर, उत्तरांचल	4x100=400 मे.वा.	400
	उप जोड़ टी.एच.डी.सी.		2400
	नीपको		
सी.एस.-17	कोपिली चरण-2, असम	1x25=25 मे.वा.	25
सी.एस.-18	तुरियल, मिजोरम	2x30=60 मे.वा.	60
	उप जोड़ नीपको		85
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र		8742

1	2	3	4
राज्य क्षेत्र (एस.एस.)			
एस.एस.-1	लारजी, हिमाचल प्रदेश	3x42=126 मे.वा.	126
एस.एस.-2	कशांग-I, हिमाचल प्रदेश	2x33=66 मे.वा.	66
एस.एस.-3	बगलीहार, जम्मू व कश्मीर	3x150=450 मे.वा.	450
एस.एस.-4	शाहपुरकंडी, पंजाब	2x2x40+1x8=168 मे.वा.	168
एस.एस.-5	मनेरी भाली-II, उत्तरांचल	4x76=304 मे.वा.	304
	उप जोड़ राज्य		1114
पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षेत्र)			
एस.एस.-6	सरदार सरोवर, गुजरात/महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश/ गुजरात	6x200+5x50=1450 मे.वा.	1450
एस.एस.-7	माधीखेड़ा, मध्य प्रदेश	2x20=40 मे.वा.	40
एस.एस.-8	बगलीहार टोंस फेज-II, फेज-III, मध्य प्रदेश	2x15	15
		3x20=90 मे.वा.	20
एस.एस.-9	बाणसागर टोंस फेज-4, मध्य प्रदेश	2x10=20 मे.वा.	20
एस.एस.-10	घाटघर पी.एस.एस., महाराष्ट्र	2x125=250 मे.वा.	250
	उप जोड़ राज्य क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)		1795
दक्षिणी क्षेत्र (द. क्षेत्र)			
एस.एस.-11	प्रियदर्शिनी जुराला, आंध्र प्रदेश	6x39.1=235 मे.वा.	78.2
एस.एस.-12	श्रीसेलम एल.बी.पी.एच., आंध्र प्रदेश	6x150=900 मे.वा.	450
एस.एस.-13	अलमाटी बांध, कर्नाटक	1x15+5x55=290 मे.वा.	290
एस.एस.-14	कुटियाडी संवर्धन, केरल	2x50=100 मे.वा.	100
एस.एस.-15	पाइकारा अल्टीमेट, तमिलनाडु	3x50=150 मे.वा.	150
एस.एस.-16	भवानी कट्टालाई बैराज-1, 2 व 3 तमिलनाडु	3x2x15=90 मे.वा.	90
	उप जोड़ (पूर्वी क्षेत्री)		1158.2

1	2	3	4
एस.एस.-17	बालीमेला विस्तार, उड़ीसा	2x75=150 मे.वा.	150
	उप जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)		150
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एन.ई.आर.)			
एस.एस.-18	कारबी लांग्पी (लोअर बोरपानी), असम	2x50=100 मे.वा.	100
एस.एस.-19	मिंतदू-लेइस्का चरण-1, मेघालय	2x42=84 मे.वा.	84
एस.एस.-20	वैराबी बांध, मिजोरम	2x40=80 मे.वा.	80
	उप जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)		264
	कुल (राज्य क्षेत्र)		4481.2
पी.टी.-1	बास्पा-II, हिमाचल प्रदेश	3x100=300 मे.वा.	300
पी.टी.-2	धामवाड़ी सुंडा, हिमाचल प्रदेश	2x35=70 मे.वा.	70
पी.टी.-3	विष्णुप्रयाग, उत्तरांचल	4x100=400 मे.वा.	400
पी.टी.-4	महेश्वर, मध्य प्रदेश	10x40=400 मे.वा.	400
	उप जोड़-निजी क्षेत्र		1170
	कुल अखिल भारत		14393.2

[अनुवाद]

शहरी नवीकरण कोष

5298. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों में अवसंरचना के विकास हेतु शहरी नवीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस फंड के अन्तर्गत किन-किन महानगरों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस प्रयोजन के लिए:-

(i) कुछ चुनिंदा शहरों के लिए एक राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन.यू.आर.एम.) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ii) एक बहुपक्षीय स्कीम, जिसे छोटे तथा मध्यम नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के नाम से जाना जाएगा, तैयार की जा रही है तथा इस स्कीम में उन शहरों/नगरों को कवर किया जाएगा जो एन.यू.आर.एम. में शामिल नहीं हैं। एन.यू.आर.एम. तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

हथियारों की तस्करी

5299. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय हथियारों को तस्करी करके देश में लाया जा रहा है;

(ख) तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) अभी तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया हैं;

(घ) गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक तस्करी किए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) महोदय, शस्त्रों की तस्करी के कुछ दृष्टान्त सामने आये हैं।

(ख) देश में शस्त्रों सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने और रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय सजग एवं सतर्क हैं।

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान शस्त्रों की जब्तियों और गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	शस्त्रों की जब्तियों के मामलों की संख्या	जब्त किये गये शस्त्रों की संख्या	शस्त्रों का प्रकार	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई
2002-2003	2	4	ए.के.-47	5	-
2003-2004	6	14	पिस्तौल, बन्दुक, राइफल, एसाल्ट राइफल	3	शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज
2004-2005	2	3	पिस्तौल	4	-वही-

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा

5300. श्री रनेन बर्मन:
श्री सीता राम यादव:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री अजीत जोगी:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन और खपत का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष-वार अलग-अलग कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और अनुदान/राजसहायता के रूप में जारी की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार को सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनमें से अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय रोशनी, जल पंपन और गांवों तथा बस्तियों के विद्युतीकरण जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए सभी राज्यों तथा संग राज्य क्षेत्रों में सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) प्रणालियों के संस्थापन हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रणालियों द्वारा उत्पादित और खपत की जाने वाली अनुमानित विद्युत ऊर्जा का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को जारी

की गई कुल निधियों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्थापित सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों से उत्पादित विद्युत ऊर्जा का अनुमानित राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादित ऊर्जा (मिलियन किलोवाट घंटा में)		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1.8	2.2	2.252
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.2	0.227	0.332
3.	असम	0.26	0.307	0.436
4.	बिहार	0.94	0.968	1.247
5.	छत्तीसगढ़	0.67	1.7	1.81
6.	गोवा	0.022	0.022	0.052
7.	गुजरात	0.92	1.0	1.09
8.	हरियाणा	1.53	1.8	2.30
9.	हिमाचल प्रदेश	1.20	1.2	1.33
10.	जम्मू-कश्मीर	1.18	1.96	2.13
11.	झारखंड	0.28	0.28	0.64
12.	कर्नाटक	1.1	1.22	1.91
13.	केरल	2.9	3.77	3.77
14.	मध्य प्रदेश	1.4	1.431	1.52
15.	महाराष्ट्र	0.11	1.15	1.2
16.	मणिपुर	0.17	0.1	1.12
17.	मेघालय	0.24	0.25	0.562
18.	मिजोरम	0.27	0.42	0.462

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	0.05	0.05	0.05
20.	उड़ीसा	0.99	1.084	2.34
21.	पंजाब	1.20	3.60	3.68
22.	राजस्थान	3.35	3.5	3.867
23.	सिक्किम	0.05	0.05	0.078
24.	तमिलनाडु	1.85	1.96	2.025
25.	त्रिपुरा	0.58	0.6	0.881
26.	उत्तर प्रदेश	4.9	4.93	5.719
27.	उत्तरांचल	2.49	2.88	3.795
28.	पश्चिम बंगाल	3.04	5.9	5.929
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.43	0.438	0.565
30.	चंडीगढ़	0.135	0.140	0.145
31.	दिल्ली	0.2	0.2	0.25
32.	लक्षद्वीप	1.1	1.1	1.252
33.	पांडिचेरी	0.045	0.05	0.093
34.	अन्य (भेल, बी.ई.एल., सी.ई.एल. एवं गैर-सरकारी संगठन)	0.64	1.00	1.01

विवरण-II

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्थापित सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के संस्थापन हेतु जारी की गई निधियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	जारी की गई निधियां (लाख रु. में)		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	326.68	33.52	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	147.89	546.09	129.61

1	2	3	4	5
3.	असम	88.50	336.70	23.00
4.	छत्तीसगढ़	620.47	441.04	78.41
5.	गोवा	-	18.63	8.03
6.	गुजरात	297.21	48.43	-
7.	हरियाणा	517.74	273.61	-
8.	हिमाचल प्रदेश	119.75	114.63	103.00
9.	जम्मू-कश्मीर	715.83	642.15	173.24
10.	झारखंड	131.18	1057.93	-
11.	कर्नाटक	103.45	229.47	143.27
12.	केरल	-	35.16	-
13.	मध्य प्रदेश	109.25	2.62	66.24
14.	महाराष्ट्र	22.80	313.63	38.08
15.	मणिपुर	738.23	241.53	79.01
16.	मेघालय	340.92	43.00	187.32
17.	मिजोरम	57.33	306.71	28.22
18.	उड़ीसा	-	-	42.89
19.	पंजाब	1049.25	1546.23	36.25
20.	राजस्थान	493.58	55.19	262.69
21.	सिक्किम	20.90	40.19	26.00
22.	तमिलनाडु	73.75	671.71	-
23.	त्रिपुरा	399.10	954.56	1062.40
24.	उत्तर प्रदेश	707.61	1962.58	518.82
25.	उत्तरांचल	587.04	1121.10	50.54
26.	पश्चिम बंगाल	603.87	2780.85	109.43
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	88.92	-	-
28.	चंडीगढ़	12.65	16.37	-

1	2	3	4	5
29.	दिल्ली	-	350.00	-
30.	लक्षद्वीप	392.00	151.95	-
31.	पांडिचेरी	14.94	31.68	1.65
32.	अन्य (भेल, बी.ई.एल., सी.ई.एल. एवं गैर-सरकारी संगठन)	593.18	204.91	1301.60

विवरण-III

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान प्राप्त और मंजूर किए गए प्रस्ताव

क्रम सं.	मद	परियोजनाओं/प्रणालियों की संख्या	
		प्राप्त प्रस्ताव (संख्या)	स्वीकृत प्रस्ताव (संख्या)
1.	सौर लालटेन	80,000	15,000
2.	सौर घरेलू रोशनी	2,15,050	81,731
3.	सौर सड़क रोशनी	35,362	6782
4.	जल पंपन प्रणालियां	7261	1319
5.	स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्र	1846.26 (के.डब्ल्यू.पी.)	213.5 (के.डब्ल्यू.पी.)
6.	ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत संयंत्र	700 (के.डब्ल्यू.पी.)	350 (के.डब्ल्यू.पी.)
7.	दूरस्थ गांवों का विद्युतीकरण	4041 गांव	1039 गांव
8.	बस्तियों का विद्युतीकरण	950 बस्तियां	585 बस्तियां

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत संबंधी भारत-अमेरिका समझौता

5301. श्री मुन्शी राम: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कतिपय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ 'एनर्जी डायलॉग फोरम' के गठन पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में किन-किन क्षेत्रों को उक्त फोरम के गठन से सहायता मिलने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) भारत-अमेरिका की आर्थिक बातचीत एकछत्र समग्रता के अंतर्गत भारत-अमेरिका की नई तथा अक्षय ऊर्जा बातचीत को आगे देखा जा रहा है। इस बातचीत के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है, दोनों देशों की अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के बीच पूर्व-प्रतिस्पर्धी अनुसंधान की पहचान की गई है। तथापि, इस उद्देश्य के लिए कोई समझौता नहीं किया गया है।

विवरण

पूर्व-प्रतिस्पर्धी अनुसंधान के लिए सुझाए गए कार्यकलाप

क्रम सं.	विस्तृत क्षेत्र	पूर्व प्रतिस्पर्धी अनुसंधान के लिए सुझाए गए कार्यकलाप
1.	बायोमास गैसीकरण	मेगावाट पैमाने तक की प्रैशर युक्त गैसीकरण प्रणालियों का डिजाईन, विकास और प्रदर्शन और 100% गैस इंजिन/टरबाइन के साथ एकीकरण।
2.	पवन ऊर्जा	मेगावाट पैमाने के पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों का डिजाइन, विकास और प्रदर्शन।
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.)	कम लागत वाले उच्च कुशलता के एस.पी.वी. सैलों का डिजाइन, विकास और प्रदर्शन।
4.	सौर तापीय	मेगावाट पैमाने के ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर तापीय विद्युत प्रणालियों का डिजाईन, विकास और प्रदर्शन।
5.	वैकल्पिक ईंधन (हाइड्रोजन, सिंथैटिक और बायोईंधन)	(क) उत्पादन, परिवहन, भंडारण, सुपुर्दगी, और अनुप्रयोग। (ख) परिवहन, पोर्टेबल और स्थैतिक अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक ईंधन प्रणालियों का डिजाइन, विकास और प्रदर्शन।
6.	अपशिष्ट से ऊर्जा	मेगावाट पैमाने तक की अपशिष्ट से ऊर्जा प्रणालियों का डिजाईन, विकास और प्रदर्शन।

[हिन्दी]

शेयर बाजार

5302. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने शेयर बाजार कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इन बाजारों में सूचीबद्ध शेयरों का बाजार-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन शेयर बाजारों का वार्षिक कारोबार बाजार-वार कितना है;

(घ) देश में शेयर धारकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक शेयर धारकों के हितों की रक्षा करने और लोगों के बीच शेयरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को शेयर बाजारों के कार्यकरण के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम्): (क) से (घ) भारतीय प्रतिभूति बाजार में 22 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं। उनकी अवस्थिति, इन एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों की एक्सचेंज-वार संख्या, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एक्सचेंजों में एक्सचेंज-वार वार्षिक कारोबार के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। देश में शेयरधारकों की अनुमानित संख्या संबंधी सूचना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास उपलब्ध नहीं है/उसके द्वारा अनुरक्षित नहीं की जाती।

स्टॉक एक्सचेंज का नाम एवं अवस्थिति	सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या	कारोबार (करोड़ रुपए)		
		2004-05	2003-04	2002-03
1	2	3	4	5
1. स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद, कामधेनु काम्पलेक्स, सहजानंद कॉलेज, अहमदाबाद	2774	8.37	4,544.40	15,458.64
2. बंगलौर स्टॉक एक्सचेंज लि., स्टॉक एक्सचेंज टावर्स, 51, फर्स्ट क्रास, जे.सी. रोड, बंगलौर	456	-	0.05	-
3. भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, 6वीं मंजिल, आई.डी.सी.ओ. टावर्स, जनपथ, भुवनेश्वर	65	-	-	-
4. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज संघ लि., 7 लायंस रेंज, कोलकाता	3075	2714.67	1,927.50	6,539.90
5. कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लि., एम.ई.एस., डा. पी.के. अब्दुल गफूर मेमोरियल कल्चरल काम्पलैक्स, 36/1556, चौथी मंजिल, जजेस एवन्यू, कलूर, कोचीन	211	-	-	-
6. कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज लि., स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिग, 683-686, ट्रिची रोड, कोयम्बटूर	188	-	-	-
7. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज संघ लि., डी.एस.ई. हाऊस, 3/1, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली	3086	-	3.40	11.10
8. गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लि., सर्राफ भवन, 353 जी, अनेक्सी ए.टी. रोड, गुवाहाटी	259	-		0.05
9. दि हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लि., 6-3-654, ऐरामंजिल बस स्टॉप के साथ, सोमाजीगुडा, हैदराबाद	820	253	1.90	4.60
10. ईंटर कनेक्टड स्टॉक एक्सचेंज लि., इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, टावर 7, 5वीं मंजिल, सेक्टर-30, वशी	12	-	0.05	64.80
11. जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लि., स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिग, जे.एल. नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर	869	-	-	-
12. लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज एसोसिऐशन लि., फिरोज गांधी मार्केट, लुधियाना	391	-	-	-
13. मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, पालिका प्लाजा, फेस-II, दूसरी मंजिल, एम. कम्पाउंड, इंदौर	353	-	-	-
14. मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लि., एक्सचेंज बिल्डिंग, पोस्ट बॉक्स संख्या-183, 11 सेकंड लाईन बीच, चेन्नई	1451	27.34	100.80	-

1	2	3	4	5
15. मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन, 9वां तल, आशियाना प्लाजा, बुद्ध मार्ग, पटना	66	–	–	0.51
16. दि स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई, फिरोज जीजीभाई टावर्स, 26वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई	4731	5,14,293.27	5,02,618.40	3,14,073.20
17. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुरला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई	970	11,40,968.34	10,99,533.90	6,17,988.60
18. ओ.टी.सी. एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 92, मेकर्स टावर्स, "एफ", कफ परेड, मुम्बई	111	0.0122	15.70	0.10
19. पुणे स्टॉक एक्सचेंज लि., शिवलीला चैंबर्स, 752, सदाशिव पेठ, आर.बी. कुमठेकर मार्ग, पुणे	246	0.38	–	1.81
20. सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लि., पोपट भाई सोराठिया भवन, सदर बाजार, राजकोट	207	–	–	–
21. उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लि., पदम टावर्स, 14/113, सिविल लाईन्स, कानपुर	725	5,242.97	11,751	14,763.40
22. बडोदरा स्टॉक एक्सचेंज लि., फार्चून टावर्स, सायाजीगंज, बडोदरा	514	–	0.14	2.59

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

(ङ) छोटे निवेशकों की सहायता के लिए सेबी के पास एक द्विमुखी कार्यनीति है। पहली निवेशक शिकायतों के निवारण हेतु एक व्यापक प्रणाली है और दूसरी आम निवेशक को निवेशों में अंतर्निहित जोखिमों तथा निवेशकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करने हेतु एक व्यापक अभियान है।

(च) और (छ) सरकार और सेबी का यह निरंतर प्रयास है कि स्टॉक एक्सचेंजों का निर्बाध और सक्षम कार्यकरण सुनिश्चित किया जाए। हाल ही में शुरू की गई कुछ पहलों में अन्य बातों के अलावा इंडोनेक्सट् कारोबार मंच के पहले चरण को प्रचालनरत करना, स्टॉक एक्सचेंजों में निवेशक संरक्षा निधि/ग्राहक संरक्षण निधि हेतु व्यापक मार्गनिर्देश जारी करना और स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण और पृथक्कीकरण हेतु मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में संशोधन करना शामिल है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं की स्थापना

5303. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री राम चन्द्र पासवान:
श्री रामदास आठवले:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री सीता राम यादव:

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु कितने प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध है;

(ख) इस राजसहायता में प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के संबंध में राजसहायता की सीमा को बढ़ाने का है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) मंत्रालय अन्य के साथ-साथ राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के विकास और संस्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) उपलब्ध कराता है। विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस मंत्रालय के अधिकांश कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए राज्यवार केन्द्रीय वित्तीय सहायता आवंटित नहीं की जाती है।

विवरण

विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध केन्द्रीय वित्तीय सहायाता (सी.एफ.ए.) का विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम/क्षेत्र	सब्सिडी
1	2	3
1.	**पवन विद्युत**	प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए कुछ बैंचमार्कों के अध्यधीन उपकरण की लागत के 60% तक, कोई पूंजीगत सब्सिडी नहीं।
2	**लघु एरो-जनरेटर और हाइब्रिड प्रणालियां**	2.00 लाख रु. प्रति किलोवाट अथवा उत्पादन लागत का 50-75%, जो भी कम हो। अविद्युतीकृत द्वीप समूह में 2.40 लाख रु. प्रति किलोवाट अथवा उत्पादन लागत का 90%, जो भी कम हो।
3.	**परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र**	संयंत्र की क्षमता, लाभ-भोगियों/क्षेत्रों की श्रेणी पर निर्भर करते हुए प्रति संयंत्र 2100 रु.- 11,700 रु.
4.	**बायोमास गैसीफायर**	तापीय अनुप्रयोगों के लिए (3 मे.वा. तक): 1.25 लाख रु./300 किवा. इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल अनुप्रयोगों के लिए (1 मे.वा. ई. तक): 15.00 लाख रु./100 किवा. ई. विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूह के लिए उपर्युक्त से 20% अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता
5.	**खोई सह-उत्पादन परियोजनाएं**	**ब्याज सब्सिडी**
	i. सहकारी/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा परियोजनाएं	विन्यास पर निर्भर करते हुए 3-6%
	ii. सहकारी/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र की चीनी मिलों में आई.पी.पी. मोड में परियोजनाएं	विन्यास पर निर्भर करते हुए 2-4%
	iii. निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा परियोजनाएं	विन्यास पर निर्भर करते हुए 1-3%

1	2	3	
	बायोमास विद्युत परियोजनाएं	**ब्याज सब्सिडी**	
	मेगावाट-स्केल 100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन वाली परियोनजाएं/उन्नत बायोमास गैसीकरण परियोजनाएं	प्रौद्योगिकी/विन्यास पर निर्भर करते हुए 2-3%	
6.	**औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा** ब्याज सब्सिडी	विशेष श्रेणी के राज्यों में 4% तक और अन्य राज्यों में 6% तक ब्याज दर को कम करना, जो परियोजनाओं के प्रकार के आधार पर कुछ सीमाओं के अध्यधीन वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अदा की जानी हैं।	
7.	**लघु पनबिजली**	**सरकारी क्षेत्र**	**निजी क्षेत्र**
	पूंजीगत सब्सिडी		
	- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम	6.00 करोड़ रु./मेवा. तक	3.00 करोड़ रु./मेवा. तक
	- मध्य हिमालय, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार	4.00 करोड़ रु./मेवा. तक	2.00 करोड़ रु./मेवा. तक
	- अन्य पहाड़ी क्षेत्र	2.00 करोड़ रु./मेवा. तक	1.00 करोड़ रु./मेवा. तक
	पन चक्कियां - मैकेनिकल	30,000 रु./-पनचक्की तक (मैकेनिकल)	
	पन चक्कियां - इलैक्ट्रिकल+मैकेनिकल	1,00 लाख रु./-पनचक्की तक (इलैक्ट्रिकल अथवा इलैक्ट्रिकल-सह-मैकेनिकल)	
8.	**सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां/युक्तियां**	वॉटेज पर निर्भर करते हुए एस.पी.वी. रोशनी प्रणालियों के लिए 2400/-रु. से 9100/-रु.	
		विशेष श्रेणी के राज्यो के लिए 4300/-रु. - 16390/-रु.	
9.	**प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां**	प्रति प्रणाली अधिकतम 1,80,000 रु. के अध्यधीन 100 रु. प्रति प्रयुक्त पी.वी. ऐरे का डब्लूपी	
		विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए प्रणाली की अनुमोदित उत्पादन लागत का 90%	
10.	**विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां**	1,19,000 रु./पी.वी. ऐरे क्षमता का किवा.पी. अथवा उत्पादन लागत का 50%, जो भी कम हो	
		विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,14,200 रु./पी.वी. ऐरे क्षमता का किवा.पी. अथवा उत्पादन लागत का 90%, जो भी कम हो	
11.	**सौर जल तापन प्रणालियां (एस.डब्ल्यू.एच.एस.)/ अन्य सौर तापीय प्रणालियां**	**सौर जल तापन प्रणालियों के लिए: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से** (आवासीय वित्त पोषण संगठनों सहित):	
		अंतिम उपयोगकर्त्ता के लिए ब्याज को 5% तक कम करने के लिए ब्याज सब्सिडी	

1	2	3
		सौर जल तापन/वायु तापन प्रणालियों/विलवणीकरण प्रणाली, स्टीम कुकिंग प्रणालियों, आदि के लिए : इरेडा के माध्यम से: अलाभकारी संगठनों के लिए 5% और लाभकारी संगठनों के लिए 7% की ब्याज सब्सिडी **डिश/सामुदायिक प्रकार के सौर कुकरों के लिए:** डिश प्रकार के कुकरों के लिए लागत का 50% जो 2500/-रु. तक सीमित है : शैफ्लर/सामुदायिक प्रकार के कुकरों के लिए 25,000/-रु. **स्टीम कुकिंग प्रणालियों के लिए :** , प्रणाली की वास्तविक लागत का 50%

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में निवेश

5304. श्री राजेन्द्र कुमार:

श्री के.सी. पलनिसामी:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एन.टी.पी.सी. को पारेषण क्षेत्र में निवेश करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली को 90 प्रतिशत पूंजी राजसहायता देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) अपनी व्यावसायिक योजना कार्यनीति के एक हिस्से के रूप में, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) उपयुक्त समय में उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों की स्थापना को शामिल करते हुए अनेक विविधिकृत विकल्पों की खोज कर रहा है।

(ग) और (घ) पांच वर्षों में ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण को पूरा करने संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण हेतु एक नई स्कीम "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" आरंभ की गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्न के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी:-

(i) समुचित रूप से राज्य पारेषण प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लॉक में एक 33/11 के.वी. (या 66/11 के.वी.) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर.ई.डी.बी.) का निर्माण।

(ii) प्रत्येक गांव/वास स्थान में वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वी.ई.आई.) का निर्माण।

(iii) उन गांवों/वास स्थानों के लिए विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डी.डी.जी.) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

(iv) स्कीम के अंतर्गत देश में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए नि:शुल्क विद्युतीकरण का प्रावधान किया गया है।

बैंकों से उधार लिए गए धन का अन्यत्र उपयोग

5305. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंकों से उधार लिए गए धन के दुरुपयोग

और अन्यत्र उपयोग को अपराध मानते हुए इसके लिए भारतीय दंड संहिता में अलग से धारा अंत:स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने बैंकों से उधार लिए गए धन में धोखाधड़ी के विधिक पहलू पर एस.एस. कोहली समिति और एन.एल. मित्रा समिति की सिफारिशों के कारण ऐसी पहल की है;

(ग) क्या भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित खंडेलवाल समिति ने भारतीय दंड संहिता में संशोधन के विपरीत राय दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हवाला की धनराशि

5306. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय बैंक आतंकवादियों को अपने बैंकों के माध्यम से उनकी हवाला धनराशि के संचालन को अनुमति दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी हवाला धनराशि का भांडा फोड़ किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्व-सहायता समूहों को ऋण

5307. श्री एम. शिवन्ना:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री सीता राम यादव:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को दिए गए ऋण के संबंध में एक अध्ययन दल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्व-सहायता समूहों को बैंकों द्वारा बैंकवार और राज्यवार कुल कितना ऋण वितरित किया गया है;

(घ) क्या उक्त दल ने स्व-सहायता समूहों से ऋण की 98 प्रतिशत वसूली के बारे में सूचना दी है और उक्त योजना की सराहना की है;

(ङ) क्या बैंकों की विभिन्न शाखाओं ने ऐसे निष्पादन के बावजूद ऋण स्वीकृत करने में सहयोग नहीं दिया है;

(च) क्या सरकार ने उक्त योजना की समीक्षा की है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ज) बैंकों की उन शाखाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है जिन्होंने इस संबंध में कुछ भी ऋण नहीं दिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी बैंकों के दृष्टिकोण पत्र का मसौदा

5308. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण पत्र में शहरी सहकारी बैंकों हेतु राज्य स्तरीय रणनीतियों का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकतर शहरी सहकारी बैंक कदाचार में संलिप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों का उन पर से विश्वास उठ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को कदाचार से अलग रखने के लिए क्या रणनीति तैयार किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में एक प्रारूप दृष्टिकोण पत्र 4 मार्च, 2005 को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर इसमें दिए गए प्रस्तावों यथा शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.)

के लिए द्विस्तरीय विनियमन एवं पर्यवेक्षण, राज्य सरकारों के साथ होने वाले समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.), सहकारी शहरी बैंकों के लिए कार्य दल की भूमिका (टी.ए.एफ.सी.यू.बी.), कार्पोरेट अभिशासन आदि पर जनता से प्रतिपुष्टि लेने के लिए दिया गया है जिससे यू.सी.बी. को समाज के अनिवार्य रूप से मध्यम एवं निम्न मध्य वर्गों और सीमांत वर्गों को आवश्यकता आधारित गुणत्ता बैंकिंग सेवाएं देने के लिए संयुक्त स्वामित्व वाले, लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित तथा नैतिक रूप से प्रबंधित बैंकिंग संस्थाओं के लिए सुदृढ़ एवं स्वस्थ नेटवर्क के रूप में उठाने में मदद मिल सके।

(ग) सभी यू.सी.बी. कदाचार में लिप्त नहीं हुए हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में कुछ मुख्य धोखाधड़ियां/कदाचार आए हैं।

(घ) धोखाधड़ियों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यू.सी.बी. को विस्तृत दिशानिर्देश/अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यू.सी.बी. में बोर्डों के कार्यकरण, लेखा परीक्षा, निरीक्षण में सुधार के लिए भी कदम उठाए गए हैं : उदाहरणार्थ धोखाधड़ी की निगरानी के लिए एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना, धोखाधड़ियों के वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग की प्रणाली निर्धारित करना, यू.सी.बी. के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा एवं निवेश लेखा परीक्षा निर्धारित करना आदि।

विदेशों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

5309. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विभिन्न देशों को सहयोग प्रदान करती है;

(ख) इस समय विभिन्न देशों में चल रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है और कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ग) जहां ऐसी परियोजना स्थापित की गयी अथवा निर्माणाधीन है उसमें भारत सरकार और उस देश का योगदान कितना है; और

(घ) निर्माणाधीन परियोजनाओं द्वारा कब तक कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु हमारे पड़ोसी देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अधिष्ठापित क्षमता सहित पहले से ही प्रचालनाधीन और निर्माणाधीन ऐसी विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) पहले से चालू विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	एच.ई.पी. का नाम	देश	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	त्रिसूली एच.ई.पी.	नेपाल	21.00
2.	देवीघाट एच.ई.पी.	नेपाल	14.10
3.	पश्चिमी गण्डक एच.ई.पी.	नेपाल	15.00
4.	पोखरा एच.ई.पी.	नेपाल	1.00
5.	कटाईया	नेपाल	10.00
6.	चुखा एच.ई.पी.	भूटान	336.00
7.	कूरिचू	भूटान	60.00
8.	गाइस्ता	भूटान	1.50
9.	खालिंग एच.ई.पी.	भूटान	0.60
10.	यंगलाचू एच.ई.पी.	भूटान	2.00
11.	सिदावगई	म्यांमार	25.00

(ii) निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं:-

क्र.सं.	एच.ई.पी. का नाम	देश	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	भारत सरकार का वित्तपोषण	पूरा होने का संभावित कार्यक्रम
1.	ताला एच.ई.पी.	भूटान	1020.00	अनुदान 60% ऋण 40%	2005-06
2.	सलमा एच.ई.पी. (पुन: निर्माण)	अफगानिस्तान	42.00	100%	2008

*एच.ई.पी.-हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट

ए.पी.डी.आर.पी.

5310. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004 में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को अत्याधिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में वृद्धि के संकेत दिखाई दिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या नई परियोजनाओं के लिए निवेश को पूर्ववर्ती वर्षों में 4.0 करोड़ एम.डब्ल्यू. के स्थान पर 3-3.25 करोड़ एम.डब्ल्यू. तक घटाकर नए मानदण्ड (बेंचमार्क) स्थापित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या विद्युत वितरण सुधार कार्यक्रम भी ग्यारह राज्यों में सफल रहा है और उनके घाटे में 800 करोड़ रुपये की कमी होने की भी सूचना है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय वर्ष 2004-2005 के दौरान विद्युत क्षेत्र में किस हद तक सुधार कर पाया है; और

(ङ) विद्युत क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले सुधारों हेतु परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) अभी हाल ही में विद्युत क्षेत्र में अनेक सकारात्मक विकास हुए हैं:-

- विद्युत उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा और इसमें 5.2% की वृद्धि हुई।
- ताप विद्युत केंद्रों का प्लांट लोड फैक्टर, जो 2003-04 में 72.7% था, 2004-05 में 74.8% हो गया।
- विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति घोषित की गई थी। राष्ट्रीय विद्युत अधिनियम में 2012 तक 100 यूनिट से अधिक तथा न्यूनतम जीवन रेखा खपत एक यूनिट प्रतिदिन प्रति घर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- अगले पांच वर्षों में सभी गांवों एवं आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए 90% सब्सिडी के साथ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई है।

(ख) वर्तमान स्थिति के अनुसार कोयला आधारित मेगा विद्युत परियोजना की पूंजीगत लागत लगभग 3.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट आती है और 36-37 महीने में 500 मेगावाट की थर्मल परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए नये मानदंड स्थापित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) 2001-02 के बाद राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निरंतर बढ़ रही हानियां कम हुई हैं। राज्य विद्युत बोर्डों में वाणिज्यिक हानियां (सब्सिडी के बिना), जो 1992-93 में 4560 करोड़ रुपये थी, 2000-01 के दौरान 25,259 करोड़ रुपये हो गयी है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा संकलित आंकड़े के अनुसार राज्य यूटिलिटियों की हानियां, जो 2001-02 में 26,596 करोड़ रुपये थी, 2003-04 में घटकर 20,231 करोड़ रुपये हो गई है। टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में हानियां घट रही हैं और यह आगामी वर्षों में जारी रहेगी।

राज्य यूटिलिटियों को मदद करने के लिए केंद्र सरकार त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत तकनीकी हानियों में कमी करने तथा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने तथा नकद हानियों में अनुदान के जरिए कमी करने को बढ़ावा देने के लिए अभिज्ञात वितरण क्षेत्रों में निवेश के लिए राज्यों को फण्ड दे रही है।

हानियों में वास्तविक रूप से कमी के लिए ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत छह राज्यों को प्रोत्साहन राशि दी गई है:-

क्रम संख्या	राज्य	नकद हानि में कमी	जारी प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	530.22	265.11
2.	गुजरात	472.76	236.38
3.	हरियाणा	210.98	105.49
4.	महाराष्ट्र	275.78	137.89
5.	राजस्थान	275.42	137.71
6.	पश्चिम बंगाल	146.00	73.00

[हिन्दी]

रेशम उत्पादकों को लाभकारी मूल्य

5311. श्री बापू हरी चौरे: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में रेशम उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने घरेलू रेशम उद्योग के हितों की रक्षा के लिए और रेशम उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे देश में रेशम के उत्पादकों को लाभप्रद कीमत सुनिश्चित हुई है। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा निर्यातित अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड-2ए और उससे निम्न श्रेणी की सभी आयातित शहतूती अपरिष्कृत रेशम पर 2 जनवरी, 2003 से भारत सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है ताकि इन सामानों को उतारने के बाद मूल्य 27.97 अमरीकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. पर रखा जा सके।

(ii) घरेलू रेशम उद्योग की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:-

- अधिक उत्पादक और दाब सहनशील प्रजातियों तथा शहतूत और गैर-शहतूत खाद्य पादपों और रेशम कीटों की संकर प्रजातियों के विकास द्वारा, रेशम उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने तथा रेशम में कम लागत वाली रीलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास तेज किए गए हैं।

- केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों, किसानों एवं रीलर्स को मूल प्रजाति एवं मूल बीज के रखरखाव, वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति और रोग मुक्त अधिक पैदावार और सूखा रोधक बीजों के उत्पादन के लिए खाद्यान्न सुविधाओं के संवर्धन द्वारा बीज सहायता एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

- राज्यों को कृषि अध्यसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेशम उत्पादन के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि, रीलिंग सुविधाओं के उन्नयन, परिष्करण प्रक्रियाओं में सुधार, बीज आपूर्ति, कोया एवं रेशम परीक्षम प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

- केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित की गई निम्न लागत एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों को लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता, राज्यों की विस्तार मशीनरी एवं लाभार्थियों को प्रशिक्षण, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है।

- स्वदेशी रेशम उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नत के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के तहत, लागू बैंक दर से 5% बिंदु कम पर ऋण अन्य बातों के साथ-साथ रेशम क्षेत्र के लिए उपलब्ध है।

- किसानों, अपरिष्कृत रेशम उत्पादकों और बुनकरों के मध्य आपूर्ति शृंखला संबंधी मुद्दों का, कांट्रेक्ट खेती मॉडल, कीमत संबद्ध ग्रेडिंग आदि का पक्ष लेकर समाधान किया जा रहा है।

- रेशम कीट बीज, कोये, यार्न और फैब्रिक के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियां स्थापित करना।

- उपर्युक्त कार्य नीति एवं कार्यक्रमों की सहायता के लिए रेशम उत्पादन क्षेत्र के वास्ते 10वीं योजना में 450 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

- मूल्य वर्धित रेशम मदों का निर्यात निर्यातकों को विदेश में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने, बाजार अनुसंधान एंव सर्वेक्षण आदि के लिए सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एस.जी.आर.वाई. के लिए खाद्यान्न

5312. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के जिलों के लिए वर्ष 2001-2005 के दौरान एस.जी.आर.वाई. और वर्ष 2004-05 के दौरान एन.एफ.एफ.डब्ल्यू. कार्यक्रम के लिए इन दोनों जिलों के लिए किए गए आबंटन के अनुसार आबंटित खाद्यान्नों को अभी भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजा जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका वर्षवार कितनी मात्रा में आबंटन किया गया और इसे भेजा गया;

(ग) असम के अन्य जिलों में ऐसी सुपुर्दगी की स्थिति क्या है;

(घ) खाद्यान्नों की समय पर सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या कतिपय जिले भारतीय खाद्य निगम के नौगांव डिपो से चावल उठाने हेतु बाध्य हैं; और

(च) यदि हां, तो इन जिलों को माल ढुलाई के लिए कितना मुआवजा दिया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत प्राधिकृत कुल खाद्यान्न में से 97% खाद्यान्न उठाए गए हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान पहली किस्त के रूप में प्राधिकृत खाद्यान्न को उठाने की प्रक्रिया चल रही है जबकि योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त और खाद्यान्न की अगली किस्त को मार्च, 2005 के दौरान प्राधिकृत किया गया था। एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत 98% प्राधिकृत खाद्यान्न 2003-04 के दौरान उठाए गए हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान खाद्यान्न को दिसम्बर, 2004 में प्राधिकृत किया गया था और खाद्यान्न उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत 5 जिलों के लिए प्राधिकृत खाद्यान्न के रूप में कोई खाद्यान्न नहीं उठाया गया है।

(ख) और (ग) सामान्य एस.जी.आर.वाई., विशेष घटक और एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत प्राधिकृत और उठाए गए (वितरित) खाद्यान्न को दर्शाने वाला जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण I, II, और III में दिया गया है।

(घ) एफ.सी.आई. के नामित डिपो में खाद्यान्नों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकें बुलाई गई हैं ताकि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इनकी आपूर्ति की जा सके।

(ङ) एफ.सी.आई. ने नौगांव और एफ.सी.आई. के होजाई डिपो से चावल उठाने के लिए धीमाजी, करबीआंगलांग तथा एन.सी. हिल्स जैसे जिलों को प्राधिकृत किया गया है।

(च) असम सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वे खाद्यान्नों की ढुलाई पर हुए खर्च को करबीआंगलांग तथा एन.सी. हिल्स जिलों के संबंध में कार्यक्रम के अंतर्गत नकद घटक में से 25 रु. प्रति क्विंटल की दर से पूरा करें जबकि इससे अधिक खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष जिलों के संबंध में भी ढुलाई लागत का वहन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत प्राधिकृत एवं उठाए गए खाद्यान्न के जिलेवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

खाद्यान्न मि.टन में (चावल)

क्र.सं.	जिला	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		प्राधिकृत	उठाए गए	प्राधिकृत	उठाए गए	प्राधिकृत	उठाए गए	प्राधिकृत	उठाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बरपेटा	13869	13869	15816	15816	16854	16854	15792	7479
2.	बोंगाईगांव	20162	20082	22982	22982	21757	21757	17745	17252
3.	कछार	14914	14826	17007	13911	15952	15952	14376	730
4.	दरांग	16761	12167	19109	18394	20213	20213	18002	8220
5.	धीमाजी	13869	10715	15828	14756	17476	15858	14378	1804
6.	धुबरी	14149	14149	16088	16088	17487	17487	14341	9100
7.	डिबरूगढ़	8293	8293	9468	9468	10771	10771	9568	3500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	ग्वालपाड़ा	9083	9083	10365	10365	11188	11188	10376	3391
9.	गोलाघाट	11064	10100	8188	8188	11757	11757	12373	8792
10.	हैलाकांडी	9994	9994	11405	10905	12213	12213	11527	2120
11.	जोरहाट	12401	10816	14123	14123	16689	16689	13715	6300
12.	क. आंगलांग	19430	19360	17618	17618	22646	17940	21732	7070
13.	कामरूप	15428	15397	14343	14343	17940	22646	16706	4400
14.	करीमगंज	12288	8472	10525	10525	14776	14777	12907	1000
15.	कोकराझार	24970	24970	28479	28479	30237	30237	28591	21380
16.	लखीमपुर	13632	12228	15542	11587	14671	14167	14795	7250
17.	मोरीगांव	12088	11957	10326	10326	14527	14527	13038	500
18.	एन.सी. हिल्स	11857	11857	13531	13531	13601	13601	12791	1519
19.	नौगांव	14343	11544	16355	16355	16867	16867	15645	1400
20.	नलवाड़ी	16801	16801	19163	19163	19973	19973	19113	5043
21.	शिवसागर	5911	4209	7724	7724	6207	6207	5879	1500
22.	सोनितपुर	17312	17270	19748	19748	19418	19418	17781	4000
23.	तिनसुकिया	6822	6822	9712	9712	8263	8264	7566	5833
	कुल	315441	294981	343445	334107	371483	369363	338737	129584

विवरण-II

एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत प्राधिकृत एवं उठाए गए खाद्यान्न के जिलेवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

खाद्यान्न मि.टन में (चावल)

क्र.सं.	जिला	2003-2004		2004-2005	
		प्राधिकृत	उठाए गए	प्राधिकृत	उठाए गए
1	2	3	4	5	6
1.	बरपेटा	1900	1900	9246	500

1	2	3	4	5	6
2.	बोंगाईगांव	शून्य	शून्य	5777	943
3.	कछार	शून्य	शून्य	6769	2000
4.	दरांग	1700	1252	4412	1259
5.	धीमाजी	4200	3872	2998	2998
6.	धूबरी	10300	10300	9910	7500
7.	डिबरूगढ़	1300	1300	1198	1198
8.	ग्वालपाड़ा	7000	7000	6541	199
9.	गोलाघाट	शून्य	शून्य	1690	1690
10.	हैलाकांडी	4450	4450	2314	500
11.	जोरहाट	3600	3600	2406	1248
12.	क. आंगलांग	4200	4200	9301	0
13.	कामरूप	शून्य	शून्य	1476	1000
14.	करीमगंज	1350	1350	4029	277
15.	कोकराझार	शून्य	शून्य	982	982
16.	लखीमपुर	1800	1800	6154	1339
17.	मोरीगांव	शून्य	शून्य	456	750
18.	एन.सी. हिल्स	शून्य	शून्य	2233	100
19.	नौगांव	2800	2800	10770	2549
20.	नलवाड़ी	3300	3300	4429	1270
21.	शिवसागर	शून्य	शून्य	1410	1410
22.	सोनितपुर	2100	2100	4108	3200
23.	तिनसुकिया	शून्य	शून्य	1391	1391
	कुल	50000	49224	100000	34303

विवरण-III

एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत प्राधिकृत खाद्यान्न के जिलेवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

खाद्यान्न मि.टन में (चावल)

		2004-2005
क्र.सं.	जिला	प्राधिकृत
1	कोकराझार	32490
2	एन.सी. हिल्स	15437
3	करबी आंगलांग	25282
4	धीमाजी	18047
5	उत्तर लखीमपुर	17728
	कुल	108984

कोएल कारो विद्युत परियोजना के लिए विदेशी ऋण

5313. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब सरकार ने देश में कोएल कारो परियोजना स्थापित करने के लिए 100 मिलियन सऊदी रियाल का दूसार ऋण प्रदान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के विस्थापितों का पुनर्वास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी विस्थापितों का कब तक पुनर्वास किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारत सरकार द्वारा जून, 1981 में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.) द्वारा कोयल कारो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (710 मे.वा.) के निष्पादन हेतु निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया था, लेकिन स्थानीय जनता के विरोध के कारण परियोजना स्थल पर अभी तक कोई प्रमुख कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में विस्थापितों के पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं उठता।

पवन ऊर्जा

5314. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पवन ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के मानदंड क्या हैं;

(ख) इनकी स्थापना के लिए वास्तव में कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस प्रणाली की स्थापना के लिए किसानों को कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) क्या किसानों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमति प्रदान करने के लिए प्राय: कितने दिनों का समय लगता है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) मंत्रालय विद्युत उत्पादन के लिए पवन टरबाइनों और जल पंपन अनुप्रयोगों के लिए पवन मिलों की स्थापना द्वारा पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। पवन टरबाइन सामान्यतया ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं जहां 50 मीटर ऊंचाई पर 200 वाट प्रति वर्गमीटर या उससे अधिक का वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व होता है। जल पंपन पवन मिलें उन क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं जहां वार्षिक औसत पवन गति 10 किमी. प्रतिघंटा से अधिक होती है।

(ख) बड़ी क्षमता की पवन टरबाइनों की स्थापना के लिए व्यय 4.0 करोड़ रु. से 5.0 करेड़ रु. प्रति मेगावाट और 30 किलोवाट तक की लघु क्षमता की प्रणालियों के लिए प्रति किवा. 2.0 लाख रु. से 2.5 लाख रु. के बीच होता है। जल पंपन पवन मिलों की स्थापना में व्यय पवन मिल के प्रकार पर निर्भर करते हुए 50,000 रु. से 2.40 लाख रु. के बीच होता है।

(ग) मंत्रालय किसानों सहित व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं के लिए 30 किवा. क्षमता तक की पवन टरबाइनों की उत्पादन लागत

का 50% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है जो अधिकतम 1.25 लाख रु. प्रति किवा. के अध्यधीन है। जल पंपन पवन मिलों की स्थापना करने के लिए उत्पादन लागत का 50% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता है जो पवन मिल के प्रकार पर निर्भर करते हुए अधिकतम 20,000 से 45,000 रु. प्रति पवन मिल के अध्यधीन है।

(घ) और (ङ) किसानों द्वारा पवन मिलों तथा लघु क्षमता की पवन टरबाइनों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ संघ सरकार से कोई अनुमति आवश्यक नहीं है। तथापि किसानों सहित लाभार्थियों को उपर्युक्त प्रणालियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही नोडल एजेंसी से संपर्क करना आवश्यक है।

यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. का पुनर्गठन

5315. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अपने संगठनों को चुस्त-दुरुस्त बनाने की दृष्टि से यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. का पुनर्गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सूटी और आई.डी.बी.आई. की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दिनांक 1 फरवरी, 2003 से यू.टी.आई. का पुनर्गठन किया गया है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 को निरस्त किया गया है, जिससे यू.टी.आई. दो कंपनियों में द्विभाजित हो गया है - भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी) और यू.टी.आई. म्यूचुअल फंड (यू.टी.आई.एम.एफ.)। सूटी उन योजनाओं का प्रबंधन करता है जिनमें भारत सरकार की वचनबद्धता शामिल है, यू.टी.आई. एम.एफ. उन विशुद्ध म्यूचुअल फंड योजनाओं/ उत्पादों को नियंत्रित करता है, जो पूर्णत: सेबी अनुपालक हैं।

सरकार ने आई.डी.बी.आई. को पुनर्जीवित करने के लिए समुचित उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

(i) आई.डी.बी.आई. अधिनियम 1944 को निरस्त किया गया है तथा आई.डी.बी.आई. को एक बैंकिंग लाइसेंस दिया गया है ताकि आई.डी.बी.आई. न्यून लागत की जमाराशियों तक पहुंच बनाने में सक्षम हो सके।

(ii) आई.डी.बी.आई. लिमिटेड के साथ आई.डी.बी.आई. बैंक समामेलन अनुमत कर दिया गया है।

(iii) आई.डी.बी.आई. लिमिटेड के रिकार्डों से बाहर एक न्यास के रूप में स्ट्रेस्टड एसैट्स स्टेबलाईजेशन फंड का गठन किया गया है, जिसमें आई.डी.बी.आई. लिमिटेड ने 9000 करोड़ रुपए की राशि की अपनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को अंतरित किया है।

विवरण

सूटी की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

अवधि	सकल एन.पी.ए. (करोड़ रुपए)	निवल एन.पी.ए. (करोड़ रुपए)
31-3-2003 की स्थिति के अनुसार	6230.77	427.48
31-3-2004 की स्थिति के अनुसार	5984.91	0.00
31-3-2005 की स्थिति के अनुसार	4748.01	0.00

1. 31 मार्च, 2004 के अनुसार एन.पी.ए. की पूर्ण व्यवस्था की गई है।
2. पिछले दो वर्षों के दौरान वसूलियों के कारण सकल एन.पी.ए. में 1482 करोड़ रुपए की गिरावट है।

आई.डी.बी.आई. लिमिटेड की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

अवधि	सकल ए.पी.ए. (करोड़ रुपए)	निवल एन.पी.ए. (करोड़ रुपए)
2001-02	7932.00	3873.00
2002-03	8751.00	7517.00
2003-04	10292.00	8693.00

[हिन्दी]

"कापार्ट" संबंधी उप-समिति

5316. श्री कैलाश मेघवाल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कापार्ट के संबंध में सिफारिशें करने हेतु उप-समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों हेतु उप-समिति को सौंपे गए विचारार्थ विषय क्या हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष "कापार्ट" द्वारा गैर-सरकारी संगठनों का राज्यवार कितना अनुदान दिया गया है;

(घ) क्या कापार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत अनुदान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) कपार्ट के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सरकार ने किसी उपसमिति का गठन नहीं किया है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002 में कपार्ट के संबंध में, आने वाले वर्षों में कपार्ट की भूमिका तथा कार्य, इसका संगठनात्मक ढांचा, प्रशासनिक/वित्तीय प्रक्रिया तथा संबंधित मुद्दों के बारे में अपनी सिफारिशें देने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए राज्य-वार अनुदान का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) कपार्ट की शुरुआत से अब तक निधियों का दुरुपयोग, निर्धारित कार्यों को पूरा न करने, धोखाधड़ी आदि जैसे कारणों के लिए 338 गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया था, जिसमें से 240 मामलों में दी गई सहायता की वसूली शामिल है। वसूली प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों/जिला प्रशासनों के संबंधित पुलिस विभागों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना शामिल है।

विवरण

2002-03 के दौरान स्वीकृत तथा जारी अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8.02	6.22
2.	असम	0.47	0.01
3.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	-	-
4.	बिहार	15.61	8.75
5.	दिल्ली	0.91	0.63
6.	गुजरात	1.75	0.98
7.	हरियाणा	4.91	2.86
8.	हिमाचल प्रदेश	3.59	1.28

1	2	3	4
9.	जम्मू-कश्मीर	1.47	0.99
10.	झारखंड	1.48	1.20
11.	कर्नाटक	1.88	1.08
12.	केरल	1.49	1.15
13.	मणिपुर	0.84	0.51
14.	मेघालय	0.02	-
15.	मिजोरम	0.10	0.05
16.	महाराष्ट्र	2.79	2.68
17.	मध्य प्रदेश	1.14	0.93
18.	छत्तीसगढ़	0.15	0.48
19.	नागालैंड	0.01	0.05
20.	उड़ीसा	2.42	2.06
21.	पंजाब	0.65	0.26
22.	राजस्थान	2.57	0.86
23.	सिक्किम	-	-
24.	तमिलनाडु	3.46	2.89
25.	त्रिपुरा	0.08	0.21
26.	उत्तर प्रदेश	6.03	4.79
27.	उत्तरांचल	1.68	1.11
28.	पश्चिम बंगाल	3.59	2.89
29.	गोआ	0.01	0.01
30.	पांडिचेरी	0.14	0.01
	कुल	67.26	44.94

2003-04 के दौरान स्वीकृत तथा जारी अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8.39	6.19
2.	असम	0.60	0.44
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.03	1.48
4.	बिहार	8.37	9.11
5.	दिल्ली	1.00	0.13
6.	दादर व नगर हवेली	0.01	-
7.	गुजरात	3.58	2.17
8.	हरियाणा	5.23	4.63
9.	हिमाचल प्रदेश	2.42	2.22
10.	जम्मू-कश्मीर	0.54	0.48
11.	झारखंड	2.42	0.74
12.	कर्नाटक	3.84	3.02
13.	केरल	2.23	1.17
14.	मणिपुर	0.77	0.89
15.	मेघालय	0.04	0.03
16.	मिजोरम	0.12	0.06
17.	महाराष्ट्र	7.81	3.43
18.	मध्य प्रदेश	1.90	2.23
19.	छत्तीसगढ़	0.16	0.36
20.	नागालैंड	0.16	0.10
21.	उड़ीसा	4.06	2.86

1	2	3	4
22.	पंजाब	0.45	0.43
23.	राजस्थान	4.81	3.72
24.	सिक्किम	0.01	0.01
25.	तमिलनाडु	2.89	2.30
26.	त्रिपुरा	0.10	0.09
27.	उत्तर प्रदेश	13.57	6.04
28.	उत्तरांचल	3.13	1.56
29.	पश्चिम बंगाल	5.12	2.78
30.	गोआ	0.01	-
31.	पांडिचेरी	-	0.05
	कुल	83.77	58.72

2004-05 के दौरान स्वीकृत तथा जारी अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6.17	4.48
2.	असम	1.01	0.26
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.04
4.	बिहार	1.44	2.14
5.	दिल्ली	0.86	0.16
6.	दादर व नगर हवेली	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	1.56	2.21
8.	हरियाणा	1.27	0.63

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	2.08	0.51
10.	जम्मू-कश्मीर	0.43	0.36
11.	झारखंड	0.01	0.41
12.	कर्नाटक	2.95	1.31
13.	केरल	2.69	1.38
14.	मणिपुर	1.37	0.43
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	0.05	शून्य
17.	महाराष्ट्र	4.94	3.18
18.	मध्य प्रदेश	1.53	0.97
19.	छत्तीसगढ़	0.35	0.16
20.	नागालैंड	0.09	0.04
21.	उड़ीसा	1.37	2.25
22.	पंजाब	0.79	0.75
23.	राजस्थान	0.75	2.20
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य
25.	तमिलनाडु	2.55	1.80
26.	त्रिपुरा	0.09	0.02
27.	उत्तर प्रदेश	2.01	7.54
28.	उत्तरांचल	1.19	1.82
29.	पश्चिम बंगाल	2.25	3.01
30.	गोआ	-	0.02
31.	पांडिचेरी	-	-
	कुल	39.86	38.06

टिप्पणी: अनंतिम

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों की निगरानी

5317. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में सहकारी बैंकों के कार्यकरण और निगरानी के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) के लिए दृष्टिकोण पत्र (विजन डाक्यूमेंट) का प्रारूप दिया है, जिसमें जनता से प्रतिसूचना मंगाई गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि शहरी सहकारी बैंक (यू.सी.बी.) संयुक्त स्वामित्व वाले, प्रजातांत्रिक रूप से नियंत्रित और नीतिपरक दृष्टि से प्रबंधित बैंकिंग संस्थाओं के ठोस एवं स्वस्थ नेटवर्क के रूप में उभरकर सामने आएं, जो अनिवार्य रूप से मध्य एवं निम्न मध्य वर्गों और समाज के सीमांत वर्गों को आवश्यकता पर आधारित गुणवत्तायुक्त बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें।

इसके अलावा, सरकार द्वारा ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के संबंध में एक कृतिक बल गठित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृतिक बल द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों से सहमति व्यक्त की है, किन्तु सहकारी बैंकों के विनियमन/निगरानी के लिए कानूनी ढांचे में परिवर्तनों के संबंध में कुछ विकल्पों का सुझाव दिया है।

सरकार ने कृतिक बल की रिपोर्ट को कार्यान्वयन हेतु सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकारों के साथ परामर्श शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

स्वच्छता/पेयजल परियोजनाएं

5318. श्री रामदास आठवले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास जैसी राज्यों की कुछ परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कब से लम्बित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल प्रदान की गई और आबंटित कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है और इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कुल परियोजनाओं को स्वीकृति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निधियां प्रति वर्ष आवंटित की जाती हैं और परियोजना तैयार करने, उन्हें अंतिम रूप देने तथा अनुमोदित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, राज्यों की कोई भी पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं केंद्र सरकार के अनुमोदन हेतु लंबित नहीं हैं। तथापि, स्वच्छता के मामले में, संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रस्तावों की प्राप्ति तथा उनकी मंजूरी एक सतत् प्रक्रिया है। मार्च, 2005 में अंतिम राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति की तारीख के बाद कुछ राज्यों से प्राप्त संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित हैं:-

राज्य	केंद्र सरकार के पास लंबित परियोजना की सं.
राजस्थान	8
कर्नाटक	8
बिहार	3
मिजोरम	3
असम	1
छत्तीसगढ़	1
हिमाचल प्रदेश	1

डी.डी.पी. (बंजरभूमि विकास कार्यक्रम) और डी.पी.ए.पी. (सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम) के क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के मामले में, पहचाने गए जिलों/प्रखंडों के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को निधियां रिलीज की जाती हैं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मामले में राज्यों से प्रत्येक वर्ष जिलों की प्राथमिकता सूची मांगी जाती है और तद्नुसार उस वर्ष के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 2004-05 तक आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत स्वीकृति के लिए कोई भी परियोजना लंबित नहीं है।

(ग) टी.एस.सी. परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दी गई कुल राशि के राज्यवार ब्यौरे और पिछले तीन वर्षों की वर्षवार उपलब्धियां संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई हैं।

(घ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रस्तावों की प्राप्ति तथा उनकी मंजूरी एक सतत् प्रक्रिया है। सभी लंबित परियोजनाएं विभाग के विचाराधीन हैं।

(ङ) और (च) चालू वर्ष में सभी लंबित प्रस्तावों को अपने आप अनुमोदित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है बशर्ते वे टी.एस.सी. दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।

विवरण-I

टी.एस.सी. के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान केंद्रीय अंश की राज्यवार रिलीज और उपलब्धियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय अंश की रिलीज	आई.एच.एच. एल.एस.	विद्यालय शौचालय	बालवाड़ियों के लिए शौचालय	स्वच्छता परिसर	आर.एस.एम./ पी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1600.87	73474	1999	300	0	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	6	0	0	0
3.	असम	0.00	0	0	0	0	3
4.	बिहार	1548.70	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसढ़	175.64	0	0	0	0	0
6.	दादर व नगर हवेली	3.15	0	0	0	0	0
7.	गोआ	0.00	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	94.65	0	114	0	0	0
9.	हरियाणा	402.90	99	151	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	79.29	29	18	0	2	0
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	4	0	5	4
12.	झारखंड	223.87	13	0	0	0	8
13.	कर्नाटक	0.00	13707	142	0	7	0
14.	केरल	439.27	100867	112	0	71	2

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मध्य प्रदेश	644.93	10034	891	0	5	0
16.	महाराष्ट्र	591.37	60570	3430	1	296	3
17.	मणिपुर	0.00	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0.00	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	0.00	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	13.79	0	0	0	0	0
21.	उड़ीसा	1113.85	44876	1582	0	60	47
22.	पांडिचेरी	0.00	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	52.67	15263	277	0	24	7
24.	राजस्थान	265.62	0	0	0	0	0
25.	सिक्किम	17.98	700	306	43	16	0
26.	तमिलनाडु	2192.49	14894	381	743	70	0
27.	त्रिपुरा	249.56	33825	233	44	2	16
28.	उत्तर प्रदेश	2137.30	0	0	0	0	0
29.	उत्तरांचल	151.16	0	0	0	0	0
30.	पश्चिम बंगाल	2011.21	334163	1551	0	0	10
31.	अन्य	100.00	0	0	0	0	0
	कुल योग	14110.27	702505	11197	1131	558	110

अनुबंध-II

टी.एस.सी. के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान केंद्रीय अंश की राज्यवार रिलीज और उपलब्धियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय अंश की रिलीज	आई.एच.एच. एल.एस.	विद्यालय शौचालय	बालवाड़ियों के लिए शौचालय	स्वच्छता परिसर	आर.एस.एम./ पी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4660.35	2156487	24515	227	10	412

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	5240	256	10	0	0
3.	असम	199.31	10308	75	0	0	8
4.	बिहार	0.00	32973	380	0	198	87
5.	छत्तीसगढ़	0.00	892	1098	0	12	13
6.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0	0	0	0
7.	गोआ	0.00	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	0.00	7	293	0	0	0
9.	हरियाणा	62.06	40956	314	0	8	15
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	41	189	2	13	3
11.	जम्मू-कश्मीर	76.48	623	65	0	0	0
12.	झारखंड	284.61	8970	618	0	58	29
13.	कर्नाटक	0.00	17754	873	12	12	2
14.	केरल	864.13	115025	757	15	331	36
15.	मध्य प्रदेश	4425.96	43267	5543	479	59	103
16.	महाराष्ट्र	725.05	135236	2051	1115	237	67
17.	मणिपुर	103.56	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	221.37	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	11.51	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	0.00	24124	271	34	65	2
21.	उड़ीसा	284.16	220780	4027	0	1	217
22.	पांडिचेरी	0.00	900	26	2	1	2
23.	पंजाब	0.00	2432	98	0	2	0
24.	राजस्थान	119.12	16372	2164	0	10	20
25.	सिक्किम	38.37	3000	173	0	16	0
26.	तमिलनाडु	2770.53	684103	8401	8163	288	106

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	त्रिपुरा	819.21	246413	538	661	4	476
28.	उत्तर प्रदेश	3120.44	487248	3847	0	276	63
29.	उत्तरांचल	13.40	767	0	0	0	0
30.	पश्चिम बंगाल	1181.10	2574863	10767	0	472	383
31.	एच.आर.डी.	12.50	0	0	0	0	0
32.	आई.ई.सी.	250.00	0	0	0	0	0
33.	अन्य	256.67	0	0	0	0	0
	कुल योग	20500.00	6828781	67339	10720	2073	2044

विवरण-III

टी.एस.सी. के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान केंद्रीय अंश की राज्यवार रिलीज और उपलब्धियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय अंश की रिलीज	आई.एच.एच. एल.एस.	विद्यालय शौचालय	बालवाड़ियों के लिए शौचालय	स्वच्छता परिसर	आर.एस.एम./ पी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3362.27	367818	8729	7	12	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	2393	52	3	0	0
3.	असम	254.95	28307	37	0	0	5
4.	बिहार	120.00	47547	66	0	68	43
5.	छत्तीसगढ़	1100.17	4325	586	0	3	11
6.	दादर व नगर हवेली	0.00	37	0	0	1	0
7.	गोआ	134.67	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	3690.44	54972	223	0	0	0
9.	हरियाणा	811.13	217700	539	1406	154	17
10.	हिमाचल प्रदेश	50.00	199	112	0	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	जम्मू-कश्मीर	1044.88	1878	51	0	0	0
12.	झारखंड	1946.71	16883	1362	7	0	142
13.	कर्नाटक	461.99	3450	557	19	22	0
14.	केरल	805.53	166432	435	476	110	20
15.	मध्य प्रदेश	2242.97	355613	7996	670	79	193
16.	महाराष्ट्र	3493.05	382478	7011	2094	394	251
17.	मणिपुर	0.00	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0.00	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	60.00	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	62.69	1827	6	0	6	0
21.	उड़ीसा	4582.48	374064	2619	17	0	191
22.	पांडिचेरी	47.42	0	0	2	4	0
23.	पंजाब	699.94	0	55	0	0	0
24.	राजस्थान	700.86	116552	4245	6	8	69
25.	सिक्किम	74.07	34208	35	0	30	0
26.	तमिलनाडु	2972.06	717346	5207	5399	588	94
27.	त्रिपुरा	368.73	51380	754	970	16	5
28.	उत्तर प्रदेश	3475.35	806537	5821	0	144	82
29.	उत्तरांचल	503.23	35359	69	0	10	13
30.	पश्चिम बंगाल	1566.85	426429	3425	1	70	107
31.	एच.आर.डी.	500.00	0	0	0	0	0
32.	आई.ई.सी.	1439.00	0	0	0	0	0
33.	एम. एंड ई.	9.00	0	0	0	0	0
34.	एम.आई.एस. और कम्प्यूटरीकरण	25.00	0	0	0	0	0
	कुल योग	36705.44	4213734	49992	11077	1725	1256

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा

5319. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन ऊर्जा उत्पादकों ने सरकार से वर्तमान कर योजना में प्रोत्साहन देने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से निवेशक आकर्षित हो सकते हैं और उपभोक्ताओं के लिए कम लागत में अधिक बिजली के उत्पादन में सहायता मिल सकती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) पवन विद्युत अधिकांश संभावित राज्यों में 80 प्रतिशत त्वरित मूल्यह्रास, रियायती सीमा और उत्पाद शुल्क तथा अधिमान्य शुल्क दरों जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों के रूप में अनेक रियायतें प्राप्त करता है। इसके परिणामस्वरूप, दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान 5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में स्थापित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता का 13 प्रतिशत हिस्सा केवल पवन विद्युत से प्राप्त हुआ है। तद्नुसार, इस अवधि में पवन विद्युत का लक्ष्य 160 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इस क्षेत्र में प्रगति अत्यन्त संतोषजनक है।

विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु केन्द्रीय विधान

5320. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विदेशी नागरिकों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए देश में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु केन्द्रीय विधान बनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधान को कब तक लाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

लौह अयस्क संबंधी रॉयल्टी

5321. श्री प्रदीप गांधी:

श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लौह अयस्क संबंधी रॉयल्टी कब निर्धारित की गई थी और उस समय लौह अयस्क का औसत बाजार मूल्य कितना था;

(ख) लौह अयस्क की रॉयल्टी निर्धारित करने के दौरान पिछली बार के लौह अयस्क के औसत बाजार मूल्य की तुलना में रॉयल्टी की प्रति टन धनराशि का प्रतिशत कितना है;

(ग) अक्तूबर, 2004 से पूर्व लौह अयस्क की रॉयल्टी किस तिथि को निर्धारित की गई थी और इसके निर्धारण के समय रॉयल्टी की धनराशि की तुलना में औसत बाजार मूल्य का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या अक्तूबर, 2004 में निर्धारित रॉयल्टी के बाजार मूल्य की प्रतिशतता इससे पूर्व निर्धारित रॉयल्टी की प्रतिशतता की तुलना में काफी कम था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इसको पुनर्जीवित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) लौह अयस्क पर रॉयल्टी अन्तिम बार दिनांक 14-10-2004 की सरकारी राजपत्र अधिसूचना के तहत निर्धारित की गई थी। लौह अयस्क की रासायनिक संरचना और भौतिक लक्षणों दोनों के आधार पर इसके अनेक तरह के ग्रेड हैं और उनकी कीमतें भिन्न-भिन्न हैं। लौह अयस्क पर रॉयल्टी टनेज आधार पर प्रभारित की जाती है न कि उसके औसत बाजार कीमत के प्रतिशत के आधार पर। वर्ष, 2004 के पूर्व, लौह अयस्क सहित खनिजों पर रॉयल्टी की दरों को 12-9-2000 को अधिसूचित किया गया था। लौह अयस्क के अलग-अलग ग्रेडों की टनेज आधार पर रॉयल्टी की दरें वर्ष 2000 में अधिसूचित दरों की तुलना में वर्ष 2004 में निम्नवत् बढ़ाई गई हैं:-

वर्ष	2000	2004
लौह अयस्क		
(i) लम्प्स:		
(क) 65 प्रतिशत अथवा इसके अधिक लौह की मात्रा वाले।	चौबीस रुपए पचास पैसा प्रति टन	सत्ताइस रुपए प्रतिटन
(ख) 62 प्रतिशत अथवा अधिक लौह की मात्रा वाले परंतु 65 प्रतिशत से कम लौहांश वाले।	चौदह रुपए पचास पैसा प्रति टन	सोलह रुपए प्रतिटन
(ग) 62 प्रतिशत से कम लौह की मात्रा वाले।	दस रुपए प्रतिटन	ग्यारह रुपए प्रतिटन
(घ) 60 प्रतिशत से कम लौह की मात्रा वाले।	सात रुपए प्रतिटन	
(ii) फाइन्स:		
(क) 65 प्रतिशत अथवा इससे अधिक लौह की मात्रा वाले।	सत्रह रुपए प्रतिटन	उन्नीस रुपए प्रतिटन
(ख) 62 प्रतिशत अथवा अधिक लौह की मात्रा वाले परंतु 65 प्रतिशत से कम लौहांश वाले।	दस रुपए प्रतिटन	ग्यारह रुपए प्रतिटन
(ग) 62 प्रतिशत से कम लौह की मात्रा वाले।	सात रुपए प्रतिटन	आठ रुपए प्रतिटन
(iii) 40 प्रतिशत अथवा इससे कम लौह की मात्रा वाले निम्न ग्रेड अयस्क का कॉनसनट्रेशन और/अथवा सज्जीकरण द्वारा तैयार किए गए सान्द्र।	तीन रुपए प्रतिटन	चार रुपए प्रतिटन

(ङ) और (च) (क) से (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंक में अनियमितताएं

5322. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में पाई गई अनियमितताओं का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा सतत आधार पर करता है। निरीक्षण के दौरान बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों से विचलन या कार्यान्वयन न किए जाने के जिन मामलों का पता लगता है, उनकी पुनरीक्षा की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित बैंकों के प्रबंधकों के साथ उठाया जाता है। अनियमितताएं मुख्यत: प्रावधान करने, अनुपयोज्य आस्तियों के उच्च स्तर, बैंकों के बीच अनुपयोज्य आस्तियों की अदला-बदली की प्रथा, आन्तरिक नियंत्रण में कमी, प्रत्यायोजित शक्तियों का उल्लंघन, सेवान्त लाभों के संबंध में अपर्याप्त प्रावधान किया जाना, धोखाधड़ियां और आय में कमी आदि से संबंधित हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35 के तहत निरीक्षण रिपोर्टें गोपनीय प्रकृति की हैं और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34-क के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक इन रिपोर्टों की विषयवस्तु को प्रकट नहीं करता।

[हिन्दी]

एस्बेस्टस खनन में लगे मजदूरों के स्वास्थ्य का अध्ययन

5323. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो ने एस्बेस्टस खनन में लगे मजदूरों के स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अध्ययन में एस्बेस्टस के खनन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की कोई सिफारिश की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने और एस्बेस्टस खनन को पट्टे पर देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एस्बेस्टस खानों में तथा प्रोसेसिंग संयंत्रों में प्रदूषण स्तर के वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से एस्बेस्टस खनन के विस्तार पर से प्रतिबंध को हटाने की व्यवहार्यता का आकलन करने तथा उपयुक्त प्रशमनकारी उपाय सुझाने के लिए खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा आरंभ किये जाने वाली "राजस्थान में एस्बेस्टस खानों तथा प्रोसेसिंग संयंत्रों में प्रदूषण स्तर पर अध्ययन" शीर्षक वाली एस. एण्ड टी. परियोजना को खान मंत्रालय ने 1998 में अनुमोदित किया था। इस अध्ययन ने यह सिफारिश की कि खनन पट्टे की मंजूरी और उनके नवीकरण पर तथा खनन के विस्तार पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाया जा सकता है बशर्ते कि विभिन्न प्रचालनों के कार्य संबंधी पर्यावरण में प्रदूषण स्तर को नियंत्रण में रखा जाए तथा दूसरे उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

(घ) और (ङ) अध्ययन की सिफारिशों की सभी स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करके जांच की गई है। कुछ स्टेक होल्डरों ने सुझाव दिया है कि उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ एस्बेस्टस के खनन की अनुमति दी जा सकती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके आई.बी.एम. से इन सुरक्षा उपायों को तैयार करने के लिए कहा गया है। वर्तमान में एस्बेस्टस के खनन पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है।

कहलगांव विद्युत परियोजना

5324. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागलपुर के कहलगांव स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजना के द्वितीय चरण के मार्च, 2007 तक पूरा होने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या परियोजना कार्य खराब सड़कों और पुलों के कारण धीमा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों और पुलों हेतु कोई धन आवंटित किया गया है; और

(घ) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) कहलगांव चरण-II, जिसमें चरण-1 (2x500 मेगावाट) तथा चरण-II (1x500 मेगावाट) शामिल है, के विस्तार का कार्य कार्यान्वयनाधीन है। चरण-II की दो 500 मेगावाट यूनिटों की स्थापना मार्च, 2007 तक तथा 500 मेगावाट की तीसरी यूनिट की स्थापना मई, 2007 तक की जानी है। विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार परियोजना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(ग) और (घ) कार्य का निष्पादन भूतल परिवहन मंत्रालय (एम.ओ.एस.टी.) भारत सरकार के सहयोग से परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के एक भाग (153 से 157 कि.मी.) में रोड को मजबूत करने के लिए अपनी मांग के अनुसार एम.ओ.एस.टी. को 112 लाख रुपये जमा करवा दिए हैं। कार्य प्रक्रियाधीन है।

[अनुवाद]

निजी विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी

5325. श्री सुरेश कलमाडी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में निजी क्षेत्र की अनेक विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार ऐसी प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) भारत सरकार ने 6 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं अर्थात महाराष्ट्र में 740 मे.वा. दाभोल (फेस-1) और 1082 मेगावाट भद्रावती विद्युत परियोजनाएं, आंध्र प्रदेश में 216 मे.वा. जेगूरूपदू (फेस-1) और 1040 मेगावाट विशाखापटनम परियोजनाएं, तमिलनाडु में 250 मे.वा. नेवली जीरो यूनिट परियोजना तथा उड़ीसा में 420 मे.वा. आई.बी. वैली परियोजना (यूनिट 3 और 4) को काऊन्टर गारंटी प्रदान की है। 1206 मे.वा. की कुल क्षमता वाली तीन परियोजनाएं अर्थात दाभोल (फेस-1), जेगूपदू (फेस-1) और नेवली जीरो यूनिट परियोजना बाद में 2001 में बंद कर दी गई है। भद्रावती, विशाखापतनम और आई.बी. घाटी परियोजनाओं के लिए दी गई काऊन्टर गारंटियां परियोजना द्वारा अनिवार्य शर्तों का पालन न किए जाने के कारण समाप्त हो गई हैं।

[हिन्दी]

बैंकों के गैर-बैंकिंग कार्य

5326. डा. चिन्ता मोहन:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्यत: सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक औद्योगिक, कृषि और व्यापार-क्षेत्र की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के उत्तरदायित्व का वहन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बैंक अपने अर्जित लाभ का अधिकतर हिस्सा गैर-बैंकिंग कार्यों से अर्जित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग कार्यों में वार्षिक रूप से उपयोग की जा रही कुल पूंजी की औसत प्रतिशतता कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) जी, हां। विभिन्न समूहों के बैंक यथा, सरकारी, गैर सरकारी तथा सहकारी बैंक उद्योग, कृषि एवं व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। बैंक ऋण प्रदान करने में अपने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित सुव्यवस्थित ऋण नीति के अनुसार वाणिज्यिक निर्णय लेते हैं। वर्ष 2003-04 के लिए बैंक समूह-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ का अधिकांश हिस्सा व्यापारिक आय के कारण था जबकि विदेशी बैंकों के मामले में लाभ का अधिकांश हिस्सा विदेशी विनिमय लेनदेनों के कारण था।

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	व्यापारिक आय	परिचालन लाभ
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	19532	52671
सरकारी क्षेत्र के बैंक	15410	39475
(क) राष्ट्रीयकृत बैंक	10482	25111
(ख) स्टेट बैंक समूह	4928	14364
गैर सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक	1476	3196
गैर सरकारी क्षेत्र के नये बैंक	2034	5013
विदेशी बैंक	612	4987

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

5327. श्री अनन्त नायक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कितने गैस आधारित विद्युत संयंत्र लगाये गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों का निष्पादन कितना रहा;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एन.टी.पी.सी. का विचार नये गैस-आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) ने अभी तक भारत में 7 गैस/तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना की है। एन.टी.पी.सी. के विभिन्न गैस आधारित संयंत्रों को गैस की उपलब्धता तथा ग्रिड मांग के अनुसार संचालित किया जा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान इनका कार्यनिष्पादन निम्न प्रकार से है-

(उत्पादन आंकड़े मि.यू. में)

परियोजना	ईंधन	2002-03	2003-04	2004-05
अंता	गैस/नाप्था	2758.2	2772.5	2785.3
औरैया	गैस/नाप्था	4268.2	4248.9	4118.5
दादरी गैस	गैस/उच्च गति डीजल	5211.0	5060.3	5456.6
कवास	गैस/नाप्था	4203.2	3888.7	2822.4
गांधार	गैस	3369.7	3220.2	4031.7
फरीदाबाद	गैस/नाप्था	2702.3	2788.5	3161.7
कायमकुलम	नाप्था	2118.5	2118.0	621.7

(ग) और (घ) एन.टी.पी.सी. ने चालू वर्ष 2005-06 में गुजरात में स्थित कवास तथा गांधार पर 1300 मेगावाट के चरण-II विस्तार की निर्माण गतिविधियों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है। पर्यावरणीय स्वीकृति को छोड़कर सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। इन परियोजनाओं हेतु मुख्य संयंत्र उपकरण हेतु लगाई गई बोलियों को भी प्राप्त कर लिया गया है।

वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन

5328. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर राजस्थान में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित किए जाने की व्यापक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या प्रयास किये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस राज्य में नई वस्त्र मिलों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये मिलें किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी हां। राजस्थान राज्य सहित देश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की अत्यधिक संभावना है जिसका कारण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, इसके पास सशक्त और विविध बहु-फाईबर कच्चे माल के आधार में विशिष्ट शक्ति होना, कम लागत के कुशल कार्यबल की प्रचुर उपलब्धता, डिजायन क्षमता, उद्यमियों का कुशल होना और वस्त्र और अपैरल उद्योग में इसके कच्चे माल से ले कर तैयार माल तक की समग्र मूल्य शृंखला में इसकी उपस्थिति का होना है।

(ख) सरकार ने राजस्थान सहित देश के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं और विभिन्न योजनाएं शुरू की है। हाल ही में उठाए गए ऐसे कदमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सरकार विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाओं और योजनाओं द्वारा उद्यमियों को वस्त्र एककों की स्थापना करने के वास्ते अनुकूल और सुसंगत वातावरण प्रदान करती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की वर्तमान नीति राजस्थान सहित देश में किसी भी वस्त्र मिल की स्थापना करने की नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए हाल ही में सरकार द्वारा किए गए उपाय

- कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू किया है। इस मिशन से कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग और प्रैसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण द्वारा कपास की उत्पादकता बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है।

- संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की गई गयी है। इस योजना को वस्त्र उद्योग के लक्ष्यप्रधान उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के वास्ते और सुसंगत बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत को और कम किया गया है।

- विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए उच्च तकनीकी बुनाई पार्कों, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, सामूहिक कार्यशाला योजना और 20 प्रतिशत की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

- 2004-05 के बजट में मानव निर्मित फाईबर और फिलेमेंट यार्न को छोड़ कर समग्र वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। 2005-06 के बजट में पालिएस्टर फिलेमेंट यार्न पर केन्द्रीय मूल्य-वर्द्धित कर (सेनवाट) को 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए अधिक निवेश आकर्षित करना है।

- हमारे उत्पादों को कोटा पश्चात युग में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के वास्ते अत्याधुनिक मशीनों के आयात को सुकर बनाने के लिए 2005-06 के बजट में सूची-49 में उल्लिखित 23 मशीनों को छोड़ कर जिन पर 15 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बी.सी.डी.) लगता है, अन्य वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिकांश मशीनों पर 5 प्रतिशत का रियायती शुल्क 5 प्रतिशत ही कायम रहेगा।

- 2005-06 के बजट में निटिंग और निटवियर की 30 मदों को अनारक्षित कर दिया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार के आधुनिक एककों की स्थापना करना सुगम होगा।

- सरकार ने सितंबर, 2003 से ऋण पुनर्निर्माण योजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य बैंकों को 8-9 प्रतिशत की ब्याज दर पर वस्त्र क्षेत्र को ऋण देने की अनुमति प्रदान करना है।

- संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने और निर्यात को गति देने के लिए संकेंद्रित बल प्रदान करने की दृष्टि से निर्यात अपैरल पार्क योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य, प्रशिक्षण और सामान्य सुविधाओं के लिए प्रति अपैरल पार्क 17 करोड़ रु. तक का अनुदान देती है।

- देश के प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से वस्त्र केन्द्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) शुरू की गई है। भारत सरकार ऐसे केन्द्र विशेष के वास्ते 20 करोड़ रुपए तक का अनुदान देती है।

- शॉप फ्लोर स्तर पर कुशल जनशक्ति की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (ए.टी.डी.सी.) को सुदृढ़ बनाने और ऐसे नए केन्द्र खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

- उद्योग का प्रबंधन करने के वास्ते कुशल व्यावसायिकों को शामिल कर मूल्य संवर्द्धन की अवधारणा के प्रति उद्योग को सुग्राही बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना की गई है। इसके फलस्वरूप इस उद्योग को सेवा प्रदान करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

[हिन्दी]

खनिज खदानें

5329. श्री गणेश सिंह: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में कितनी खदानें हैं;

(ख) उनमें पाए जाने वाले खनिजों का नाम सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी खदानें लाभ अर्जित कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो खदान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त खदानों में राज्य-वार कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं; और

(च) देश में कितनी खदानों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क), (ख) और (ङ) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय - भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खानों की संख्या और अन्य ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा खान-वार लाभ/हानि का ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखा जाता है।

(च) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र में वर्ष 2003-04 के दौरान कार्यरत खानों (ईंधन, परमाणु और गौण खनिज खानों को छोड़कर) की संख्या 2317 थी।

विवरण

वर्ष 2003-04 (पी) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में कम्पनीवार दैनिक औसत रोजगार और कार्यरत कुल खानें (**)

कम्पनी का नाम	खानों की संख्या	दैनिक औसत रोजगार	खनिज का नाम
1	2	3	4
अल्मोडा मैग्नेसाइट लि.	1	210	मैग्नेसाइट
आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	2	71	लाइमस्टोन
		307	बैराइट्स
बरगढ़ सीमेंट लि.	1	163	लाइमस्टोन
भारत प्रोसेंस एण्ड मैकेनिकल इंजी. लि.	5	1121	लौह अयस्क
		115	मैंग्नीज अयस्क
बर्न स्टैंडर्ड कारपोरेशन लि.	1	414	मैग्नेसाइट
			डुनाइट
सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	6	258	लाइम स्टोन
		20	लैटराइट
			शैल
छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	2	65	बॉक्साइट
			टिन
डाइरेक्टरेट ऑफ जियोलोजी एण्ड माइनिंग, मध्य प्रदेश			हीरा
फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	9	69	जिप्सम
गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	8	52	फ्लोराइट साम्द्र
		430	बॉक्साइट

1	2	3	4
हिन्दुस्तान कॉपर लि.	4	2677	तांबा अयस्क
			स्वर्ण
			चांदी
हिन्दुस्तान साल्ट लि.	2	45	रॉक साल्ट
हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लि.	2	3773	स्वर्ण
			चांदी
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.	4	1769	लौह अयस्क
इण्डियन रेयन अर्थ लि.	3	1712	सिल्लिमेनाइट
		142	गारनेट
इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि.	3	27	लाइमस्टोन
		489	क्रोमाइट
जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेंट लि.	1	27	लाइमस्टोन
जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लि.	2	43	लाइमस्टोन
		62	जिप्सम
झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	6	81	माइका
		57	लाइमस्टोन
		24	क्यानाइट
केरला क्लेज एण्ड सेरैमिक्स प्रोडक्ट्स लि.	3	245	क्योलिन
केशकल जी.एन. इण्डिया बॉक्साइट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.	1	18	बॉक्साइट
केन्द्रमुख आयरन और कम्पनी लि.	1	1361	लौह अयस्क
मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.	8	483	फास्फोराइट
		73	पायरोफाइलाइट
			डाइसपोर
		5	डोलोमाइट
		480	बॉक्साइट

1	2	3	4
महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.	6	22	लाइमस्टोन
		18	लौह अयस्क
		82	डोलोमाइट
		79	सिल्लिमेनाइट
			कोरंडम
			पायरोफाइलाइट
		49	सिलिका सैंड
मालाबार सीमेंट लि.	1	187	लाइमस्टोन
मैग्नीज ओर इण्डिया लि.	10	6244	मैंग्नीज अयस्क
मावमलू चेरा सीमेंट लि.	1	61	लाइमस्टोन
मैसूर मिनरल्स लि.	21	354	मैंग्नेसाइट
		187	लाइमस्टोन
		47	फेल्सपार
			क्वार्ट्ज
		24	बॉक्साइट
		251	क्रोमाइट
		138	लौह अयस्क
		149	डोलोमाइट
		183	क्योलिन
			फायरक्ले
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि.	1	592	बॉक्साइट
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	7	3058	लौह अयस्क
		34	सिलिका सैंड
		320	हीरा
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.	1	10	बाल क्ले

1	2	3	4
उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	5	123	लौह अयस्क
		511	मैंग्नीज अयस्क
उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि.	19	2544	लौह अयस्क
		1082	क्रोमाइट
		925	मैंग्नीज अयस्क
राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.	43	887	फास्फोराइट
		256	जिप्सम
		23	फ्लोराइट (ग्रेडेड)
		12	सेलेनाइट
		298	लाइम स्टोन
		10	सेलेनाइट
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	4	21	मैंग्नीज अयस्क
		143	लाइम स्टोन
		207	डोलोमाइट
		18	सिलिका सैंड
सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लि.	6		सैंड (अन्य)
सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन लि.	2	148	तांबा अयस्क
			सीसा सान्द्र
			सीसा और जस्ता अयस्क
			जस्ता सान्द्र
स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि.	17	8544	लौह अयस्क
		1902	लाइमस्टोन
		634	डोलोमाइट
तमिलनाडु सीमेंट कारपोरेशन लि.	2	156	लाइमस्टोन
तमिलनाडु मैंग्नेसाइट लि.	1	598	मैंग्नेसाइट
			ब्रूनाइट

1	2	3	4
तमिलनाडु मिनरल्स लि.	9	148	क्वार्ट्ज
			फेल्सपार
		24	सिलिका सैंड
		22	लाइमस्टोन
		28	वर्मीकुलाइट
		38	ग्रेफाइट
दी बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लि.	1	1415	लाइमस्टोन
			डोलोमाइट
दी कर्णपुरा डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	2	130	लाइम स्टोन
दी केरला सेरैमिक्स लि.	1	133	क्योलिन
दी महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.	1	39	फ्लोराइट (ग्रेडेड)
त्रावणकोर सीमेंट लि.	1	70	लाइम शेल
विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.	3	15	लाइमस्टोन
		15	डूनाइट
		103	लौह अयस्क
वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	2	203	एपेटाइट
		29	फायरक्ले
वेस्ट बंगाल प्रोजेक्ट्स लि.	1	78	क्योलिन
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1		सैंड (अन्य)
			फायर क्ले
	244	50509	

(पी) अनंतिम स्रोत एम.सी.डी.आर. रिटर्न्स

(**) ईंधन, परमाणु और गौण खनिजों को छोड़कर

[अनुवाद]

फर्जी खाते

5330. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बैंकों में फर्जी खाते खोले जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक सरकार के ध्यान में ऐसे कितने खाते आए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों में फर्जी खाते खोले जाने का कोई दृष्टान्त उनकी जानकारी में नहीं है, जैसाकि वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए.एफ.आइ.), छानबीन आदि से पता चलता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रामागुण्डम विद्युत परियोजना

5331. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामागुण्डम विद्युत संयंत्र की सातवीं इकाई ने 1 अप्रैल, 2005 से उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी है और वर्तमान में कुल कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. ने दक्षिणी राज्यों के लिए गर्मियों में विद्युत के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश को कुल कितनी विद्युत मिलेगी; और

(ङ) रामागुण्डम और सिम्हाद्री विद्युत संयंत्रों का कुल विद्युत उत्पादन कितना है और इसमें से आंध्र प्रदेश को कुल कितनी विद्युत-आपूर्ति की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) 500 मे.वा. की रामागुण्डम की सातवीं ईकाई, चरण-III के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान आरंभ की गई थी, जिसे 25-03-2005 से व्यवसायिक घोषित कर दिया गया है। इससे रामागुण्डम सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुल संस्थापित/विद्युत उत्पादन क्षमता 2600 मे.वा. है।

(ग) और (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) स्टेशनों से प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड/पारेषण यूटिलिटियों को आबंटित केवल आंशिक जरूरतों को ही पूरा करते हैं, जो प्रत्येक राज्य में या वे स्वयं ही अथवा वितरण यूटिलिटियों के जरिए विद्युत का वितरण करते हैं। एन.टी.पी.सी. स्टेशन, ग्रीष्म ऋतु के महीनों को शामिल करते हुए चालू वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार से प्रयास करेगा।

एन.टी.पी.सी. स्टेशनों से आंध्र प्रदेश को विद्युत का आवंटन निम्नानुसार है:

स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	आंध्र प्रदेश का आवंटन (मे.वा.)
रामागुण्डम चरण-I व II	2100	677
रामागुण्डम चरण-III	500	172
सिम्हाद्री	1000	1000
तालचेर चरण-II	2000	*482
कुल	5600	2331

* इसमें 2000 मेगावाट की कुल क्षमता है जिसमें से 1500 मेगावाट की क्षमता को व्यवसायिक घोषित किया गया है।

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान, इन स्टेशनों से, आंध्र प्रदेश को आपूर्ति की जाने वाली तथा रामागुण्डम और सिम्हाद्री विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

स्टेशन	एक्स-बस जेनरेशन	आंध्र प्रदेश को आपूर्ति
रामागुण्डम	15277.35	4405.00
सिम्हाद्री	7663	7663.51

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की प्रोन्नति संबंधी समिति

5332. श्री संतोष गंगवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु गठित डा. के.पी. अग्रवाल समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझावों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) में कैरियर में तरक्की के संबंध में डा. के.पी. अग्रवाल समिति की सिफारिशों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके की गई थी परन्तु इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि ये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति नियमावली, 1998 के अनुरूप नहीं थीं। तथापि, समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आर.आर.बी. को प्रायोजक बैंकों से परामर्श करके स्केल-III श्रेणी के तहत रिक्तियों की संख्या का पता लगाने तथा आर.आर.बी. (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियमावली, 1998 के अनुसार पदोन्नति करने की सलाह दी गई थी।

[अनुवाद]

विनिवेश संबंधी श्वेत-पत्र

5333. श्री तथागत सत्पथी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के संबंध में श्वेत-पत्र प्रकाशित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) श्वेत-पत्र के कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के संबंध में श्वेत-पत्र तैयार किया जा रहा है और इसे आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद के सभा पटल पर रखे जाने की आशा है।

आंध्र प्रदेश में एकत्र राजस्व

5334. श्री ए. साई प्रताप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश से पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र किए गए राजस्व का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान एकत्र किए गए राजस्व में आंध्र प्रदेश का कितना हिस्सा है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश को कितना आवंटन किया गया/जारी किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश से प्रत्यक्ष कर के रूप में संग्रहित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	संग्रहीत राशि
2003-2004	3846
2004-2005*	4728

*वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आंकड़े अनंतिम हैं।

जहां तक अप्रत्यक्ष कर का संबंध है इसके राज्यवार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित पिछले दो वर्षों के दौरान परिकलित व जारी किया गया केन्द्रीय करों में आंध्र प्रदेश का हिस्सा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	जारी की गई राशि
2003-2004	5068.52
2004-2005	6058.42

मोबाइल फोनों को बीमा कवर

5335. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी ने एक अग्रणी निजी टेलीफोन सेवा कंपनी के साथ उसके मोबाइल फोनों को बीमा कवर देने के लिए समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी ने इस लेन-देन में भारी घाटा उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान सरकारी क्षेत्र की दो साधारण बीमा कंपनियों ने मोबाईल टेलीफोन सेवा प्रदान करने वालों को बीमा सुरक्षा दी थी। जबकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एन.आई.सी.) ने हैंडसेटों की बीमा और डिफाल्ट दायित्व बीमा के लिए मैसर्स रिलायंस इन्फोकोम और टाटा टेलीसर्विसेज को बीमा सुरक्षा प्रदान की, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मैसर्स रिलायंस इन्फोकोम को केवल डिफाल्ट दायित्व के लिए बीमा दी।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04 के लिए हैंडसेटों की बीमा और डिफाल्ट दायित्व के संबंध में प्रीमियम और एन.आई.सी. और ओ.आई.सी. द्वारा किए गए दावों का ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपए में)

	रिलायंस इन्फोकोम				टाटा सर्विसेज			
	हैंडसेट बीमा		डिफाल्ट दायित्व		हैंडसेट बीमा		डिफाल्ट दायित्व	
	प्रीमियम	किए गए दावे	प्रीमियम	किए गए दावे	प्रीमियम	किए गए दावे	प्रीमियम	किए गए दावे
एन.आई.सी.	29.49	89.36	60.43	152.34	2.39	0.0003	5.04	7.18
ओ.आई.सी.	-	-	16.20	51.75	-	-	-	-

एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृति

5336. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक असम में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इसने केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है; और

(घ) उक्त धनराशि से बनाई जाने वाली सड़कों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए सहमति दी है। असम, उड़ीसा और प. बंगाल इस उद्देश्य के लिए परियोजना राज्य होंगे। ऋण की शर्तें, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सहमत मानक शर्तें होंगी। बनाई जाने वाली सड़कों का चयन और निर्माण मानक, सामान्यत: पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे।

[हिन्दी]

हथकरघा समूह योजना

5337. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मो. ताहिर:
श्री वाई.जी. महाजन:

श्री राजनरायन बुधौलिया:

श्री विक्रम केशरी देव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा समूह योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में हथकरघा समूह स्थापित करने हेतु क्षेत्रों की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी हां, सरकार का विचार एक नई समेकित हथकरघा समूह योजना तैयार करने का है। अन्य बातों के साथ-साथ योजना में अवसंरचना की स्थापना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कच्चे माल की आपूर्ति, डिजाइन निवेश, विपणन सहायता इत्यादि के लिए व्यापक और समन्वित तरीके से सहायता उपलब्ध करवाने की परिकल्पना है। योजना प्रतिपादन की अवस्था में है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जानी है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में हथकरघा समूहों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से स्थानों की पहचान की जाएगी। इसलिए वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में हथकरघा समूहों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करना संभव नहीं है। तथापि, भारतीय ठेकेदारी विकास संस्थान (ई.डी.आई.), गांधी नगर, गुजरात के माध्यम से 5 जिलों अर्थात उत्तर प्रदेश में वाराणसी, आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में माधवराम, तमिलनाडु के कुडलौर जिले में कुरुंचीपाड़ी, उड़ीसा के सोनपुर जिले और असम के विजोई नगर में एक नैदानिक अध्ययन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सहकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

5338. श्री अर्जुन सेठी:

श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री सज्जन कुमार:

श्री राजेन गोहेन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने बैंकों के विलय तथा बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश के विरोध में 22 मार्च, 2005 को एक दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में एसोसिएशनों से ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में निजी/बहुराष्ट्रीय बैंकों को प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार बैंकों/निजी निवेश के विलय पर पुनर्विचार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम्): (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कर्मचारी यूनियन एवं अधिकारी संघ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय और अधिग्रहण तथा भारतीय बैंकों को विदेशी बैंकों/संस्थाओं/निवेशकों द्वारा अधिकार में लिए जाने के विरोध में 22 मार्च, 2005 को हड़ताल पर थे।

(ग) और (घ) इस संबंध में बैंक यूनियन संयुक्त मोर्चा द्वारा दी गई हड़ताल की सूचना भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) को प्राप्त हुई थी।

(ङ) से (छ) उदारीकरण के पश्चात गैर सरकारी/बहुराष्ट्रीय बैंक वित्तीय क्षेत्र सुधारोपरांत अवधि में देश में कार्य कर रहे हैं और वित्तीय क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बन चुके हैं। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक के विलय/निजीकरण के लिए स्वप्रेरणा से कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, एक राष्ट्रीयकृत बैंक का दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय आदि के माध्यम से समेकन संबंधी प्रस्ताव उनके प्रबंधन की ओर से आना है जहां सरकार एक आम शेयर धारक के रूप में सिर्फ सहायक भूमिका निभाएगी। साथ ही भारतीय बैंकिंग उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक ओर सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में घरेलू बैंकिंग प्रणाली का समेकन और दूसरी ओर चरणबद्ध तरीके से भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति में क्रमिक वृद्धि सहित नई पहलें करनी पड़ेंगी।

किसान क्रेडिट कार्ड

5339. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में कार्य-निष्पादन क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार किसान क्रेडिट की सीमा में वृद्धि करने और इसे सभी राज्यों, जिलों और गांवों में जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने किसानों के लाभ के लिए अन्य नई योजना आरंभ की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नई योजना से किसानों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना जो भारत में सभी राज्यों के लिए प्रयोज्य है, के तहत किसानों की सामयिक एवं पर्याप्त ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए के.सी.सी. जारी किये गये हैं। वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 (28 फरवरी, 2005 तक) के दौरान वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने क्रमश: 9340534, 8242756, 9248633 और 7043341 कार्ड जारी किये हैं।

(घ) से (च) एकल खिड़की के तहत किसानों की व्यापक ऋण अपेक्षाओं हेतु ऋण प्रदान करने के विचारार्थ के.सी.सी. योजना को हाल ही में संशोधित किया गया है तथा इसकी प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है जिसमें इसे अधिक लचीला बनाया गया है एवं इसके तहत सम्पूर्ण कृषि संबंधी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इस योजना में मीयादी ऋण साथ ही कृषि एवं इससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी तथा खपत आवश्यकताओं के लिए उचित संघटक शामिल हैं।

तीव्र विकास हेतु वस्त्र मदें

5340. श्री डी. विट्ठल राव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र व्यापार उद्योग में तीव्र विकास हेतु वस्त्र उत्पादन वर्ग में 30 मदों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वस्त्र व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। वस्त्र व्यापार उद्योग का तेजी से विकास आसान बनाने के लिए सरकार ने 2005-06 के बजट में लघु उद्योग के क्षेत्राधिकार से निटिंग एवं निटवियर से संबंधित 30 मदों को अनारक्षित कर दिया है। अनारक्षित मदों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सरकार ने वस्त्र व्यापार उद्योग को गति देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं:-

(1) वित्तीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू करना, वर्ष 2005-06 के लिए 435 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

(3) बजट 2004-05 में, मानव निर्मित फाइबर और फिलामेंट यार्न को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट दी गई थी और पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सैनवेट) 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है जिसका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(4) अत्याधुनिक मशीनों का आयात आसान बनाने के लिए विनिर्धारित वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क 2005-06 के बजट में कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया।

(5) वस्त्र उद्योग के विद्युतकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण तेजी से आगे बढ़ाने के लिए टी.यू.एफ.एस. के तहत मशीनों के लिए सीमा 20 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी के तहत 60 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. कर दी गई है और सहायता की राशि पर 20 लाख रु. की सीमा के अध्यधीन विनिर्धारित मशीनों में 1 करोड़ रु. तक के निवेश पर पूंजीगत सहायता उपलब्ध है।

(6) 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक के ऋण वाले ऐसे संभावित रूप से अर्थक्षम वस्त्र एककों के ऋण दायित्वों का पुनर्निर्माण करने के लिए एक पैकेज की घोषणा।

(7) लघु उद्योग से सिले-सिलाए परिधानों के बुनन क्षेत्र का अनारक्षण। साथ ही लघु उद्योग क्षेत्र से निटिंग व निटवियर की 30 मदों का भी अनारक्षण कर दिया गया है।

(8) संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना और नियति को गति देने

के लिए संकेंद्रित बल प्रदान करने के वास्ते 'निर्यात अपैरल पार्क योजना' नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई है। प्रत्येक अपैरल पार्क में प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए 2 करोड़ रु. की राशि अलग से रख दी गई है।

(9) सरकार ब्रांड संवर्धन के प्राथमिक उद्देश्य से विदेशी बाजारों से भारतीय ब्रांडों के संवर्द्धन के लिए पहले ही ब्रांड इक्विटी निधि योजना चला रही है।

(10) महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं के उन्नयन के लिए 'वस्त्र केन्द्र अध्यसंरचना विकास योजना' (टी.सी.आई.डी.एस.) नामक एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(11) प्रतिस्पर्द्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया; और

(12) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 की घोषणा और क्रियान्वयन, जिसका उद्देश्य ऐसे सशक्त एवं गतिशील वस्त्र उद्योग का विकास करना है जो वैश्विक परिदृश्य में क्लोदिंग के विनिर्माण एवं निर्यात में पूर्व प्रसिद्ध वैश्विक स्थिति प्राप्त कर सकें और उसे बनाए रख सकें।

विवरण

अनारक्षित वस्त्र उत्पादों के नाम

1. निटिड सूती वस्त्र
2. निटिड सूती वेस्ट
3. निटिड सूती जुराब
4. निटिड सूती अंडर गॉरमेंट
5. निटिड सूती शॉल
6. अन्य सूती निटिड वियर
7. निटिड ऊनी वस्त्र
8. निटिड ऊनी वेस्ट
9. निटिड ऊनी जुराब
10. निटिड ऊनी स्कार्फ
11. निटिड ऊनी अंडर गॉरमेंट
12. निटिड ऊनी टोपियां
13. निटिड ऊनी शॉल
14. ऊनी दस्तानें
15. निटिड ऊनी मफलर
16. अन्य ऊनी निटिड वियर
17. 1. सिंथेटिक निटिड जुराबे एवं स्टार्किंग
18. 2. वेस्ट, ब्रिक एवं ड्रावर जैसे सिंथेटिक निटिड अंडर वियर
19. 3. जर्सी स्लिपओवर, पोलोवर, कार्डिगन और जैकेज जैसे सिंथेटिक निटिड आऊटवियर
20. 4. बेबी सूट, निकर, फ्रॉक, अंडरवियर और आऊटवियर जैसे सिंथेटिक निटिड बच्चों के कपड़े
21. 5. स्लीवर द्वारा बने हाई पाइल फैब्रिक को छोड़कर सिंथेटिक निटिड फैब्रिक
22. 6. ट्रंक एवं कॉस्टयूम जैसे सिंथेटिक निटिड तैराकी विवर
23. 7. स्कार्फ, शॉल, टोली, टाई, ब्लाऊज और जीन जैसे सिंथेटिक निटवियर
24. 8. सिंथेटिक निटिड शर्ट, टी-शर्ट, कॉलर शर्ट एवं स्पोर्ट्स-स्कर्ट्स
25. 9. सिंथेटिक निटिड हॉज
26. 11. अन्य सिंथेटिक निटवियर
27. स्टॉव विक्स
28. कॉटन वेल्टिंग
29. बेल्ट लेसिंग
30. मापल टेप-सूती

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन

5341. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री जुएल ओराम:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** 18 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2402 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन के अंतर्गत कितनी शाखाएं स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) इस मिशन की वित्तपोषण पद्धति क्या है; और

(ग) मिशन के प्रति राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मिशन को सही मायने में बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक विधिक सेवा समितियों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। जिनकी पहले ही स्थापना की जा चुकी है और वे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इस मिशन में ग्राम पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

(ख) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) को निधियों का आबंटन करती है और वह आगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधियों का आबंटन करता है। इस मिशन को योजना व्यय की परिधि के अंतर्गत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय विधिक साक्षरता निधि का सृजन किया जाएगा।

(ग) सरकार उक्त मिशन के सही परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और मिशन के लिए संसाधनों में सभी संभव रीति में वृद्धि की जाएगी।

आयकर कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

5342. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूरे देश के आयकर कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को पूरा करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य पर कितना अनुमानित खर्चा होने की संभावना है;

(घ) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) विभाग के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को कम्प्यूटर की जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सम्पूर्ण देश में आयकर कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम तीन चरणों में है। चरण-I और चरण-II पूरे हो चुके हैं जबकि चरण-III का कार्य चालू है।

(ग) अखिल भारतीय नेटवर्क, राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र और सुविधा प्रबंधन सेवाओं पर संचालन खर्च सहित 5 वर्ष के लिए अनुमानित व्यय 693.59 करोड़ रुपए है।

(घ) इस कार्य के दिसम्बर, 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ङ) इस प्रयोजनार्थ आयकर अधिकारियों को सतत् आधार पर गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

[हिन्दी]

कपास के मूल्य

5343. **श्री काशीराम राणा:**
श्री वी.के. दुग्गर:
श्री नंद कुमार सिंह चौहान:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कपास के मूल्यों में गिरावट के कारण आए घाटे के मद्देनजर भविष्य में कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कपास निगम धन की कमी के कारण सारी कपास नहीं खरीद पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जब कभी बाजार कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर तक गिर जाती है तो भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) के समर्थन मूल्य अभियानों के माध्यम से कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय कपास निगम के सामने निधियों की कोई कमी नहीं रही है। चालू कपास मौसम 2004-05 के दौरान भारतीय कपास निगम ने हमेशा से अधिक 138.35 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है जो लिंट कपास की 26.98 लाख गांठ के बराबर है जिसका मूल्य लगभग 2620 करोड़ रुपए है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों का कार्यकाल

5344. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के लिए पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 के खण्ड 8(1) में प्रावधान है कि प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे, जिसे केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात विनिर्दिष्ट करे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। जहां तक जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के कार्यकाल का संबंध है, जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बैंकों में लूटपाट/चोरी

5345. श्री ब्रजेश पाठक:

श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अब तक विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं के लाकरों से लूटपाट तथा चोरी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार/बैंक-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक मामले में जांच की गई है;

(घ) क्या इन घटनाओं में बैंक कर्मचारी/अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के लाकरों से लूटपाट एवं चोरी के मामलों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की जानकारी नहीं है। इस अवधि के दौरान लाकरों से चोरी की केवल दो घटनाएं हुई हैं - एक घटना इलाहाबाद बैंक, वाणिज्य कृषि वित्त शाखा, लुधियाना, पंजाब में दिसम्बर 2003 में हुई थी और दूसरी घटना पंजाब नैशनल बैंक, नौरोजी नगर शाखा, नई दिल्ली में जुलाई 2004 में हुई थी, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। इलाहाबाद बैंक के मामले में किसी कर्मचारी की अन्तर्ग्रस्तता सूचित नहीं की गई है। तथापि, पंजाब नैशनल बैंक में पदधारियों की ओर से कुछ चूकें पाई गई हैं, जिनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और लाकर - धारकों के बीच संबंध और साथ ही जमा लाकरों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय करने में चूकों के मामले में बैंक के दायित्व के संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में की जाती है।

[अनुवाद]

आई.एफ.सी.आई. का विलय

5346. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधिकारी संघ से आई.एफ.सी.आई. के पंजाब नेशनल बैंक की बजाय आई.डी.बी.आई. में विलय करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधिकारी संघ से आई.एफ.सी.आई. के पंजाब नैशनल बैंक की बजाय आई.डी.बी.आई. में विलय करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) आई.एफ.सी.आई., कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एक कंपनी है, जिसमें सरकार की कोई प्रत्यक्ष शेयरधारिता नहीं है। आई.डी.बी.आई. भी 01 अक्तूबर, 2004 से एक कंपनी बन गई है। अत: दो या उससे अधिक संस्थानों के विलय के बारे में इस तरह के प्रस्ताव के लाभ और सहक्रिया को ध्यान में रखते हुए, पहले उनके संबंधित बोर्डों द्वारा विचार किया जाना होगा।

मूल्यवर्धित कर पर सी.ए.आई.टी. का विरोध

5347. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मूल्यवर्धित कर (वैट) प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सी.ए.आई.टी.) द्वारा अखिल भारतीय व्यापारिक बंद के आह्वान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सी.ए.आई.टी. के साथ कोई चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) चूंकि वैट का आशय राज्य बिक्री कर को प्रतिस्थापित करने वाला कर है। अत: केन्द्रीय सरकार की किसी विशेष मद पर वैट लगाने अथवा वैट से किसी मद को छूट देने में कोई भूमिका नहीं है। राज्य स्तरीय वैट के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई थी।

(ग) और (घ) इस संबंध में चर्चा, यदि कोई होनी है, तो वह सी.ए.आई.टी. और अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिनिधियों के बीच की जानी है।

नोटेरियों की नियुक्ति

5348. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री देविदास पिंगले:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक के दौरान नोटरी पब्लिक की नियुक्ति हेतु सरकार को मिले आवेदनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से नोटरी पब्लिक के रूप में कितने लोगों की नियुक्ति की गई;

(घ) क्या गत तीन वर्षों से अब तक संसद सदस्यों के माध्यम से भेजे गए नोटरी पब्लिक के कई आवेदन केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(च) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) किसी नोटेरी पब्लिक को नियुक्त करने के लिए मापदंड नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 के अधीन अधिकथित हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी नोटेरियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त किया गया है। केन्द्रीय सरकार को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नोटेरियों को नियुक्त करने की शक्ति है जबकि राज्य सरकार संबंधित संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए नोटेरियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त है। नोटेरी नियमों के नियम 3 के अधीन विधि व्यवसायियों में से कोई व्यक्ति किसी नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि उसने कम से कम दस वर्ष विधि व्यवसाय किया है। यदि नोटेरी के लिए आवेदक कोई व्यक्ति या तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का है या कोई स्त्री है तब नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त विधि व्यवसाय के 7 वर्ष है। ऐसा कोई व्यक्ति भी नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है यदि वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है या यदि वह दस वर्ष के लिए न्यायिक सेवा का सदस्य रहा है या अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन

ऐसा कोई पद धारण करता है जिसमें विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा की गई है या न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग में या सशस्त्र बल के विधिक विभाग में कोई पद धारण किया है। पात्र व्यक्ति किसी विहित प्ररूप पर नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा अर्थात्' मेमोरियल पर जिसे किसी मजिस्ट्रेट, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक या किसी व्यापारी और दो प्रमुख स्थानीय निवासियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है। उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी मेमोरियल की जांच करता है और राज्य विधिज्ञ परिषद् से टीका-टिप्पणियों/ आक्षेपों के लिए मांग की जाती है जहां मेमोरियलिस्ट अधिवक्ता के रूप में नामांकित है। आवेदक से एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी अनुरोध किया जाता है कि वह न तो किसी राज्य सरकार द्वारा पहले से कोई नोटेरी नियुक्त किया गया है न ही संबंधित राज्य सरकार के पास नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए उसका कोई आवेदन लंबित है और व्यवसाय के वांछित क्षेत्र में न्यायालयों की संख्या और नोटेरियों की संख्या का भी उल्लेख करेगा। नोटेरी नियमों के नियम 7 में उल्लिखित आक्षेपों और विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् आवेदक की नियुक्ति या अन्यथा के लिए सिफारिश करने का कोई विनिश्चय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करने के पश्चात् समुचित विनिश्चय करती है।

(ख) पिछले दो वर्षों के लिए नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को प्राप्त राज्यवार आवेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इन आवेदनों में से नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान सरकार ने क्रमशः 305, 160 और 255 नोटेरियों को नियुक्त किया है। नियुक्ति के लिए प्रक्रिया यह है कि आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास नियम 3 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं नहीं हैं या यह कि किसी नोटेरी के रूप में आवेदक का कोई पूर्ववर्ती आवेदन, आवेदन की तारीख के पूर्व छह मास के भीतर अस्वीकृत किया गया था तो उसे अस्वीकृत कर देगा और तद्नुसार आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा। यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन को अस्वीकृत नहीं करता है तो यदि वह ठीक समझता है तो उस क्षेत्र की, जहां आवेदक व्यवसाय करना चाहता है, विधिज्ञ परिषद्, विधिज्ञ संगम आदि से टीका-टिप्पणियों की मांग करते हुए, यदि कोई नोटेरी के रूप में आवेदक की नियुक्ति के लिए आक्षेपों, यदि कोई हो, की मांग करेगा। आवेदक से शपथ पत्र को प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाता है। अधिक संख्या में आवेदन होने की दशा में प्रत्येक आवेदन के संबंध में सभी प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगता है।

(च) जैसे ही आवेदकों के संबंध में आवश्यक जानकारी और शपथपत्र प्राप्त कर लिए जाते हैं।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों के दौरान नोटेरी पब्लिकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राप्त आवेदनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2003 के लिए प्राप्त आवेदन	वर्ष 2004 के लिए प्राप्त आवेदन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	08	12
2.	असम	–	–
3.	बिहार	–	03
4.	गुजरात	–	76
5.	केरल	–	06
6.	मध्य प्रदेश	02	06
7.	तमिलनाडु	03	17
8.	महाराष्ट्र	64	19
9.	कर्नाटक	04	42
10.	उड़ीसा	03	04
11.	पंजाब	34	51
12.	राजस्थान	33	27
13.	उत्तर प्रदेश	49	118
14.	पश्चिमी बंगाल	17	03
15.	जम्मू-कश्मीर	–	01
16.	नागालैंड	–	–

1	2	3	4
17.	हरियाणा	16	33
18.	हिमाचल प्रदेश	–	01
19.	मणिपुर	–	–
20.	त्रिपुरा	01	–
21.	मेघालय	–	–
22.	सिक्किम	–	–
23.	मिजोरम	–	–
24.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
25.	गोवा	–	08
26.	उत्तरांचल	04	02
27.	छत्तीसगढ़	05	01
28.	झारखंड	–	02
29.	दिल्ली	35	38
30.	अंदमान और निकोबार	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	दादरा और नागर हवेली	–	01
33.	दमण और दीव	–	–
34.	पांडिचेरी	–	–
35.	चंडीगढ़	04	01

विवरण-II

पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नोटेरी पब्लिकों की राज्यवार संख्या

		नोटेरी पब्लिक	
		वर्ष 2003	वर्ष 2004
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	02	04
2.	असम	–	–
3.	बिहार	–	02
4.	गुजरात	08	15
5.	केरल	03	28
6.	मध्य प्रदेश	02	–
7.	तमिलनाडु	02	04
8.	महाराष्ट्र	27	35
9.	कर्नाटक	08	09
10.	उड़ीसा	–	–
11.	पंजाब	18	31
12.	राजस्थान	10	14
13.	उत्तर प्रदेश	33	51
14.	पश्चिमी बंगाल	03	04
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–
16.	नागालैंड	–	–
17.	हरियाणा	33	42
18.	हिमाचल प्रदेश	–	–
19.	मणिपुर	–	–
20.	त्रिपुरा	–	–
21.	मेघालय	–	–
22.	सिक्किम	–	–
23.	मिजोरम	–	–
24.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
25.	गोवा	–	–
26.	उत्तरांचल	–	–
27.	छत्तीसगढ़	03	–

1	2	3	4
28.	झारखंड	–	–
29.	दिल्ली	08	16
30.	अंदमान और निकोबार	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	दादरा और नागर हवेली	–	–
33.	दमण और दीव	–	–
34.	पांडिचेरी	–	–
35.	चंडीगढ़	–	–

विद्युत शुल्क नीति

5349. श्री निखिल कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत पर अंत: राज सहायता को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत मंत्रालय द्वारा हाल ही में नई विद्युत प्रशुल्क नीति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारें उक्त योजना को किस सीमा तक कार्यान्वित करने पर सहमत हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) दिनांक 12-2-2005 को अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति में व्यवस्था है:-

"बहुत ही गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं तक विद्युत की पहुंच के लिए न्यूनतम स्तर का सहयोग जरूरी होगा। गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ता, जो विनिर्दिष्ट स्तर से कम अर्थात् 30 यूनिट प्रति माह से कम बिजली का उपभोग करते हैं, को टैरिफ जिसे क्रॉस सब्सिडी प्रदान की जाती है, के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे उपभोक्ता वर्ग के लिए टैरिफ औसत (समग्र) आपूर्ति लागत का कम से कम 50 प्रतिशत होगी।"

"उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए मौजूदा क्रॉस सब्सिडियों को क्रमिक रूप से कम करने की जरूरत है।"

(ग) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श से टैरिफ नीति तैयार किए जाने की अपेक्षा है। तदनुसार एक प्रारूप नीति तैयार की गई है, जिस पर विभिन्न राज्य सरकारों का अभिमत प्राप्त कर लिया गया है। प्रारूप टैरिपु नीति विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र में सुधार

5350. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र के सुधारों को संस्थान समुदाय भागीदारी के तहत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य-वार कितनी जलापूर्ति योजनाएं आरंभ की गईं और उनसे कितने लोग लाभान्वित हुए; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। केंद्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) नामक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयास में मदद करती है। वर्ष 1999 में ग्रामीण पेयजल के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए राज्यों को ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के वार्षिक आबंटनों के 20 प्रतिशत तक के वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी दी गई थी। तदनुसार, वर्ष 1999 से योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी लेने तथा 10 प्रतिशत पूंजी लागत वहन करने के आधार पर प्रायोगिक रूप से 26 राज्यों के 67 जिलों में क्षेत्र सुधार परियोजनाएं शुरू की गई थीं। दिसम्बर, 2002 में सुधार प्रयासों को स्वजलधारा के रूप में बढ़ाया गया था।

(ग) और (घ) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत राज्य सरकारों को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, उन्हें मंजूर तथा कार्यान्वित

करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र स्तर पर योजना का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। स्वजलधारा के अंतर्गत राज्य स्वच्छता और स्वच्छता मिशन तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति योजनाओं को अनुमोदित करती है। वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सरकारों ने निधियों की जिलावार रिलीज के लिए कुल 4611 योजनाओं की सूची प्रस्तुत की है। केंद्र स्तर पर योजनाओं के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। चूंकि स्वजलधारा योजनाएं मांग आधारित हैं इसलिए केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान निधियों की रिलीज के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई स्वजलधारा परियोजनाओं की सं.

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	605
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	41
5.	बिहार	21
6.	चंडीगढ.	0
7.	छत्तीसगढ़	61
8.	दादर व नगर हवेली	0
9.	दमन व दीव	0
10.	दिल्ली	0
11.	गोआ	0
12.	गुजरात	119
13.	हरियाणा	155
14.	हिमाचल प्रदेश	440
15.	जम्मू-कश्मीर	220
16.	झारखंड	0
17.	कर्नाटक	114
18.	केरल	67
19.	लक्ष्यद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	242
21.	महाराष्ट्र	557
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	28
24.	मिजोरम	2
25.	नागालैंड	4
26.	उड़ीसा	265
27.	पांडिचेरी	0
28.	पंजाब	20
29.	राजस्थान	397
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	354
32.	त्रिपुरा	226
33.	उत्तर प्रदेश	482
34.	उत्तरांचल	106
35.	पश्चिम बंगाल	85
	कुल	4611

ग्रामीण विद्युतीकरण

5351. श्री रायापति सांबाशिवा राव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ तथा उन्नत बनाने के लिए 1,234 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने गांवों का विद्युतीकरण किये जाने का विचार है; और

(घ) योजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) ने वर्ष 2004-05 के दौरान आंध्र प्रदेश में 256 योजनाओं के लिए 688 करोड़ रुपये की ऋण सहायता को मंजूरी दी है। उपरोक्त मंजूर की गई योजनाओं में से, 477 करोड़ रुपये के ऋण व्यय वाली 102 योजनाओं को विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु मंजूरी दी गई थी जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

इस मंजूरी में 5806 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु 82 करोड़ रुपये की ऋण सहायता वाली 96 दलित बस्ती योजनाएं भी शामिल हैं।

मंजूर की गई योजनाएं अगले दो वर्षों के भीतर पूरी की जानी लक्षित हैं।

विवरण

क. आंध्र प्रदेश में 2004-05 के दौरान विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ करने और वृद्धि करने हेतु मंजूर की गई स्कीमें

क्र.सं.	श्रेणी	योजनाओं की संख्या	मंजूर की गई ऋण राशि
1.	प्रणाली सुधार के लिए परियोजना (पारेषण) पी.एस.आई	8	145
2.	मीटर एस.आई.(एम) के लिए परियोजना	16	60
3.	ट्रांसफार्मर के लिए परियोजना एस.आई.(ट्रान)	17	141
4.	प्रणाली सुधार हेतु परियोजना (वितरण) (पी.एस.आई.)	57	117
5.	प्रणाली सुधार हेतु परियोजना (जी.बी.डी.एस.) (पी.एस.आई.)	4	14
	कुल	102	477

ख. आंध्र प्रदेश में 2004-05 के दौरान मंजूर की गई अन्य योजनाएं

क्र.सं.	श्रेणी	योजनाओं की संख्या	मंजूर की गई ऋण राशि	टिप्पणी
1.	प्रोत्साहन विद्युतीकरण हेतु परियोजना (पी:आईई)	1	2	इस स्कीम में 5250 ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण शामिल हैं।
2.	पम्पसेटों के ऊर्जीकरण हेतु परियोजना (एसपीए:पीई)	57	127	
3.	दलित बस्ती हेतु परियोजना (पी:डीबी)	96	82	5806 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु
	कुल	154	211	
	कुल योग - क+ख	256	688	

[हिन्दी]

संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक

5352. श्री बापू हरी चौरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा को तीव्रतम उभरते हुए विदेशी बैंक से सम्मानित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में कितनी शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को जैक्सन हाइट, न्यूयार्क में एक अतिरिक्त शाखा खोलने तथा भारतीय स्टेट बैंक के वाशिंगटन प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा में उन्नयन करने के लिए अनुमोदन दे दिया है।

[अनुवाद]

मंत्रालयों/विभागों से बजटीय आबंटन

5353. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 10 प्रतिशत बजटीय आबंटन का कड़ाई से अनुपालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 10 प्रतिशत बजटीय आबंटन को अन्यत्र परियोजनाओं पर खर्च किया गया हो; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, मंत्रालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2005-06 के दौरान की गई एकमुश्त व्यवस्था के मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरे प्रस्तुत करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	आयोजना (ब.अ.) 2005-06	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी)	निवल (जीबीएस-ईएपी)	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आबंटन	कुल आबंटन का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि एवं सहकारिता	4179.32	3.09	4176.23	418.00	10.01
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1150.00	61.18	1088.82	115.00	10.56
3.	पशुपालन एवं डेरी उद्योग	669.08		669.08	67.10	10.03
4.	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	859.00		859.00	85.90	10.00

1	2	3	4	5	6	7
5.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन	83.00	24.00	59.00	8.30	14.07
6.	उर्वरक	111.82	14.95	96.87	14.00	14.45
7.	नागर विमानन	370.85	1.00	369.85	7.08	1.91
8.	कोयला	152.05		152.05	15.20	10.00
9.	खान	220.88	0.00	220.88	16.50	7.47
10.	वाणिज्य	1350.00		1350.00	136.00	10.07
11.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	550.00		550.00	55.00	10.00
12.	डाक	354.00		354.00	15.23	4.30
13.	दूरसंचार	158.61	36.00	122.61	0.00	0.00
14.	सूचना प्रौद्योगिकी	929.30	9.50	919.80	93.00	10.11
15.	उपभोक्ता मामले	107.94		107.94	10.79	10.00
16.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	93.87		93.87	9.39	10.00
17.	संस्कृति	551.12		551.12	55.11	10.00
18.	पर्यावरण एवं वन	1234.91	55.01	1179.90	123.50	10.47
19.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	180.00		180.00	18.00	10.00
20.	स्वास्थ्य	2881.77	1030.38	1851.39	290.80	15.71
21.	आयुष	345.00		345.00	35.00	10.14
22.	परिवार कल्याण	6424.00	2266.93	4157.07	642.40	15.45
23.	भारी उद्योग	406.00		406.00	40.60	10.00
24.	लोक उद्यम	30.00		30.00	3.00	10.00
25.	गृह मंत्रालय	300.00		300.00	30.00	10.00
26.	प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता	12531.76	1996.50	10535.26	1053.50	10.00
27.	माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा	2710.50	100.00	2610.50	261.06	10.00
28.	महिला एवं बाल विकास	3875.29	128.25	3747.04	387.53	10.34
29.	सूचना एवं प्रसारण	528.00		528.00	111.25	21.07

1	2	3	4	5	6	7
30.	श्रम एवं रोजगार	219.48		219.48	23.25	10.59
31.	विधि एवं न्याय	220.00	1.00	219.00	22.00	10.05
32.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	599.75	26.00	573.75	60.00	10.46
33.	पंचायती राज	50.00		50.00	5.00	10.00
34.	विद्युत	3000.00		3000.00	924.00	30.80
35.	ग्रामीण विकास	18334.00	700.00	17634.00	1833.40	10.40
36.	भू-संसाधन	1396.00	80.00	1316.00	140.00	10.64
37.	पेय जल आपूर्ति	4750.00		4750.00	475.00	10.00
38.	नौवहन	535.00		535.00	54.00	10.09
39.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	10585.00	3200.00	7385.00	820.72	11.11
40.	लघु उद्योग	408.91		408.91	41.29	10.10
41.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता*	1533.70	1.00	1532.70	70.03	4.57
42.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	112.70	7.46	105.24	11.27	10.71
43.	कपड़ा	1150.00		1150.00	115.00	10.00
44.	पर्यटन	786.00	14.00	772.00	79.00	10.23
45.	जनजातीय कार्य	391.81		391.81	39.00	9.95
46.	शहरी विकास	1976.00	400.00	1576.00	160.00	10.15
47.	शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	500.00	5.00	495.00	50.00	10.10
48.	जल संसाधन	621.00	8.11	612.89	62.76	10.24
49.	युवा कार्य एवं खेल	438.99		438.99	39.40	8.98

* मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बजट का 2 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति विकास के लिए निर्धारित करे। मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों के संबंध में 10 प्रतिशत का मानदंड लागू है जिसके लिए प्रावधान किया गया है। 10 प्रतिशत का प्रावधान पूर्णतया ई.ए.पी. घटक के लिए है जैसा कि दिनांक 16-2-2004 के सी.ओ.एस. की बैठक में निर्णय लिया गया था।

नागर विमानन मंत्रालय, खान मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ब.अ. 2005-06 में उनके आयोजना बजट के 10 प्रतिशत से कम की व्यवस्था है/की व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडियन एयरलाइंस (आई.ए.) द्वारा विमानों के अधिग्रहण के लिए 325 करोड़ रुपए के प्रावधान को शामिल न करने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान किया है क्योंकि आई.ए. द्वारा अधिग्रहीत किए जाने वाले विमानों का पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी उपयोग किया जाएगा। खान विभाग के संबंध में हानि उठा रहे सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों और अन्यों को जिनकी पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में कोई गतिविधि नहीं है, योजना आयोग द्वारा 10 प्रतिशत को निर्धारित करने से छूट दी

गई है। डाक विभाग के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल आयोजना परिव्यय के 10 प्रतिशत से कम की व्यवस्था की गई है क्योंकि उनके आयोजना कार्यक्रम में कम्प्यूटरीकरण को प्राथमिकता दी गई है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमुख डाकघरों तथा प्रशासनिक कार्यालयों को पिछले वर्षों में पहले से ही शामिल कर लिया गया था। दूरसंचार के संबंध में बी.एस.एन.एल. द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीकॉम सुविधाओं हेतु पर्याप्त निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग का आयोजना बजट आई.टी.आई., सी-डॉट, टी.ई.सी., टी.आर.ए.आई., टी.डी.-एस.ए.टी. तथा डब्ल्यू.पी.सी./डब्ल्यू.एम.ओ. की योजनाओं के वित्त पोषण के लिए है जो प्रत्यक्षत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संगत नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संगठन लि. के लिए निर्धारित 10 करोड़ रुपए के प्रावधान को शामिल न करने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसे योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय के संबंध में वर्ष 2010 में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्धारित 45.50 करोड़ रुपए के प्रावधान को शामिल न करने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 10 प्रतिशत का एकमुश्त प्रावधान किया गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

5354. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को और सुदृढ़ करने पर विचार कर रहा है ताकि अपनी परिसम्पत्ति के हिसाब से इस क्षेत्र को मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हितों का प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के उपबंध जो बैंकों तथा आवास वित्तीय कंपनियों के लिए उपलब्ध हैं उन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को अपनी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए विस्तरित किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन.बी.एफ.सी.) आस्ति सृजन, विशेषकर परिवहन क्षेत्र में कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की और अधिक सहायता के लिए कदम उठा रहा है।

(ग) से (ङ) एन.बी.एफ.सी. के प्रतिनिधि रिजर्व बैंक से बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के लिए उपलब्ध ऋण वसूली अधिकरण (डी.आर.टी.) एवं उन पर लागू एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम को एन.बी.एफ.सी. के लिए विस्तार करने के लिए अनुरोध करते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

बंजर भूमि विकास

5355. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उस बंजरभूमि की पहचान कर ली है जो देश के विभिन्न भागों में जनता के निवेश से सरकार द्वारा विकसित की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में बंजरभूमि के विकास के लिए सरकार जनता के निवेश के बारे में सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई है, का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ङ) देश में अब तक जनता के निवेश से राज्य-वार कितनी भूमि का विकास किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद के सहयोग से प्रकाशित किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2000 (वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया, 2000) के अनुसार देश में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से 36.98 मिलियन हैक्टेयर विकसित की जा सकने वाली वनेतर बंजरभूमि है तथा 14.065 मिलियन हैक्टेयर वनीय बंजरभूमि है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग वनेत्तर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए तीन कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड पद्धति के

आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) देश के पहचान किए गए खण्डों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं जबकि समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को देश में गैर डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी. क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम एक मांग आधारित कार्यक्रम है और इसे देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम को क्रमशः 16 राज्यों तथा 7 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। गत तीन वर्षों (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक) के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 849.90 करोड़ रुपये, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 844.99 करोड़ रुपये तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 614.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) गत तीन वर्षों (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 24.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 37.81 लाख हैक्टेयर क्षेत्र तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 23.82 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को स्वीकृत किया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत किए गए क्षेत्र का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भूमि संसाधन विभाग के क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक) के दौरान जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7793.46	13800.71	35.53
2.	बिहार	871.88	884.02	0.00
3.	छत्तीसगढ़	3470.76	1796453.73	
4.	गोवा	82.50		
5.	गुजरात	4300.38	260354.27	147.11
6.	हरियाणा	1107.31		52.75
7.	हिमाचल प्रदेश	4195.46	1325.45	18.83
8.	जम्मू-कश्मीर	885.74	867.69	22.48
9.	झारखंड	519.67	2830.86	
10.	कर्नाटक	6181.16	5719.13	60.42
11.	केरल	570.65		
12.	महाराष्ट्र	3314.55	6265.18	
13.	मध्य प्रदेश	8861.74	15030.58	

1	2	3	4	5
14.	उड़ीसा	4282.54	3088.64	
15.	पंजाब	244.54		
16.	राजस्थान	4990.56	4984.07	287.66
17.	तमिलनाडु	5302.07	6278.07	
18.	उत्तर प्रदेश	5434.23	4672.67	
19.	उत्तरांचल	1927.72	1976.22	
20.	प. बंगाल	239.40	594.00	
	योग	65581.32	84478.00	614.78
1.	अरुणाचल प्रदेश	1614.48		
2.	असम	6372.88		
3.	मणिपुर	1501.30		
4.	मेघालय	661.71		
5.	मिजोरम	2742.63		
6.	नागालैण्ड	5320.33		
7.	त्रिपुरा	355.88		
8.	सिक्किम	839.73		
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	19408.95		
	आई.डब्ल्यू.डी.पी. का कुल योग	84990.27	84499.00	614.78

विवरण-II

भूमि संसाधन विभाग के क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक) के दौरान विकसित किए जाने के लिए स्वीकृत क्षेत्र

(हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	132000.00	432500.00	165000.00

1	2	3	4	5
2.	बिहार	90000.00	94000.00	
3.	छत्तीसगढ़	83576.00	174000.00	
4.	गोवा	10000.00		
5.	गुजरात	102500.00	370500.00	436500.00
6.	हरियाणा	35000.00		178500.00
7.	हिमाचल प्रदेश	58000.00	65000.00	80000.00
8.	जम्मू-कश्मीर	24000.00	99000.00	79000.00
9.	झारखंड	53000.00	282000.00	
10.	कर्नाटक	101448.00	337500.00	248500.00
11.	केरल	15000.00		
12.	महाराष्ट्र	95000.00	449500.00	
13.	मध्य प्रदेश	154972.00	401500.00	
14.	उड़ीसा	83000.00	226000.00	
15.	पंजाब	15400.00		
16.	राजस्थान	90000.00	152500.00	1194500.00
17.	तमिलनाडु	106025.00	232000.00	
18.	उत्तर प्रदेश	130000.00	239000.00	
19.	उत्तरांचल	72463.00	138500.00	
20.	प. बंगाल	23820.00	88000.00	
	योग	1475204.00	3781500.00	2382000.00
1.	अरुणाचल प्रदेश	158671.00		
2.	असम	349732.00		
3.	मणिपुर	114500.00		
4.	मेघालय	42000.00		
5.	मिजोरैम	120685.00		

1	2	3	4	5
6.	नागालैण्ड	137250.00		
7.	त्रिपुरा	27529.00		
8.	सिक्किम	34455.00		
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	984822.00		
	आई.डब्ल्यू.डी.पी. का कुल योग	2460026.00	3781500.00	2382000.00

मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन मामले

5356. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय तथा विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान अलग-अलग अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई थी;

(ख) उक्त में से अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किए जाने वाले मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में संदर्भित मामलों की संख्या कितनी है जो मंत्रालय के पास (I) 3 महीने (II) 6 महीने (III) 9 महीने तथा (IV) 1 वर्ष या अधिक अवधि से मंत्रालय के पास लंबित है;

(घ) क्या संबंधित मंत्रालय/विभाग को तीन महीने की अवधि के भीतर अभियोजन की स्वीकृति देनी होती है; और

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित अवधि में बहुत बड़ी संख्या में अभियोजन की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

[हिन्दी]

बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि

5357. श्री रामदास आठवले:

श्री जुएल ओराम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को आबंटित की गई धनराशि का उपयोग उनके द्वारा पूरी तरह से कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य ने आबंटित की गई धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बंजरभूमि को उपजाऊ भूमि में विकसित करने की किसी योजना को प्रायोजित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को 1-4-1995 से वाटरशेड पद्धति के आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) एक मांग आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक) के दौरान तथा चालू वर्ष (2005-06 में 25-4-2005 तक) के दौरान (राज्य-वार) जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वाटरशेड विकास परियोजनाएं 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती हैं और निधियां परियोजना दर परियोजना आधार पर पांच किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त परियोजना की स्वीकृति के समय पर ही जारी कर दी जाती है और बाद की प्रत्येक किस्त, जारी की गई पिछली किस्त की 50 प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग किए जाने के बाद जारी की जाती है। उपयोग में लायी गई कुल राशि का परिकलन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद किया

जाता है। तथापि, निधियां जारी करने की प्रक्रियाओं से कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्यों को जारी की गई निधियों का उपयोग सुनिश्चित होता है।

केन्द्र सरकार द्वारा बंजरभूमि को उपजाऊ भूमि में विकसित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। तथापि, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) में भूमि अवक्रमण को रोककर तथा ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाकर बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि को विकसित करने/पुन: उपयोग योग्य बनाने संबंधी संघटक शामिल हैं।

विवरण

आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत गत तीन वर्षों (2002-03 से लेकर 2004-05 तक) के दौरान तथा चालू वर्ष (2005-06) में (25-4-2005 की स्थिति के अनुसार) जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निम्नलिखित अवधि के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत जारी की गई निधियां			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1395.33	3444.82	2958.32	0.00
2.	बिहार	66.00	371.25	434.63	0.00
3.	छत्तीसगढ़	549.54	1197.26	1723.96	0.00
4.	कपार्ट (दिल्ली)	0.00	1000.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	82.50	0.00	0.00
6.	गुजरात	1494.42	1733.56	1072.40	0.00
7.	हरियाणा	206.27	388.55	512.49	31.17
8.	हिमाचल प्रदेश	1500.73	1349.51	1345.22	49.26
9.	जम्मू-कश्मीर	220.86	241.96	422.92	0.00
10.	झारखंड	41.77	272.25	205.65	0.00
11.	कर्नाटक	1394.38	2319.84	2466.93	0.00
12.	केरल	96.20	314.75	159.70	0.00
13.	महाराष्ट्र	705.08	949.41	1660.06	0.00
14.	मध्य प्रदेश	3089.13	2866.22	2906.39	184.97
15.	उड़ीसा	885.06	1940.11	1457.37	4.86
16.	पंजाब	0.00	50.66	193.88	0.00

1	2	3	4	5	6
17.	राजस्थान	772.06	2097.32	2121.18	150.89
18.	तमिलनाडु	837.95	1993.50	2470.62	19.49
19.	उत्तर प्रदेश	1657.04	1974.33	1802.86	163.65
20.	उत्तरांचल	335.90	364.30	1227.52	0.00
21.	प. बंगाल	0.00	82.50	156.90	82.50
	योग	15247.72	25034.60	25299.00	686.78
			पूर्वोत्तर राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	458.54	351.89	804.05	0.00
2.	असम	1440.19	1729.91	3202.78	0.00
3.	मणिपुर	642.18	313.25	545.87	0.00
4.	मेघालय	23.68	443.65	194.38	0.00
5.	मिजोरम	1156.16	612.44	974.03	0.00
6.	नागालैण्ड	1740.56	1868.31	1711.46	0.00
7.	त्रिपुरा	0.00	31.61	386.63	0.00
8.	सिक्किम	184.12	268.98	324.27	0.00
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	5645.43	5620.04	8143.48	0.00
	आई.डब्ल्यू.डी.पी. का योग	20893.15	30654.64	33442.48	686.78

[अनुवाद]

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

5358. श्री सुग्रीव सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की कार्य प्रणाली की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कंपनियों की स्थापना में अंतर्ग्रस्त कानूनी पहलुओं की भी जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार का विचार ऐसी कंपनियों को कब तक स्थापित करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सरकार ने दिसम्बर, 2002 में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम) को अधिनियमित कर दिया था जो 21 जून, 2002 से प्रभावी हो गया। एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की शर्तों के अनुसार प्रतिभूति कंपनी/पुनर्गठन कंपनी की स्थापना की जा सकती है। प्रतिभूतिकरण/आस्ति पुनर्गठन का कारोबार शुरू करने अथवा जारी रखने के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना

होगा। बैंक ने अब तक तीन कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए हैं।

[हिन्दी]

ऋणों को माफ करना

5359. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने भारत सरकार से भारतीय स्टेट बैंक से 1989 में भागलपुर में हुए दंगों के पीड़ितों के लिए ली गई ऋण धनराशि को माफ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त ऋणों को माफ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय मं राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। बिहार सरकार (उद्योग मंत्रालय) ने जून 1999 में भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) से अनुरोध किया था कि केन्द्र सरकार को भागलपुर दंगे को 1984 के दंगे के समान समझना चाहिए तथा 2,32,97,059 रुपए की मूलधन एवं ब्याज की राशि को माफ करने पर विचार करना चाहिए।

(ग) और (घ) सरकार वसूली एवं वित्तीय अनुशासन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव के कारण किसी भी ऋण माफी के पक्ष में नहीं है। तथापि, 1989 के भागलपुर दंगे के तत्काल बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1989 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से कहा था कि वे अगस्त 1984 में इस संदर्भ में बैंकों को जारी स्थायी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करें। नवम्बर 1984 के दंगा पीड़ितों को दी गई राहत असाधारण परिस्थितियों एवं दंगों की व्यापकता के कारण थी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु से प्रस्ताव

5360. श्री एस.के. सारवेनन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बागवानी, पशु पालन, रेशम उत्पादन, जलकृषि परियोजनाओं के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से बागवानी, पशुपालन, रेशम उत्पादन, जलकृषि इत्यादि के क्षेत्र में चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। की गई कार्रवाई सहित प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	की गई कार्रवाई
1.	तमिलानाडु के सलेम जिले के स्व-सहायता समूहों के नियंत्रण में हाई-टेक उद्यानकृषि खेतों की स्थापना के लिए विशेष परियोजना	राज्य सरकार को वापस की गई परियोजना
2.	टुथुकुडी जिले के मछुआरों के लिए स्थायी स्वरोजगार	राज्य सरकार को वापस की गई परियोजना
3.	तिरूवन्नामलाई जिले में व्यापक डेयरी परियोजना	परियोजना अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श से जांच के अधीन हैं।
4.	तटीय क्षेत्रों में सुनामी से प्रभावित मछुआरों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना	परियोजना अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ परामर्श से जांच के अधीन हैं।

रुग्ण रेशम उद्योग

5361. श्री अनन्त नायक: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेशम उद्योग विशेषकर उड़ीसा में "बरहाम पुटी पट्टा उद्योग खस्ताहाल है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में "बरहाम पुटी पट्टा" और उड़ीसा की अन्य रेशम वस्तुओं सहित रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) चीनी अपरिष्कृत रेशम और फेब्रिक के बड़े पैमाने पर आयात से उड़ीसा सहित देश में घरेलू रेशम उद्योग प्रभावित हुआ है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने उड़ीसा की "बरहमपुरी पट्टा" और अन्य रेशम मदों सहित देश में रेशम उद्योग के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमुख कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा निर्यातित अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड-2ए और उससे निम्न श्रेणी की सभी आयातित शहतूती अपरिष्कृत रेशम पर 2 जनवरी, 2003 से भारत सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है ताकि इन सामानों को उतारने के बाद मूल्य 27.97 अमरीकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. पर रखा जा सके।

(ii) घरेलू रेशम उद्योग की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:-

- अधिक उत्पादक और दाब सहनशील प्रजातियों तथा शहतूत और गैर-शहतूत खाद्य पादपों और रेशम कीटों की संकर प्रजातियों के विकास द्वारा, रेशम उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने तथा रेशम में कम लागत वाली रीलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास तेज किए गए हैं।

- केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों, किसानों एवं रीलर्स को मूल प्रजाति एवं मूल बीज के रखरखाव, वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति और रोग मुक्त अधिक पैदावार और सूखा रोधक बीजों के उत्पादन के लिए खाद्यान्न सुविधाओं के संवर्धन द्वारा बीज सहायता एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

- राज्यों को कृषि अध्यसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेशम उत्पादन के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि, रीलिंग सुविधाओं के उन्नयन, परिष्करण प्रक्रियाओं में सुधार, बीज आपूर्ति, कोया एवं रेशम परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

- उड़ीसा राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमश: 50.62 लाख रु., 82.29 लाख रु. और 34.32 लाख रु. जारी किए हैं।

- केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित की गई निम्न लागत एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों को लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता, राज्यों की विस्तार मशीनरी एवं लाभार्थियों को प्रशिक्षण, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है।

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड का केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान कटक स्थित प्रदर्शन-सह-तकनीकी सेवा केन्द्र के माध्यम से उड़ीसा में कोया पश्चात प्रौद्योगिकी के पहलुओं में सेवाएं प्रदान कर रहा है।

- स्वदेशी रेशम उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के तहत, लागू बैंक दर से 5 प्रतिशत बिंदु कम पर ऋण अन्य बातों के साथ-साथ रेशम क्षेत्र के लिए उपलब्ध है।

- किसानों, अपरिष्कृत रेशम उत्पादकों और बुनकरों के मध्य आपूर्ति शृंखला संबंधी मुद्दों का, कांट्रेक्ट खेती मॉडल, कीमत संबद्ध ग्रेडिंग आदि का पक्ष लेकर समाधान किया जा रहा है।

- रेशम कीट बीज, कोये, यार्न और फैब्रिक के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियां स्थापित करना।

- उपर्युक्त कार्य नीति एवं कार्यक्रमों की सहायता के लिए रेशम उत्पादन क्षेत्र के वास्ते 10वीं योजना में 450 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

अर्थोपाय अग्रिम

5362. श्री दुष्यंत सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान राजस्थान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्थान को ऐसे अग्रिम प्रदान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 हेतु दिए गए अर्थोपाय अग्रिम का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) ऐसे कोई मानदण्ड नहीं हैं। सभी राज्यों के पास भारतीय रिजर्व बैंक से नियमित अर्थोपाय अग्रिम सुविधा है। वर्ष के दौरान उन राज्यों को, जिनके द्वारा अपने अर्थोपाय अग्रिम में अंत:अस्थायी अंतरालों का सामना करने की संभावना है, भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम की सहायता दी जा सकती है।

(ख) वर्ष 2004-05 में इस संबंध में राजस्थान राज्य सरकार ने कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है। जब अग्रिम धनराशियां जारी नहीं की गई थीं, तो अर्थोपाय अग्रिम के लिए वैकल्पिक तौर पर अनुरोध किया गया था। जब अग्रिम धनराशियां जारी हो गई थीं, तो अर्थोपाय को स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा कोई कारण ही पैदा नहीं होता।

(ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06 (अब तक)
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	200.00
2.	असम	200.00	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश	100.00	0.00
4.	केरल	350.00	350.00
5.	मध्य प्रदेश	250.00	0.00
6.	मणिपुर	331.00	0.00
7.	मेघालय	65.00	0.00
8.	नागालैंड	100.00	0.00
9.	पंजाब	200.00	0.00
	कुल	1596.00	550.00
	बजट अनुमान	2000.00	1000.00
	संशोधित अनुमान	2000.00	

शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु अनुदान

5363. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने विभिन्न राज्यों में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु हाल ही में तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों से विचार-विमर्श के बाद ए.डी.बी. की तकनीकी सहायता वाली प्रस्तावित परियोजनाओं की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता का प्रस्ताव किया है:

(i) 500,000 डालर की कर्नाटक पूर्वोत्तर शहरी विकास परियोजना ताकि कर्नाटक में तृतीय शहरी ऋण परियोजना जिसमें राज्य के पूर्वोत्तर हिस्से के 25 शहर शामिल होंगे, के निर्माण को सहायता दी जा सके।

(ii) 600,000 डालर की पूर्वोत्तर शहरी विकास परियोजना II (गुवाहाटी) ताकि गुवाहाटी में और असम के प्रमुख जिला शहरों में निवेश परियोजना तैयार की जा सके।

(iii) 600,000 डालर की उत्तरांचल शहरी विकास परियोजना ताकि राज्य में 25 शहरों के लिए शहरी विकास परियोजना तैयार की जा सके, जिसमें गंगा और यमुना नदी के ऊपरी भागों के पर्यावरणीय संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार ने सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यों की राजधानियों को शामिल करते हुए दो शहरी परियोजनाओं की पहचान की है।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

5364. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नए केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) इस समय देश में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नए केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है।

तिपाइमुख बांध परियोजना

5365. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिपाइमुख बांध के निर्माण हेतु संबंधित राज्य, मणिपुर, मिजोरम और असम सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी आवश्यक स्वीकृत प्राप्त कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गयी है और व्यय की गयी है;

(घ) क्या कार्य शुरू हो चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी तक सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए धन मुहैया नहीं कराया गया है। यद्यपि, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट ब्रह्मपुत्र बोर्ड और नार्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा तैयार की गई है जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपये सर्वेक्षण एवं खोज में खर्च हुए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

न्यायिक जवाबदेही

5366. श्री एम. अप्पावुरई:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने प्रभावी न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक विधान बनाने के बारे में वर्ष 1997 में तीन संकल्प बनाए थे और ऐसा विधान बनाने के सुझाव के साथ इन्हें सरकार के पास भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे तारीख 12-12-1999 के अपने पत्र में यह सूचित किया था कि न्यायिक जीवन में मूल्यों के पुन:कथन के मुद्दे और 7 मई 1997 को आयोजित उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायालय बैठक में अपनाए गए दो संकल्पों पर, 3 और 4 दिसंबर, 1999 को आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह भी सूचित किया था कि सम्मेलन में यह और संकल्प लिया गया था कि ऐसे न्यायाधीशों के, जो अपने लोप या करण त्रुटि द्वारा न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुन:कथन में कथित मूल्यों सहित न्यायिक जीवन के संपूर्ण विश्व में स्वीकृत मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, विरुद्ध उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए "आंतरिक" प्रक्रिया को तैयार करने के लिए गठित समिति की तारीख 31 अक्तूबर, 1997 की रिपोर्ट को मुख्य न्यायमूर्तियों के माध्यम से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को, उनके सुझावों और अनुमोदन के लिए परिचालित किया जाए।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर आगे और परामर्श मांगे जाने पर यह कथन किया है कि गलती करने वाले न्यायाधीशों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए, "आंतरिक प्रक्रिया" में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना के लिए संविधान (अठानवेंवां संशोधन) विधेयक, 2003 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता बनानी थी। आयोग, स्वप्रेरणा पर या किसी शिकायत पर या किसी प्रतिनिर्देश पर, किसी न्यायाधीश के ऐसे कदाचार या ऐसे पथभ्रष्ट व्यवहार के, जो उससे भिन्न है, जिसमें उसे हटाया जाना अपेक्षित हो जाता है, मामलों की भी जांच करनी थी और ऐसी जांच के पश्चात् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों को उचित रूप से सलाह देनी थी। अंतिम लोक सभा के विघटन के साथ उक्त विधेयक व्यपगत हो गया है।

इस समय न्यायिक जवाबदेही के संबंध में किसी विधान को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात से संग्रहीत राजस्व

5367. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संग्रहीत राजस्व का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसमें से राज्यों विशेषकर गुजरात के हिस्सों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान राज्यों से प्रत्यक्ष करों के रूप में संग्रहित राजस्व का ब्यौरा विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यों से प्रत्यक्ष कर के रूप में संग्रहित राजस्व के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, राज्य-वार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान राज्यों, विशेष रूप से गुजरात को, जारी किए गए हिस्से विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

वर्ष 2002-2003 के लिए प्रत्यक्ष कर वसूली का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र

(रुपए करोड़ों में)

राज्य	0020 निगम कर	0021 आयकर	0023 होटल प्रा.	0024 ब्याज कर	0025 व्यय कर	0031 संपदा शु.	0032 धन कर	0033 दान कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	1243.27	1831.07	2.29	-0.14	4.86	0.00	-1.75	-0.02	2879.58
अरुणाचल प्रदेश	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
असम	388.50	390.30	0.00	0.13	0.03	0.00	0.60	0.00	779.56
बिहार	9.42	292.98	0.00	0.12	0.03	0.00	0.21	0.00	302.76
छत्तीसगढ़	445.29	216.42	0.00	0.00	0.06	0.00	0.14	-0.02	661.89
गोआ	43.60	97.30	0.00	0.02	0.00	0.00	0.72	0.00	141.64
गुजरात	1271.90	1966.14	0.22	0.25	1.45	0.00	4.12	-1.34	3242.74
हरियाणा	206.95	660.60	0.00	0.16	0.44	0.00	4.18	0.00	872.33
हिमाचल प्रदेश	9.36	160.18	0.00	1.52	0.09	0.00	-0.24	0.00	170.91
झारखंड	20.32	534.59	0.00	0.12	0.01	0.00	0.30	0.00	555.34
जम्मू कश्मीर	148.46	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	273.42
कर्नाटक	2141.50	3181.93	0.00	-5.59	10.32	0.00	7.31	0.00	5335.47
केरल	573.10	795.95	0.01	-6.05	1.93	0.00	2.20	0.21	1367.35
मध्य प्रदेश	809.80	615.67	0.01	0.02	0.00	0.00	0.80	0.01	1426.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	20500.35	10963.09	0.00	2.13	63.61	0.00	74.40	0.13	31603.72
मणिपुर	-0.01	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	6.89
मेघालय	2.14	20.40	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04	-0.01	22.59
मिजोरम	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
नागालैण्ड	0.03	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	6.23
नई दिल्ली	8085.93	5126.15	0.00	-314.18	40.96	0.00	25.22	0.07	12963.15
उड़ीसा	606.40	334.62	0.00	0.15	0.00	0.00	1.57	0.00	942.74
पंजाब	370.08	835.08	0.00	0.56	0.01	0.01	0.89	-0.20	1206.43
राजस्थान	233.88	746.54	0.00	0.34	2.21	0.00	0.92	-0.07	983.82
सिक्किम	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
तमिलनाडु	2340.62	2896.99	0.00	0.97	9.52	0.25	10.86	0.02	5259.13
त्रिपुरा	-0.25	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72
उत्तर प्रदेश	326.08	1531.99	0.00	21.06	0.79	-0.01	5.44	-0.01	1884.32
उत्तरांचल	4647.66	241.85	0.00	0.00	0.02	0.00	1.09	0.00	4890.52
प. बंगाल	1582.49	1984.28	0.00	23.14	34.08	0.00	15.09	0.00	3619.06
योग (I)	45985.65	35390.26	2.53	-276.26	170.43	0.26	154.40	-1.23	81427.04
संघ शासित प्रदेश									
अंडमान निकोबार	0.69	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
चंडीगढ़	132.19	235.12	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.79	-0.56	365.97

दमन	3.81	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	7.88
दिव	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
दादर नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	13.67	93.44	0.00	0.00	0.20	0.00	0.17	0.00	107.48
लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
सिल्वासा	4.38	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
योग (II)	154.74	337.71	0.00	0.01	0.20	0.00	-0.52	-0.56	491.58
योग (I) एवं (II)	46140.39	35727.97	2.53	-275.25	170.63	0.26	153.88	-1.79	81918.62
सी.टी.डी.एस.	31.96	1137.99							1169.95
कुल योग	46172.35	36866.96	2.53	-275.25	170.63	0.26	153.88	-1.79	83088.57

विवरण-II

वर्ष 2003-2004 के लिए वसूली का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

राज्य	0020	0021	0023	0024	0028	0031	0032	0033	योग
	निगम कर	आयकर	होटल प्राप्तियां	ब्याज कर	व्यय कर	सम्पदा कर	धन कर	दान कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	1804.26	2035.92	0.04	-0.50	1.86	0.00	4.86	-0.08	3846.36
अरुणाचल प्रदेश	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
असम	688.93	515.96	0.00	0.08	0.05	0.00	0.63	-0.01	1205.64
बिहार	21.28	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	340.16
झारखंड	65.06	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	602.28
गोवा	178.42	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	355.74
गुजरात	1648.20	2125.03	0.00	0.03	1.55	0.00	4.26	0.04	3779.11
हरियाणा	295.25	831.73	0.00	0.03	0.18	0.00	0.83	0.00	1128.02
हिमाचल प्रदेश	11.72	184.44	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00	196.21
जम्मू-कश्मीर	201.25	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	345.50
कर्नाटक	3365.99	3960.98	0.00	-2.78	3.12	0.00	7.42	0.00	7334.73
केरल	989.32	747.40	0.00	0.04	0.77	0.00	1.79	0.16	1739.48
मध्य प्रदेश	1028.27	593.80	0.02	0.00	0.04	-0.17	0.63	0.04	1622.63
छत्तीसगढ़	483.52	414.94	0.00	0.00	0.09	0.00	0.14	0.00	898.69
महाराष्ट्र	28671.36	11895.69	0.00	-73.23	21.61	0.00	67.27	-0.11	40582.59

मणिपुर	-0.01	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	8.45
मेघालय	1.39	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	18.44
मिजोरम	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
नागालैंड	0.07	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	11.42
नई दिल्ली	10416.80	5722.78	0.00	9.30	9.80	0.00	13.31	-0.04	16171.95
उड़ीसा	1018.55	380.47	0.00	0.16	0.00	0.00	0.20	0.00	1399.38
पंजाब	446.76	1036.04	0.00	0.51	0.00	0.00	0.02	0.08	1483.25
राजस्थान	560.75	835.49	0.00	0.56	0.22	0.00	1.38	-0.01	1398.39
सिक्किम	0.07	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
तमिलनाडु	3164.91	3148.79	0.00	4.59	2.61	-0.09	11.55	1.18	6333.54
त्रिपुरा	0.09	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	27.86
उत्तर प्रदेश	388.51	1794.55	0.01	0.13	0.18	0.00	3.28	-0.45	2186.21
उत्तरांचल	5151.34	431.34	0.00	0.01	0.06	-0.12	1.34	0.00	6583.97
प. बंगाल	2730.37	1961.25	0.00	14.79	8.10	0.00	14.87	0.00	4729.32
योग (1)	63330.37	39871.34	0.07	-46.28	50.28	-0.38	135.15	0.66	103341.21
संघ राज्य क्षेत्र									
अंडमान निकोबार	1.80	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
चंडीगढ़	161.64	238.92	0.00	0.01	0.00	0.00	0.45	0.02	401.04
दमन	6.01	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	12.63
दीव	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दादर ना. हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	23.83	18.31	0.00	0.00	0.17	0.00	0.11	0.04	42.46
लक्षद्वीप	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
सिल्वासा	6.39	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
योग (2)	199.67	271.80	0.00	0.01	0.17	0.00	0.68	0.06	472.39
योग (1) और (2)	63530.04	40143.14	0.07	-46.27	50.45	-0.38	135.83	0.72	103813.60
सी.टी.डी.एस. (अनं.)	30.86	1243.30							1274.16
कुल योग	63560.90	41386.44	0.07	-46.27	50.45	-0.38	135.83	0.72	105087.76

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों 2002-03 से 2004-05 के दौरान राज्य सरकारों को जारी किया गया राज्यों का हिस्सा दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4315.81	5068.52	6058.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	121.68	160.60	191.95
3.	असम	1814.36	2162.07	2584.33
4.	बिहार	6559.38	7627.47	9117.13
5.	छत्तीसगढ़	1349.91	1569.72	1876.28
6.	गोआ	114.62	135.59	162.07
7.	गुजरात	1596.69	1856.69	2219.30
8.	हरियाणा	534.30	621.31	742.62
9.	हिमाचल प्रदेश	347.63	449.54	537.32
10.	जम्मू-कश्मीर	646.80	817.05	961.00
11.	झारखंड	1702.52	1979.73	2366.40
12.	कर्नाटक	2786.20	3244.73	3878.44
13.	केरल	1715.21	2012.00	2404.95
14.	मध्य प्रदेश	3652.43	4247.14	5076.63
15.	महाराष्ट्र	2621.72	3048.64	3644.02
16.	मणिपुर	188.12	240.89	287.96
17.	मेघालय	176.11	225.08	269.04
18.	मिजोरम	94.59	130.33	155.78
19.	नागालैंड	98.07	144.80	173.08
20.	उड़ीसा	2805.58	3327.68	3977.56
21.	पंजाब	649.21	754.91	902.35

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	3063.10	3802.14	4305.61
23.	सिक्किम	97.11	121.08	144.73
24.	तमिलनाडु	3047.91	3544.20	4236.39
25.	त्रिपुरा	249.71	320.52	383.10
26.	उत्तर प्रदेश	10831.55	12595.30	15055.20
27.	उत्तरांचल	374.11	435.03	519.97
28.	पंश्चिम बंगाल	4586.74	5341.65	6384.89
	योग	56141.17	65784.41	78616.52

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

5368. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "राष्ट्रीय पुनर्वास नीति" तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस नीति को अंतिम रूप देने की समय-सीमा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति-2003 (एन.पी.आर.आर. 2003) तैयार की है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

- यह नीति मैदानी क्षेत्र में 500 परिवारों या इससे अधिक परिवारों तथा पर्वतीय क्षेत्रों, मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) वाले खण्डों, भारत के संविधान की अनुसूची-V तथा अनुसूची-VI में उल्लेख किए गए क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक परिवारों को सामुहिक रूप से विस्थापित करने वाली परियोजना के संबंध में लागू होगी।

- यह नीति सभी संबंधितों के मार्गदर्शन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में होगी।

- इस नीति दस्तावेज में परियोजना प्रभावित उन परिवारों के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभों की व्यवस्था की गई है जिन्होंने अपनी भूमि तथा घर खोया हो। ये लाभ छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि तथा गैर कृषि श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों/छोटे व्यापारियों/स्व-रोजगार वाले युवकों, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) की श्रेणी से संबंधित हों या गैर बी.पी.एल. श्रेणी से संबंधित हों, के लिए भी उपलब्ध होंगे। तथापि, वे राज्य, जहां पर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पैकेज इस नीति में प्रस्तावित पैकेज से अधिक हैं, अपने पैकेज अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

- परियोजना प्रभावित परिवारों की उपर्युक्त श्रेणियां, पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ मौद्रिक रूप में जैसे आवास स्थलों के आबंटन, घरों तथा पशुशालाओं के निर्माण के लिए अनुदान, भूमि विकास तथा कृषि उत्पादन के लिए अनुदान, ग्रामीण दस्ताकारों के लिए दुकान/कार्यशाला के निर्माण के लिए अनुदान और उन परियोजना प्रभावित परिवारों, जिन्होंने अपनी भूमि, घर तथा रोजगार खोया हो, को मासिक जीविका भत्ते के संबंध में एक बार दिए जाने वाला अनुदान, प्राप्त करने के लिए हकदार होंगी।

- परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवार अन्य पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभों के अलावा मौद्रिक रूप में 20 प्रतिशत अधिक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभ प्राप्त करेंगे।

- परियोजना स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तथा विभिन्न पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी व्यय

5369. श्री एस. अजय कुमार: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2004 के बीच मंत्रालय का व्यय 6,681 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,261 करोड़ रुपए हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान व्यय में हुई इस असामान्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यय में कमी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) से (ग) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नवम्बर, 2004 तक रिलीज की गई कुल केन्द्रीय धनराशि 8967.64 करोड़ रु. तथा दिसम्बर, 2004 तक 11216.66 करोड़ रु. थी। रिलीज में दिसम्बर, 2004 के दौरान अधिक बढ़ोत्तरी हुई है, क्योंकि अधिकांश कार्यान्वयन एजेंसियां अपनी अगली किस्त की रिलीज के लिए पात्र हो जाती हैं तथा देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक नई योजना शुरू की गई है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिसम्बर, 2004 में 297.10 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे।

[हिन्दी]

जाली पैन कार्ड

5370. श्री महेश कनोडिया:

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली पैन कार्ड बनाने का धंधा चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमानिक्कम): (क) कतिपय निजी व्यक्तियों द्वारा दिल्ली स्थित आयकर विभाग के कुछ कर-निर्धारण अधिकारियों के पासवर्ड अनधिकृत रूप से प्राप्त करके आंकड़ों में हेर-फेर करने तथा जाली पैन कार्ड जारी करने की एक घटना दिसम्बर, 2004 में ध्यान में आयी थी।

(ख) और (ग) आयकर विभाग द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस अपराध में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों का जिला परिषद में विलय

5371. श्री महावीर भगोरा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का जिला परिषद में विलय करने के लिए नीति तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा कौन-कौन से उद्देश्य पूरा किये जाने की अपेक्षा है;

(ग) क्या इस नीति में जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के कर्मचारियों को जिला परिषद् में शामिल करने का प्रस्ताव भी है;

(घ) यदि हां, तो क्या जिला विकास एजेंसियों और जिला परिषदों के कर्मचारियों की सामान्य परस्पर वरिष्ठता रहेगी और वे विलय के पश्चात् सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध अन्य सुविधाओं के भी हकदार होंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कितने राज्यों में जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों का जिला परिषदों में विलय कर दिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी डी.आर.डी.ए. प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों में सामान्यत: डी.आर.डी.ए. को जिला परिषद के साथ मिलाने का उल्लेख नहीं है। परंतु दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे डी.आर.डी.ए. को अलग पहचान के साथ जिला परिषद में पृथक इकाई के रूप में संचालित कर सकती हैं।

(ग) से (ङ) डी.आर.डी.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार डी.आर.डी.ए. द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त करने और/अथवा भर्ती करने की कोई एक समान नीति नहीं है। एक नीति के रूप में

डी.आर.डी.ए. में स्थायी कर्मचारी नहीं होने चाहिए और उन्हें सीधी भर्ती करने की भी अनुमति नहीं दी गई है। डी.आर.डी.ए. को सुदृढ़ बनाने और उन्हें पेशेवर बनाने तथा लचीला स्वरूप रखने के लिए डी.आर.डी.ए. से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी रखने का अनुरोध किया गया। वर्तमान में जो कर्मचारी डी.आर.डी.ए. में हैं उनके संबंध में राज्य के ग्रामीण विकास विभाग को लाइन विभागों में कर्मचारियों को आमेलित करने के लिए 3-5 वर्षों की योजना बनानी थी। योजना में किसी भी परिस्थिति में डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों को जिला परिषद में आमेलित करने की बात नहीं की गई है। इसलिए पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में डी.आर.डी.ए. को जिला परिषद में मिला दिया गया है। अन्य राज्यों के बारे में स्थिति का विवरण संलग्न है।

विवरण

डी.आर.डी.ए. एजेंसियों के अध्यक्षों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	अध्यक्ष
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	उप आयुक्त
2.	अरुणाचल प्रदेश	उप आयुक्त
3.	असम	अध्यक्ष जिला परिषद
4.	छत्तीसगढ़	अध्यक्ष जिला परिषद (जिला परिषद में डी.आर.डी.ए. प्रकोष्ठ)
5.	बिहार	अध्यक्ष जिला परिषद
6.	गोवा	अध्यक्ष जिला परिषद
7.	गुजरात	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	हरियाणा	उप आयुक्त
9.	हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष जिला परिषद
10.	जम्मू-कश्मीर	उप आयुक्त
11.	झारखण्ड	उप आयुक्त (जिला परिषद नहीं)
12.	कर्नाटक	अध्यक्ष जिला परिषद (आमेलित)
13.	केरल	अध्यक्ष जिला परिषद
14.	मध्य प्रदेश	अध्यक्ष जिला परिषद (आमेलित)
15.	महाराष्ट्र	अध्यक्ष जिला परिषद (जिला परिषद में डी.आर.डी.ए. प्रकोष्ठ)
16.	मणिपुर	अध्यक्ष जिला परिषद
17.	मेघालय (पंचायत)	उप आयुक्त
18.	मिजोरम (अधिनियम)	उप आयुक्त
19.	नागालैण्ड (लागू नहीं)	उप आयुक्त
20.	उड़ीसा	अध्यक्ष जिला परिषद
21.	पंजाब	उप आयुक्त
22.	राजस्थान	अध्यक्ष जिला परिषद (जिला परिषद में डी.आर.डी.ए. प्रकोष्ठ)
23.	सिक्किम	सचिव (ग्रामीण विकास)
24.	तमिलनाडु	उप आयुक्त
25.	त्रिपुरा	अध्यक्ष जिला परिषद
26.	उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष जिला परिषद
27.	उत्तरांचल	अध्यक्ष जिला परिषद
28.	प. बंगाल	अध्यक्ष जिला परिषद (आमेलित किन्तु अलग लेखा)

[अनुवाद]

ऋण लेने वालों का उत्पीड़न

5372. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कतिपय वित्त कंपनियों द्वारा ऋण संविदाओं की एक पक्षीय समाप्ति तथा ऋण लेने वालों के वाहन अथवा अन्य सामान छीनने की बढ़ती घटनाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार के सामने आए इस तरह के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संबंधित कानूनों के संशोधन हेतु तथा फाइनेंसरों के हाथों ऋण लेने वालों के उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या कदम उठाया गया है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमानिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि ऋण संविदाओं की समाप्ति एवं वित्त कम्पनियों द्वारा वित्तपोषित वाहनों एवं अन्य वस्तुओं की जब्ती उधारकर्ता एवं वित्तपोषक कम्पनी के बीच हुई संविदा/करार की शर्तों द्वारा अभिशासित होती है। कम्पनी एवं उधारकर्ता को संविदा/करार की शर्तों के अनुसार कार्य करना होता है। इसलिए ये मामले भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक उपबंधों के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। इस समय इससे संबंधित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अवसंरचना निधि

5373. श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण अवसंरचना प्रोत्साहन निधि स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें केन्द्र सरकार का कितना योगदान है;

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ सरकार का किन स्रोतों से निधियां जुटाने का विचार है: और

(च) इस निधि के कब तक जारी होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा

5374. श्री देविदास पिंगले: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में इस समय कुल कितनी पवन चक्कियां (विंड मिल्स) कार्यरत हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य के लिए कितनी पवन चक्कियां स्वीकृत की गईं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या राज्य में अगले वर्ष में पवन चक्कियों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) महाराष्ट्र में अब तक ग्रिड सम्बद्ध पद्धति में लगभग 456 मेगावाट की कुल क्षमता सहित कुल 1040 पवन टरबाइन और ऑफ-ग्रिड पद्धति में 265 किवा. की कुल क्षमता सहित 58 एरोजनरेटर संस्थापित किए गए हैं।

(ख) महाराष्ट्र सहित किसी राज्य में वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए कोई विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अब तक कोई एरोजनरेटर मंजूर नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। महाराष्ट्र में लगभग 40 स्थानों पर एरोजनरेटरों की स्थापना करने के लिए संभाव्यता का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किया गया है। वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए संभावना का पता लगाने हेतु राज्य में 21 स्थानों पर पवन मॉनीटरिंग भी प्रगति पर है।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5375. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 6 अप्रैल, 2005 के 'हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के अनुसार, सरकार का विचार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करने और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने हेतु नीति बनाने का भी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तैयार की गयी नीति के अनुसार कैश-एंड-कैरी की अनुमति दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मेट्रो नामक प्रमुख जर्मन खुदरा कंपनी शृंखला ने देश में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमानिक्कम): (क) और (ख) बीमा कंपनियों को अपने कारोबार की वृद्धि के लिए समय-समय पर अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। भारतीय प्रवर्तक कभी-कभी वित्तीय बाध्यताओं के कारण अपनी शेयर धारिता के समानुपात में अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की सीमा को इस समय के 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की घोषणा की गई। तथापि, अभी तक किसी वैधानिक प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस समय सरकार के समक्ष खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति देने के संबंध में निर्णय लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) खुदरा व्यापार के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, सरकार के पूर्वानुमोदन से कैश-एंड-कैरी थोक व्यापार में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी जाती है।

(ङ) और (च) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) को मैसर्स मेट्रो, जर्मनी से देश में अपने व्यापार बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

समग्र सफाई अभियान

5376. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय स्थानवार कौन-कौन से राज्यों में समग्र सफाई अभियान चलाया जा रहा है;

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान इस अभियान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच सफाई संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) 30 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 478 जिलों में चलाया जा रहा है। अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या के साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु किया गया कुल बजट प्रावधान 400 करोड़ रु. था और वर्ष 2005-06 के लिए 700 करोड़ रु. है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। चल रही परियोजनाओं के संबंध में अथवा नए जिलों में टी.एस.सी. परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अगली किस्तों की रिलीज के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति पर ही दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियां रिलीज की जाती हैं।

(ग) और (घ) टी.एस.सी. परियोजनाओं में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसी सुविधाओं के लिए मांग सृजित करने हेतु लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का, महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में उपयोग किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	टी.एस.सी. परियोजनाओं की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	15
4.	बिहार	16
5.	छत्तीसगढ़	7
6.	दादर व नगर हवेली	1
7.	गोआ	1

1	2	3
8.	गुजरात	25
9.	हरियाणा	19
10.	हिमाचल प्रदेश	7
11.	जम्मू-कश्मीर	14
12.	झारखंड	22
13.	कर्नाटक	18
14.	केरल	13
15.	मध्य प्रदेश	45
16.	महाराष्ट्र	33
17.	मणिपुर	4
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	30
22.	पांडिचेरी	1
23.	पंजाब	14
24.	राजस्थान	21
25.	सिक्किम	4
26.	तमिलनाडु	29
27.	त्रिपुरा	4
28.	उत्तर प्रदेश	70
29.	उत्तरांचल	13
30.	प. बंगाल	18
	कुल योग	478

पुन:प्रयोज्य ऊर्जा की क्षमता

5377. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पवन, लघु हाइड्रो और बायोमास से उत्पन्न होने वाली पुन:प्रयोज्य ऊर्जा की अनुमनित क्षमता लगभग 80,000 मेगावाट है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक इसमें से केवल 5500 मेगावाट ग्रिड इंटरएक्टिव पुन:प्रयोज्य ऊर्जा क्षमता ही स्थापित की गई है;

(ग) यदि हां, तो अधिकतम स्तर तक पुन-प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के दोहन में कौन-से प्रमुख कारक बाधा पहुंचा रहे हैं; और

(घ) देश में इनकी पूर्ण क्षमता का दोहन कब तक किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) देश में पवन, लघु पनबिजली और बायोमास से अक्षय ऊर्जा के लिए संभाव्यता लगभग 80,000 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है, जिसकी तुलना में दिनांक 31-03-2005 की स्थिति के अनुसार लगभग 6160 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता स्थापित की गई है।

(ग) ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की त्वरित वृद्धि में प्रमुख बाधाएं हैं - अक्षय ऊर्जा स्रोतों की अन्तर्निहित सविरामी प्रकृति, अपेक्षाकृत कम क्षमता उपयोग कारक, आपूर्ति की सविरामी प्रकृति के कारण ग्रिड विस्तार की सीमाएं, पारंपरिक विद्युत परियोजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पूंजीगत लागत, ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत को वाणिज्यिक रूप से आकर्षक बनाने के लिए रियायती सीमा और उत्पाद शुल्कों के अतिरिक्त अधिमान्य शुल्क-दरों की आवश्यकता।

(घ) 10वीं योजना के दौरान अक्षय स्रोतों से अतिरिक्त ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत संस्थापित क्षमता का लगभग 10 प्रतिशत लगाए जाने का उद्देश्य है। योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान अक्षय स्रोतों से लगभग 18 प्रतिशत तक अतिरिक्त संस्थापित क्षमता प्राप्त हुई है, जिसमें पवन विद्युत से 13 प्रतिशत (1967 मेवा), लघु हाइड्रो विद्युत से 2 प्रतिशत (267 मेवा.) और बायोऊर्जा से 3 प्रतिशत (407 मेवा.) का योगदान है। इस क्षेत्र में प्रगति काफी संतोषजनक है।

विदेशी सहायता

5378. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है और उसमें से परियोजना-वार और एजेंसी-वार कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त राशि को अब तक व्यय किया गया है; और

(ग) कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कितनी परियोजनाएं सरकार के पास लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एजेंसी-वार प्राधिकृत विदेशी सहायता और उपयोग में लायी गयी राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। निधियों के परियोजना-वार उपयोग के ब्यौरे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in/caaa. पर उपलब्ध हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 207 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 297 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

विवरण

विदेशी सहायता

(करोड़ रुपए में)

एजेंसी	2002-03		2003-04		2004-05	
	प्राधिकृत राशि	उपयोग में लाई गई राशि	प्राधिकृत राशि	उपयोग में लाई गई राशि	प्राधिकृत राशि	उपयोग में लाई गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
बहुपक्षीय						
एशियाई विकास बैंक	3097.1	1705.98	2618.87	2202.112	6481.36	1845.496
आई.बी.आर.डी.	5836.11	2751.754	3209.03	3492.392	2630.57	3263.902
आई.डी.ए.	5326.82	4303.492	3292.98	4178.266	6057.01	4631.613
आई.एफ.ए.डी.	0.43	51.783	288.69	50.044	0	32.597
आई.डी.एफ. (विश्व बैंक)	0	19.312	4.5	9.231	3.9	0.627
यू.एन.डी.पी.	54.16	108.695	324.08	55.398	70.05	95.903
ओपेक	0	16.014	0	2.75	0	0
द्विपक्षीय						
स्विटजरलैंड	0	1.79	0	10.85	0	26.415
जर्मनी	44.14	184.608	41.33	107.776	56.52	84.853

1	2	3	4	5	6	7
फ्रांस	21.87	51.672	0	40.93	0	51.34
जापान	4571.46	2713.404	4159.15	2867.191	7.74	2560.751
डेनमार्क	11.27	56.749	15.34	48.945	0	15.679
रूस	0	316.056	0	771.706	0	1180.374
कनाडा	0.86	1.481	0	1.259	0	1.972
यूरोपीय आयोग	0	326.033	0	147.539	186.53	426.312
नीदरलैंड	722.36	127.897	0	251.869	6.74	64.248
यूनाइटेड किंगडम	361.77	778.726	1693.38	1279.944	2502.28	1506.934
नार्वे	0	3.304	0	0	0	1.226
यू.एस.ए.	96.78	49.864	381.34	110.564	0	80.168
अन्य	27.34	0.128	152.51	4.61	31.05	46.692
कुल जोड़	20172.47	13568.74	16181.2	15633.38	18033.75	15917.102

[हिन्दी]

दंड प्रक्रिया संहिता

5379. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति): (क) से (ङ) जब कभी आवश्यक होता है, भारत के विधि आयोग या उस प्रयोजन के लिए गठित किन्ही अन्य विशेष समितियों की सिफारिशों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 जो विधि आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग और अन्य अभिकरणों द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है, राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक में निम्न बातों पर बल दिया गया है:-

(i) अन्वेष्णात्मक तंत्र और प्रक्रिया का सामंजस्य स्थापित करना;

(ii) अभियोजन और संबंधित तंत्र को मजबूत करना;

(iii) विशिष्टया विचारण न्यायालय की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के विचार से प्रक्रियाओं को सुव्यसस्थित करना और इनमें सुधार करना;

(iv) विचारणाधीन कैदियों की समस्या और जमानत मंजूर करने से जुड़े विषयों का समाधान करना, और

(v) प्रकीर्ण सुधार करना।

22 अगस्त, 2003 को राज्य सभा में पुर:स्थापित दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विभिन्न उपबंधों को संशोधित करने के भी प्रस्ताव हैं।

उपर्युक्त के अलावा दंड न्याय प्रणाली के सुधार संबंधी मलिमथ समिति ने अपनी रिपोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973,

भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य विधियों में विभिन्न परिवर्तनों की सिफारिश की है। दंड विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं और उनका प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अत: इन विधियों में कोई मुख्य परिवर्तन से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श आवश्यक है। तद्नुसार मलिमथ समिति की रिपोर्ट को राज्य सरकारों को, उनके विचारों के लिए अग्रेषित किया गया था। अभी तक, ग्यारह (11) राज्य सरकारों और चार (4) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

सेबी के पास जोखिम घटक दर्ज करना

5380. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्फोसीस टेक्नोलाजीज ने अमरीका के सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास अपने हाल के दर्ज जोखिम घटक के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी विधान पारित करने की संभावना जताई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या किसी अन्य कंपनी ने भी इसका उल्लेख सेबी के पास इसे जोखिम घटक के रूप में दर्ज किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) कंपनी ने प्रतिभूति अधिनियम, 1933 के अन्तर्गत प्रतिभूति और विनिमय आयोग, वाशिंगटन, डीसी को प्रस्तुत अपने पंजीकरण विवरण में इसके द्वारा अपनी अमरीकी निक्षेपागार शेयर पेशकश में यथा अवबोधित विभिन्न जोखिम कारक प्रस्तुत करते समय उपर्युक्त जोखिम कारक को शामिल किया था। कंपनी द्वारा वर्णित अन्य जोखिम कारकों में, अन्य बातों के अलावा, कुछ अमरीकी राज्यों द्वारा प्रस्तावित विधान शामिल हैं जिनमें सरकारी एजेंसियों को अमरीका से बाहर की कंपनियों को अपने पृष्ठ कार्यालय प्रक्रियाओं तथा आईटी समाधान कार्य का बहिस्रोतण करने से प्रतिबंधित किया गया था।

(ग) सेबी ने सूचित किया है कि किसी अन्य कंपनी ने सेबी में अपना विवरण दायर करते समय इसका एक जोखिम कारक के रूप में उल्लेख नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं

5381. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने लाइसेंस समझौते में ग्रामीण क्षेत्रों तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के संबंध में दर्शाई गई प्रतिबद्धता के विपरीत अनिच्छा दर्शाने पर कठोर रवैया अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों द्वारा लाइसेंस शर्तों का अनुपालन करने के लिए कहा है जिसके अनुसार प्रत्येक बैंक द्वारा अपनी 25 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोलना आवश्यक है;

(ग) देश में खुले नए निजी बैंकों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इस दिशा-निर्देश का कितने बैंकों ने अनुपालन किया है; और

(ङ) अन्य बैंकों द्वारा सरकार के अनुदेशों का अनुपालन नहीं करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वर्तमान शाखा लाइसेंस नीति के तहत शाखा खोलने के लिए स्थान की पहचान बैंकों के विवेक पर छोड़ दी गई है। बैंक नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव पेश करने से पूर्व कारकों यथा केन्द्र पर कारबार की सम्भाव्यता, प्रस्तावित शाखा की लाभप्रदता, अवसंरचना की उपलब्धता, सुरक्षा आदि पर विचार करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल शाखाओं की तुलना में ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी शाखाओं का प्रतिशत 64.81 प्रतिशत है। गैर सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों को उन्हें जारी किए गए लाइसेंस में निर्धारित शर्त के भाग के रूप में अपनी शाखाओं का 25 प्रतिशत ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोलना अपेक्षित है। नई शाखाएं खोलते समय बैंकों ने इस शर्त के पालन में कोई अनिच्छा नहीं दर्शायी है।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल मिलाकर दस बैंक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं जो नए बैंकों को लाइसेंस देने के संबंध में 3-1-2003 को दिशानिर्देश जारी करने के बाद स्थापित किए गए है।

(घ) और (ङ) इन बैंकों ने नई शाखाएं खोलते समय अपनी शाखाओं का 25 प्रतिशत ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोलने की शर्त का पालन करने में कोई अनिच्छा नहीं दर्शायी है।

[हिन्दी]

सुनामी के लिए एशियाई विकास बैंक न्यास

5382. श्री सीता राम यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा सुनामी प्रभावित देशों में पुनर्वास कार्य में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 60 करोड़ डालर का एक एशियाई सुनामी न्यास स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस निधि में भारत का अंशदान कितना है तथा इस निधि से कितनी प्रतिशत राहत मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) भारत इस निधि के लिए अंशदान नहीं करेगा। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए सुनामी आपात सहायता (क्षेत्र) परियोजना हेतु ए.डी.बी. की एशियाई सुनामी निधि में से 100 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान राशि अनुमोदित की है।

[अनुदान]

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद

5383. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995 में हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एन.सी.आर.आई.) की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो परिषद के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या परिषद पूर्णतया कार्यशील हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद द्वारा कितने ग्रामीण संस्थानों का गठन किया गया है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत तथा खर्च की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(i) शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों की तर्ज पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन के लिए माइक्रो प्लानिंग की चुनौतियों का सामना किया जा सके जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एन.पी.ई.) 1986 (1992 में यथा संशोधित) में परिकल्पित है;

(ii) नेटवर्क को समेकित करना और गांधीवादी बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के कार्यक्रमों से जुड़ी संस्थाओं का विकास करना;

(iii) अन्य शैक्षिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को शिक्षा के गांधीवादी दर्शन के अनुरूप विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(iv) गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करना;

(v) नये ग्रामीण व्यवसायों के लिए तृतीय स्तर पर अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करना;

(vi) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष बल देते हुए इन सभी संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करना;

(vii) ग्रामीण संस्थाओं के क्षेत्रोन्मुख पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;

(viii) अनुसंधान को सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित करना;

(ix) माइक्रो लेवल प्लानिंग के माध्यम से समुदाय के लिए विस्तृत सेवाओं को बढ़ावा देना; और

(x) ग्रामीण संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना जैसा कि समय-समय पर इसके लिए संदर्भित हो।

(ग) यद्यपि राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एन.सी.आर.आई.), हैदराबाद की स्थापना अक्तूबर, 1995 में की गई थी, किन्तु मुख्य रूप से नियमित स्टाफ की कमी वजह से पूरी तरह संचालन योग्य नहीं बनाया जा सका था। यह परिषद केवल सलाहकारों के जरिये ही कामकाज कर रही है। हाल ही में सरकार ने 25,000 रु. प्रतिमाह (निश्चित) के वेतनमान पर अध्यक्ष, एन.सी.आर.आई., हैदराबाद के पद के सृजन की अनुमति दी है और पद को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एन.सी.आर.आई. के प्रशासनिक मंत्रालय ने 14 और अधिक पदों के सृजन के लिए कार्रवाई शुरू की है ताकि परिषद को वर्ष 2005-06 के दौरान पूरी तरह संचालन योग्य बनाया जा सके।

(घ) परिषद में ग्रामीण उच्चतम शिक्षा, ग्रामीण शैक्षिक कार्यक्रम, ग्रामीण कारीगरों में नई तालीम और कौशल विकास के अनुप्रयोग

के क्षेत्र में 22 ग्रामीण संस्थाएं हैं। तथापि अभी तक किसी ग्रामीण संस्थान की स्थापना नहीं की गई है क्योंकि परिषद को अभी पूरी तरह संचालित किया जाना है।

(ङ) एन.सी.आर.आई. के लिए स्वीकृत कुल राशि 7.00 करोड़ रु. है। 31-3-2004 की स्थिति के अनुसार परिषद द्वारा 6.77 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण ज्ञान केन्द्र

5384. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री मुन्शी राम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास इस समय देश के सभी गांवों में ग्राम ज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन

5385. श्री हितेन बर्मन:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव:
श्री हरि सिंह चावड़ा:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने कार्यकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे बैंकों के क्या नाम हैं जिन्होंने ऐसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है और ऐसे उल्लंघन की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों विशेषकर ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के द्वारा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उल्लंघन करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं दोनों ही बैंकिंग/वित्तीय लेनदेनों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मार्गनिर्देशों का पालन कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में एक प्रणाली स्थापित है, जो इन संस्थाओं के कार्यकरण को विनियमित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशों के उल्लंघन या किसी प्रकार की अनियमितता का पता लगाने के लिए नियमित रूप से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक इन निष्कर्षों को, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को निरंतर आधार पर बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवा के कतिपय परिचालनात्मक पहलुओं के संबंध में शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। ये शिकायतें सामान्य स्वरूप की होती हैं और उन्हें निपटान आदि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

गायब हुई कंपनियां

5386. श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री सूरज सिंह:

क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान कितनी लिमिटेड कंपनियां रजिस्टर्ड की गईं और कितनी कंपनियों ने बाजार में अपने शेयरों को बेचने की अनुमति मांगी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रजिस्टर्ड कितनी लिमिटेड कंपनियों के वित्तीय रिकार्ड कंपनी रजिस्टर में उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी प्रत्येक कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनता, वित्तीय संस्थान और विदेशी संस्थागत निवेशकों से धन संग्रह करने के बाद गायब हुई कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान मंजीकृत की गई शेयरों द्वारा सीमित कंपनियों की संख्या नीचे दी गई है:-

1993	25511
1994	30291
1995	47928

बाजार में शेयरों की बिक्री के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की संख्या एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अंतिम तीन वर्षों के दौरान किसी भी कंपनी की पहचान गायब/लुप्त के रूप में नहीं की गई है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु सहायता

5387. श्री पी.एस. गडवी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय और बाह्य सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार से गुजरात में गैर-वन बंजरभूमि के विकास हेतु बाह्य सहायता को स्वीकृत देने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) और (ख) जी हां। गुजरात सरकार ने मजदूरी रोजगार अर्थात् संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी थी। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय अंश के रूप में वर्ष 2004-05 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 9607.01 लाख रु. तथा 110098 मीट्रिक टन गेहूं की सामान्य रिलीज के अलावा, 334.22 लाख रु. की अतिरिक्त तथा 33342 मीट्रिक टन गेहूं रिलीज किए। इसी प्रकार, गुजरात के 13 जिलों में बाढ़ से प्रभावित 16969 मकानों के पुनर्निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2004-05 के दौरान 2.26 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन के लिए बचत में से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1.56 करोड़ रु. की राशि भी रिलीज की थी।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य में गैर-वन्य बंजर भूमि के विकास के लिए बाहरी सहायता अनुमोदित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पनधारा कार्यक्रम का विस्तार

5388. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत आबंटित पांचवें बैच के पनधारा कार्यक्रम के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य राज्यों ने भी इस परियोजना हेतु आवेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (ङ) महाराष्ट्र सहित कार्यक्रम वाले विभिन्न राज्यों को स्वीकृत की गई पांचवें बैच की डी.पी.ए.पी. परियोजनाओं की परियोजना अवधि बढ़ाने संबंधी मामले की मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

"ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक" योजना

5389. श्री नवीन जिन्दल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक" योजना को अब बदल दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को बदलने से निर्यातकों/आयातकों को क्या लाभ मिलने की संभावनाएं हैं और नयी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 (31 मार्च, 2005 तक अद्यतन बनाई गई), में यह कहा गया है कि शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम तब तक जारी रहेगी जब तक इसके स्थान पर कोई नई स्कीम नहीं बनाई जाती, जिसे निर्यातकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा। यह मामला वाणिज्य विभाग के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सतर्कता समिति बैठकें

5390. श्री सुरेश चन्देल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में जिला सतर्कता तथा निगरानी समितियों के गठन के बावजूद कुछ राज्यों में उक्त समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां समितियों के गठन के बावजूद बैठकें आयोजित नहीं की जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता बन्द करने का है जोकि उक्त समितियों की बैठकें नहीं करा रहे हैं अथवा इस संबंध में केन्द्र सरकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार/जिला प्रशासनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें संलग्न विवरण में दिए गए जिलों में आयोजित की गई हैं। शेष जिलों ने सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें आयोजित करने के बारे में जानकारी नहीं दी है।

(ग) से (ङ) केंद्र सरकार ने जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए सभी राज्यों/जिला प्रशासनों को अनुदेश दिया है। जिन संसद सदस्यों को इन समितियों का अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष बनाया गया है उनसे भी समय पर बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिवों को संशोधित दिशा-निर्देशों में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार बैठकों के आयोजन में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

विवरण

उन राज्यों/जिलों के नाम, जहां जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकें आयोजित की गईं

(26-4-2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्र. सं.	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	महबूबनगर
2.	गुजरात	2.	सूरत
		3.	नवसारी
3.	कर्नाटक	4.	बीदर
		5.	बेल्लारी
		6.	धारवाड़
		7.	हावेरी
4.	मध्य प्रदेश	8.	बैतुल
		9.	मंदसौर
		10.	रतलाम
		11.	रीवा
		12.	सिवनी

1	2	3	4
5.	महाराष्ट्र	13.	रायगढ़
6.	मेघालय	14.	प. गारो हिल्स
7.	मिजोरम	15.	सैहा
		16.	लांगतलाई
8.	उड़ीसा	17.	बरगढ़
		18.	फुलबनी
		19.	खुर्दा
		20.	सुंदरगढ़
9.	राजस्थान	21.	बाड़मेर
		22.	उदयपुर
10.	तमिलनाडु	23.	तिरूवल्लुर
		24.	वेल्लोर
		25.	तिरूवन्नामलाई
		26.	सालेम
11.	उत्तर प्रदेश	27.	बिजनौर
		28.	मऊ
		29.	सहारनपुर
		30.	हरदोई
		31.	बागेश्वर
		32.	मैनपुरी
12.	उत्तरांचल	33.	पिथौरागढ़
13.	लक्षद्वीप	34.	लक्षद्वीप

[अनुवाद]

चिकित्सा अनुसंधान पर खर्च

5391. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी अस्पताल, चिकित्सा अनुसंधान गतिविधियों पर होने वाले खर्च के लिए आयकर छूट प्राप्त करने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चार महानगरों में इस प्रकार के अस्पताल को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वर्षवार तथा अस्पतालवार कुल कितनी धनराशि की कर से छूट दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अन्तर्गत कोई निजी अस्पताल चिकित्सा-अनुसंधान के क्रिया-कलापों पर हुए व्यय के कारण कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।

(ग) आयकर विभाग उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों के अन्तर्गत करदाताओं के दावों के फलस्वरूप अनुमत कटौतियों के आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता है। अत: चिकित्सा अनुसंधान के क्रिया-कलापों पर निजी अस्पतालों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत उनके द्वारा दावा की गई कटौतियों के बारे में सूचना देना संभव नहीं है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संख्या सा.का.नि. 153(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1985/2005)

(2) (एक) जवाहर लाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजायन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजायन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री शीश राम ओला]

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 1986/2005)

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा टल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 1987/2005)

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ब्यूरो आफ एनर्जी एफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो आफ एनर्जी एफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 1988/2005)

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दुर्घटनाओं की प्रज्ञापना (नोटिस तामील का प्ररूप और समय) नियम, 2004 जो 1 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदनों का तैयार किया जाना) नियम, 2004 जो 28 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विनियामक अधिकरण नियम, 2005 जो 16 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र नियम, 2004 जो 7 मार्च 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 158(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विद्युत लाइसेंस का वितरण (पूंजी की पर्याप्तता, ऋण पात्रता और आचार संहिता की अतिरिक्त आवश्यकता) नियम, 2005 जो 23 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण में मुक्त पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 जो 23 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(5)/2003-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एल-7/25(7)/2004-लीगल जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयोग द्वारा टैरिफ के अंतिम अवधारण के पश्चात् समायोजन के अध्यधीन 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के प्रभारों की अनंतिम बिलिंग के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1989/2005)

(5) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1990/2005)

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन रिन्युअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्युअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 1991/2005)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (7वां संशोधन) नियम, 2005 जो 28 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 265(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्रोत पर संग्रहीत कर की विवरणियों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से फाइल करने संबंधी स्कीम, 2005 जो 30 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 453(अ) में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2005 जो 30 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 454(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1992/2005)

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 194(अ) जो 30 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 96/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 209(अ) जो 15 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 248(अ) जो 23 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 247(अ) जो 23 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 257(अ) जो 24 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 270(अ) जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 147(अ) जो 2 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री पी. चिदंबरम]

(आठ) सा.का.नि. 148(अ) जो 2 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 169(अ) जो 11 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) यात्री सामान (संशोधन) नियम, 2005 जो 4 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 216(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 222(अ) जो 8 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अंतर्गत घोषित लक्ष्य वृद्धि स्कीम को कार्यान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 296(अ) जो 7 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 23 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 248(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1993/2005)

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 160(अ) जो 7 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 7 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 40/2003-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1994/2005)

(5) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2005 जो 25 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 104(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1995/2005)

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 14 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 26 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 107(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 2004 की धारा 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 97(अ) जो 24 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 फरवरी, 2005 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 1996/2005)

(8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (कठिनाइयों का निराकरण) नियम, 2005 जो 24 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 98(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 99(अ) से सा.का.नि. 101(अ) जो 24 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिनियम की धारा 5क(2), 11ग, 37 और 3(2) के अंतर्गत विद्यमान अधिसूचनाओं/नियमों/तदर्थ आदेशों के 6-अंकीय वर्गीकरण के सभी संदर्भों का प्रतिस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1997/2005)

(9) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 3 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या जी.बी./विविध/कार्मिक/04/1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1998/2005)

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 अप्रैल, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.02½ बजे

प्राक्कलन समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) - भारतीय चिकित्सा परिषद के बारे में प्राक्कलन समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

84वें से 88वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में 84वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में 85वां प्रतिवेदन।

(3) पोत परिवहन विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में 86वां प्रतिवेदन।

(4) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में 87वां प्रतिवेदन।

(5) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में 88वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) श्रम संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): लोक सभा समाचार भाग दो, दिनांक 01 सितम्बर, 2004 में प्रकाशित माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में, मैं वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-05) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

श्रम संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच की और इस संबंध में अपना दूसरा प्रतिवेदन 19 अगस्त, 2004 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 22 सिफारिश पैरा सम्मिलित हैं। समिति की सिफारिशें मुख्यत: विभिन्न विभागीय और कल्याण योजनाओं के संबंध में निधियों के आवंटन में वृद्धि और उसके उपयोग तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विद्यमान योजनाओं के तेजी से लागू करने और वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन के 22 पैराओं में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है और इन सिफारिशों पर

*ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1999/2005

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण श्रम संबंधी स्थायी समिति को नवंबर, 2004 में प्रस्तुत कर दी गई थी। 10 सिफारिश पैराओं में अंतर्विष्ट सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 5 सिफारिश पैराओं पर, समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही पूरी कर ली गई है और अन्य 7 सिफारिशों के संबंध में भी कार्यवाही की गई है या शुरू कर दी गई है। वस्त्र मंत्रालय समिति की सिफारिशों को सही मायने में कार्यान्वित करने के लिए इस संबंध में हर संभव प्रयास कर रहा है।

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 12, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आप कृपया अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखें। आपका वक्तव्य लंबा है। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं या आप इसका सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा बुलेटिन भाग-II दिनांक 01-09-2004 द्वारा जारी लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष के निदेश 73 क के अनुसरण में *ग्रामीण विकास से संबद्ध स्थायी समिति की तीसरी रिपोर्ट* (2004-2005) में की गई सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति पर मैं यह वक्तव्य* रखता हूं।

2. ग्रामीण विकास से संबद्ध स्थायी समिति ने मंत्रालय की वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुदान मांगों की जांच की थी और 19 अगस्त 2004 को इस संबंध में लोकसभा में अपनी तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में 58 सिफारिशें थीं। मंत्रालय ने रिपोर्ट पर विचार किया था और समिति को "की गई कार्रवाई रिपोर्ट" (ए.टी.आर.) भेज दी गई है। समिति ने ए.टी.आर. को स्वीकार कर लिया है और 36 सिफारिशों से संतुष्ट है। शेष सिफारिशों के बारे में, सरकार के रवैये/विचार से समिति को अवगत करा दिया गया है और इनमें से 5 सिफारिशों पर सरकार के अन्य विभागों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके आगे की कार्रवाई की जानी है जिनके संबंध में कार्रवाई चल रही है।

3. ग्रामीण विकास विभाग 12 कार्यक्रम चला रहा है जिनमें से 4 प्रमुख कार्यक्रम सीधे गरीबी उपशमन और आर्थिक सुदृढ़ीकरण तथा सामाजिक न्याय के लिए ग्रामीण गरीबों की मदद करने से संबंधित हैं। ये कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार (एस.जी.आर.वाई. और एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.), बी.पी.एल. परिवारों के स्वत: आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए उनके लिए स्वरोजगार (एस.जी.एस.वाई.), गांवों तक पहुंच को सरल बनाने के लिए ग्रामीण संपर्कता (पी.एम.जी.एस.वाई.) और ग्रामीण गरीबों को आवास के लिए वित्तीय सहायता (इंदिरा आवास योजना) से संबंधित हैं। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक बजटीय सहायता के 93 प्रतिशत भाग से अधिक धनराशि के हैं। प्रशिक्षण, जागरूकता और अन्य क्षेत्रों से संबंधित शेष कार्यक्रम यद्यपि प्रोत्साहन स्वरूप के हैं, परन्तु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर इनका व्यापक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण गरीबों के साक्षरता स्तरों की स्थिति को देखते हुए जागरूकता कार्यक्रम से न केवल ग्रामीण गरीबों तक आसानी से लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी बल्कि इनसे कार्यक्रम क्रियान्वयन में रचनात्मक सुधार लाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसी प्रकार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषकर स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) में स्वरोजगारियों के कौशल में सुधार करना आसान होगा और फलस्वरूप उनके विश्वास में वृद्धि होने के साथ-साथ उनकी मासिक आय में भी वृद्धि हो सकेगी। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), सड़क संपर्कविहीन बसावटों को अति आवश्यक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराती है। अनुभव से पता चला है कि ऐसे सड़क संपर्क का पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास से सीधा संबंध है।

4. 50 प्रतिशत से अधिक बजटीय सहायता का उपयोग मजदूरी-रोजगार पर किया जाता है। इसमें काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल है जिसमें एस.जी.आर.वाई. के लिए 4500 करोड़ रुपये के मौजूदा आबंटन के अलावा 2020 करोड़ रुपये और प्रदान किए गए थे। नकद आबंटन के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत 50 लाख टन खाद्यान्न और एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के लिए 20 लाख टन और खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया था। मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और वर्ष 2005-2006 में एस.जी.आर.वाई. और एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के संयुक्त आबंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 53 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

5. एस.जी.आर.वाई. कार्यक्रम में गांवों में स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित करने के साथ-साथ अतिरिक्त रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था है। 11.25 प्रतिशत एस.जी.आर.वाई. निधियों का उपयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल.

*सभा पटल पर भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2000/2006।

वर्गों के परिवारों के उत्थान के लिए लाभोन्मुखी योजनाओं में भी करना होता है। बजटीय सहायता का दूसरा बड़ा भाग पी.एम.जी.एस.वाई. में उपयोग में लाया जाता है। कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख किए जाने और औचित्य दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम बी.पी.एल. परिवारों को सहायता देने की दृष्टि से एक मांगजनित योजना है और 20 प्रतिशत से अधिक का वार्षिक परिव्यय इस कार्यक्रम के काम में आता है।

6. सरकार द्वारा मंजूर की गयी स्थायी समिति की 36 सिफारिशों में से अधिकांश निम्नलिखित बातों से संबंधित हैं:

- एस.जी.आर.वाई. के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए समिति के पास अनेक बहुमूल्य सुझाव थे। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इन सिफारिशों में निहित भावना को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय में अनेक उपाय किए हैं।

- हमने मानवीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया है। माननीय सदस्यों को उनके कर्तव्यों को निभाने में सहायता देने के लिए दिशा-निर्देश सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक विस्तृत प्रपत्र तैयार किया गया है और इसे दिशा-निर्देशों के साथ संलग्न किया गया है। हम इस संबंध में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ पत्राचार भी कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अलावा, जिलास्तरीय निगरानी और राष्ट्रस्तरीय निगरानी व्यवस्था भी प्रचलन में है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सर्वेक्षण के लिए लाभार्थी समितियों को अनुदेश जारी किए गए हैं। इससे और बेहतर पारदर्शिता आएगी और सामाजिक लेखा-परीक्षा का उद्देश्य सार्थक रूप से पूरा हो पाएगा।

- स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, समिति ने वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों के जुटाव के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। स्वरोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वाणिज्यिक बैंकों का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए हमने अनेक उपाय किए हैं। हमने उन बैंक शाखाओं की सूची बनाई है जिन्होंने बिल्कुल भी ऋण नहीं दिया है और हम विभिन्न शाखाओं के कार्य निष्पादन की निगरानी कर रहे हैं। मैंने खुद वित्तमंत्री के साथ इस मामले को उठाया है। समिति ने यह पाया है कि विपणन की भूमिका स्वरोजगार कार्यक्रमों की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने मेलों की संख्या बढ़ाई है और स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के अवसर को बढ़ाने के लिए अन्य पद्धतियां भी अपनाई हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में आयोजित होने वाले **"सरस मेला"** के अलावा विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय सरस मेले आयोजित किए जा रहे हैं और **ग्राम श्री मेले** भी लगाए जा रहे हैं।

- समिति ने इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण को बेहतर बनाने के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। सिफारिशों में निहित भावना के अनुरूप, हमने उन किस्तों की संख्या में कटौती करने के निदेश दिए हैं जिनमें लाभार्थियों को सहायता रिलीज की जाती है। योजना के कार्यान्वयन में बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए हम आवासहीन व्यक्तियों की पूर्ण सूची तैयार कर रहे हैं और इसे प्राथमिकता के अनुसार तैयार किया जाएगा। तथापि, यह कार्य बी.पी.एल. जनगणना को अंतिम रूप न दिए जने की वजह से रुका पड़ा है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय से यह आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें बी.पी.एल. जनगणना को अंतिम रूप देने की अनुमति दी जाए।

- समिति ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत परियोजनाओं की धीमी प्रगति के संबंध में टिप्पणी की। ग्रामीण सड़कों का निर्माण राज्यस्तरीय एजेंसियों द्वारा किया जाना था और इन कार्यों के कार्यान्वयन में एक प्रमुख बाधा, राज्य सरकार के विभागों के पास क्षमता का अभाव रही है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से अनेक उपाय किए गए हैं। कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल अंतिम सड़क बल्कि अंतिम सड़क तक जाने वाली ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को भी सुधारा जा सके और उन्हें आधुनिक बनाया जा सके।

- समिति की कुछ सिफारिशें राज्य सरकारों की मदद से कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने से संबंधित हैं। जबकि सरकार सिफारिशों के तात्पर्य से पूरी तरह सहमत है, यह कहा जाता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अधिकांश कार्यक्रम राज्य के विषयों से संबंधित हैं और इन्हें पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी एवं सहायता से कार्यन्वित किया जाना है। सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वे कार्यक्रम कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों की मदद करने के लिए भागीदारीपूर्ण

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

दृष्टिकोण के साथ राज्य सरकारों को अपने साथ लेकर चलें। भागीदारीपूर्ण भावना से कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए एक संरचनात्मक रूप-रेखा उपलब्ध कराई गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आप नियमित ऐसा करने वाले माननीय मंत्रियों में से एक हैं।

भविष्य में, सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरणों के प्रस्तुत करने के संबंध में मैं आज की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा कड़ाई बरतूंगा।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 2 मई, 2005 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. संघ राज्य क्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार और पारित करना।
3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-
   (क) अवक्रय (निरसन) विधेयक, 2005;
   (ख) मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004; तथा
   (ग) नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1997।
4. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात तटवर्ती जल कृषि प्राधिकरण विधेयक, 2004 पर विचार और पारित करना।

डा. करण सिंह यादव (अलदर): निम्नलिखित विषय कृपया अगले सप्ताह के कार्य में शामिल किए जाएं:

1. निजी क्षेत्रों में नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आइ.आइ.एम.एस. तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को आरक्षण।

[हिन्दी]

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

1. सेवानिवृत्त सैनिकों की लम्बे समय से लंबित समस्या "वन-रैंक वन पैंशन" के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए।
2. देश की सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश के सैनिकों के ऐतिहासिक बलिदान को दृष्टिगत रखते हुए हिमाचल रेजिमेंट की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

(i) देश में भूमि सुधार और अधिकतम भूमि सीमा के बारे में सभा के अन्दर चर्चा की अनुमति दी जाए।

(ii) उड़ीसा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कार्डधारियों के लिए नवीन सर्वेक्षण करने के बारे में चर्चा की अनुमति दी जाए क्योंकि वर्तमान सर्वेक्षण ठीक प्रकार नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद शाहिद - उपस्थित नहीं।

श्री शिशुपाल एन. पाटेल - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गया जिले के गुरूआ प्रखंड के गुनेरी गांव के रामबली भूइयां, बेलागंज के अगथा टोला शेखाविगहा की सोनामंत्री देवी तथा इमामगंज देवरिया के अमृत भूइयां की मृत्यु भूख से तड़पकर हो गई।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इन पीड़ित परिवारों को सरकार पर्याप्त मुआवजा दिलवाए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलवाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम 'प्रश्न काल' के बाद लिए जाने वाले 'अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों' पर आते हैं। कुछ नोटिस दिए जा रहे हैं। श्री बेल्लारमिन।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): धन्यवाद महोदय, मुझे लगभग सात सौ भारतीय मजदूरों के दुखद संदेश मिले हैं जो सऊदी अरब के कारागारों में बंद हैं, वहां लम्बे समय से यातनाएं झेल रहे हैं। भारतीय मूल के थे श्रमिक हमारे भारत के नागरिक हैं जो वहां नौकरी अथवा ऐसे ही अन्य ठेकों पर गए हैं। दुर्भाग्यवश के तुच्छ कारणों से अब सलाखों के पीछे हैं।

मुझे माले के कारागारों में बिना किसी दोष के बंद भारतीय मजदूरों के संदेश भी मिले हैं।

हमारे मछुआरे जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे- पानी की धाराओं अथवा तेज हवाओं के कारण अपना रास्ता भटक गए थे - वे पाकिस्तान, बांगलादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों द्वारा पकड़ लिए गए हैं। उनकी गाढ़ी कमाई जैसे जल पोतों, मछली पकड़ने के जाल और पकड़ी गई मछलियां भी सामान्यतया उनसे छीन ली जाती हैं। उन्हें उन देशों के प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाता है। हाल ही में हमारे नौ मछुआरे जो कन्याकुमारी के हैं, उन्हें पाकिस्तान की नौसेना द्वारा पकड़ा गया है और वे पाकिस्तान के कारागारों में हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि उनकी शीघ्र रिहाई और शीघ्रातिशीघ्र अपने देश में उनकी वापसी के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सदन में उठा रहा हूं। यूं तो गंगा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें कई वर्षों से पानी की कमी होती जा रही है। मैं समझता हूं कि गंगा पहले जिस रूप में बहा करती थी, वैसे आज नहीं बह रही है। गंगा नदी कई शहरों से गुजरती है। बिहार का पटना शहर भी गंगा नदी के बगल में अवस्थित है। पिछले कई वर्षों से वहां गंगा नदी का पानी बिल्कुल सूख गया है। वह शहर से काफी दूर तकरीबन चार-पांच किलोमीटर दूर भागती जा रही है। इसका मुख्य कारण गंगा में सफाई का न होना है। गंगा नदी में बालू दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस कारण गंगा नदी में पानी की कमी हो रही है।

दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि पटना शहर का प्रदूषित जल बड़े पैमाने पर गंगा नदी में जाता है। वहां के नौ नाले गंगा नदी में मिलते हैं जिनमें शहर का पूरा गंदा पानी जाता है। कुछ वर्ष पूर्व राजीव गांधी जी ने गंगा सफाई का अभियान चलाया था। उसके लिए राशि भी दी गयी थी। इसके तहत गंगा नदी के बगल में जितने शहर हैं, उनके लिए वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट भी बनाये गये थे। मैं समझता हूं कि व वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट कारगर ढंग से नहीं बन सके क्योंकि आज भी गंगा नदी में प्रदूषित जल जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक गंगा नदी की सफाई नहीं होगी, उसकी खुदाई नहीं होगी, तब तक गंगा नदी में पानी आना बड़ा मुश्किल होगा। मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए व्यवस्था की जाये तथा गंगा नदी में पानी आने के सोर्सेज को ठीक ढंग से मोबिलाइज किया जाये ताकि गंगा नदी में पहले जैसी स्थिति में पानी आ सके। कई खूबसूरत शहर जैसे लखनऊ, बनारस, पटना आदि में गंगा नदी के माध्यम से यातायात की व्यवस्था हो रही है। अभी हाल ही में पटना शहर में परिवहन विभाग द्वारा कई लाख रुपये खर्च करके वहां बंदरगाह बनाया जा रहा है। जब गंगा नदी में पानी नहीं रहेगा तो कम खर्च में जो सामग्रियां वहां पहुंच पातीं, वे नहीं पहुंच पायेंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

लखनऊ और पटना के लिए एक समेकित योजना बनाई गयी थी जिसके लिए 3 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। सरकार के माध्यम से लखनऊ में तीन हजार करोड़ रुपये सैंक्शन हो गये मगर पटना के लिए जो 1488 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने थे, वे अभी तक नहीं किये गये। इस परियोजना के तहत नालों में ट्रीटमैंट प्लांट, सीवरेज सिस्टम, जलापूर्ति आदि योजनाओं के माध्यम से गंगा नदी की सफाई तथा उसे प्रदूषण से दूर करने का काम किया जा सकता है। मगर समेकित विकास योजना के अन्तर्गत लखनऊ को ले लिया गया क्योंकि तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां से चुनकर आये थे इसलिए उन्होंने दे दिया। हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें। वैसे भी उनको इसके लिए पैसा नहीं देना है, जापान गवर्नमैंट ने देना है क्योंकि जापान गवर्नमैंट हर साल एक शहर को चुनती है। हमारे यहां से बार-बार प्रस्ताव आता है और उसकी सहमति भी हो जाती है मगर पटना शहर को अभी तक 1488 करोड़ रुपये नहीं मिल सके हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गंगा नदी की सुरक्षा करने, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने और गंगा नदी में पानी पर्याप्त रहे,

[श्री राम कृपाल यादव]

इसके लिए सरकार व्यवस्था करे। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं समझता हूं कि बंगाल, जहां से आप आते हैं, वह भी इससे अछूता नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे भी इसमें रूचि है। मैं आपका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, आप इस पर ध्यान दीजिए और मंत्री जी को निर्देशित कीजिए कि वे इस पर कुछ रिस्पांस करें और गंगा नदी को प्रदूषण से बचायें। इसके साथ-साथ गंगा नदी जो भागती जा रही है, सूख रही है, उससे उसे बचाने का काम करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं यही कह सकता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपसे सहमत हूं।

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वेतन में बढ़ती असमानता और प्रसार भारती में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अत्यधिक भेदभाव के प्रति माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रसार भारती के कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष और प्रसार भारती में व्याप्त स्थिति की ओर सभा को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह प्रसार भारती के अत्यधिक मनमानीपूर्ण रवैये और कार्यशैली के कारण है जहां कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है और उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। इसका उदाहरण 25 फरवरी 1999 के आदेश सं. 310/173/97-(घ) में मिलता है। जिसमें अभियांत्रिकी और कार्यक्रम संवर्गों से संबंधित कर्मचारियों के एक वर्ग को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक वेतन दिया गया था क्योंकि वे इस मुद्दे पर उत्तेजित थे। प्रसार भारती ने इस वेतन वृद्धि का कार्यान्वयन कर्मचारियों की उपर्युक्त दो श्रेणियों के लिए ही किया जिसके लिए उसने लाभार्थियों से अंडरटेकिंग लिया कि यदि वे प्रसार भारती के लिए काम नहीं करेंगे तो उस स्थिति में उनके सभी वित्तीय लाभों और प्राप्तियों को वापस ले लिया जाएगा। यह विडम्बना है परन्तु फिर भी तथ्य यही है कि प्रशासनिक स्टाफ को ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है जो निगम के लिए इसके भारतीय प्रसारण निगम (प्रसार भारती) में बदलने के समय से ही काम करते रहे हैं।

महोदय, यहां यह कहना उचित होगा कि आपके सभापतित्व में संचार संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी अपने 49वें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि प्रसार भारती में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बिना अपवाद वित्तीय लाभ दिए जाने चाहिए। समझा जाता है कि लगभग एक सौ पचास संसद सदस्यों ने माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से इस मामले को तत्काल निपटाने हेतु सिफारिश की है। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने श्री के.बी. कृष्णमूर्ति, राज्य सभा के माननीय सदस्य और श्री शरद जोशी, राज्य सभा के माननीय सदस्य के नेतृत्व में हाल ही में दो विभिन्न अवसरों पर उनसे मिले प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच की जाएगी और इस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। इस सबके बावजूद असमानता और असमान व्यवहार अब भी जारी है। इसने कर्मचारियों में अत्यधिक रोष उत्पन्न कर दिया है जिससे वे आन्दोलन की ओर अग्रसर हो गए हैं। वे अब देश भर में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में पूर्ण काम रोको हड़ताल कर रहे हैं। वे वेतन का बहिष्कार कर रहे हैं और वेतन संवितरण का कार्य नहीं कर रहे हैं। वे आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में 28 और 29 अप्रैल, 2005 को सांकेतिक भूख हड़ताल भी कर रहे हैं।

महोदय, कल हमारे नेता, श्री बसुदेव आचार्य मेरे और दो अन्य संसद सदस्यों अर्थात् श्री लक्ष्मण सेठ और डा. रामचंद्र डोम के साथ वहां गए थे। हमने देखा कि वे भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें और शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना बीस वर्ष पहले की गई थी।

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस इस पर नहीं है। यह प्रसार भारती के उन्मूलन के बारे में है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? मुझे देखने दीजिए। इस बीच, मैं श्री रघुनाथ झा को बुलाता हूं। मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के बहुत बड़े हिस्से में माओवादी, उग्रवादी नक्सलवादियों का आतंकवाद छाया हुआ है और पूरे नेपाल के द्वारा भारत के हिस्से में प्रवेश करके, तरह-तरह के

क्राइम करके, यहां तक कि पुलिस के थानों पर राइफल लूटकर 500 रुपये के जाली नोटों का प्रवेश इस प्रदेश में किया जा रहा है और हजार रुपये का नोट चलाया जा रहा है। राइफल, आधुनिकतमस हथियार की तस्करी की जा रही है, दवाओं की तस्करी हो रही है और इसको रोकने के लिए एस.एस.पी. पुलिस इन पर कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। जहां एक ओर उत्तर बिहार, पश्चिमी व पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा किशनगंज और पूर्णिया नक्सलवाद की पूरी चपेट में है, वहीं दक्षिण बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा भी इसकी चपेट में आ गया है।

इसको रोकने के लिए वहां जो पुलिस बल तैनात किया गया है, उसके लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि नेपाल की ओर से सैकड़ों छोटी-बड़ी नदियां इस क्षेत्र में निकलती हैं। इस क्षेत्र में एक भी बार्डर रोड नहीं होने के कारण वर्ष के लगभग 6 महीने यह पूरा क्षेत्र इस योग्य नहीं होता कि सीमा पार से होने वाली तस्करी और उग्रवादियों के आगमन की समस्याओं पर नियंत्रण लगाया जा सके। हम लोग बार-बार भारत सरकार से यह आग्रह करते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक, नेपाल से लगने वाली हमारी पूरी सीमा पर एक बॉर्डर रोड बनाई जाए ताकि हमारी सीमा की रक्षा करने वाले और तस्करी आदि अवैध कार्यों को रोकने वाले हमारे पुलिस बलों को वर्ष भर अपना काम करने में सहूलियत हो सके, उन्हें सुविधा मिल सके। मैं भारत सरकार से और विशेषकर माननीय गृहमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में एक बॉर्डर रोड बनवाने का काम शीघ्र शुरू किया जाए। यहां रक्षामंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इस प्रकार की बॉर्डर रोड उनके प्रयोजन के लिए भी जरूरी है। नेपाल की सरकार की ओर से भी जो घटनाएं हो रही हैं और नेपाल में जिस तरह की उग्रवादी घटनाएं हो रही हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वर्ष भर चालू रहने वाली एक बॉर्डर रोड का निर्माण किया जाए। आज वहां ऐसी कोई रोड न होने के कारण सुरक्षा बलों के लिए नेपाल से लगने वाली हमारी सीमा के पश्चिम से पूर्वी हिस्से तक साल भर पहुंचा पाना संभव नहीं होता है। वर्ष के 6 महीने तक आपकी कोई पुलिस फोर्स वहां कारगर ढंग से काम नहीं कर पाती है। इसके कारण व्यापक पैमाने पर तस्करी हो रही है और जाली नोट लाए जा रहे हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में एक बॉर्डर रोड बनवाई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, इस भूल के लिए मुझे खेद है। आप ठीक थे।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 20 वर्ष पूर्व की गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करने हेतु एक विधेयक सदन में पुर:स्थापित किया गया था। हमने इसका समर्थन किया था क्योंकि हमारा यह अनुभव रहा था कि कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्र निवारण नहीं हो पा रहा है। अत: कैट की स्थापना कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु की गई थी।

अब समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि मंत्रिमंडल ने कैट को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सरकार अधिकरण अधिनियम में एक अधिनियमन खंड जोड़ने जा रही है जिसके तहत कैट को समाप्त किया जा सके क्योंकि कतिपय राज्य सरकारें राज्य प्रशासनिक अधिकरणों को समाप्त करने की मांग कर रही हैं। आज हजारों कर्मचारी कैट के माध्यम से अपनी शिकायतों का निवारण करा रहे हैं। यदि कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के निवारण हेतु उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी तो स्थिति 20 वर्ष पूर्व वाली ही हो जायेगी, शिकायतकर्ता कर्मचारियों को न्याय के लिए 15 से 20 वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। अत: कैट को समाप्त किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि अधिनियम में एक अधिनियमन खंड जोड़कर इसे समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है और इसके लिए कोई विधान लाया जायेगा तो वह देश को हजारों हजार कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध होगा अत: इसे ध्यान में रखकर इस प्रकार की कार्यवाही न की जाय।

श्री एम.पी. वीरेंद्र कुमार (कालीकट): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण लगाने का समय आ गया है जो भूजल को कच्चा माल मानकर ऐरेटेंड, मिनरल और मीठे जल को बोतलों में भरने के लिए इसका वाणिज्यिक उपयोग बड़े पैमाने पर कर रही हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो जल की बिक्री कर रही हैं आम व्यक्तियों से भारी मुनाफा कमा रही हैं। आम व्यक्तियों और निगमित निकायों को एक प्रकार माना जाता है जो अनुचित है।

इस संबंध में मैं सरकार के ध्यान में केरल के पालघाट जिले के पेरूमति पंचायत के एलासीमाटा में व्याप्त गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि वहां कोका कोला कंपनी द्वारा भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है जिससे वहां जल की भारी कमी हो रही है। साथ वाले क्षेत्र जहां यह कंपनी स्थित है भूमि प्रदूषित हो गई है और जल दूषित हो गया है। समूचा कृषि कार्य ठप हो गया है। स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासियों को संघर्ष करते तीन वर्ष बीत चुके हैं। पेरूमती पंचायत ने उच्चतम न्यायालय में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की है। मैं सरकार से पेरूमती

[श्री एम.पी. वीरेंद्र कुमार]

पंचायत जो अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास कर रही है, की सहायता करने का अनुरोध करता हूं एक छोटी पंचायत किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी का कैसे मुकाबला कर सकती है।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि यह भूजल प्राधिकरण को प्लासी माता और पुडसरी पंचायत के आस पास वाले क्षेत्रों में, जहां पेप्सी भूजल का दोहन कर रहा है, एक अध्ययन करने का निदेश दे - ताकि इस बढ़ते हुए संकट को समाप्त करने के लिए सुरक्षोपाय किए जा सकें। मैं सरकार से ग्रामीण लोगों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से जल आबंटन के संबंध में प्राथमिकता पुनः निर्धारित करने की मांग करता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नीतिगत निर्णय हो और भूजल दोहन के संबंध में इसका उचित कार्यान्वयन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम): महोदय, किसी के जीवन में प्रकृति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है हम प्रकृति को दोष देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें प्रकृति से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त हैं जिसकी कल्पना हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं।

महोदय, 26 दिसम्बर, 2004 को आयी सुनामी के दुखद समाचार के बीच कुछ ऐसा भी है जिससे मैं प्रत्येक भारतीय को अवगत कराना चाहता हूं। इस प्राकृतिक आपदा से टिटेनियम अयस्क के लाखों टन देश के तटीय क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु में बिखर गए हैं।

उच्च मजबूती और भार के अनुपात की दृष्टि से टिटेनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। यह इस्पात से 45 प्रतिशत हल्का और इसकी तुलना में अधिक मजबूत है। यह एल्युमिनियम से दोगुना मजबूत है। यह इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसके विशिष्ट गुण हैं। इसका उपयोग वायुयान उद्योग में इसकी मजबूती, हल्केपन, अत्यधिक जंगरोधी और उच्च तापमान को सहने की क्षमता के कारण किया जाता है। यह आटोमोबाइल कंप्यूटर और मोबाइल फोन के उत्पादों में अधिक उपयोगी है। महोदय, 26 दिसम्बर, 2004 से डेढ़ वर्ष पूर्व वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने अपने छः संस्थानों और कई अन्य शैक्षिक और औद्योगिक संस्थानों को शामिल करके 'प्लेसर माइनिंग' की संभावना का पता लगाने हेतु एक नेटवर्क परियोजना शुरू की थी। "प्लेसर डिपाजिट" में कतिपय मूल्यवान खनिज और रत्न, जो खोखले हो चुके पत्थर, जलधारा से उत्पन्न कचरे और समुद्री तट के कचरे जो प्राकृतिक रूप से कटाव के कारण होते हैं, शामिल होते हैं।

केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद के डा. वी.जे. लवसन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों का एक दल तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में 'प्लेसर डिपाजिट' के स्तर पर निगरानी रख रहा है। जब डा. लवसन को 'द टाइम्स आफ इंडिया' के पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने बताया कि टिटेनियम का नया भंडार लगभग 40 मिलियन टन अनुमानित है। यह आंकड़ा कथित रूप से 'बैक आफ द एन्वेलप' पर आधारित है जिसमें सुनामी प्रभावित तटीय क्षेत्रों से लगभग 500 किलोमीटर दूर भंडार की ठोस स्थिति का पता लगा कर गणन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आप किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं।

डा. के. धनराजू: महोदय, मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं।

निश्चितरूप से प्रकृति ने विनाशकारी सुनामी के माध्यम से ही देश को संपत्ति दी है। सरकार को समुद्री तल में उपलब्ध अन्य भंडार जो संभवतः सुनामी के कारण आये हों, का पता लगाने हेतु भी विशेष ध्यान देना चाहिए। टिटेनियम जो देश का एक महत्वपूर्ण अयस्क है के अतिरिक्त कई अन्य भंडार जैसे लियोनाइट और रूयेटाइल वहां उपलब्ध हैं। मैं सरकार से नौवहन क्रियाकलापों द्वारा पीछे छोड़ दिए जाने वाले प्राकृतिक भंडारों का पता लगाने हेतु एक विशेष और अलग विभाग स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले पर ध्यान देगी।

अपराह्न 12.30 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) शैक्षणिक ऋण योजना के बारे में

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली (राजामुन्दरी): महोदय, मेरा मुद्दा शैक्षणिक ऋण योजना से संबंधित है। हालांकि इस योजना से संबंधित दिशानिदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4 लाख से कम ऋण हेतु किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है, बैंकों द्वारा निम्न आय वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों द्वारा दिए गए आवेदनों को अस्वीकार किया जा रहा है। वे आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए निम्नलिखित खंड को उद्धृत कर रहे हैं:-

"जहां पाठ्यक्रम/संस्थान की प्रसिद्धि/साख रोजगार के अवसरों की निश्चितता नहीं दर्शाती है जो पाठ्यक्रम के पूरा होने

पर पुनर्भुगतान की देनदारी के अनुरूप हो, वित्त की सीमा/ पुनर्भुगतान क्षमता का मूल्यांकन अथवा ऋण मंजूर करने की वांछनीयता पर निर्णय लेने में अभिभावकों की पुनर्भुगतान क्षमता/आय स्तर के पहलू पर ध्यान देना होगा।"

इस खंड को दिखाकर वे उन लोगों के आवेदनों को नामंजूर कर रहे हैं जो प्रतिभूति देने की स्थिति में नहीं है। जब मैंने एक बैंक में इस शर्त को आवेदन पर लिखकर देने हेतु कहा - जिसके आधार पर आवेदन अस्वीकृत हुआ था - उन्होंने कहा कि आवेदन में अन्य आवश्यकताओं जैसे ऋण लेने वाले के बैंक खाते का पिछले छः महीने का विवरण, गत दो वर्षों का आयकर संबंधी मूल्यांकन, सह ऋण प्राप्तकर्ता की परिसंपत्तियों और देनदारी के संबंध में संक्षिप्त विवरण और काम का प्रमाण इत्यादि भी नहीं दिया गया है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले किसी साथी द्वारा यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप 'साथी' के स्थान पर 'व्यक्ति' कह सकते हैं।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: यह 'व्यक्ति' होना चाहिए। मुझे खेद है। मैं अपनी बात ठीक करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों को कतिपय आदेश जारी किए जाएं ताकि जब कभी भी मेधावी छात्र ऋण हेतु आवेदन करें विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे और मध्यम आय वर्ग के परिवार के छात्र, उन्हें ऋण प्रदान किया जा सके ताकि वे इसका उपयोग कर जीवन में तरक्की कर सकें। धन्यवाद।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): मैं माननीय सदस्य की टिप्पणियों से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: उनकी बातों से सभी सदस्य सहमत हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैंने सभा को सूचित किया था कि दिसम्बर तक देश भर में एक लाख चालीस हजार शिक्षा ऋण मंजूर किए गए हैं। इसके पश्चात अत्यधिक संख्या में ऋण मंजूर किए गए है। मैं इसकी संख्या वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान बताऊंगा। इसके अतिरिक्त मुझे ऋण से संबंधित एक फाइल प्राप्त हुई है। मेरे अधिकारियों ने इसे संबंधित बैंकों और इसकी शाखाओं को भेजा है और इस पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। दस में से आठ मामले में ऋण मंजूर किया गया है। यदि माननीय सदस्य के पास इस प्रकार का कोई मामला है तो वे इसका विवरण मुझे दे सकते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। यदि लगाए गए आरोपों में से आधे आरोप भी सही हुए तो यह बैंक के शाखा प्रबंधक का गलत व्यवहार है। कृपया मुझे बैंक और इसकी शाखा का नाम में। मैं इस पर कार्यवाही करूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे मंत्री जी को भेज दें।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मुझे विवरण दें। कृपया मुझे इसकी सूची दें..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है। आपको उम्मीद से ज्यादा मिला है।

श्री पी. चिदंबरम: मुझे सूची दीजिए, मैं कार्यवाही करूंगा। ऐसे सौ से भी ज्यादा आवेदन पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री जी के तत्काल और अनुकूल उत्तर की प्रशंसा करता हूं।

अपराह्न 12.33 बजे

(दो) जीवन रक्षक औषधियों और चिकित्सा उपकरणों को वैट से मुक्त रखे जाने के बारे में

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। मूल्य वर्द्धित कर के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त समिति इन दिनों विचार कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वह चिकित्सा उपकरणों और दवाओं, विशेषकर जीवन रक्षक दवाओं पर 12.5 प्रतिशत मूल्य वर्द्धित कर लगाने का प्रस्ताव कर रही है। इन दिनों, हृदय रोगों, कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण और कई अन्य रोगों के इलाज के लिए बहुत ज्यादा महंगी दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। हृदय वाल्वों, पेस मेकरों, इंटरा-एओर्टिक बैलून्स, कार्डियक कैथटर्स, कार्डियक एंजियो प्लास्टी कैथटर्स, कार्डियक एंजियो प्लास्टी स्ट्रैन्डस उपकरण जिनका उपयोग डायलिसिस और प्रत्यारोपण शल्य क्रियाओं में किया जाता है वे सारे उपकरण अत्याधुनिक और महंगे हैं।

अब तक, अधिकतर राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इन वस्तुओं पर कर शून्य था। अतः, यह बहुत गंभीर मामला है। यदि हम उन पर कर लगाते है तो हृदय रोगों, कैंसर और तपेदिक के लिए इलाज का खर्च बढ़ जाएगा। वे मरीज जिन्हें हृदयाघात, होता है वे स्ट्रैप्टोकाइनिक जैसी दवाओं का उपयोग करते है। यदि इन चीजों की कीमतें बढ़ती है तो आम आदमी के लिए इलाज कराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। मैं भाग्यशाली हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि वह अधिकार प्राप्त समिति पर इसके लिए प्रभाव डालेंगे कि जीवन-रक्षक उपकरण जैसे वेन्टीलेटर्स,

[डा. करण सिंह यादव]

रेसपिरेटरों और इंटरा-एओर्डिक बैलून पंपों जिनसे लोगों का जीवन बचता है, सभी प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं और हृदय प्रत्यारोपण और वाल्वों जिनका उपयोग सामान्यत: मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए किया जाता है को किसी भी प्रकार के मूल्य वर्द्धित कर से मुक्त रखेंगे। असल में, भारत सरकार इन पर किसी भी प्रकार की सीमा शुल्क नहीं लगाती। इन्हें उत्पाद शुल्क से भी मुक्त रखा गया था। अत:, समय आ गया है कि गंभीर कार्यवाही की जाए। हमारी ओर से उन मंत्रियों को जो इस पर विचार कर रहे हैं, एक संदेश दिया जाना चाहिए। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, दो दिन पहले, अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई और उन्होंने इस मुद्दे का समाधान निकाला। मैं उल्लिखित वैयक्तिक मदों पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, परन्तु उस बैठक में आम राय जीवन रक्षक दवाओं को मुक्त रखे जाने की थी। परन्तु, यदि माननीय सदस्य उस सूची को जो उनके हाथ में है मुझे देते हैं तो मैं उसे अधिकार प्राप्त समिति के पास भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप सूची दे दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, वैट के विरोध में आज देश के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। मैं नहीं जानता कि वैट के बारे में राज्य सरकारों का क्या दृष्टिकोण है लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश की जनता वैट के पक्ष में नहीं है। अभी डा. करण सिंह यादव जी ने इस पर चिन्ता व्यक्त की। वामपंथी मोर्चे में जो अर्थशास्त्री हैं श्री अशोक मित्रा जो पश्चिमी बंगाल की वाम मोर्चा सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि वैट को लागू करने की कोशिश असंवैधानिक है। उन्होंने अफसोस व्यक्त किया है कि राज्यों में सहमति बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री असीम दास गुप्ता ने वैट के पक्ष में अपनी सहमति कैसे दे दी? श्री अशोक मित्रा ने कहा है कि यूरोपीय देशों में 50 के दशक के प्रारम्भ में वैट शुरू हुआ था। इससे वहां न चोरी रुकी और न ही आम जनता को लाभ हुआ। केन्द्र सरकार के पास जितनी क्षमताएं हैं, वह इसके बाद भी वैट लगा कर राज्यों से बिक्री कर का हक छीनना चाहती है जो संविधान की धारा 246 का उल्लंघन है। वैट प्रणाली का मतलब है कि जैसे-जैसे मूल्य बढ़ता जाएगा, करों की दरें भी बढ़ती जाएंगी और इन बढ़ी दरों का कोपभाजन आम उपभोक्ता बनेगा।

प्रधान मंत्री ने कहा कि दुनिया के 143 देशों में वैट लागू है तो यह भारत में लागू क्यों नहीं हो सकता? दुनिया के दूसरे देशों से हमारे देश की परिस्थितियां भिन्न हैं। अपने देश की परिस्थितियों को बिना जाने कोई कानून बनाना और कोई कर लगाना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। विश्व के अन्य देशों में खाद्य सामग्री को सस्ता करने के प्रयास होते हैं। लेकिन भारत सरकार के खाद्य सामग्रियों पर ही वैट लगा कर गरीब आदमी से कर वसूलने का काम शुरू किया है जो किसी कीमत पर उचित नहीं है। वैट के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि पूरे देश में टैक्सों की समान दरें होंगी लेकिन जो तथ्य सामने हैं उनसे लगता है कि इससे न व्यापारियों का भला होने वाला है, न एक जैसी दरें होने वाली हैं और भ्रष्ट प्रशासन के चलते न ही आम जनता को निजात मिलने वाली है।

वैट को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कुछ चीजें टैक्स से मुक्त की गई हैं जिन की संख्या 46 है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन की प्रोसैसिंग नहीं हो सकती है। इसके बाद एक परसैंट में आने वाली चीजें, चार परसैंट कर में आने वाली चीजें हैं, फिर साढ़े 12 प्रतिशत तक कर हो सकता है। इनको अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनाज, चावल, दाल, आटे को वैट के दायरे में लाया जा रहा है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सलाहकार श्री पार्थसारथी सोमे ने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की है और कहा है कि केन्द्रीय कर वैट के दायरे में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सरकार केन्द्रीय बिक्री कर वापस नहीं लेती है तब तक उत्तर प्रदेश में वैट लगाने का प्रश्न नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक केन्द्रीय बिक्री कर नहीं हटता तब तक सरकार को क्या हक है कि राज्य सरकारों से कहे कि अपना बिक्री कर हटाए। यह बिल्कुल अव्यावहारिक निर्णय है। यह गरीब आदमी विरोधी है। वित्त मंत्री यहां बैठे हैं।

इसमें खामियां और कमियां हैं। मुझे अफसोस है कि आज पूरे देश के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। आज एन.डी.ए. और बी.जे.पी. के सदस्य यहां नहीं हैं, उन्होंने वैट लगाने के सिलसिले को शुरू किया था और इस काम को इस सरकार ने आगे बढ़ाया। वे भी इस आंदोलन में शरीक हो गए। इसके लिए पूरे देश को और राज्य सरकारों को विश्वास में लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्रता से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अधिकांश राज्य सरकारों का दृष्टिकोण यह है कि जब तक केंद्रीय सेल्स टैक्स नहीं हटेगा तब तक हम अपने राज्यों में वैट को नहीं लागू कर सकते। यह संकट आज हमारे सामने है। यह बिल्कुल अव्यावहारिक है और न्यायसंगत निर्णय नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि पूरे देश का अवाम, पूरे देश की जनता और आम आदमी वैट के हक में नहीं है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, डाल्टनगंज से बड़काकाना के बीच में राय स्टेशन है। रेल मंत्रालय की आमदनी में इसका चौथा स्थान है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक भी वहां पर किसी भी रेलगाड़ी का ठहराव नहीं होता है। वहां की जनता इसके लिए लगातार आंदोलन करती रही है। 27 तारीख को सुबह चार बजे से 28 तारीख के बारह बजे तक सारी मालगाड़ियां वहां पर रुकी रहीं और दूसरी कोई भी ट्रेन नहीं गई। जब वहां पर डी.सी. और एस.पी. को लाया गया तो उन्होंने आश्वासन दे दिया।

महोदय, झारखंड में हटिया अमृतसर एक्सप्रेस शक्ति पुंज, झारखण्ड स्वर्णजयंती एक्सप्रेस के ठहराव के लिए लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं लेकिन अभी तक रेल मंत्रालय ने इस पर विचार नहीं किया। मैंने माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भी कई बार पत्र लिखा। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इस पर विचार किया जाएगा लेकिन अभी तक वहां पर कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से कोडरमा में, जहां से अधिकांश माननीय सांसद और आम लोग कोडरमा से दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में जाते हैं, वहां पर शारदा राजधानी गाड़ी के ठहराव के लिए कई बार लिखा गया है। इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं लेकिन अभी तक वहां पर शारदा गाड़ी का ठहराव नहीं हुआ जिसके कारण न केवल माननीय सांसदों को बल्कि आम जनता को भी परेशानी होती है।

अध्यक्ष महोदय, राय स्टेशन के पास पिपरवार, बचरा और अशोका एरियाज हैं। इनके पास मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट खुलने वाले हैं और एन.टी.पी.सी. का थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट बनने वाला है। जब भी केंद्र से कोई अफसर या प्राधिकारी वहां आते हैं, या कोई ट्रेन आती है तो लखनऊ से कोडरमा के बीच डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है, नहीं तो रांची से सवा सौ किलोमीटर की दूरी तय करके वहां जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी और केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राय स्टेशन पर, जिस ट्रेन की चर्चा की गई है उसका ठहराव किया जाए। इसके साथ ही सियालदह राजधानी गाड़ी का भी ठहराव किया जाए।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सभा का ध्यान पेयजल के बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मलाई महादेश्वर पहाड़ियां दक्षिण भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसके वार्षिक उत्सव के दौरान डेढ़ लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में एकत्र होते हैं। दुर्भाग्यवश वहां कोई पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसी कारण मंदिर के न्यासी ने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना हेतु करीब सात करोड़ रुपए की राशि आवंटित किये हैं। इसमें से आधी राशि पहले ही व्यय की जा चुकी है और अंतिम रूपरेखा भी तैयार है। यह पानी कावेरी नदी से नलिकाओं के जरिए लिया जाना है। तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना को अपना सहयोग प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है क्योंकि दोनों राज्यों से श्रद्धालु प्रति वर्ष वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस परियोजना को आजतक मंजूरी प्रदान नहीं की है। यह परियोजना किसी भी तरीके से वन क्षेत्र को कम नहीं करती है। पेड़ नहीं काटे जाएंगे और पूरा वन सुरक्षित रहेगा।

अत: मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना को अनुमति प्रदान करने में इतना अत्यधिक विलंब क्यों हो रहा है। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री ए. राजा से इस अति महत्वपूर्ण परियोजना को बिना किसी अतिरिक्त विलंब के अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि लोगों का स्वप्न विशेषकर मलाई महादेश्वर के श्रद्धालुओं का स्वप्न बहुत जल्दी हकीकत में बदल जाएगा।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 12.46 बजे

धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005*

अध्यक्ष महोदय: अच्छा, हमें वित्त विधेयक पर चर्चा करनी है। परन्तु, अभी मद 14 बाकी है। क्या आप उस विधेयक को पुर:स्थापित करना चाहेंगे?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): जी हां महोदय। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*मूलत: कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 29-04-05 में प्रकाशित।

श्री पी. चिदंबरम: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वित्त विधेयक पर चर्चा अपराह्न 2.00 बजे से शुरू की जाएगी।

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.33 बजे

*लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.33 बजे** पुन: समवेत हुई।*

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।*)

वित्त विधेयक, 2005 - जारी

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद सं. 15 पर चर्चा करेंगे, श्री सुधांशु सील।

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता - उत्तर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्त विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। परन्तु, मैं कुछ बिन्दु उठाना चाहूंगा। जिन पर वे विचार करें। महोदय, आप तो जानते ही हैं कि बेरोजगारी की समस्या से लड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमें बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना होगा। जबकि हम युवकों को रोजगार प्रदान के बारे में सोच रहे हैं, सरकार ने सही रूप में कई निर्णय लिए हैं जो अवश्य ही उन्हें रोजगार प्रदान करेंगे। परन्तु बजट में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार द्वारा लिए गए निर्णय विद्यमान नौकरियों को भी खतरे में डाल देगी। हजारों लोग नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में, हमने कुछ क्षेत्रों को महत्व प्रदान करने का निर्णय लिया है, विशेषकर कृषि क्षेत्र को जिससे हम बहुत ज्यादा आशान्वित हैं कि वह समय नजदीक आ गया है जब हम अनेक बेरोजगार लोगों को नौकरियां प्रदान करने की स्थिति में होंगे। लकड़ी के व्यापार में, लकड़ी, लकड़ी के कुन्दे और चिरी हुई लकड़ी सभी प्रकार के उद्योगों जैसे आरा मिल, लकड़ी प्रसंस्करण उद्योगों, निर्माण उद्योग, फर्नीचर उद्योग, हस्तशिल्प, औद्योगिक पैकेजिंग और अन्य दैनिक प्रयोग के उत्पादों से जुड़े उद्योगों इत्यादि के लिए मूल और महत्वपूर्ण आदान सामग्री उपलब्ध कराता है। इस प्रकार, दुर्बल वर्गों सहित हमारे समाज के सभी वर्गों के अस्तित्व और जीवन यापन के लिए लकड़ी महत्वपूर्ण है तथा एक सामाजिक आवश्यकता भी है। यह व्यापार पूरे देश में विभिन्न श्रेणियों में शहरी युवकों और ग्रामीण जनता को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है। घरेलू लकड़ी आधारित उद्योग से लगभग 12.5 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। पश्चिम बंगाल वन विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल में ही लगभग 4500 आरा मिल और लकड़ी आधारित उद्योग है और पूरे देने में कुल संख्या लगभग 35,000 है।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा पूर्व में वैट नीति में घोषणा की गई है कि लकड़ी आधारित उद्योग जैसे लकड़ी का कोलतार, लकड़ी का कोलतार तेल, लकड़ी का क्रिओसोट, लकड़ी नापथा इत्यादि औद्योगिक आदान और पैकेजिंग सामग्री हैं तथा इन पर चार प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा। आश्चर्य है कि लकड़ी और चिरी हुई लकड़ी को घोषित नीति में औद्योगिक आदान से अलग रखा गया है और उन पर 12.5 प्रतिशत की दर पर वैट लगाया गया है जबकि लकड़ी और बांस से बने कागज और अखबारी कागज पर चार प्रतिशत की दर पर कर लगाया गया है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप औद्योगिक आदान और पैकेजिंग सामग्री के रूप में अनुसूची ग, भाग तीन में लकड़ी और चिरी लकड़ी को शामिल करने पर विचार करें और उस पर भी चार प्रतिशत वैट लगाएं।

अब मैं रत्न और आभूषण क्षेत्र पर आता हूं। कल ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय बुद्धदेव भट्टाचार्य ने हमारे वित्त मंत्री को लिखा है और यह इच्छा प्रकट की है कि वर्तमान बजट में केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया 10.2 प्रतिशत सेवा कर वापस ले लिया जाए। इस उद्योग में लाखों लोग नियोजित हैं जिन्हें संबंधित प्राधिकारियों और डिविजनों द्वारा सभी तरीके से पोषित करना चाहिए। उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपना वर्तमान कार्यकलाप छोड़ दें। यदि यह नहीं किया जाता है तो लाखों लोग बेकार हो जाएंगे जो कि किसी भी स्थिति में अवांछनीय है।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**अपराह्न 2.00 बजे गणपूर्ति की घंटी बजाई गई। किंतु गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 2.04 बजे गणपूर्ति की घंटी पुन: बजाई गई और गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 2.08 बजे, पुन: गणपूर्ति की घंटी बजाई गई और गणपूर्ति नहीं हुई। इसके बाद, महासचिव ने उपस्थित सदस्यों को निम्नवत सूचित किया:

"गणपूर्ति नहीं है। सभा गणपूर्ति होने तक समवेत नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होगी।"

आई.टी. उद्योग में श्रम बल शिक्षित है और इसलिए इन्हें किसी भी अन्य कार्यकलाप में लगाया जा सकता है जबकि वस्त्र उद्योग की भांति रत्न और आभूषण कर्मकार भी हालांकि अत्यधिक कुशल होते हैं लेकिन सामान्यतया अशिक्षित होते हैं यदि एक कारीगर की नौकरी चली जाती है तो वह राष्ट्र के लिए बोझ होगा। रत्न और आभूषण पर सेवा कर लगाने के परिणामस्वरूप कई रोजगार छिन जाएंगे, नियति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलती है।

माननीय वित्त मंत्री से मेरी अपील है कि जब तक वह व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं और रत्न तथा आभूषण उद्योग को आई.टी. और वस्त्र उद्योग के बराबरी पर नहीं रखते जिन्हें भारत सरकार ने तीन प्रमुख क्षेत्र घोषित किया है - इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अव्यवस्थित स्थिति नियंत्रण से बाहर है।

अब मैं कृषि उत्पाद जैसे फूलों के बारे में कहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं वैश्विक बाजार में भारतीय फूलों की अपार संभावनाएं हैं। किंतु हमारे पास आधारभूत संरचना नहीं है। इसलिए वैश्विक बाजार में फूलों की पूर्ति के लिए हमें कोल्ड 'चेन' की आवश्यकता होगी। अधिकतर राज्यों में ये कोल्ड चेन नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी यही समस्या है। हमने इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संपर्क किया है। ए.पी.ई.डी.ए. रूचि ले रही है। किंतु मेरा सुझाव यह है कि यदि हम इस विशेष व्यापार को महत्व दें तो हम काफी युवकों को रोजगार देने की स्थिति में होंगे। उन्हें न सिर्फ ताजे फूलों अपित सूखे व अन्य फूलों के व्यापार में भी लगाया जा सकता है। फूल अत्यन्त ही व्यापक मद है। यदि हम इस क्षेत्र की संभावनाएं तलाश करें तो वैश्विक बाजार में हमारा अच्छा हिस्सा हो सकता है।

आलू के मामले में भी यही स्थिति है। जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले एक साल से पश्चिम बंगाल से आलू की पूर्ति शुरू की है। हमारा अनुभव है कि थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन्स, पूरे अरब देश और यहां तक कि जापान भी आलू का उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वे यू.एस.ए., ऑस्ट्रेलिया, हॉलैण्ड तथा चीन से आलू आयात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यद्यपि हम इन आलुओं का निर्यात कर रहे हैं हम यू.एस.ए., ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड इत्यादि के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं। वे विशाल देश हैं। वे अपने आपूर्तिकर्त्ताओं को राजसहायता दे रहे है। परिणामस्वरूप, हमारे लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में भी हमें आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। आधारभूत संरचना का अर्थ यह है कि आलू क्षय होने वाली जिन्स है हमें इसे कंटेनरों के माध्यम से भेजना होगा। किंतु वास्तविकता यह है कि हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर के कंटेनर नहीं है। हमने सिंगापुर, मलेशिया, फिलिपींस इत्यादि को जर्मनी से कंटेनर प्राप्त कर निर्यात करना शुरू किया है। एक जर्मन फर्म ने कंटेनर दिए हैं। हमें प्रतिबद्धता के अनुसार उत्पादों की पूर्ति करना है। इसलिए हम इन कंटेनरों के लिए भारी किराया चुका रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रस्ताव करता हूं। यदि हमारी सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर की 200 रेफ्रीजरेटेड कंटेनर की व्यवस्था करती है तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हम भारत से जो निर्यात कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता वैश्विक बाजार में स्वीकार्य है, कम से कम इस क्षेत्र में हम इस स्थिति में होंगे कि हम अल्प अवधि में बड़े बाजार पर कब्जा कर सकें।

हमने हाल ही में आम का निर्यात शुरू किया है। आम के मामले में भी हमें आधारभूत संरचना की जरूरत है। एक तरह से हमारे देश में पैकेजिंग की जो व्यवस्था है वह अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप नहीं है। इसलिए सभी सब्जियों, सभी फलों के लिए पैकेजिंग उद्योग में सुधार करना चाहिए। इसका आधुनिकीकरण करना चाहिए। इसे विश्व आवश्यकता, अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए और यह एक पृथक उद्योग हो सकता है जो कई युवकों को रोजगार देगा।

अब, आलू के मामले में, परिवहन सहायता ए.पी.ई.डी.ए. द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ के साथ इस संबंध में हमारी बैठक हुई थी। उन्हें यह बताया गया कि ए.पी.ई.डी.ए. यह कह रहा है कि वे एशियाई देशों के लिए 3 रुपए, लंदन के लिए 6 रुपए और अमरीका के लिए 8 रुपए की दर पर परिवहन सहायता देने को तैयार हैं। किंतु यदि हम वास्तविकता में जाएं तो हम पाएंगे कि यह सिर्फ 50 पैसे या 80 पैसे में आ रही है।

मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की योजना क्यों तैयार की गई है। एक ओर वे कह रहे हैं कि वे धन इत्यादि देंगे और दूसरी ओर वे कह रहे हैं कि एफ.ओ.बी. मूल्य का 10 प्रतिशत ही देंगे। क्या आपको आलू का मूल्य मालूम है? यह 80 पैसे प्रति किलो का मूल्य नहीं प,र कर सकता? तथापि, हमें अत्यधिक प्रसन्नता है कि माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने दो तीन दिन पहले ही निर्णय लिया है कि कृषि विभाग आलू के निर्यातकों को ए.पी.ई.डी.ए. के माध्यम से 2 रु. की अतिरिक्त राजसहायता देगा। मैं विभिन्न विभागों के साथ चर्चा से जो समझता हूं वह यह है कि इसके लिए वित्त विभाग की सहमति की भी आवश्यकता है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन है कि जब इस प्रकार के प्रस्ताव आपके सम्मुख रखे जाते हैं तो आप उन पर सहानुभूतिपूर्वक अवश्य विचार करें जोकि लाखों उत्पादकों के हित में होगा।

[श्री सुधांशु सील]

मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय सदस्य श्री रूपचंद पाल ने इसके बारे में कल भी कहा था। मैं हस्त-औजार उद्योग के बारे में बात कर रहा हूं। हस्त औजार का प्रयोग बढ़ई आदि करते हैं। हस्त औजारों का प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के कारीगर करते हैं। हस्त औजारों के संबंध में भी हम देखते हैं कि कर लगभग 12.5 प्रतिशत है। इसे कम करके 4 प्रतिशत कर देना चाहिए जिससे कि लाखों कारीगरों को ये अच्छे औजार उचित मूल्य पर मिल सकें।

लकड़ी के सामान के मामले में मैं एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि यदि हम निर्णय नहीं लेते हैं तो यह भारतीय बाजारों में तैयार फर्नीचर पाटने के लिए चीन, इण्डोनेशिया, इटली इत्यादि को प्रेरित करेगा और इसके परिणामस्वरूप हमारे अनेक कर्मकार बेकार हो जाएंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर वित्त विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं और अपने वित्त मंत्री से इन मुद्दों पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): उपाध्यक्ष महोदय, पट्टालि मक्कल काची और इसके संस्थापक अध्यक्ष डा. अय्या की ओर से मैं वित्त विधेयक 2005 का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक, जिसमें 124 से अधिक खंड हैं, में देश की कर प्रणाली से संबंधित विभिन्न उपबंध शामिल हैं। पहले 64 खंडों का का संबंध प्रत्यक्ष करों से है जिसमें आयकर और निगमित कर शामिल हैं और शेष 60 खंडों का संबंध सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बैंकिंग नकदी कारोबार कर और सेवा कर जैसें अप्रत्यक्ष शुल्कों से है।

प्रारम्भ में, मुझे कहना चाहिए कि इन खंडों में अन्तर्विष्ट ये सभी उपबंध समकालीन भारतीय कर प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं। जब हम इस वित्त विधेयक का मूल्यांकन करना चाहें तो हम कुछ मापदण्डों का उपयोग कर सकते हैं। किन्तु मेरे विचार में सर्वोत्तम मापदण्ड इस विधेयक के उपबंधों को भारत सरकार की तीन महत्वपूर्ण समितियों को भेजना है। केलकर समिति के पहले दो प्रतिवेदन आ रहे है - उनमें से एक प्रतिवेदन प्रत्यक्ष करों के बारे में है और एक अन्य प्रतिवेदन अप्रत्यक्ष करों के बारे में है। तीसरा प्रतिवेदन कृतिक बल प्रतिवेदन है जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में है।

समिति के ये सभी तीनों प्रतिवेदन वित्त विधेयक के आकलन में चार महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वित्त विधेयक उन पर्याप्त संसाधनों को जुटा पाने में सक्षम है जो इस देश के विकास के लिए आवश्यक है, क्या ये संसाधन रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए पर्याप्त होंगे, क्या सृजित राजस्व देश से निर्धनता समाप्त करने और अन्तर सैक्टर, अन्तर क्षेत्रीय और अन्तर वैयक्तिक असमानताओं को दूर करने में हमारी सहायता करेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वित्त विधेयक कराधान के प्रचलित नियमों और प्रज्ञावान वित्त के सिद्धांतों के अनुरूप है। तीसरा मुद्दा यह है कि क्या वित्त विधेयक युगोपरानी उन खराबियों को दूर करने में समर्थ है जो अनेक वर्षों से भारतीय कर प्रणाली का नुकसान कर रही है। चौथा प्रश्न यह है कि क्या यह वित्त विधेयक कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, जो माननीय डा. मनमोहन सिंह, जो इस देश के प्रधान मंत्री हैं, के द्वारा वर्ष 1991 में शुरू की गई थीं। अथवा और अधिक विशिष्ट रूप से हमें अनेक प्रश्नों जैसे कर प्रक्रिया का सरलीकरण, कर आधार को बढ़ाना, कर अनुपालन, अनुपालन की लागत कम करना, पारदर्शिता आदि, को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विधेयक की जांच करनी पड़ेगी। जब हम इन सभी प्रश्नों को वित्त विधेयक से करते हैं तो मुझे यह एहसास होता है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर 'हां' है और इसलिए मैं इस महान सभा में लगभग इष्टतम अथवा लगभग पूर्ण वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के लिए उनकी व्यावसायिक योग्यता और कुशाग्रता के लिए वित्तीय मंत्री की पूरे हृदय से सराहना करता हूं।

अब मैं अपनी अभिप्राय बताने के लिए वित्त विधेयक से कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। यदि हम वित्त विधेयक के संसाधन भाग को लें तो, मैं यह देखता कि वित्त विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्ताव संशोधित अनुमान 2004-2005 में दिए गए 306021 के मुकाबले 370250 करोड़ रुपए की पारित करने में हमारी सहायता करते हैं जो 64000 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाती है। इससे गत वर्ष की तुलना में इक्कीस प्रतिशत की राजस्व वृद्धि होती है। आयकर राजस्व में 30.36 प्रतिशत, निगम कर में 33.2 प्रतिशत; उत्पाद शुल्क में 20.66 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। पहली बार यह वृद्धि 10.12 प्रतिशत की सुधार पूर्व स्थिति को पार कर गई है। जैसाकि हम जानते हैं 1990-91 में 10.12 प्रतिशत से वर्ष 2003-04 में 9.22 प्रतिशत तक सुधार पश्चात अवधि में वर्ष 1991 के आगे से सकल घरेलू उत्पाद में कर के इस अनुपात में गिरावट आ रही है। अतः भारतीय इतिहास में पहली बार सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात शिखर पर होगा और हमें वित्त मंत्री की सराहना करनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की वृद्धि हो सकी। इसके अतिरिक्त संसाधन में यह वृद्धि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों पर घटे हुए कर की दरों अथवा सामान्य कर की दरों के चलते होती है। अतः इससे अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए कर प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाता है।

विधेयक की एक अन्य प्रशंसनीय विशेषता यह है कि वित्त विधेयक में कर प्रस्ताव आम आदमी से नहीं टकराते। यह गरीबों पर अधिक बोझ नहीं डालते और अप्रत्यक्ष करों का राजस्व प्रभाव लगभग राजस्व तटस्थ है और ये कर ढांचे में किसी तरह परिवर्तन नहीं करते।

इस वित्त विधेयक में तीसरा महत्वपूर्ण पूरक घटक यह है कि यह भारतीय कर प्रणाली की साम्य और प्रगतिशीलता की वृद्धि करने में हमारी सहायता इस अर्थ में करता है कि यह देश के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वृद्धि करता है। वर्ष 1991 में प्रत्यक्ष कर से अप्रत्यक्ष कर का प्रतिशत 24.4 प्रतिशत था किन्तु आज यह 92.12 प्रतिशत है। जबकि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से 1,92,215 करोड़ की प्राप्ति होगी, आयकर और निगम कर से 1,77,077 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ है कि हो सकता है कि अगले वर्ष इस दर में आयकर और निगम कर से राजस्व वसूली सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व से भी अधिक हो जाएगी। यह वास्तव में भारत के कर इतिहास में मील का पत्थर होगी और अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह रूझान और विशेषता विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है जो विकसित अर्थव्यवस्था में परिपक्व हो रही है। इसका अर्थ है कि वित्त विधेयक एक विकसित राष्ट्र के मार्ग पर प्रगति करने के लिए देश की सहायता करता है उस विकसित राष्ट्र जिस तक 2020 तक भारत को पहुंचाने का स्वप्न भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है।

इस उपलब्धि का श्रेय इसे लाने के लिए सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए। अत: कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष कर का प्राधाल कम कर भारत आज बहुत पुरानी परावर्ती कर प्रणाली से हट रही है और यह श्रेय वित्त विधेयक का है।

वित्त विधेयक में आय कर ढांचे में स्वागत योग्य पैकेज की भी व्यवस्था है। यह लोगों की बचत में वृद्धि करता है और निवेश में अधिक अंशदान करता है और प्रत्येक करदाता को बचत का विकल्प दिया जाता है वह जो भी उपाय अपनाए। अत: इससे लोगों को अधिक निवेश की सुविधा मिलती है।

निगमित क्षेत्र के लिए और भी प्रसन्नता की बात है। दस प्रतिशत अधिभार के साथ न्यूनतम तीस प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है। सामान्य मशीनरी और संयंत्र के लिए दस प्रतिशत के अवमूल्यन दर भी है। इससे निगमित क्षेत्र को तीन प्रतिशत की राहत मिलती है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, सीमा शुल्क में पन्द्रह प्रतिशत की कमी भारत को दक्षिण एशिया स्तरों के निकट ले जाती है। संभावना है कि भारत में सीमा शुल्क वर्ष 2006 अथवा 2007 तक एशियाई स्तरों के निकट हो जाएगी।

भारत पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी समझौता से जुड़ी वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क हटाकर अपनी विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिबद्धता पूरी कर चुका है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट उद्योगों के लिए पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क में कमी से और अधिक निवेश विशेषकर कृषि और खाद्य उद्योगों; अनुसंधान और विकास; रसायन और पेट्रोलियम उत्पादों आदि को प्रोत्साहन मिलेगा।

जहां तक सेवा कर का संबंध है कर आधार का विस्तार हुआ है। यद्यपि सेवा कर की दर दस प्रतिशत है फिर भी अनेक सेवाओं को कर के अन्तर्गत लाया गया है। अत:, यह सेवा कर के कर आधार को बढ़ा रहा है, परन्तु माननीय वित्त मंत्री को इसका पर्याप्त ध्यान रखा है कि उन छोटे सेवा प्रदाताओं को राहत दी जाए जिनका वार्षिक कारोबार 4 लाख रुपए तक है।

मैं वित्त विधेयक के बारे में और कई अच्छी बातें कहना चाहूंगा, परन्तु समयाभाव के कारण मैं वित्त विधेयक की इन महत्वपूर्ण विशेषताओं तक ही अपने को सीमित रखूंगा। परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान उन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो लोगों को आन्दोलित कर रही हैं।

सबसे पहले, मैं सीमान्त लाभकारी कर के बारे में कहना चाहूंगा। सीमान्त लाभकारी कर संभवत: निगमित क्षेत्र की उद्योगों में प्रतिभा को आकर्षित करने की योग्यता को प्रभावित करेगा। आज, वैज्ञानिक और प्रबंधन विशेषज्ञ विदेश जाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत के बाहर वे बड़ी संख्या में परिलब्धियां पाने में सक्षम हैं। आज, कई कंपनियां ये परिलब्धियां भारत में ही देने की इच्छुक हैं। अत:, माननीय वित्त मंत्री जी को यह अभिनिश्चित करना चाहिए कि क्या ये परिलब्धियां व्यापार के विकास में योगदान दे रही हैं। यदि उन्हें लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो वे सीमान्त लाभकारी कर में कुछ छूट दे सकते हैं।

दूसरा, मैं मानक कटौती को हटाने के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। मानक कटौती लोगों को दिया जाने वाला कोई वैयक्तिक भत्ता नहीं है। मानक कटौती एक प्रकार का व्यय है, जिसे सकल कर योग्य आय से अवश्य घटाया जाना चाहिए। निवल आय की गणना सकल कर योग्य आय से व्यय को घटाकर की जाती है। मानक कटौतियां - कई वर्षों से जारी है - जिसका उपयोग व्यय भाग का ध्यान रखने के लिए किया जाता है। अत:, मानक कटौती को अवश्य ही बनाए रखा जाना चाहिए, और निवल आय का पता लगाने के लिए सकल कर योग्य आय से मानक कटौतियों को घटाया जाना चाहिए। इसलिए, वित्त मंत्री जी को इस मुद्दे पर भी कुछ सोचना चाहिए।

[प्रो. एम. रामदास]

तीसरा, मैं देश में मूल्य वर्द्धित कर (वैट) प्रणाली की शुरुआत के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्न थे कि 01 अप्रैल 2005 से देश के प्रत्येक राज्य में वैट प्रणाली लागू हो जाएगी। परन्तु, दुर्भाग्यवश राज्यों के बीच व्याप्त राजनीतिक अवसरवादिता ने देश में एक समान वैट प्रणाली लागू नहीं होने दी, क्योंकि कुछ राज्य इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। यह माननीय वित्त मंत्री जी का उत्तरदायित्व है कि वह इन राज्यों को इसे स्वीकार करने के लिए मनाए, ताकि देश में सभी जगह वस्तुओं और सेवाओं के की समेकन प्रणाली हो।

अंततः, मैं संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा, जो वैट के साथ-साथ केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) लागू किए जाने के कारण अब प्रभावित हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दें। पांडिचेरी, संघ राज्य क्षेत्र कोई उत्पादन केन्द्र नहीं है, बल्कि केवल उपभोक्ता केन्द्र है। यह पड़ोसी राज्यों से कच्ची सामग्रियां प्राप्त कर रहा है क्योंकि यह वस्तुओं को खरीदता है और उन्हें अन्य स्थानों पर भेज देता है। जब वैट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सारे देश में कर की दर एक समान है और यदि पांडिचेरी संघ राज्य राज्य क्षेत्र तमिलनाडु से कच्ची सामग्रियां खरीदता है तो उसे 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) का भुगतान करना पड़ता है। यह मानते हुए कि बिक्री कर समान है, 4 प्रतिशत सी.एस.टी. का लगना पांडिचेरी में उत्पादकों के लिए खरीद की लागत को बढ़ा देता है। इसके अलावा, जब तैयार उत्पाद बाहर बेचे जाते हैं तो उन्हें एक बार पुनः 4 प्रतिशत कर का भुगतान करना पड़ता है। अतः, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा 8 प्रतिशत का अतिरिक्त कर का बोझ वहन किया जाता है जिससे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

यह क्षेत्र जिसने अर्थव्यवस्था में तेजी से प्रगति की है अब वह वैट के साथ-साथ केन्द्रीय बिक्री कर के लागू रहने के कारण समस्याओं से जूझ रहा है। मैं वहां के लोगों की ओर से, केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उसे सी.एस.टी. को इसी वर्ष या जितना जल्दी संभव हो सके हटाने पर विचार करना चाहिए।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक की मुख्य बातों को स्वीकार करता हूं। अपने दल की ओर से मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मधु गौड यास्की (निजामाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण की शुरुआत वित्त विधेयक के समर्थन के साथ करना चाहूंगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में 60 प्रतिशत शीर्षस्थ राजनेता वकील हैं। स्वयं भी एक वकील होने के नाते, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि वित्त मंत्रालय का कार्य भार एक प्रतिबद्ध और सही मायने में व्यवसायिक वकील के हाथों में है। एक सही वकील अपने मुवक्किल के बेहतर हितों का प्रतिनिधित्व करता है और न कि अपने हितों का। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के "भारत उदय" के बारे में बड़े दावों की तुलना में, हमारे वित्त मंत्री ने स्वप्नदर्शी अर्थशास्त्री के नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा को समर्पित नेता के मार्गनिर्देशन में सही तरीके से "भारत निर्माण" की परिकल्पना की है जिसमें उन्होंने सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार संपर्क प्रदान करने और ग्रामीण स्तर पर मूलभूत आवश्यकताओं में कमी को समाप्त करने के लिए भी करीब चार वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हालांकि ग्रामीण विकास पर बल दिया जा रहा है और पिछले कई वर्षों से हम करोड़ों रुपए व्यय कर रहे हैं परन्तु हमने सही मायने में विकास नहीं देखा है। हमें जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है उपयुक्त कार्यान्वयन और निगरानी है। ग्रामीण विकास के संबंध में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि प्रत्येक रुपए में से केवल पंद्रह पैसा ग्रामीण लाभार्थियों के पास पहुंचता है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक एक रुपया जिसे हम खर्च करते हैं, में से कम से कम बीस पैसा कुछ अन्य चीजों पर खर्च किया जाता है और यह ग्रामीण गरीबों के पास नहीं पहुंचता है। हमारे प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने के लिए कृषि के विकास पर अधिक बल दिया गया है। ग्रामीण विकास पर, हम 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा व्यय कर रहे हैं। हमें इसका सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है जिससे 'भारत निर्माण' में हमें मदद मिलेगी। देश के 700 जिलों में से 100 से ज्यादा जिलों का अति पिछड़े जिले के रूप में चयन किया गया है। इसके पीछे मंशा ग्रामीण आय को बढ़ाने और ग्रामीण विकास के माध्यम से न्यूनतम संभावित समय में गरीबी का उपशमन करने का है। सही मायनों में अत्यंत पिछड़े जिलों का चयन से अधिक सार्थक बात और क्या हो सकती है? तेलंगाना क्षेत्र में जहां का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, कई जिले बहुत पिछड़े हैं। इस क्षेत्र में पिछले दिनों में हुई हिंसा जिसे हम सबने देखा है, का कारण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में विकास न होना, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है और तथाकथित नक्सली समस्या इसी से संबंधित है।

अतः इन पिछड़े जिलों पर और अधिक ध्यान देकर धनराशि आबंटित करनी होगी।

माननीय वित्त मंत्री जी ने आगामी पांच वर्षों से प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रुपए देने पर सहमति जता कर सही मायने में पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष पर बल दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन जिलों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले, जोकि मेरा जिला है, के लिए और अधिक निधियां आबंटित करें। विभिन्न क्षेत्रों को आबंटित धनराशि पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है। लघु सिंचाई भी ऐसा ही एक क्षेत्र है। 3 मिलियन हैक्टेयर में सिंचाई के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 10,500 करोड़ रुपए का आवश्यकता अनुमानित है। तथापि इस वर्ष हेतु केवल 400 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है जो पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस पर पुन: विचार करने और इसे बढ़ाने का अनुरोध करूंगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 2015 करोड़ रुपए का अनुमान है। तथापि, केवल 630 करोड़ ही आवंटित किए गए हैं। इस पर भी पुनर्विचार करके आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निष्क्रिय सहकारी ऋण बुनियादी ढांचे के पुनर्गठन हेतु कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध करता हूं ताकि इन्हें और जिम्मेवार बनाया जा सके।

कतिपय अन्य क्षेत्रों पर भी पुन: विचार करने की आवश्यकता है और इन में अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। कृषि अनुसंधान केंद्र इसमें से एक है। इसके लिए आबंटित 50 करोड़ रुपए की मामूली राशि पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस पर पुन: विचार करने और यदि संभव हो तो और अधिक धन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

इस वर्ष के बजट में जिन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है उनमें से सर्वशिक्षा अभियान एक है जिसके लिए लगभग 7000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इसके साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम भी है। पिछले एन.डी.ए. शासन के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में धनराशियों का दुरुपयोग हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा आबंटित कुल 235 करोड़ रुपए में से पूर्व की टी.डी.पी. सरकार ने लगभग 75 करोड़ की धनराशि का प्रयोग अन्य क्षेत्रों हेतु किया था।

विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और अधिक निगरानी के साथ करना होगा। जबकि केंद्र राज्य सरकारों को हजारों-हजार रुपए दे रहा है लेकिन कतिपय राज्य सरकारें इनका प्रयोग आम लोकप्रिय कार्यक्रमों के लिए कर रही है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को एमफिल और पीएच.-डी. करने हेतु तथा चयनित विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध शुरू की गई नई पहलों, विशेषकर राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम का लाभ अन्य पिछड़े वर्गों को भी देने के लिए आकृष्ट करता हूं।

मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम द्वारा शुरू की गई पहल की ओर भी आकृष्ट करता हूं। गत लगभग छ: वर्षों के दौरान एन.डी.ए. शासन काल में अल्पसंख्यक असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उक्त शासन काल में अल्पसंख्यकों के विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मैं अपने जिले का ही उदाहरण देना चाहता हूं जहां एक चौथाई आबादी अल्पसंख्यक है। इनमें से कई गरीब, और अशिक्षित भी हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे जिले को आबंटित होने वाली धनराशि में वृद्धि की जाए। कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस योजना के लिए कतिपय जिलों का चयन किया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे जिले को इस योजना में शामिल करने की संभावनाओं का पता लगाएं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12 से 16 वर्ष आयुवर्ग की लगभग 2.5 लाख लड़कियां वहां बीड़ी श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं। जब अभिभावक अपने बच्चों की कमाई पर आश्रित होंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। जब तक अभिभावकों को पर्याप्त आय का साधन उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है वे अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए बच्चों का उपयोग करते रहेंगे। अत: मेरे जिले को इस कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक धन दिया जाए।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कतिपय सुझावों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं नए उपायों को शुरू करने हेतु वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।

गत दशक के दौरान, मूल रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से निकल कर ज्ञान आधारित सेवा अर्थव्यवस्था अपनाने के हमारे न्यास, गत दशक में साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के छ: प्रतिशत की वृद्धि पर कई समर्थकों ने इस क्षेत्र में हुई व्यापक वृद्धि के मद्देनजर अन्य आर्थिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण योगदान की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी दी है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। अन्य आर्थिक क्षेत्र आवश्यक हैं। अन्य क्षेत्र भी आवश्यक हैं क्योंकि इससे कार्य बल के समस्त क्षेत्रों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का बहु उद्देशीय प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास इस समय 470 मिलियन कार्य बल है। सूचना प्रौद्योगिकी ने गत दशक के दौरान 8,00,000 रोजगार उपलब्ध कराए हैं लेकिन यह मुख्यत: शिक्षित और शहरी उच्च वर्ग तक सीमित है और भारत की ज्यादातर जनसंख्या को इसका समुचित रोजगार लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर ग्रामीण और अकुशल कृषि

[श्री मधु गौड यास्खी]

अर्थव्यवस्था में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता वाले विकास हेतु ज्ञान आधारित क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के बीच संपर्क वास्तव में आवश्यक है।

मैं गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि भारतवर्ष 2032 तक विश्व में अमरीका और चीन के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर और अधिक ध्यान देना होगा ताकि भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं चीन की प्रणाली का उदाहरण देना चाहूंगा जिसके अंतर्गत बुनियादी और निर्माण क्षेत्र में भारी धनराशि का निवेश करके 40 मिलियन रोजगार सृजित किया गया है। हमें उस अनुभव से सीख लेकर निर्माण और उत्पादन क्षेत्र पर और अधिक बल देना चाहिए तथा जूते चप्पल से लेकर अंडरवीयर हार्डवेयर से लेकर साफ्टवेयर का और अधिक निर्यात करना चाहिए। हम ऐसी नीतियां बनाएं जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हों और सतत विकास हो सके।

मैं कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। निश्चितरूप से कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। मुझे पक्का यकीन है कि हमारे द्वारा करों और अन्य तरीकों से जुटाया जा रहा पैसा व्यापक धन उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त नहीं है। हमें आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ध्यान देना होगा। आज हमारे यहां 4 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। हमें सतत विकास हेतु और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकृष्ट करने की आवश्यकता है।

मैं वामपंथी दलों के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनका ध्यान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में सरकार की नीतियों के समर्थन मांगता हूं। मैं यहां यह भी उद्धृत करना चाहूंगा कि चीन के महान नेता श्री डेंग जियाओपिंग ने ठीक ही कहा था - क्योंकि वे चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरी नजर रख रहे होंगे कि इसका कोई महत्व नहीं है कि बिल्ली काली अथवा सफेद है। "महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चूहों का शिकार करती है।" बात स्पष्ट है। यदि लोगों का विकास और कल्याण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने से हो सकता है तो यह ठीक है। अतः हमारे वित्त मंत्री जी ने कतिपय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाकर सही कार्य किया है।

हमारे सहयोगी दल इसका समर्थन करें ताकि आगामी दशक में हम भारत की प्रगति को एक साथ देख सकें।

अंत में, मैं कहूंगा कि हालांकि सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों के लिए अलग से मंत्रालय गठित करना स्वागतयोग्य है फिर भी इस संबंध में अधिक कार्य करना बाकी है। देश के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में योगदान करने के लिए और अधिक अप्रवासी भारतीयों को आकृष्ट करने हेतु और अधिक ठोस और व्यापक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय डायस्पोरा की क्षमता का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रतिभावान विचारवान और धन संपन्न है। प्रधानमंत्री जी ने मुम्बई में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर ठीक ही कहा था कि भारत के विकास में भारतीय डायस्पोरा को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी अभिनव संस्कृति को विकसित करने की आवश्यकता है जो और जो विश्व आर्थिक नेतृत्व के लिए वास्तविक तथा मूल आवश्यकता है। हमें ऐसे नवीन यंत्रों को बनाना चाहिए जो वास्तविक हों तथा जो वैज्ञानिकों और अभियंताओं की प्रतिभाओं के पोषण हेतु आवश्यक हों। हालांकि इस दिशा में की गई प्रगति प्रशंसनीय है फिर भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। ग्लास को आधा खाली होने की दृष्टि से परखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें बुनियादी अवसंरचना विद्युत, जल, संचार और परिवहन में सुधार लाने के लिए व्यापक रूप से कार्य करें। इन क्षेत्रों हेतु आबंटित धनराशि का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे माननीय वित्त मंत्री जी को अपना समर्थन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि उनके गतिशील नेतृत्व और अपने अनुभव के आधार पर वित्त मंत्री के रूप में मुझे विश्वास है कि भारत उस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा जो लोकतंत्र में विश्वास करता है और जिसमें निरंतरता और व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास प्राप्ति की अभिकल्पना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सामान्य बजट की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): महोदय, सर्वप्रथम मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस सर्वोच्च सभा में वर्ष 2005-06 के वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान बोलने का अवसर दिया है। इस वर्ष का बजट संप्रग के सहयोगी दलों के लिए स्वागत योग्य है और वामपंथी दलों के लिए भी स्वीकार्य और प्रतिपक्षी दलों के लिए परेशानी का कारण है। इस बजट की समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों और सभी आर्थिक क्षेत्रों से व्यापक प्रशंसा हुई है। हमने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों को विचार-विमर्श करने के पश्चात पारित कर दिया है। अब हमारे समक्ष वित्त विधेयक है। आर्थिक विशेषज्ञों और कतिपय वरिष्ठ सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने सुविचारित

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मत रखे है। वे अपनी बात मुझसे पूर्व रख चुके हैं अत: मैं केवल दो बातों का उल्लेख करूंगा, तत्पश्चात मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ बातों की ओर आकृष्ट करूंगा। जहां तक आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न है गत वर्षों के दौरान यह पूर्व के वर्षों के आर्थिक कार्यनिष्पादन से संबंधित विवेचना कार्य रह गया है। यह एक जांच प्रतिवेदन हुआ करता था जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था की कमियों का उल्लेख किया जाता था। केवल विद्यमान वर्ष में ही मैंने इसे भिन्न रूप में पाया है। इसे हमारे वित्त मंत्री जी की देखरेख में तैयार किया गया है जिन्होंने न केवल रोग की पहचान की है बल्कि इसके लिए जिम्मेवार मूल कारकों का पहचान करने का भी भरसक प्रयास किया है। तमिल कवि संत तिरूवल्लूवर के शब्दों में-

"नोई नदी नोई मुथल नदी अप्पन

वाई नदी वैयप्पा सियल"

इसका अर्थ है:

"रोग की पहचान के स्थान पर कारण की पहचान करो ताकि इसे शुरू होने से पूर्व ही रोका जा सके।"

इस वर्ष की रिपोर्ट एक अग्रिम रिपोर्ट की तरह है। इसे हमारे योग्य प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह, जो स्वयं एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, की देख रेख में तैयार किया गया है। एम.डी.एम.के. की ओर से मैं उन्हें बधाई देता हूं और इस वर्ष के वित्त प्रतिवेदन का समर्थन करता हूं।

मात्र एक वर्ष में कर राजस्व में 21 प्रतिशत अर्थात 64000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की योजना है। वित्त विधेयक में इस वर्ष ही राजकोष के लिए यह धन अर्जित करने का प्रस्ताव करता है।

जहां तक आय कर ढांचे के पुनर्गठन का प्रश्न है मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां अपना कारोबार शुरू किया है और हमारे युवा वर्ग को उनके द्वारा प्रति माह लगभग 25000 से 30000 रुपए अथवा इससे अधिक भी का भुगतान किया जाता है। गत वर्ष तक 3,50,000 तक अर्जन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा 50,000 से कम कर का भुगतान किया जाता था। लेकिन इस वर्ष की घोषणा से बजट में किए गए आयकर ढांचे के पुनर्गठन प्रस्ताव के कारण लोगों, विशेषकर वेतनभोगी वर्ग को अत्यधिक राहत मिलेगी। इस वर्ष से वह व्यक्ति आयकर के रूप में 23000 रुपए का भुगतान करेगा। ससे प्रति वेतन भोगी को प्रति वर्ष 27000 रुपए की बचत होगी। इसका अर्थ यह है कि उसकी आय में प्रति माह कम से कम 2000 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। इस वित्त विधेयक में यह एक स्वागत योग्य व्यवस्था है और मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। वेतनभोगी वर्ग न केवल प्रसन्न आश्वस्त और संतुष्ट हैं बल्कि उस तनाव से भी मुक्त है जो उन्हें आयकर का भुगतान करते समय होता है। ग्राहक अनुकूल की तरह व्यक्ति अनुकूल हो गया है। वृद्ध और महिलाओं को भी रियायत दी गई है।

अब कृषि क्षेत्र को लें। हमारे 57 प्रतिशत लोगों ने कृषि क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में चुना है। आपने किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु पर्याप्त सुरक्षोपाय किए हैं।

फिर बुनकर क्षेत्र आता है। बुनकर क्षेत्र में 10 प्रतिशत लोग कार्य कर रहे हैं। गत वर्ष हस्तकरघा क्षेत्र को सी.ई.एन.वी.ए.टी. (सेन्वेट) की परिधि से हटा दिया गया था। इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री जी ने वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के पश्चात वस्त्र क्षेत्र से ही सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और सर्वाधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। इस क्षेत्र में हमारे वित्त मंत्री जी के सृजनात्मक हस्तक्षेप के कारण इस क्षेत्र में और वृद्धि होगी। वस्त्र संबंधी उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। डाई और ब्लीच की नई इकाइयों को 10 प्रतिशत राजसहायता दी जायेगी। कृत्रिम फाइबर पर शुल्क 24 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री जी ने वस्त्र उद्योग में नये विश्वास, उम्मीद और उत्साह का संचार किया है।

सेतु समुद्रम परियोजना अब कार्यरूप में परिणत हो रही है। यह मांग कई वर्षों से लंबित पड़ी थी। अन्ना से लेकर वाइको तक के हमारे नेता कई वर्षों से इस मांग पर जोर दे रहे हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए है जब वह स्वप्न जिसके लिए हमारे कई नेताओं को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ी है, सच होने जा रहा है। उन्होंने चालू बजट में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। क्षुद्र राजनीतिक मतभेद उभर कर आए हैं जिसकी वजह से वर्तमान राज्य सरकार से उचित सहयोग नहीं मिल पा रहा है और परिणामस्वरूप परियोजना को शुरू करने में विलंब हो रहा है। मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि यह परियोजना इसी वर्ष प्रारंभ हो जाए और मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि कृपया अतिरिक्त निधियां आवंटित करें जिसकी आवश्यकता इसे पूर्ण करने में होगी। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलों के इस सौ वर्ष के स्वप्न को पूरा करने के लिए निधियां आवंटित करने में उदार दृष्टिकोण अपनाएं।

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई]

मेरे शिवकाशी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, माचिस का विनिर्माण और पटाखों का उत्पादन मुख्य उद्योग है। पिछले वर्ष तक हस्त निर्मित माचिस उद्योग को कर में राहत उपलब्ध थी। मशीन निर्मित माचिसों को सेनवैट से राहत मिली है और इस वर्ष उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से कम कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं वित्त मंत्री की मजबूरियों पर चर्चा करना नहीं चाहता। इस समय मैं उत्पादन के एक विशेष चरण का उल्लेख करना चाहूंगा। मशीनों का उपयोग कर चट्टे के फ्रेमों पर लगाने के बाद माचिस की तीलियों के अग्रभाग को रसायनों में डुबोया जाता है। इस विशेष कार्यक्षेत्र का संचालन माचिस के डिब्बों में इन्हें पैक करने के पहले गैरकानूनी तरीके से किया जाता है जिससे सरकार को देय कर की चोरी की जाती है। क्योंकि विनिर्माण के इस भाग का कार्य कर लाभों और राहत को प्राप्त करने के लिए कुटीर उद्योगों के रूप में किया जाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से कर चोरी है और मैं इसे सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। इस खामी को अवश्य ही दूर किया जाना चाहिए और सरकार को उत्पाद शुल्क के पूर्ण संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने चाहिए। ऐसी यंत्रीकृत माचिस इकाइयों को शॉप फ्लोरों से केवल अंतिम उत्पाद बाहर लाने के बाध्य किया जाना चाहिए। हस्त निर्मित माचिस इकाइयों और पटाखा इकाइयों को अभिवृद्धित कर छूट 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए दिया जाना है। इस उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अभिवृद्धित सीमा को कृपया 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया किया जाए।

अंतत: मैं एक ऐसा विषय उठाना चाहता हूं जो इस वित्त विधेयक के दायरे में न हो किंतु इस पर मानवता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से आम जनता विशेषकर गरीबों को सर्जिकल चिकित्साओं के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। हृदय सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर का इलाज जैसे इलाज करा रहे लोगों को संसद सदस्यों की संस्तुति पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही थी। अब पिछले एक वर्ष से वह सहायता नहीं दी जा रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह व्यवहार्य तंत्र सुनिश्चित करें और चिकित्सा सहायता देने के लिए जरूरतमंद गरीबों के लाभार्थ एक कोष बनाएं। इसे इस आधार पर अस्वीकार करने की सरकारी उदासीनता कि यह दान के निधि है और इस दावे को कि सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती को नजरन्दाज किया जाना चाहिए। हमारे जैसे देश में जो कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, कृषि क्षेत्र को राजसहायता प्रदान करने के लिए 16000 करोड़ रुपए अलग रखा जाता है। जब 57 प्रतिशत लोगों का मुख्य पेशा कृषि है और उनमें से कई गरीब हैं, तब वित्त मंत्रालय बागवानी क्षेत्र को ज्यादा निधियां आवंटित करने का प्रस्ताव इस उम्मीद के साथ कर रहा है कि यह बेहतर विकल्प हो सकता है। बागवानी हेतु ऐसी निधियां आवंटित की गई हैं और इन निधियों को राज्य सरकारों के माध्यम से व्यय किया जाना है अत: मुझे इनका दुरुपयोग होने की आशंका है। परन्तु हमारे माननीय वित्त मंत्री जी प्रत्येक जिले में प्रशीतन सुविधाओं सहित भांडागारों और गोदामों के निर्माण योजना की परिकल्पना करते हैं। यह क्रेट इकानॉमिक जोनों पर जोर देते हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए रखी गई धनराशि का उपयोग सही तरीके से किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वे सफल होंगे। हमारे वित्त मंत्री जी ने 3 वर्षों में ऋण सीमा को दुगना करते हुए किसानों को ऋण के रूप में देने के लिए 36000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। अब प्रत्येक वर्ष 50 लाख नए किसानों को ऋण मिल सकता है। परन्तु कई बैंक इसे ज्वेल ऋण बना दे रहे हैं और इसे कृषि ऋण के रूप में दिखाते हैं। ऋण सुविधा पद्धतियों को अवश्य ही सुचारू बनाया जाना चाहिए। केवल तभी लक्ष्य को सफलतापूर्वक और अर्थपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जा सकता है।

ऐसे समय जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकृत कर दिया है, आपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) आकर्षित करने हेतु कदम उठाए है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए, ग्रामीण विकास में तेजी लाते हुए आपने इसका ध्यान रखा है कि गरीब और सामान्यत: जनता पर बोझ न पड़े। इसलिए मैं इस रचनात्मक बजट का स्वागत करता हूं और इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.28 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करेंगे। श्री आलोक कुमार मेहता।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि यह सभा 27 अप्रैल, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि यह सभा 27 अप्रैल, 2005 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुर:स्थापित करने के लिए लेंगे।

श्री चंद्रकांत खैरे - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 18 और मद संख्या 19, श्री काशीराम राणा - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 20 और मद संख्या 24, श्री सुबोध मोहिते - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 24, श्री ब्रजेश पाठक - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 25, श्री बची सिंह रावत 'बचदा' - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 26, श्री मणि चारेनामै।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005

(अनुच्छेद 16 और नौवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मणि चारेनामै: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

(दो) उत्तरांचल राज्य (वन भूमि पर 1980 से पूर्व के उपनिवेशों का राजस्व भूमि में नियमितीकरण और संपरिवर्तन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल राज्य में स्थित ऐसी समस्त वन भूमि, जो आरक्षित वन अथवा संरक्षित वन का भाग है और जिसमें 24 अक्तूबर, 1980 से पहले उपनिवेश थे, को राजस्व भूमि में संपरिवर्तित करने; ऐसे सभी अधिक्रमणों और उपनिवेशों को नियमित करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उत्तरांचल राज्य में स्थित ऐसी समस्त वन भूमि, जो आरक्षित वन अथवा संरक्षित वन का भाग है और जिसमें 24 अक्तूबर, 1980 से पहले उपनिवेश थे, को राजस्व भूमि में संपरिवर्तित करने; ऐसे सभी अधिक्रमणों और उपनिवेशों को नियमित करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 28 और 29, श्री अब्दुल्लाकुट्टी- उपस्थित नहीं।

अपराह्न 03.32 बजे

(तीन) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004 - जारी

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 30, अनिवार्य मतदान विधेयक पर चर्चा करेंगे। पिछली बार जब सभा स्थगित हुई थी तो श्री गिरिधर गमांग भाषण दे रहे थे। अत:, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। भारत में लोकतंत्र केवल लोकतंत्र नहीं है, परन्तु यह स्वतंत्रता के साथ लोकतंत्र है। इसलिए आप मतदाताओं को मत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे मतदान प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का रूख अपनाते हैं।

इसलिए पिछली बार मैंने पांच 'वी.आई.पी.' की भूमिका के बारे में उल्लेख किया था। मैंने बहुत बुद्धिजीवी व्यक्तियों, बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों, बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों, बहुत अशिक्षित व्यक्तियों और बहुत सीधे व्यक्तियों द्वारा किए गए मतदान के प्रतिशत क, विश्लेषण किया। ये लोग मिलकर पांच 'वी.आई.पी.' हैं। मतदान प्रक्रिया के दौरान इन पांच वी.आई.पी. की एक भूमिका होती है। आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि विभिन्न श्रेणी के मतदाताओं की प्रतिशतता कितनी है। देश में चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अवश्य ही एक अलग आयाम प्रदान करेंगे। फिर हमारे देश में चुनाव क्यों बार-बार होते हैं? इसका कारण यह है कि सरकार में कोई स्थिरता नहीं होती। राजनीतिक वातावरण इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है कि राज्य या केन्द्र में कोई स्थिरता नहीं है।

सरकार के तीसरे स्तर अर्थात, पंचायतों और नगरपालिकाओं में भी पांच वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है। यदि प्रतिवर्ष हमें चुनाव का सामना करना पड़े तब लोगों को मतदान प्रक्रिया से अवश्य ही घृणा होने लगेगी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहूंगा। जब लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अपना मत देते हैं तो उनका निर्वाचन पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। इसलिए, उन्हें, चाहे संसद हो या विधानसभा में, पूरे पांच वर्ष तक के लिए लोगों का प्रतिनिधि रहना चाहिए। आज, देश में, अनुभव से यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों से किसी एक दल की सरकार नहीं रही है। पहले केन्द्र में ऐसी सरकारें होती थी जिसके पास सभा में पूर्ण बहुमत या दो-तिहाई बहुमत हुआ करता था। उन सरकारों ने पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद हमारे यहां बहुदलीय सरकार के साथ एक दलीय विपक्ष का दौर आया। अब, हमारे देश में केन्द्र में बहु दलीय सरकार के साथ बहु दलीय विपक्ष है। परिणामस्वरूप सरकार के स्थिरता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। पूर्व में हमने ऐसे अवसर देखे जब केन्द्र में ऐसी सरकारें थी जिसे सभा में पूर्ण बहुमत या दो-तिहाई बहुमत प्राप्त रहता था। इसके बाद ऐसे अवसर भी आए जब मध्यावधि या एक चौथाई अवधि में चुनाव कराए गए। अब, सरकार के कार्यकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। अब हमारे यहां केन्द्र और राज्य दोनों में सरकारों का कार्यकाल निश्चित नहीं हैं। यह संवैधानिक उपबंध की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त समय है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों को, जिनका निर्वाचन पांच वर्ष के लिए किया जाता है, पांच वर्षों तक रहना चाहिए या नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 83 में उपबंध है, जिसके अनुसार लोकसभा की अवधि पांच वर्षों के लिए है। इसकी जांच और समीक्षा की जानी चाहिए। हम इसमें यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो पांच वर्ष तक बनी रहेगी। जोड़कर संशोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 में, सदन को विघटित करने की शक्ति माननीय राष्ट्रपति जी को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति जी किस आधार पर सदन को विघटित कर सकते हैं अनुच्छेद 74 में उपबंध किया गया है कि मंत्री परिषद् को राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देनी चाहिए। अवश्य ही, माननीय राष्ट्रपति मंत्री परिषद् की सलाह पर कार्य करेंगे। यदि कोई सरकार सभा में विश्वास खो देती है तब सभा विघटित नहीं की जाएगी बल्कि सरकार को जाना होगा। केवल जब कोई सरकार सभा के विघटन की सिफारिश करती है तभी सभा को विघटित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण धन विधेयक या अन्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति मंत्री परिषद् के पास है। सभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के नेता द्वारा लाया जाता है परन्तु विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के अनुदेश और सलाह पर रखा जाता है। यदि ऐसा ही है, जब मंत्री परिषद् सभा के विघटन की सिफारिश पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पहले या तो मध्यावधि में या एक-चौथाई अवधि में - राष्ट्रपति से करती है तो लोक सभा में संसद सदस्य या विधानसभा में विधायक क्यों नहीं सभा में सभा के विघटन के पक्ष या विपक्ष में मतदान कर सकते हैं? यदि किसी विधेयक पर मंत्री परिषद् की राय भिन्न होती है या वह राष्ट्रपति को पुनः सिफारिश करती है और भारत का राष्ट्रपति उसे स्वीकार नहीं करता और विधेयक को सरकार के पास उसे सभा में शक्ति प्रदर्शन करने को कहते हुए वापस कर देता है तब सभा ही निर्णायक होगी। इसी प्रकार सभा को निर्णय लेना चाहिए कि वह पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले चुनाव चाहती या नहीं। इसी प्रकार का उपबंध राज्य विधानसभाओं के लिए भी किया जाना चाहिए।

हमारे यहां पंचायत और नगरपालिका के लिए पांच वर्षों का कार्यकाल है। वहां भी इन शब्दों का उपयोग किया गया है 'यदि पहले ही विघटित नहीं की जाती है'। उस मामले में भी विघटन करने की शक्ति पंचायत के पास होनी चाहिए। कोई सरकार पांच वर्षों के लिए रहे या न रहे परन्तु निर्वाचित प्रतिनिधियों को पांच वर्षों के लिए रहना चाहिए। आज, सभी जगहों पर अनिश्चितता है। कोई सरकार कितना अच्छा कार्य करती है यह किसी दल पर निर्भर करता है। परन्तु आज कई दल इसमें शामिल हैं। यह उपयुक्त समय है जब हमें बार-बार चुनाव में जाने से बचना चाहिए।

यदि बार-बार चुनाव नहीं होंगे तो हम न केवल पैसे बचाएंगे बल्कि हमें मतदाताओं को प्रत्येक वर्ष मतदान करने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

मैं 17 अप्रैल, 1999 को जो हुआ उसका उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय मैं मुख्य मंत्री था। मैं आया और मतदान किया। यदि मैंने मतदान नहीं किया होता तो यह दल बदल रोधी अधिनियम के अंतर्गत दल बदल कहलाता। ऐसा इसलिए क्योंकि दल बदल केवल उस वक्त लागू नहीं होता जब आप दल बदलते हैं बल्कि इस अधिनियम के अनुसार यदि आप मतदान से अनुपस्थित रहते हैं या यदि आप दल के निर्देशों के अनुसार मतदान नहीं करते हैं तो यह दल बदल कानून के दायरे में आ जाएगा। मेरे से पहले भी कई मुख्यमंत्री आए और मतदान किया। परन्तु मुझे यह कहते हुए बहुत संकोच हो रहा है कि लोकसभा में मेरे एक मत के कारण सरकार गिर गई। मैं यह कहना चाहूंगा कि लोक सभा का विघटन मेरे मत के कारण नहीं हुआ था क्योंकि सभा के विघटन में छह से सात दिनों का समय लगा। सरकार एक मत कम प्राप्त होने के कारण पराजित हुई। मुझे लोगों ने पराजित नहीं किया है। इस सदन में मेरा यह नौवां कार्यकाल है। मैंने कभी अपने दल को नहीं छोड़ा है। अत: मेरे लिए यह उचित नहीं होता यदि मैंने उस वक्त अपना मत नहीं दिया होता। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जल्दी-जल्दी चुनाव होना इस देश का नियमित भाग बन गया है। आज सरकार की कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन देश की संसद और विधान सभाओं हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल के संबंध में अनिश्चितता क्यों?

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार का निर्वाचन निश्चितरूप से लोगों द्वारा किया जायेगा और सरकार लोगों के लिए कार्य करेगी। सरकार हमेशा यह दिखाने का प्रयास करेगी कि यह लोगों के लिए है। लेकिन सरकार क्या है? कोई भी सरकार लोगों को स्वीकार्य होनी चाहिए, उनके प्रति उत्तरदायी हो और उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। उसी प्रकार हमारे लोक प्रतिनिधियों अर्थात् संसद सदस्यों, विधायकों और अन्य वर्ग के प्रतिनिधि भी लोगों को के लिए स्वीकार होने चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तथा जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। आज हम पाते हैं कि केंद्र में और साथ ही राज्यों में भी अस्थिरता बढ़ रही है। अब समय आ गया है कि हम "जब तक कार्यकाल से पहले भंग न हो जाएं" जैसे शब्दों को समाप्त कर दें और संविधान में संशोधन करके निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्षों तक जारी रखें। उन्हें किसी विधान सभा अथवा संसद का पांच वर्षों तक सदस्य रहने दिया जाए चाहे सरकार हो अथवा नहीं। स्थिति यह है कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन कभी भी लागू नहीं हो सकता। यदि कोई सरकार पराजित होती है अथवा वह त्याग पत्र दे देती है तो यह अधिक समय तक नहीं चल सकती है। अत: संविधान का यह उपबंध सर्वाधिक उत्तम है, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। यह मेरे दल अथवा अन्य सदस्यों का विचार नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज संविधान की व्याख्या करना आवश्यक है। जब तक हम इस अड़चन को दूर नहीं कर लेते हैं चुनाव बारंबार होते रहेंगे। जब तक इस बारे में कोई अधिनियम नहीं होगा मतदाताओं को विधान सभाओं, संसद और तीसरे स्तर की सरकार अर्थात पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए बारंबार मतदान करना होगा।

संसद, विधान सभाओं और पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए तीन मतदाता सूचियां है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए अलग मतदाता सूची है। अत: केवल एक मतदाता सूची होनी चाहिए जिसके आधार पर तीनों संवैधानिक सरकारें बनाई जा सकें। अत: मतदाता सूचीयों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम इस बात पर विचार करें कि देश में बारंबार होने वाले चुनाव से किस प्रकार से बचा जा सकता है। यदि हम इससे नहीं बचेंगे तो चारों ओर अस्थिरता का माहौल होगा।

ऐसा कोई उपबंध न होने के कारण सरकार या तो सहयोगी दलों पर निर्भर रहेंगी या बहुदलीय सरकार होगी अथवा अस्थिर और कमजोर सरकार होगी अथवा अक्षम वैकल्पिक सरकार होगी। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के पूर्व शासन काल में नहीं थी। इसकी शुरुआत केंद्र में गैर कांग्रेसी शासन काल के दौरान हुई। ऐसी गठबंधन सरकार के कारण विश्वास प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव को बढ़ावा मिला है। मेरे पास इस संबंध में रोचक आंकड़ा है। अब तक सरकार द्वारा 11 विश्वास प्रस्ताव और विपक्ष द्वारा 26 अविश्वास प्रस्ताव लाये गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए हैं। अविश्वास प्रस्तावों का लाया जाना स्वयं इस बात को इंगित करता है कि ऐसी सरकारें कितनी स्थिर हैं अथवा सहयोगी दलों पर उनकी निर्भरता कितनी है। ऐसी स्थिति में जब कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है और यह दिखाना होता है कि इसे सदन के सदस्यों का बहुमत प्राप्त है।

आज राज्यों में भी एक दल का शासन लगभग नहीं है। लेकिन केंद्र की विद्यमान सरकार निश्चितरूप से अपना कार्यकाल पूरा करेगी क्योंकि इसका राजनीतिक प्रबंधन कुशल है और इसे अन्य राजनीतिक दलों से समर्थन प्राप्त है। अपने सहयोगियों पर निर्भर सरकार अथवा बहुदलीय सरकार को चलाना ज्यादातर सरकार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह

[श्री गिरिधर गमांग]

निश्चित नहीं है कि क्या हम अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसी अनिश्चितता को अधिक समय तक जारी रख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप न केवल हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हानि होगी बल्कि समय के साथ-साथ लोग लोकतांत्रिक प्रणाली और निर्वाचित प्रतिनिधियों में अपना विश्वास खो देंगे राज्यों में स्थिति थोड़ी भिन्न है। राज्य की व्यवस्था सरकार के बिना कई महीने तक चल सकती है, लोकेन केंद्र की स्थिति भिन्न है। अब समय आ चुका है कि हम यह सोचें कि हम इसमें कैसे सुधार ला सकते है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू हो सके और बारंबार आम चुनाव से बचा जा सके। लोक सभा के लिए केवल पांच वर्षों के पश्चात ही चुनाव कराए जाने चाहिए और मध्यावधि चुनाव नहीं होने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप कृपया अपनी स्थान पर वापस जाइए। आपको अध्यक्षपीठ से पूर्वानुमति लेनी होगी और आप अपने स्थान से ही अपनी बात कह सकते हैं।

अपराह्न 03.48 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी, कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए, इसके लिए हमारे माननीय सदस्य श्री बच्ची सिंह रावत जी, ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: विधेयक पर चर्चा हेतु आबंटित समय समाप्त हो चुका है। अब यदि सभा सहमत हो, तो हम विधेयक पर चर्चा हेतु समय में आधे घंटे की वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विधेयक को लाने वाले माननीय सदस्य आज सभा में उपस्थित भी नहीं है। अत: हम समय में आधे घंटे की वृद्धि करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: सभापति महोदय, हमारे देश में लोकतंत्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई। डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान तैयार हुआ, तब से हमारे देश में लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसा माना जाता है। हमारे देश के लोगों की वोटिंग का प्रतिशत देखा जाए तो वह बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ जगहों में तो यह 25-30 प्रतिशत से अधिक नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए और कम्पलसरी वोटिंग के बारे में सोचना चाहिए। पांच साल में वोटिंग बड़े आदमी और छोटे आदमी, सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में वन मैन, वन वोट, वन वैल्यू का सिद्धांत है। हमारे लोकतंत्र में उद्योगपति, गरीब या मध्यम वर्ग, सभी के वोट की समान वैल्यू है।

इसलिए जब भी इलैक्शन होते हैं तब हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, इस तरह का कम्पलशन करने की आवश्यकता है। जैसा आपने कहा, 1998 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब मैं भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से संसद सदस्य था। आप मुख्य मंत्री थे और यहां वोटिंग के लिए आए थे। हम चाहते थे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हट जाए। इसका मतलब यह था कि हमें सरकार बनानी है। हम श्री वाजपेयी की सरकार को हटाने में कामयाब हो गए। आडवाणी जी को भी यह नहीं लगा था कि हम हारने वाले हैं, लेकिन अंदर से हमें मालूम था कि हम उनको हराने वाले हैं क्योंकि आप अपने राज्य से वोटिंग करने आए थे। इसलिए एक सदस्य के वोट डालने से अचानक श्री वाजपेयी की सरकार हार गई। मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूं कि कोई भी सरकार पांच साल तक चलनी चाहिए। अगर हमने एक सरकार को हटाना है तो दूसरी सरकार बननी चाहिए। लेकिन उस समय हम अपनी सरकार नहीं बना पाए। अगर किसी पार्टी को मेजौरिटी नहीं मिलती, वह सरकार नहीं बना सकती, तो राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए जो पांच साल तक चले। इसके लिए कौन्सटीट्यूशन में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

वोटिंग पार्टी के नाम पर होनी चाहिए। मेरी पार्टी छोटी है। वोटिंग कैंडीडेट के नाम पर होती है, लेकिन अगर पार्टी के नाम पर वोटिंग हो और महाराष्ट्र में हमारी पार्टी चुनाव लड़े तो उसे 11-12 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हमारा एक भी कैंडीडेट चुनकर नहीं आ सकता। मेरा सुझाव है कि कैंडीडेट के नाम पर वोटिंग करने के बजाए अगर पार्टी के नाम पर वोटिंग हो, तो हर पार्टी को वोटिंग का जितना प्रतिशत मिलता है, उतने कैंडीडेट नौमीनेट करके वह पार्टी हाउस में ला सकती है। कौन्सटीट्यूशन में नया अमैंडमैंट करने की आवश्यकता है। यह मेरा सुझाव है।

बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बार वोटिंग करते हैं लेकिन अगली बार वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं होता। कुछ लोगों के पास आइडैंटिटी कार्ड होता है, लेकिन उनका नाम

वोटिंग लिस्ट में नहीं होता। इसलिए इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। भारत का नागरिक होने के बाद भी व्यक्ति को अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। इसके लिए भी नया प्रावधान हो सकता है। हर व्यक्ति को चुनाव में वोटिंग करने का अधिकार है। उन्हें उनके कौन्सटीट्यूशनल अधिकारों से वंचित रखना ठीक नहीं है। जो व्यक्ति कम्पलसरी वोटिंग नहीं करेगा, उसे सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। बड़े-बड़े लोग लोकतंत्र का फायदा उठा रहे हैं, देश की आजादी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास एक दिन वोट डालने के लिए आधे घंटा का भी समय नहीं है। जो बड़े लोग वोटिंग नहीं करते, उनके लिए ऐसी सजा का प्रावधान हो, जिससे उन्हें अगली बार वोटिंग के लिए जाना ही पड़े।

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल को सरकार की तरफ से लाया जाना चाहिए। कम्पलसरी वोटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो कम्पलसरी वोटिंग करनी चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): महोदय, मैं श्री बच्ची सिंह रावत का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सर्वोच्च सदन का ध्यान अनिवार्य मतदान करने के प्रश्न पर आकृष्ट करने हेतु इस सभा में 9 जुलाई, 2004 को अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया है। विधेयक का उद्देश्य चुनावों में मतदान को कतिपय छूट के अध्यधीन अनिवार्य बनाना, मतदान नहीं करने वाली पर शास्ति अथवा दंड अथवा दोनों लगाना और उन व्यक्तियों जो अपनी बीमारी अथवा शारीरिक निःशक्तता के बावजूद चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करते हैं अथवा इस अधिनियम से पूर्व के 20 वर्षों में सभी चुनावों में हर बार मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं, के बच्चों को रोजगार और उच्च तकनीकी शिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश देने में वरियता देने अथवा अन्य प्रोत्साहन देने जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, को प्रोत्साहन देने का है।

माननीय सदस्य ने विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन में संक्षेप में इसके कारण बताये हैं। उद्देश्यों और कारणों के कथन में निम्नवत कहा गया है:

"सभी चुनावों में यह एक बहुत दुखद पहलू सामने आया है कि वास्तविक रूप से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या पात्र मतदाताओं से बहुत कम होती है। औसत मतदान लगभग पचास प्रतिशत होता है। नागरिकों की जिम्मेदारी के प्रति यह सुस्पष्ट टिप्पणी है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के भाग्य का फैसला पचास प्रतिशत मतदाताओं के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। चूंकि समय-समय पर होने वाले मतदान की प्रवृत्ति ने बता दिया है कि मतदान करने वाले लोगों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, अतः यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि सभी नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अपने प्रभुत्वसंपन्न अधिकार का प्रयोग करें ताकि चुनावों से समस्त मतदाताओं की इच्छा प्रतिबिम्बित हो सके न कि केवल मतदाताओं के कुछ भाग की। पिछली कुछ लोक सभाओं के आम चुनावों से यह पता लगता है कि कई राज्यों में मतदान का प्रतिशत 40 प्रतिशत से भी कम रहा और कई मामलों में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और इस प्रकार जानबूझकर मतदान नहीं किया।

मतदान की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाता के लिए मतदान करना अनिवार्य बनाना और केवल उन्हीं मामलों में छूट देने का उपबंध करना है जहां पर मतदाता गंभीर प्रकृति की बीमारी के कारण शारीरिक रूप से अशक्त है अथवा मतदाता के पास ऐसा करने के लिए वास्तविक कारण मौजूद हैं।

चूंकि इस उपबंध को अनिवार्य बनाया जा रहा है इसलिए निर्वाचनों में मतदान न करने वालों को दंड दिए जाने की मांग की गई है। तथापि, उन लोगों को प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव किया गया है जो निर्वाचनों में अपनी बीमारी के बावजूद या लगातार मतदान करते हैं।"

विधेयक के खंड 2 में चुनावों में मतदान को अनिवार्य बनाने का उपबंध है। इस संदर्भ में मैं चुनाव सुधार संबंधी समिति 1990 जिसे सामान्यतया चुनाव सुधार हेतु विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त दिनेश गोस्वामी समिति के रूप में जाना जाता है, की सिफारिशों पर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। समिति ने चुनावों में मतदान के लिए प्रतिशत के कारणों और उपचारात्मक उपायों की जांच की। इस संबंध में समिति ने "मतदान को अनिवार्य बनाने" के प्रश्न पर भी विचार किया। तथापि इस विचार को इसके कार्यान्वयन में शामिल व्यावहारिक कठिनाइयों और समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त विरोधाभासी विचारों के कारण स्वीकार नहीं किया गया।

अब मैं अनिवार्य मतदान की प्रणाली के विरुद्ध कुछ तर्कों का उल्लेख करूंगा। यह सच है कि अधिकतर नागरिक चुनावों में भारी मतदान कर देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है किन्तु यह भी उतना ही सच है कि किसी नागरिक द्वारा इस प्रक्रिया में ऐसी भागीदारी किसी दबाव पर आधारित न होकर उसकी अपनी इच्छा शक्ति पर आधारित होनी चाहिए। मतदान के लिए लोगों पर दबाव डालना अलोकतांत्रिक है क्योंकि इससे उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा।

[श्री के. वेंकटपति]

अपराह्न 4.00 बजे

यदि मतदान को अनिवार्य कर दिया जाए तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है और वे लोग जिनकी राजनीति में रूचि नहीं है, तो उन लोगों को भी अनिवार्य रूप से मतदान करना पड़ेगा। अनिवार्य मतदान से डंकी मत अर्थात खराब मतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है जिनकी गिनती नहीं की जाती है। तथापि यह तर्क इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान के मामले में संगत नहीं होगा।

अनिवार्य मतदान से अवैध मतों-बैलेट पत्रों की संख्या बढ़ सकती है जो मतदान हेतु नियमों के अनुसार चिन्हित नहीं हैं। तथापि यह तर्क इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान के मामले में ठीक नहीं लगता। अनिवार्य मतदान में यह निर्धारित करने के लिए कि जो लोग मतदान करने में विफल रहे उनके पास इसके लिए वैध और पर्याप्त कारण हैं और ऐसे लोगों के मामले हैं जिन्हें प्रोत्साहन दिए जाने हैं अतिरिक्त संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा।

चुनाव सुधारों पर विचार करने के लिए 22 मई 1998 को हुई राजनीतिक दलों की बैठक में यह मुद्दा कार्यसूची का एक भाग था। बैठक में मतदान को अनिवार्य न बनाने का निर्णय लिया गया चूंकि इसका कार्यान्वयन कठिन है।

माननीय सदस्य ने ऐसे लोगों जो अपना मत देने में विफल रहते हैं, के संबंध में दंड, जुर्माना आदि के लिए विधेयक के खंड तीन में उपबंध करने की मांग की है। एक ओर ऐसे उपबंध से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हो सके और भारतीय संविधान के अन्तर्गत यह कानूनी रूप से भी मान्य नहीं हो सकता जब तक निषेधात्मक मतदान की अवधारणा को भी न लाया जाए। पुरस्कार हेतु यह उपबंध, जैसाकि विधेयक के खंड चार में अन्तर्विष्ट है, अन्ततः प्रति उत्पादक भी सिद्ध हो सकता है और इसका दुरुपयोग होने की संभावना है।

सर्वश्री के.एस. राव, भर्तृहरि महताब और कैलाश मेघवाल ने मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए श्री रावत द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन किया। सर्वश्री बसुदेव आचार्य, मोहन सिंह, पवन कुमार बंसल, हन्नान मोल्लाह, सी.के. चन्द्रप्पन, राजेश मिश्रा, शैलेन्द्र कुमार, आलोक कुमार मेहता, टोकचोम नैन्या, खारबेल स्वाई और सुश्री ममता बैनर्जी ने विधेयक का विरोध किया है। श्री गिरिधर गमांग और श्री रामदास आठवले ने भी अपनी राय व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन विधेयक के विषय पर मान्य सदस्यों द्वारा व्यक्त विचार निषेधात्मक मतदान, कठिन क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की बेहतर स्थिति, मतदाता सूची से नाम हटाना और सामान्यतया चुनाव सुधार की आवश्यकता जैसे कुछ मुद्दे भी वाद-विवाद में भाग लेते समय उनके द्वारा उठाए गए हैं।

इस संबंध में मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार चुनावों में राज्य के वित्तपोषण को सच्ची भावना से देखती है जैसाकि स्वर्गीय श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में चुनावों में राज्य के वित्तपोषण संबंधी समिति द्वारा सिफारिश की गई है और इसे चुनाव सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखती है जो चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने वाली अनेक समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटेगा। जहां तक निषेधात्मक मतदान का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया है कि निर्वाचन के संचालन संबंधी नियम 1961 के नियम 22 और 49ख में एक परन्तुक जोड़कर उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है कि बैलेट पेपर और बैलेट एककों पर विवरण में, उम्मीदवार के नाम से संबंधित कॉलम में अन्तिम उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि के बाद 'उपर्युक्त में कोई नहीं' कॉलम होगा ताकि मतदाता यदि वह ऐसा करना चाहे तो सभी अभ्यार्थियों को अस्वीकार कर सके। यह मुद्दा भी 2004 की रिट याचिका सं. 161-पी.यू.सी.एल. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में विचार हेतु लम्बित है।

निर्वाचन कानूनों और अन्य संबंधित मामलों के सुधारों/परिवर्तनों की प्रक्रिया एक सतत और चलने वाली प्रक्रिया है और इस कार्य को राजनीतिक दलों के बीच मतैक्य के माध्यम से किया जा सकता है। चूंकि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है इसलिए इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, कुछ सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से कतिपय उदाहरण उद्धृत किए हैं जहां चुनाव प्रणाली उचित ढंग से काम नहीं किया है, उदाहरणार्थ, मतदाता सूची से नामों को हटाना अथवा कुछ लोगों अथवा मतदाताओं को उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे मुझे अपेक्षित विवरण लिखित रूप में दें ताकि उस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श किया जा सके।

अब, मैं इस प्रस्ताव के अच्छे पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। कोई निर्वाचक चुनाव में कई कारणों से मतदान करना नहीं चाह सकता है। वह अपने क्षेत्र में विकासात्मक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता है या किसी विशेष चुनाव में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आचरण से वह संतुष्ट नहीं हो सकता है। हाल के ही ऐसे उदाहरण हैं जहां पिछले चुनावों में पूरे के पूरे गांव ने संबंधित क्षेत्रों में विकास न होने के कारण

विरोध स्वरूप चुनावों का बहिष्कार किया। ऐसे मामलों में मतदान न किये न जाने का उद्देश्य उस विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कराना होता है। असल में, नकारात्मक मतदान के प्रावधान की अनुपस्थिति में, मतदाताओं द्वारा उठाएं जाने वाले ऐसे कदमों को भी उन्हें प्रभावित कर रहे विभिन्न मुद्दों और समस्याओं की ओर संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक लोकतांत्रिक पद्धति ही माना जाता है। यह भी सत्य है कि एक निर्वाचक मतदान ऐसे कारणों से भी नहीं कर सकता है जो उसके नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे बीमारी, मतदान स्थल तक पहुंचने में उसकी अक्षमता, अपरिहार्य आवश्यक कार्यों की वजह से या दबाव की राजनीति के कारण जिसका राजनीतिक दलों या समूहों द्वारा इन दिनों चुनावों में प्रायः उपयोग किया जाता है जिसे 'बाहुबल' के नाम से जाना जाता है।

इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करेगी। परन्तु, ऐसी भागीदारी लोगों के बीच से स्वतः निकलकर आनी चाहिए बजाए इसके कि उन पर दबाव डालकर या लालच देकर ऐसा करने के लिए कहा जाए। इस संबंध में लोगों को कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना ही प्रेरित करेगी और कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की यही भावना लोगों को मतदान केन्द्रों पर बड़ी संख्या में लाने के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी। लोगों को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा और यही सचेतना उनके सभी कार्यों को दिशा देगी जिसमें चुनावों में मतदान भी शामिल है। तथापि, कम मतदान प्रतिशतता के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां पूर्ण बहिष्कार की इक्का-दुक्का घटनाओं को छोड़कर सभी चुनावों में मतदाता मतदान केन्द्रों पर बड़ी संख्या में अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए भी अपना मत देने के लिए आए हैं। तथापि, निर्वाचन आयोग लोगों को उनके बहुमूल्य मत का महत्व समझाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता रहा है। निर्वाचन आयोग प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी कर लोगों को 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। ऐसे उपायों से कम से कम लोगों की चेतना को जागृत करने में सहायता मिलती है। अंततः वे इस उद्देश्य को मतदान केन्द्रों पर अत्यधिक उपस्थिति सुनिश्चित कर प्राप्त कर सकते हैं।

उन परिस्थितियों में जिनके बारे में मैंने विस्तार से बताया, मुझे लगता है कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि लोग इस अवसर के महत्व को समझें और समय की जरूरत के अनुसार कार्य करें बजाए इसके कि अनिवार्य मतदान के लिए कानून बनाया जाए। इसलिए, इस विधेयक का इसके वर्तमान स्वरूप में या किसी संशोधन के साथ समर्थन करना संभव नहीं है। चाहे कुछ भी हो, इस संबंध में, राजनीतिक दलों/समूहों और स्वैच्छिक अभिकरणों को लोगों को उनके मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देना है। सरकार की भूमिका सभी क्षेत्रों में विकासात्मक क्रियाकलापों की गति को बढ़ाना है ताकि लोगों को उनकी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाई जा सके और उन्हें वे अपनी राष्ट्रीय पहचान से जुड़े बड़े मुद्दों के बारे में सोचें। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इसका उपचार कानून की किताब में एक और कानून जोड़ना नहीं है जो सिर्फ अलंकारिक के रूप से ही बेहतर हो सकता है बल्कि लोगों को उनके मत का मूल्य समझाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु ठोस और प्रभावी उपाय करने में है। लोगों में यह जागृति ही केवल अपेक्षित परिणाम दे सकती है।

मैं एक बार पुनः माननीय सदस्य को कतिपय निर्वाचन कानूनों पर जीवंत चर्चा कराने और हमारा ध्यान हमारे लोकतांत्रिक कार्यकरण के महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। तथापि, मैं माननीय सदस्य से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक वापस ले लें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू चुनाव सुधार है। आपने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार चुनाव सुधार करेगी। आपने यह उल्लेख भी किया कि सरकार की राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक- शायद नब्बे के दशक में हुई थी।

क्या मंत्री जी इस सभा को अभी आश्वस्त कर सकते है - चूंकि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं - कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार इसके समक्ष मौजूद विभिन्न रिपोर्टों पर आधारित चुनाव सुधारों के इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक निकट भविष्य में बुलाएगी?

श्री के. वेंकटपति: जी हां, अवश्य। जब कभी भी यह प्रस्ताव आएगा, हम इस पर विचार करेंगे, हम सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करेंगे। हम वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे। सभी राजनीतिक दलों के विचारों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: ऐसा राजनीतिक दलों द्वारा मांग करने पर ही किया जाए, जरूरी नहीं है। सरकार स्वतः ही एक बैठक बुला सकती है क्योंकि जहां तक लोकतंत्र का संबंध है यह एक ज्वलंत मुद्दा है।

श्री के. वेंकटपति: जी हां, हम चुनाव सुधारों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। हम एक बैठक बुला सकते हैं। हम इस पर चर्चा कर किसी सहमति पर पहुंच सकते हैं।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कुछ कहना चाहूंगा। चुनाव सुधारों पर इस सत्र में ही नियम 193 के अधीन चर्चा केरानी है। अब मैं अध्यक्षपीठ से उनके अधिकार का उपयोग करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह चर्चा नियम 193 के अधीन भी हो।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): सभापति जी, मैं अभी हुई डिस्कशन सुन रहा था और मैंने माननीय मंत्री जी के विचार भी सुनें। इस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो चीजों कहना चाहता हूं। एक तो जो कंप्लसरी वोटिंग में दिक्कत आती है वह पोलिंग बूथ के दूर होने के कारण आती है। इसलिए माननीय मंत्री जी इलेक्शन कमीशन से कहें कि पोलिंग बूथ की दूरी एक किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरे, पिछली बार के इलेक्शन में हमने देखा कि वोटर कार्ड होने के बावजूद भी वोटर का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, जिसके कारण वोटर अपना वोट नहीं डाल पाया। इसलिए अगर किसी के पास वोटर कार्ड हो तो उसे वोट डालने के अधिकार से वंचित न किया जाए और वोटर लिस्ट जो बनती है वह इस तरह से बनें जिसमें गड़बड़ी न हो और वोटर का नाम उसमें हो। होता यह है कि लाल पैंसिल से वोटर का नाम काट दिया जाता है जिससे लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री के. वेंकटपति: हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को नजदीक के मतदान केन्द्रों पर मत देने की सुविधा दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: एक बार जब मंत्री उत्तर दे देता है तो उसके बाद कोई प्रश्न पूछने का उपबंध नहीं है। श्री बची सिंह रावत - इस विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता - भी उपस्थित नहीं हैं। अतः, हम इसे सभा में मतदान करने के लिए रखते है।

प्रश्न यह है:

"कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम मद 31 पर चर्चा करेंगे।

श्री इकबाल अहमद सरडगी - उपस्थित नहीं।

अपराह्न 4.15 बजे

(चार) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2004

(धारा 2 आदि का संशोधन)

सभापति महोदय: अब, सभा मद संख्या 32 पर विचार करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, 2 अक्तूबर 1975 को पांच प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुए तीन दशक हो चुके हैं। इन पांचों प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश के अंतर्गत हुई थी। क्योंकि उस समय भारत सरकार ने यह सोचा कि कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने, ग्रामीण दस्तकारों को ऋण प्रदान करने, सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए कोई अलग बैंक, ग्रामीण बैंक होना चाहिए। वर्ष 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना किए जाने का उद्देश्य ग्रामीणों और किसानों की सहायता करना था।

सत्तर प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इसमें से बहुसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। हमारे पास ग्रामीण उद्योग और परम्परागत उद्योग हैं। हमारे यहां लाखों ग्रामीण दस्तकार और बुनकर हैं। भारत सरकार ने महसूस किया कि लोगों विशेषकर जो कृषि क्षेत्र में हैं और जो लोग ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में हैं, की सहायता करने के लिए कोई संस्थागत तन्त्र होना चाहिए।

महोदय, अध्यादेश के प्रख्यापन से पहले, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना से पहले एक कार्य दल का गठन किया गया था और उस कार्य दल ने 31 जुलाई 1975 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उस कार्य दल ने राज्य द्वारा प्रायोजित क्षेत्र आधारित ग्रामीण वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना करने की सिफारिश की जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, स्थानीय भावनाओं और ग्रामीण समस्याओं के साथ समन्वय, कम लागत और व्यावसायिक अनुशासन के साथ जमाराशियों के संग्रहण का सामर्थ्य और केन्द्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच और वाणिज्यिक बैंकों के आधुनिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाएगा। एक अर्थ में यह वाणिज्यिक बैंकिंग संस्कृति और ग्रामीण भावनाओं को एक साथ मिलाने का प्रयोग था। यह वह

मूल आधार है या यह मुख्य उद्देश्य था जिसके लिए 1975 में इन ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी अर्थात वाणिज्यिक बैंकिंग संस्कृति को ग्रामीण भावनाओं के साथ मिलाना था।

जैसा कि समझा जाता था इस नयी संस्था की भूमिका ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद वित्तीय संस्थानों के अस्तित्व को बनाए रखते हुए उनके अनुपूरक के रूप में कार्य करने की थी यह सोचा गया था कि इस संस्थान के माध्यम से संसाधन जुटाकर और उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में लगाकर क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जाएगा।

यह परिकल्पना की गयी थी कि ये बैंक प्रारम्भिक रूप से छोटे एवं सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों, छोटे व्यावसायियों और ग्रामीण समाज के गरीब तबके को उनकी उत्पादक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और कुछ हद तक उनकी उत्पादन संबंधी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ग्रामीणोन्मुखी लेकिन वाणिज्यिक सोच के साथ इस नयी संस्था के गठन का यही उद्देश्य था।

1969 से पहले हमारा बैंकिंग क्षेत्र निजी क्षेत्र में था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 1969 से 1975 तक शाखाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई। 1969 से पहले बैंक धनी व्यक्तियों के लिए थे। अतः इन बैंकों को जनता बैंक में बदला गया। बैंक की पहुंच जनता तक होनी चाहिए न कि लोग बैंकों तक आएंगे। वर्ष 1969 से 1975 की अवधि के दौरान हमारे क्या अनुभव रहे? हालांकि प्राथमिकता क्षेत्र की पहचान की गई थी, उस समय लक्ष्य यह था कि 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में दिया जाना चाहिए फिर भी इन उद्देश्यों के बावजूद, राष्ट्रीयकरण के बाद भी, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने महसूस किया कि ग्रामीण लोगों, छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, और लाखों ग्रामीण दस्तकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग ऋण प्रदाता संस्था होनी चाहिए जिसका मुख्य उद्देश्य इन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

महोदय, हम बहुत आगे आ चुके हैं। तीस वर्ष कम समय नहीं होता है। तीन दशक बीत चुके हैं। हमने अनुभव प्राप्त किए है। 5 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से आज हमारे पास 196 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक हैं। आज - हमारे पास प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की 14000 से अधिक ग्रामीण शाखाएं हैं। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में कुल जमा 62000 करोड़ रुपये से अधिक है और आज उनके द्वारा दिया गया कुल ऋण 32,000 करोड़ रुपये है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में एनपीए 12.5 प्रतिशत है। वास्तव में अनेक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं।

लेकिन अधिसंख्यक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक जो घाटे में चल रहे थे आज लाभ अर्जित कर रहे हैं। लेकिन अलग ग्रामीण ऋण संस्था की स्थापना के पीछे मुख्य प्रेरणा केवल लाभ ही नहीं था।

अधिनियम के अधिनियमन के एक दशक बाद श्री केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने कतिपय सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों के आधार पर प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया था। लेकिन हमने देखा कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में दो या तीन बार संशोधन किया गया है फिर भी गत 30 वर्षों के दौरान प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

आज प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के समक्ष क्या बाधाएं हैं? ये अनेक बाधाओं का सामना कर रहे हैं यथा (क) 'इकोनामिज् आफ स्केल' की प्राप्ति के लिए उनके पास संचालन का क्षेत्र सीमित है और उनका कार्यक्षेत्र स्थानीय है (ख) प्रवर्तक बैंकों और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के दबंग दृष्टिकोण के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्वायत्तता कमजोर हो गई है, (ग) प्रति राजसहायता के लाभों को प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं है; और (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए समान अवसरों का अभाव है और उन प्रवर्तक बैंकों के साथ असमान प्रतियोगिता है जो उनके स्वामी हैं, बैंकों की नीति बनाते हैं और उत्पादों का विपणन करते हैं।

स्वायत्तता केवल कागजों पर है। यह पूर्णतः प्रवर्तक बैंकों द्वारा नियंत्रित है बल्कि प्रवर्तक बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का शोषण कर रहे हैं। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के ऋण उत्पादों के उपभोक्ता विरोधी और महंगे ऋण उत्पादों जैसा कि उन नियुक्त अधिकारियों द्वारा बनाया गया है जो प्रवर्तक बैंकों के है जिसके कारण ऋण लेने की दर बहुत कम है, और कभी कभी यह नकारात्मक होती है और इसके परिणामस्वरूप प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की निधियां प्रवर्तक बैंकों के माध्यम से तीव्र गति से शहरी क्षेत्रों में चली जाती हैं। संसाधन जुटाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से और निधियों का उपयोग शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। यह नोट किया जा सकता है कि किसी प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की 62000 करोड़ रुपये की जमा में से 37000 करोड़ रुपये के लगभग गांवों से प्रवर्तक बैंकों के बाण्डों, प्रतिभूतियों और आवधिक जमा लेखाओं के निवेश के रूप में लिए गए हैं। यह मुख्य समस्या है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को प्रवर्तक बैंकों से केवल 500 करोड़ रुपये मिले हैं। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से 37,000 करोड़ रुपये लिए गए हैं और प्रवर्तक बैंक से केवल 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं, और अब तक उनके ऋण क्रियाकलापों के लिए नाबार्ड से

[श्री बसुदेव आचार्य]

4,200 करोड़ दिए गए हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है जिसे रोका जाना चाहिए।

अनेक समितियां गठित की गई थीं। एक समिति वर्ष 2001 में श्री एम.ए.एस. चलपति राव की अध्यक्षता में गठित की गई थी। वह प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में संशोधनों का सुझाव देने वाली समिति के सभापति थे।

उस समिति ने पैरा 2.7.1 में टिप्पणी की:

"31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार 196 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों देश के लगभग 500 जिलों को कवर करते थे जो देश के 23 जिलों में फैले हुए थे। तथापि दिल्ली, गोवा, सिक्किम और अण्डमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव, लक्षदीप एवं पाण्डिचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक सेवा नहीं दे रहे हैं। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक शुरू में एक या दो जिलों में स्थापित किए गए थे और वे उनके कार्य क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए थे। उसके परवर्ती चरणों में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को देश के अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रत्येक राज्य में एक बैंक के हिसाब से की गई और केवल असम में 5 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अस्तित्व में है। तथापि, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बहुत बड़े हिस्से में कोई प्रादेशिक ग्रामीण बैंक नहीं है और विभिन्न अन्य राज्यों के कतिपय जिले प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सेवाओं से वंचित हैं क्योंकि शुरू में उन जिलों जिनमें जनसंख्या के अनुपात में बैंक की शाखाओं का अनुपात अनुकूल था, वहां पर प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोलने हेतु विचार नहीं किया गया। इन मुद्दों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के बदलते हुए परिवेश को भी ध्यान में रखते हुए, कार्य दल सिफारिश करता है कि बैंकिंग नेटवर्क का ध्यान दिए बगैर देश के सभी जिलों को क्षेत्रीय प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए।"

इसका अर्थ है कि निरन्तरता, और भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा न केवल निरन्तरता की बल्कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्य क्षेत्र के विस्तार की भी सिफारिश की गई है। केवल क्षेत्र का विस्तार ही नहीं हो बल्कि उन क्षेत्रों जहां प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सेवाएं नहीं दी जा रही है वहां उनकी सेवाएं दी जाएं और साथ ही उनमें ढांचागत बदलाव होने चाहिएं।

महोदय, अतीत में भी उस सदन में बहुत सारे सुझाव रखे गये थे। हमने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में ढांचागत परिवर्तनों के संबंध में उस मुद्दे को उठाया था और उस पर चर्चा की थी। एक सुझाव यह था कि एक ही प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, हो। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों से अलग करने के लिए सुझाव दिये गये हैं। हमारा अनुभव यह है कि प्रायोजक बैंक अपनी भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं वस्तुतः वे आर.आर.बी. का शोषण कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि 37000 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में लगा दिये गये हैं और प्रायोजक या वाणिज्यिक बैंकों ने आर.आर.बी. के प्रचालन क्षेत्रों में भी दखल दिया है। इसी कारणवश संरचनागत परिवर्तनों की जरूरत है। आर.आर.बी. की संकल्पना को दृढ़ करने की आवश्यकता है चाहे वह जिला स्तर पर हो अथवा दो या तीन जिलों के स्तर पर, जैसा कि आरंभिक अवस्था में था। ये हमारे देश में 30 वर्ष से कार्य कर रहे हैं जिससे हमने काफी अनुभव अर्जित कर लिया है। मूलभूत प्रश्न यह है कि संरचना में परिवर्तन की जरूरत है या नहीं और यही मैं जानना चाहता हूं।

महोदय, हम राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक - नाबार्ड की तरह का नहीं - के लिए क्यों जोर दे रहे हैं? हमारा सुझाव यह है।

यह एक छत्र संगठन होगा और हमारे पास राज्य-स्तरीय आर.आर.बी. होंगे जैसे कि एक बैंक उड़ीसा में, एक पश्चिम बंगाल में और इसी तरह अन्य राज्यों में। इस तरह हमारे पास 22-23 आर.आर.बी. होंगे जो स्वायत्त होंगे और प्रायोजक बैंक का आर.आर.बी. से संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की संकल्पना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के समान है। जिस प्रकार सेल के अधीन बहुत सारे इस्पात संयंत्र हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत सारी अनुषंगियां हैं। उसी प्रकार एक संगठन के अधीन बहुत सारे बैंक हो सकते हैं। यदि अलग या नया संगठन बनाने पर आपत्ति हो तो यह जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंपी जा सकती है। इससे आर.आर.बी. का पर्यवेक्षण अथवा निगरानी करने वाले प्रयोजक बैंक की भूमिका समाप्त हो जायेगी।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह कहा गया है कि ग्रामीण ऋण को दोगुना कर दिया जायेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि ग्रामीण ऋण देने की दिशा में काफी प्रगति हुई है और फरवरी 2005 में किसानों और ग्रामीण कारीगरों को ऋण प्रदान करने में 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। ग्रामीण जनता को सहायता की जरूरत है। जबकि पिछले दशक के दौरान हमने ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण में कमी को नोटिस किया है। कृषि-क्षेत्र, जिसमें सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं, में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं किंतु आज हमारे किसान आत्म-हत्याएं क्यों कर रहे हैं?

पांच वर्ष पहले हमने किसानों द्वारा आत्म-हत्याओं की 10,000, 12,000 या 13,000 घटनाएं कभी नहीं देखी थीं। किंतु आज ऐसा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल व पंजाब तक में भी किसान आत्म-हत्याएं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन संस्थाओं के कार्यकलाप कम हुए हैं। यदि हम ग्रामीण ऋण के आंकड़ों को देखें तो इस कमी को देख सकते हैं। इसी कारण किसान कर्जे के बोझ में दब गये हैं। किसान अपने उत्पादों की लाभकारी या उचित कीमतें प्राप्त नहीं कर पा रहे थे अत: वे साहूकारों से लिए गये ऋणों की अदायगी नहीं कर पा रहे थे।

इसी कारण वे आत्म-हत्या के लिए बाध्य हो गये। हमें इस स्थिति को समझना होगा। अब सरकार बदल गई है जिसका मतलब हुआ कि नीति में भी परिवर्तन होना है। इसलिए इन संस्थाओं को मजबूत करना होगा अर्थात् इन्हें उन लक्ष्यों के प्रति समर्पित करना होगा जिनके लिए 1975 में इनकी स्थापना की गई थी। यदि वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण जनता को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम होते तो इन लोगों के लिए कोई अलग बैंक स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी आवश्यकता 30 वर्ष पहले महसूस की गयी थी। आज हमें यह तय करना है और यह देखना होगा कि क्या हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाये हैं या इसके लिए अपने प्रयासों को हमें तीव्र करने की आवश्यकता है।

आज बहुत सारे लोग ग्रामीण उद्योगों, हमारा पारम्परिक उद्योग, बुनाई क्षेत्र और वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं। लाखों लोग हस्तशिल्प उद्योग में लगे हुए हैं जो कि संकट का सामना कर रहा है। यही स्थिति बुनाई क्षेत्र की है। आंध्र प्रदेश में बुनकर अपने करघों को जला रहे हैं। उन लोगों को कैसे बचाया जाय? हमारे देश में 22 करोड़ कृषि श्रमिक हैं। देश में अभी तक भूमि सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। जब तक भूमि सुधार नहीं किये जाते और ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार नहीं किया जाता तब तक तीव्र औद्योगीकीकरण नहीं हो सकता। पिछले दशक में आर्थिक विषमता बढ़ी है। एक तरफ देश में संपन्न लोग हैं दूसरी तरफ 27 करोड़ या 26 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

हमारा मुख्य लक्ष्य इन लोगों की दशा में सुधार करना होना चाहिए। इस विषय में आर.आर.बी. महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पिछले 30 वर्ष का अनुभव हमें बताता है कि इन बैंकों की संख्या 5 से बढ़कर 196 हो गयी है। अत: हमें यह देखना है कि गरीबी की दशा में सुधार कैसे किया जाय। आर.आर.बी. के पुनर्गठन में या उनको मजबूत करने में यह मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।

महोदय, आर.आर.बी. की वर्तमान संरचना में कमांड और दृष्टिकोण की एकता का अभाव है जिसकी उम्मीद स्वतंत्र, सर्वोच्च निकायों के अधीन प्रस्तावित राज्य-स्तरीय बैंकों से है। मैं वस्तुत: एन.आर.बी.आई. की तरह एक स्वतंत्र सर्वोच्च निकाय का सुझाव दे रहा हूं। ये 28 प्रायोजक बैंक 28 अलग-अलग दिशा में जायेंगे। वर्तमान प्रायोजक बैंकों की संरचना में यही समस्या है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा था कि उनका प्रायोजक बैंकों को अलग करने का विचार नहीं है। जिस स्वायत्तता की बात मैंने की है, वह विचारार्थ प्रस्तुत किये गये विधेयक के उद्देश्यों में प्रतिपादित हैं। उस समय श्री मुखर्जी वित्त मंत्री थे। आर.आर.बी. विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था:

"प्रायोजक बैंकों को न केवल ग्रामीण बैंकों को शेयर पूंजी प्रदान करके अपितु उनके कार्यकरण के प्रथम वर्ष में कार्मिकों की भर्ती और प्रशिक्षण प्रदान में भी सहायता एवं मदद करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रायोजक बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे।"

प्रायोजक बैंकों ने क्या वित्तीय सहायता दी है। यह 500 करोड़ रुपए मात्र है। मैं नहीं जानता कि कौन सी प्रबंधकीय सहायता प्रदान की जा रही है। जबकि प्रत्येक आर.आर.बी. के लिए एक प्रायोजक बैंक का उद्देश्य ही यही था किंतु यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है।

नाबार्ड की भी एक भूमिका है। नाबार्ड अधिनियम की धारा 26 में लिखा है:

"राष्ट्रीय बैंक कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित किसी ऐसे संस्थान, जिसे केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचित करे, में पूंजी का अंशदान कर सकता है या उसके शेयरों का क्रय और विक्रय कर सकता है या उसकी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।"

यह उपबंध नाबार्ड अधिनियम में किया गया है। मेरा संशोधन उप-धारा 2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापन का है:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा निगमित पूंजी के पचास प्रतिशत के लिए केन्द्रीय सरकार, पंद्रह प्रतिशत के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार या राज्य सरकारों का समूह, उस अनुपात में जैसा कि केन्द्रीय सरकार विहित करे, प्रतिभूति करेगा और शेष पैंतीस प्रतिशत के लिए राष्ट्रीय बैंक या धारा 2 के खंड (छ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, प्रतिभूति करेगा।"

धारा 3 के लिए मेरा सुझाव है:

"केन्द्रीय सरकार, यदि किसी विशेष क्षेत्र या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या राज्यों के किसी समूह के लोगों के हित में आवश्यक

[श्री बसुदेव आचार्य]

और समीचीन समझे तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित क्षेत्र या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या राज्यों के समूह में एक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की स्थापना ऐसे नाम से कर सकेगी जैसाकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, अथवा उक्त या किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा ऐसी सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके भीतर प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कार्य करेगा।"

इसलिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक प्रादेशिक बैंक होना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मेरी सिफारिश है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में छः सात या आठ राज्यों के लिए एक प्रादेशिक बैंक हो सकता है।

श्री बी.एस. ब्यास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक और समिति गठित की गई थी। उन्होंने भी प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन की सिफारिश भी की थी। उन्होंने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को जारी रखने और उनकी क्षेत्रीय विशेषता तथा ग्रामीण फोकस को बनाए रखने की भी सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि अधिदेश को जारी रखना है। अधिदेश क्या था? उन्हें अर्थक्षम वित्तीय संस्थाओं के रूप में पुनर्गठित करने की आवश्यकता होने के साथ साथ उनकी क्षेत्रीय विशेषता और ग्रामीण फोकस को बनाए रखा जाना चाहिए। दसवीं योजना में कृषि के क्षेत्र में चार प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य से ? लाख करोड़ रुपए के ऋण की मांग का अनुमान है। यदि इसमें उनका हिस्सा आठ से नौ प्रतिशत है तो प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का दसवीं योजना के दौरान 66,000 करोड़ रु. या अधिक का कारोबार होगा। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं है। इनकी 14,000 शाखाएं हैं और उनके कर्मचारियों को गांवों से लगाव है। विधेयक प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था इन बैंकों के कर्मचारी भी ग्रामीण क्षेत्रों के ही होंगे जिनका गांवों से लगाव होगा।

आरम्भ में वाणिज्यिक बैंकों और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वेतन मानों में अंतर था। वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों का अलग वेतनमान था और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का वेतनमान अलग था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को संबंधित राज्य सरकार का वेतनमान मिलता था। उदाहरण के लिए उड़ीसा के प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलता था। मैं समझता हूं कि 1990 में नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल अवार्ड के पश्चात् वेतनमान में समानता स्थापित की गई। अब आज प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का वेतनमान वाणिज्यिक बैंकों के वेतनमान के बराबर है हालांकि आरम्भ में उनका वेतनमान अलग और कम था मानों कि ये बैंक अलग उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए थे। दो अलग-अलग वेतनमान क्यों थे? प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंक एक ही प्रकार का काम करते हैं। दो अलग-अलग वेतन मान के आधार पर भेदभाव का क्यों हो।

मैंने यहां यह भी सुझाव दिया है कि मूल अधिनियम की धारा 24 क के बाद धारा 24 ख(1) जोड़ी जाए। इसमें है:-

"केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय बैंक से परामर्श करके राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अथवा संसद के पृथक अधिनियम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक अथवा ऐसे अन्य नाम से जो अधिसूचना अथवा अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया जाए, का गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, शिक्षाविदों और ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण बैंकिंग के विशेषज्ञों में से लिए गए उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जो वह उक्त अधिसूचना या विनिर्दिष्ट अधिनियम में विनिर्दिष्ट करे।"

यह मेरा सुझाव है।

महोदय, जब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में पहली बार 1980 के दशक में संशोधन किया गया था तो मैंने कर्मकारों की भागीदारी का मुद्दा भी उठाया था। उस समय अधिनियमन में पहला संशोधन सभा में लाया गया था और उस समय भी मैंने यह मुद्दा उठाया था। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को प्रबन्धन बोर्ड में क्यों नहीं शामिल किया जाता है? मुझे आश्वासन दिया गया था कि इस पर भविष्य में विचार किया जाएगा किंतु इस पर विचार नहीं किया गया। इसलिए, मैंने इस विधेयक में भी सुझाव दिया है कि बोर्ड में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए।

इस प्रकार गठित शीर्ष प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए नीति विषयक दिशानिर्देशों की सिफारिश करेगा और विशेष रूप से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष के चयन के मामलों में केन्द्रीय सरकार की सहायता करेगा तथा प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवसाय संघों की मांगों और विवादों के निपटारे के लिए वार्ता मंच के रूप में कार्य करेगा।

कर्मकारों में से बोर्ड में एक प्रतिनिधि होना चाहिए और मैंने इस विधेयक में यह सुझाव भी दिया है। मैंने 7 (1) (च) में कहा है कि:

एक निदेशक, जिसे संबंधित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के अधिकारियों के सबसे बड़े संघ द्वारा अपने सदस्यों में से जो कि बैंक में कार्यरत हैं, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और 7 (1) (छ) में- मैंने कर्मचारियों के सबसे बड़े संघ द्वारा अपने सदस्यों में से जो कि बैंक में कार्यरत हैं, नामनिर्दिष्ट किए जाने का सुझाव दिया है।

इस मुद्दे के संबंध में मेरा यह सुझाव है। ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन का मुद्दा क्यों बार-बार उठाया जा रहा है? 1985 के बाद कई समितियां गठित की गई थीं और उन्होंने सिफारिशें की हैं। इस मुद्दे की जांच के लिए बड़ी संख्या में कार्यदल नियुक्त किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस मुद्दे पर सिफारिश की है, किंतु सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। अब इसके किए जाने की आवश्यकता है और यह काफी समय से अपेक्षित है। 30 वर्षों का विलम्ब कोई कम नहीं है। हमने इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव अर्जित किया है और आज इस अनुभव के साथ ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों को सहयोग देने के संबंध में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 70 प्रतिशत लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है।

हम अधिकतर सहकारी बैंकों की दशा के बारे में जानते हैं। पिछले माह मैं महाराष्ट्र के नासिक जिलों में गया था और पिछले एक वर्ष में चार सहकारी बैंकों को बंद होते देखा। हजारों जमाकर्त्ताओं अपनी जमा राशि वापस नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए चिल्ला रहे हैं। इसलिए हम सहकारी बैंकों की दशा जानते हैं। इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने सहकारी बैंकों में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन की सिफारिश भी की थी। यह पता चला है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा लगभग 40 प्रतिशत ऋण दिया जा रहा है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ने विभिन्न राज्यों में लगभग 5 लाख स्व-सहायता समूह गठित कराए हैं।

इन बैंकों ने समूह के रूप में ग्रामीण लोगों को लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का ऋण समझौता दिया गया है। यह कोई छोटी धनराशि नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने सरकार द्वारा गरीबी उपशमन संबंधी कार्यक्रमों में से लगभग 40 प्रतिशत का कार्यान्वयन किया है। केवल प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने ही हमारे देश के कुल 12 लाख स्व-सहायता समूहों में से 45 प्रतिशत संगठित किए हैं। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने किसानों को 40 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं और नाबार्ड योजना के अंतर्गत किसानों के 11000 क्लब में से 5000 से अधिक क्लब संगठित किए हैं। भारत सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को कृषि ऋण 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की सलाह दी है। वर्ष 2004-05 के दौरान प्रादेशिक ग्रामीण बैंक सितम्बर, 2004 में ही लक्ष्य से अधिक कार्य कर चुके थे। इसकी वसूली की स्थिति लगभग 74 प्रतिशत है जो संतोषजनक है और अन्य सहकारी बैंकों से अच्छी है। उनकी गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की प्रतिशतता लगभग 12.6 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के पश्चात भी प्रणाली के रूप में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक लाभ अर्जित कर रहे हैं। गत पांच वर्षों से उन्होंने लगातार औसतन 500 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है। यही नहीं इन बैंकों के अधिकतर कर्मचारी देशवासी नहीं हैं तथा उन्होंने ग्रामीण जनता के साथ गहरा संपर्क बना लिया है, यह ग्रामीण ऋण और ग्रामीण आयोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

सरकार के रवैये में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। मेरी समझ से सरकार का रवैया घिसा-पिटा है। इसके रवैये में कुछ परिवर्तन होना चाहिए।

[हिन्दी]

यदि गरीबों की सहायता करनी है जिनमें खासकर गांव के लोग हैं और उनकी संख्या ज्यादा है।

[अनुवाद]

तो हमें ग्रामीण काश्तकारों को प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता देनी होगी। यह इसलिए करना होगा क्योंकि सर्वाधिक संख्या में लोग हमारे ग्रामीण और पारंपरिक उद्योगों में नियोजित हैं। यह तभी संभव हो सकेगा जब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को सुदृढ़ किया जाए। वाणिज्यिक बैंकों का अलग दृष्टिकोण है। महोदय, अब हम वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र को खोल रहे है तथा इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे है, इसे 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत फिर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। यदि इसकी मंजूरी दी जाती है तो मैं नहीं जानता हूं कि प्राथमिकता वाले इस 40 प्रतिशत क्षेत्र में ऋण की स्थिति क्या होगी। ग्रामीण लोगों पर कौन ध्यान देगा? केवल प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक ही इन पर ध्यान दे सकते हैं। जब तक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करके इनका पुनर्गठन नहीं किया जाता है तब तक ग्रामीण लोगों विशेषकर लघु और सीमांत कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता है। यह तभी किया जा सकता है जब इनका पुनर्गठन किया जाए और राज्य स्तरीय प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का गठन किया जाए और उन्हें एक शीर्ष संगठन के अधीन लाया जाए जिसे हम 'भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक' कह सकते हैं अथवा नाबार्ड को यह कार्य दिया जाए। ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को इससे ही पूरा किया जा सकता है।

मैं यह प्रश्न केवल सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु उठा रहा हूं। उनके लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को पुनः व्यवस्थित, पुनर्गठन और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

मेरा अनुरोध है कि यदि इस विधेयक को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो सरकार को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधान लाना चाहिए ताकि उक्त आधार पर इन्हें सुदृढ़ किया जा सके और इनका पुनर्गठन किया जा सके।

श्री संदीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): आदरणीय सभापति महोदय, मेरे विद्वान मित्र द्वारा दिए गए ओजस्वी भाषण में उन्होंने अपने इस गैर सरकारी विधेयक के संबंध में व्यापक रूप से कहा है और मैं इसका समर्थन करते हुए इस संबंध में अपनी ओर से भी कतिपय सुझाव देना चाहता हूं।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक बहुत हद तक ग्रामीण लोगों की ऋण आवश्यकताओं की जीवन रेखा बन चुके हैं। सहकारी बैंकों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। सहकारी बैंकों में अपनी ही समस्याएं, कुप्रबंधन-राजनीतिक हस्तक्षेप और ऐसे कार्य जो बैंकों के प्रचालन हेतु योग्य नहीं हैं व्याप्त हो गयी हैं। दूसरी ओर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक संबंधित स्थानीय वास्तविकताओं को समझने, ग्रामीण जीवन हेतु ऐसे उपाय करने जो वास्तविक रूप से कार्य करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की प्रकृति और स्थिति किस प्रकार की हो की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। इन दोनों मामलों में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा देश के लिए किए कार्यों की तुलना में ये काफी पीछे रहे है।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कर्मचारी स्थानीय निवासी हैं। वे लगभग 15-20 अथवा कई मामलों में 30 वर्षों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उस क्षेत्र की जीविका तथा उस क्षेत्र में ग्रामीण लोगों की आवश्यकताएं क्या है इस संबंध में उनका संस्थागत अनुभव व्यापक है। ग्रामीण लोगों का प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के साथ अत्यधिक सुदृढ़ संबंध हैं। अत: स्थानीय प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के साथ एक प्रकार का सांस्कृतिक समन्वय और दृढ़ता भी है।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक व्यापक पैमाने पर कुप्रबंधन और उनके द्वारा गत वर्षों के दौरान अपनायी गई अविवेकशील बैंकिंग नीतियों और प्रचालनों के कारण प्रभावित हुए हैं। तथापि पिछले दशक में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में व्यापक बदलाव आया है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को हानि में चल रहे उद्यम बताया जाता होगा लेकिन जैसाकि मेरे विद्वान मित्र ने कहा है अब ये वास्तव में लाभ अर्जित कर रहे हैं। 196 बैंकों में से केवल लगभग 50 बैंक घाटे में चल रहे हैं। वे भी मुख्यत: भारत के मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग में हैं। ये क्षेत्र हमारे देश के कतिपय अत्यधिक पिछड़े और गरीब क्षेत्रों में से भी हैं। इन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में व्यापार की संभावना भी कम है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थिति और सुदृढ़ता से इन राज्यों और क्षेत्रों की ग्रामीण वास्तविकता भी परिलक्षित हुई है।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थानीय स्थिति इन्हें अत्यधिक प्रभावशाली बैंक बनाती है और एन.सी.एम.पी. में भी आम आदमी पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। आम आदमी प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से संपर्क कर सकता है। सभी ऐसे सदस्य जिन्होंने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के साथ काम किया है ने निश्चित रूप से महसूस किया होगा कि उनके द्वारा जिस प्रकार की जानकारी और सहयोग उनके द्वारा ग्रामीण लोगों को दी जाती हैं वह अन्य किसी भी बैंकिंग प्रणाली से अधिक प्रभावशाली है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने जिन समस्याओं का सामना किया है, जैसा कि मेरे विद्वान मित्र ने भी उल्लेख किया है वे प्रायोजित बैंकों द्वारा प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के साथ वास्तविक व्यवहार से संबंधित हैं।

कई अर्थों में यह पुराने समय की जमींदारी (अबसेंटी लैंड लार्डिज्म) है। वे अक्सर इन बैंकों के अध्यक्षों को नियुक्त करते हैं लेकिन वे बैंक की बैठकों में शायद ही भाग लेते हैं। कई मामलों में महाप्रबंधक भी प्रायोजित बैंकों से आते हैं। वे प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में नहीं आना चाहते हैं। वास्तव में बैंकिंग क्षेत्र में इसे दंडस्वरूप की गई तैनाती माना जाता है। जब आपको आर.आर.बी. में तैनाती दी जाती है, यह उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्हें अच्छी शाखा में तैनाती नहीं मिल पाई हो अथवा यह तैनाती दंडस्वरूप दी गई मानी जाती है।

ये लोग लगभग एक अथवा दो वर्ष रहकर चले जाते हैं। अत: प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में एक अच्छे स्थानीय बैंक के लिए अपेक्षित दृष्टि और दीर्घावधि की रणनीति का अभाव रहता है। इसके बावजूद अधिकतर प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने कुल मिलाकर अच्छा कार्य किया है और 196 में से 140 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक लाभ अर्जित कर रहे हैं। उनकी सकल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में कमी आ रही है। उनके द्वारा दिए जा रहे ऋण में वास्तव में वृद्धि हो रही है। यह प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की आम स्थिति के लिए अच्छा संकेत है। इस अर्थ में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में और अधिक स्वायत्तता देने उन्हें सुदृढ़ करने हेतु यह विधेयक एक स्वागत योग्य कदम है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो कई अर्थों में मेरे पहले मित्र द्वारा दिए सुझावों से भिन्न हैं लेकिन कई अन्य अर्थों में उनके समान है।

आर.आर.बी. की समस्या कुप्रबन्धन से हुई है। कुप्रबन्धन प्रायोजक बैंक के कारण हुआ है। छ: सी.एम.डी. की श्री चिदम्बरम के पूर्ववर्ती वित्त मंत्री के साथ बैठक में, एक सुझाव यह था कि अधिकतर आर.आर.बी. को मिलाकर सात या आठ या नौ बड़े

बैंक बना दिए जाएं। इसे मैं व्यक्तिगत रूप से खतरनाक कदम मानता हूं। मैं यहां इसका विरोध करता हूं। आर.आर.बी. अपने स्थानीय चरित्र के कारण सुदृढ़ हैं। वे स्थानीय यथार्थ को प्रतिबिम्बित करते हैं और यदि हम उनको छः या सात बड़े ट्रांस-नेशनल बैंकों में मिला दें तो उनका यह चरित्र कमजोर हो जाएगा। समस्या बड़ी विशाल पर्यवेक्षकीय संख्या जो आर.आर.बी. की निगरानी कर सकें, की नहीं हैं और उन्हें इस स्थिति से अधिक लाभप्रद, सुप्रबन्धित तथा अधिक कुशल बैंकों की ओर अग्रसर किया जा सके। सभी आर.आर.बी. को नौ या दस बड़े क्षेत्रीय बैंकों अथवा बड़े ग्रामीण बैंकों में अंतरित करने का प्रयास हो यदि हम ऐसा करते हैं, तो आर.आर.बी. की वर्तमान शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस बात में विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समस्या से आर.आर.बी. ग्रस्त नहीं हो जाएंगे जो कि अभी नहीं है।

एक प्रयास और चलपति समिति की रिपोर्ट थी कि 196 आर.आर.बी. की जो इस समय हैं के स्थान पर - 57 या 60 आर.आर.बी. मैं संख्या के बारे में पूरा आश्वस्त नहीं हूं - होने चाहिए। यह और भी अच्छा और सुविचारित रिपोर्ट होती। यह आर.आर.बी. को सामाजिक-सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक समस्याग्रस्त क्षेत्रों में ले जाता है। इसमें इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि कुछ घाटा उठा रहे बैंकों को अधिक लाभ कमा रही आर.आर.बी. में विलय किया जा सकता है जिससे कि उनका तुलन पत्र भी ठीक दिखना शुरू हो जाए। अब हमें विभिन्न आर.आर.बी. की जिन आर्थिक स्थिति में ये काम कर रहे हैं की क्षेत्रीय शक्तियों पर विचार करें और उस दृष्टि से यदि इन कई आर.आर.बी. की शक्ति को एक एक साथ कर दें तो यह नौ या दस बड़े बैंक बनाने के वर्तमान सुझाव से कहीं अधिक बेहतर होगा। मेरे विद्वान साथी का सुझाव था कि 22 या 23 शीर्ष स्तरीय संस्थाएं होंगी। मैं समझता हूं कि यह भी 1957 की चलपति समिति रिपोर्ट के समीप है। मैं समझता हूं कि इस मामले में बड़ा ही बेहतर होगा।

इसमें मैं उस परिदृश्य का भी उल्लेख करूंगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, विशेषकर जब हम युनाइटेड स्टेटस को देखते हैं, हम बहुधा अमरीका द्वारा अनुसरण की जा रही बैंकिंग प्रथाओं का अनुसरण करते हैं। मैं समझता हूं कि अमरीका में बैंकिंग आधारभूत संरचना की एक शक्ति उनकी अत्यधिक क्षेत्रीयता और स्थानीयता पर बल है। वे बैंकिंग संस्था में यह कलेवर लाते हैं। निःसंदेह उनमें इस दृष्टि से अत्यधिक और सुविनियमित माहौल है कि बैंक कुल मिलाकर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रथाओं की पुष्टि करते हैं और कानूनी तथा पारदर्शी रहते हैं। उसमें से कुछ का हम भी आर.आर.बी. में अनुकरण कर सकते हैं और उन्हें यथा संभव स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकते हैं।

आर.आर.बी. की समस्याओं की दृष्टि से अनेक सुझाव हैं जो हम प्रस्तुत कर सकते हैं। उनमें से कुछ में प्रबन्धन संबंधी परिवर्तन की आवश्यकता है और उनमें से कुछ में विनियामक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके लिए पहले ही अधिनियम में सुझाव का प्रस्ताव है।

मैं इनमें से कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस समय कुछ सिद्धांत जो मैं प्रस्तावित संशोधन के लिए अनुसरण करना चाहता हूं वह यह है कि आर.आर.बी. प्रणाली ग्रामीण भारत की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सबसे प्रभावी प्रणाली होगी क्योंकि यह विकास कर रहा है। आज ग्रामीण भारत की वित्तीय आवश्यकताओं का विविधकरण हो रहा है। ग्रामीण भारत में आज अर्थव्यवस्था अधिक विविधिकृत है जहां केवल कृषि क्षेत्र ही मुख्य आधार नहीं है अपितु गैर कृषि कार्यकलापों यदि वे कृषि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं तो भी उतने ही महत्वपूर्ण हो रही हैं। आज वित्तीय सेवाएं जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता है वह मात्र ऋण और बचत नहीं है। उदाहरण के लिए बीमा ग्रामीण उद्यमियों, ग्रामीण कृषकों, ग्रामीण कारीगरों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और यह यह ऐसी चीज है जो कि भारत लगभग कोई भी वित्तीय बीमा संस्थान वास्तव में उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। वास्तव में किसी का भी इतना स्थानीय विस्तार नहीं है जितना कि आर.आर.बी. का है।

आने वाली शताब्दी में ग्रामीण शहरी संबद्धता के काफी बढ़ने की संभावना है। जैसा कि हम देखते हैं। सामान्य रूप से प्रस्तावित और स्वीकृत नीतियों जिसका सरकार अनुसरण करती थी से भिन्न पूरे भारत में सभी तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही हैं, जिस तरह आर्थिक अवसर खुल रहे हैं अपार ग्रामीण शक्ति है। रेशम पालन केवल उन क्षेत्रों में विकास कर रहा है जहां रेशम पालन की दशाएं मौजूद हों राष्ट्रीय रेशम पालन बोर्ड (नेशनल सेरीकल्चर बोर्ड) के सभी कार्यक्रम वास्तव में इसलिए विफल हो गए कि हमने उन क्षेत्रों में इसे बढ़ावा दिया जहां इसका विकास नहीं हो सकता था। विद्युत करघा का भी यही मामला है, टाइलों के मामले में भी यही है और अन्य अनेक कार्यकलापों जो ग्रामीण क्षेत्रों में उभर रहे हैं की भी यही स्थिति है। इसलिए अधिक स्थानीयकृत अधिक स्थानीय अनुकूल बैंक होगा, यह अधिक महत्वपूर्ण होगा और यह ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में योगदान करने में अधिक सक्षम होगा। इसलिए अधिनियम में हम जिन संशोधनों का प्रस्ताव करते है, हमें यह देखना होगा कि ये सभी आर.आर.बी. पर समान रूप से लागू न हो। इनमें से कुछ आर.आर.बी. को एक साथ लाने के लिए कुछ एकरूपता हो सकती है। प्रबन्धन प्रथाओं में समानता हो सकती है जिसका अनुसरण उस दिशा में कर सकते हैं कि जिससे आर.आर.बी. अधिक निर्धन लोगों के हितैषी हों, किंतु अधिक समानता लाने के

[श्री संदीप दीक्षित]

लिए मैं समझता हूं इसकी शक्ति और चरित्र का ह्रास होगा और इसे अलग रखने तथा अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी।

आर.आर.बी. के बीच समेकन का प्रयास हो सकता है। वास्तव में आर.आर.बी. और वाणिज्यिक शाखाओं के बीच समेकन क्यों नहीं हो सकता? वाणिज्यिक बैंक अपने कुछ ग्रामीण शाखाओं से प्रसन्न नहीं हैं। उस स्तर पर भी किसी प्रकार का समेकन हो सकता है। हम पहले ही इनमें से कुछ मामले देख चुके हैं जिसमें वाणिज्यिक बैंकों ने वास्तव में अपनी शाखाओं का समेकन किया। यह आर.आर.बी. के साथ क्यों नहीं हो सकता?

प्रबन्ध ढांचा की दृष्टि से मैं समझता हूं आर.आर.बी. धीरे-धीरे उपयुक्त वित्तीय संस्थाओं की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु प्रत्येक स्टेकहोल्डर आर.आर.बी. के संचालन में अत्यन्त ही कम भूमिका निभा रहा है। मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि प्रायोजक बैंक की आर.आर.बी. के कार्यकलापों में बहुत ही कम रूचि है सिवाए इसके कि उन्होंने उनका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों से साख जमा के लिए दोहन कार्य किया और उसका अपने प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया। राज्य सरकार अधिक भूमिका नहीं निभाना चाहती है। आर.आर.बी. में जब कुछ होता है तो भारत सरकार कभी-कभी सो जाती हैं और जब आर.आर.बी. की स्थिति विशेष रूप से खराब हो जाती है तो जागती है विशेषकर 1997 में जब उन्होंने आर.आर.बी. का पुनः पूंजीकरण किया गया।

कहीं धीरे-धीरे प्रगति हो रही है। उदाहरणार्थ, बैंकिंग में अपने विवेकपूर्ण मानदंडों के साथ अपने प्रबंधन कार्यों में सुधार करने हेतु नाबार्ड आर.आर.बी. की सहायता करने का प्रयास कर रहा है। किन्तु इसके अतिरिक्त तीन महत्वपूर्ण शेयरधारकों ने आर.आर.बी. को वास्तव में उनके हाल पर छोड़ दिया है। राज्य सरकारें अब जागरूक हो गई हैं और वे चाहती हैं कि आर.आर.बी. इन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करें अथवा आई.आर.डी.पी. प्रकार के कार्यक्रमों में कार्य प्रारम्भ करें जहां आर.आर.बी. एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर.आर.बी. में उनकी रूचि यहीं समाप्त हो जाती है।

अल्प विकसित राज्यों में अत्यधिक घाटे वाले आर.आर.बी. का मामला भी है। क्या हम इसकी तुलना कर सकते हैं और क्या हम अपने अधिक विकास वाले क्षेत्रों, उच्च कृषि क्षेत्रों अथवा ऐसे क्षेत्रों जहां वे बेहतर कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, दक्षिण भारत अथवा पश्चिमी भारत में कुछ क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं जबकि पूर्वी और मध्य भारत, उन क्षेत्रों में बेहतर नहीं कर रहे हैं तो क्या हम आर.आर.बी. की स्थिति में सुधार करने के लिए समान उपाय कर सकते हैं। कदाचित ऐसा नहीं है। सम्भवतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धनराशि, अतिरिक्त धनराशि जो हमारी अर्थव्यवस्था के इन विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, पर्याप्त रूप से अलग हैं।

अतः आर.आर.बी. को जिस प्रकार के दृष्टिकोण, जिस प्रकार के बिजनेस कार्यों की विभिन्न क्षेत्रों में जरूरत होगी, उनमें अन्तर होगा। एक उदाहरण यह है कि ग्रामीण बैंकिंग ऋण जो कुछ बैंकों को मिलेगा, से अलग आर.आर.बी. को वास्तव में अधिक सीमित बैंकिंग और सूक्ष्म ऋण आदेश दिए जा सकते हैं। अतिरिक्त धनराशि इस मामले में आर.आई.डी.एफ. के साथ दी जा सकती थी और यह आर.आई.डी.एफ. की धनराशि को केवल उन्हीं क्षेत्रों में खर्च किए जाने का आदेश दिया जा सकता है जहां से वास्तव में यह धनराशि आती है।

इसमें से कुछ में विनियामक परिवर्तनों की जरूरत होगी और इसमें से कुछ में भारत सरकार की ओर से सोच में बदलाव की जरूरत होगी।

महोदय, मैं समझता हूं, कानूनी स्थिति के मामले में यह महत्वपूर्ण है कि आर.आर.बी. बैंकिंग कम्पनियां बन जाती हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियमन के अन्तर्गत आते हैं। यही लाभ का क्षेत्र है जो उन्हें उन्हें अभी तक नहीं मिला है।

नए आर.आर.बी. को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया जा सकता है। स्थानीय क्षेत्र बैंकिंग प्रणाली, जिसे भारत के अनेक भागों में भारी सफलता मिली है, को ग्रहण किया जा सकता है और वास्तव में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को समान पहचान दी जा सकती है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में भारत सरकार और राज्य सरकारों की भूमिका को कम से कम किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी विनियामक भूमिका निभानी है, और स्थानीय लोगों, स्थानीय लोगों और इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आर.आर.बी. हमारे पास एकमात्र संस्था है जिसे आप सामुदायिक बैंक के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं जहां हमारे पास भारत में कोई अन्य सामुदायिक बैंक नहीं है।

इस प्रकार जो कुछ सुझाव मैं दे रहा हूं, वह इस पर आधारित है। इन बैंकों के साथ बोर्ड का प्राधिकार और बोर्ड की जवाबदेही को भी बढ़ाने की जरूरत है। इस समय आर.आर.बी. में हमारे बोर्ड हैं, जो सांयोजिक विनियामक तंत्र जो उनके पास होने चाहिए को छोड़कर, पूर्णरूपेण तटस्थ हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तनों जो आर.आर.बी. के मिशन में लाए जा सकते थे, के संबंध में आर.आर.बी. को कृषि ही नहीं बल्कि समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वित्तपोषण करना चाहिए। उनके क्षेत्रों में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, मैं समझता हूं, साठ प्रतिशत बैंक जमा

को उनके क्षेत्रों में पुन: दिया जा सकता है। यह कोई मुद्दा नहीं है कि मांग नहीं है। बार-बार के कुछ अध्ययनों से पता चला है कि आर.आर.बी. मोटे तौर पर छह से सात प्रतिशत औपचारिक ग्रामीण ऋण को पूरा करते हैं। औपचारिक ग्रामीण ऋण लिए जाने वाले कुल ऋण का लगभग तीस प्रतिशत ही है और लिए गए ग्रामीण ऋण की मात्रा लगभग साठ प्रतिशत है। इसलिए औपचारिक बैंकिंग हेतु खुला क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है।

जैसाकि श्री बसुदेव आचार्य ने उल्लेख किया है, हमारे बैंकर वास्तव में बैंकर नहीं हैं। वे वास्तविक लोगों के पास नहीं जाते जिन्हें ऋण की जरूरत है। वे प्रतीक्षा करते हैं कि लोग उनके पास आएं। इसलिए आर.आर.बी. वर्तमान प्रसंग में वास्तविक संस्थाएं हैं जो स्थानीय समुदाय संकेन्द्रित और स्थानीय सांस्कृति के अनुरूप बैंक के रूप में प्रभावी होना शुरू हो सकती हैं।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया था कि कुछ समय के लिए ऋण ग्रहण करने के लिए संकुचित बैंकिंग तक सीमित किया जा सकता था और कदाचित इसका विलय या तो स्वसहायता समूहों जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, के माध्यम से एस.एल.आर. में जाने वाले उनकी अतिरिक्त धनराशि के साथ सूक्ष्म ऋण अथवा आर.आई.डी.एफ. में विलय किया जा सकता है।

आर.आर.बी. अन्य वित्तीय सेवाएं भी शुरू कर सकते थे। किन्तु जो भूमिका वह निभा सकते हैं, वह बीमा कंपनियों के अभिकर्ताओं की तरह और बाजार आधारित और म्युचुअल फंड इकाइयों की तरह जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती है। यह कुछ ऐसा है जिसका प्रयोग भारत के कतिपय भागों में किया गया है और इसे समुचित प्रभावी पाया गया है। कुछ स्थानीय बैंकों जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, ने सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म वित्त में उल्लेखनीय कार्य दर्शाया है। उन्होंने इसे सम्भव बना दिया है।

स्वामित्व के संबंध में कतिपय मान्यता की जरूरत है। मैं समझता हूं। कुछ आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार अपना नियंत्रण कम करे। इसलिए वे प्रायोजक बैंकों को आगे ला सकते हैं। इसी प्रकार का सुझाव श्री बसुदेव आचार्य जी ने दिया है। अत: इन कुछ मुद्दों पर सरकार ध्यान दे सकती है।

किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक के प्रबंधन ढांचे और प्रबंधन प्रणाली को बोर्डों अथवा स्वामित्व प्राधिकारियों द्वारा चलाए जाने की आवश्यकता है। जो उन क्षेत्रों के प्रति पूर्णतया जवाबदेह हैं जहां आर.आर.बी. सेवा प्रदान करते हैं। मुझे आशंका है कि यदि आपके पास ऊंचे स्तर के बैंक हैं तो सभी आर.आर.बी. के नीति निर्माण संबंधी प्रयास बेकार हो जाएंगे और ये प्रयास इतने दूर हो जाएंगे कि ये ऐसे उपकरण बन जाएंगे जो स्थानीय क्षेत्रों विशेषकर ग्रामों की वित्तीय और ऋण संबंधी आवश्यकताओं के बजाय सरकार की वित्तीय और ऋण संबंधी नीतियों को आगे बढ़ाने के अधिक अनुकूल है।

इसी चीज को शिखर स्तर की अधिकतर संस्थाओं ने दर्शाया है। उन्होंने दर्शाया है कि उपभोक्ताओं से उनकी दूरी मात्र भौगोलिक होकर कभी कभी दार्शनिक भी है।

स्वामित्व की दृष्टि से स्वतंत्र स्वामित्व भी संभव है। स्वतंत्र स्वामित्व से कोई कंपनी, जिसमें वर्तमान बैंक भी शामिल हैं, को अपने स्वामित्व में लेने और संस्थाओं को प्रायोजित करने का कार्य भी कर सकेगी। वास्तव में आज लगभग पच्चीस प्रतिशत सम्भव है। इस पर सरकार विचार कर सकती है। स्वामित्व को बनाए रखने में रूचि रखने वाले प्रायोजक बैंक आर.आर.बी. में अपनी हिस्सेदारी पैंसठ प्रतिशत तक भी बढ़ा सकती हैं। केनरा बैंक ने इस वृद्धि को दर्शाया है। जब भी केनरा बैंक संस्थाओं का प्रायोजक रहा है, तो आर.आर.बी. में जो भूमिका इसने निभाई है वह अन्य बैंकों से अधिक प्रभावकारी है। मैं आपको सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का उदाहरण दे सकता हूं। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया इसकी आवश्यकता अनुभव करता रहा है। केनरा बैंक की भूमिका बहुत प्रभावकारी रही है। यह एक माडल है जिसकी भारत सरकार सम्भवत: अधिक गहराई से अध्ययन कर सकती है। इसके कुछ संदर्भ पहले ही चलापति समिति के प्रतिवेदन में हैं।

शासन में प्रस्तावित परिवर्तनों की दृष्टि से मैं चाहता हूं कि आर.आर.बी. बोर्ड द्वारा प्रबंधित संस्थाएं बनें। प्रमुख शेयर धारकों - जिसमें जमाकर्ता और कर्मचारी शामिल हैं - को इन आर.आर.बी. के प्रबंधन में भूमिका दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड का अध्यक्ष को कार्यकारी प्राधिकरण से अलग किया जाना चाहिए और वह बोर्ड द्वारा नियुक्त हो। अत: तभी वे जवाबदेह बनेंगे।

बोर्डों की आकारहीन स्थिति जो आज चल रही है, की अपेक्षा उनकी शक्तियों और कर्तव्यों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए। अधिकतर आर.आर.बी. में प्रायोजक संस्थाओं के कारण जवाबदेही निर्धारित करने की भावना बहुत सीमित है।

मैं पर्यवेक्षण परिवर्तन पर आता हूं। जैसाकि बसुदेव भाई पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं, नाबार्ड एक शिखर स्तर की संस्था की भूमिका निभा सकता है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। वर्तमान प्रसंग में नाबार्ड पहले ही अपनी वह भूमिका खोता प्रतीत होता है जो भूमिका वह पहले निभा रहा था। इसकी पुन: वित्तपोषित धनराशि बैंकों द्वारा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बैंक बाजार से पैसा ले सकते हैं जो सस्ता है। प्राथमिकता

[श्री संदीप दीक्षित]

वाले क्षेत्र के ऋण में भी नाबार्ड का पैसा अब इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक नहीं रहा जितना महत्वपूर्ण यह पहले था। जहां तक ग्रामीण ऋण का संबंध है, नाबार्ड को अपनी भूमिका की पुनः परिभाषा करने की भी जरूरत है और आने वाले समय में अपनी स्थिति पर पुनः विचार करने की जरूरत है। हो सकता है, नाबार्ड इस विषय में अपनी प्रोएक्टिव भूमिका शुरू करे। वह पहले ही देश के लगभग पांच सौ अथवा छह सौ जिलों में मौजूद है। उनके पास दूरदराज के स्थानीय क्षेत्रों में अधिकारी हैं और सम्भवतः वे पर्यवेक्षी प्राधिकरण की बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

आर.आर.बी. के पुनर्गठन की दृष्टि से, उनका विलय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विलय प्रक्रिया के अनुसार एक दूसरे के साथ किया जा सकता है। किन्तु मैं यहां सिफारिश करूंगा कि भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त किया जाए। जब आर.आर.बी. बैंकों और उनके संशोधन की बात आती है आर.बी.आई. जिसने स्वयं को काफी हद तक प्रभावशाली संस्था सिद्ध किया है, को स्वयं प्राधिकारी बनने दीजिए और अधिकांश अनुमति देना शुरू करना चाहिए। आर.आर.बी. वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण और अर्धग्रामीण शाखाओं के व्यापार को अपने हाथ में लेने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें परिसमाप्त करने और कंपनी के अंदर बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में भी फिर जैसा कि पहले कहा आर.बी.आई. की अनुमति होनी चाहिए और न कि भारत सरकार की। फिर हम वास्तव में उन्हें बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के रूप में देखना शुरू करेंगे और न कि अंतिम संपर्क के साधन के रूप में। ऋण वसूली तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर.आर.बी. पहले से ही कह रहा है कि ऋण वसूली अधिकरण होने चाहिए - जोकि पहले ही अस्तित्व में हैं तथा उन्हें सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आर.आर.बी. की वसूली की दर जो 1997 में 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के लगभग थी जो 2003-04 में 74 प्रतिशत तक हो गयी। उनकी वसूली पहले ही बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि कुछ और प्रयास से यह 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक जा सकती है। यह आर.आर.बी. की उल्लेखनीय उपलब्धि है।

विवाद समाधान तंत्र की दृष्टि से हम...*(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): आप जारी रखें।

श्री सन्दीप दीक्षित: यहां तक कि आर.आर.बी. के पुनर्गठन अधिकरण के बारे में भी सोचा जा सकता हो इसका कारण यह है कि इस तरह के अनेक सुझाव भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं या दिए जा रहे हैं। मुद्दे होने चाहिए जिन्हें पुनर्गठन अधिकरण देखे। इस तरह की बातों के बारे में शुरू से ही सोचने से काफी अंतर आएगा और इन्हें उच्च न्यायालयों के समतुल्य न्यायिक शक्तियां दी जा सकती हैं। इसे रोकने के लिए कुछ नहीं है।

पुनर्गठन अधिकरण सभी विवादों चाहे यह कर्मचारियों, जमाकर्ताओं, ऋण लेने वालों, उधार लेने वालों, निवेशकों या किसी अन्य पार्टी के बीच हो के लिए अंतिम प्राधिकारी हो सकता है जो कि इन परिवर्तनों से प्रभावित होगा जिसका अर्थ यह है कि विलय संबंधी परिवर्तन जिसका अर्थ है आर.आर.बी. के चरित्र में परिवर्तन या किसी अन्य तरह से परिवर्तन के बारे में हम बात कर सकते हैं।

विवेकपूर्ण मानदंडों जिनकी आर.आर.बी. को आवश्यकता होगी की ओर बढ़ते हुए एन.पी.ए. की विवेकपूर्ण प्रणाली पहले से ही आर.आर.बी. ने लागू की है। यह लगभग पिछले 5-10 वर्षों से चालू प्रथा है। बैंककारी विनियमन अधिनियम पूंजी पर्याप्तता, आय मान्यता, जोखिम केन्द्रीयकरण सहित जिसमें आर.बी.आई. नियम है इत्यादि शामिल हैं के अनुसार सभी मानदंड आर.आर.बी. द्वारा अपनाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक एन.पी.ए. वाले आर.आर.बी. को जमा लेने और जमाकर्त्ताओं के धन को जोखिम में डालने से रोकने के लिए जमाराशि को सीमित करने का प्रावधान है जो कि इसके निवल स्वामित्व में निधियों का गुणक होगा और यह सीमा कम से कम हो सकती है। अर्धवार्षिक लेखा परीक्षा और परिणामों की घोषणा की प्रणाली भी निर्धारित की जा सकती है।

मैंने ये कुछ सुझाव दिए हैं। मैं मानता हूं कि इनमें से कुछ के लिए विनियामक परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इनमें से कुछ के लिए भारत सरकार के प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि आर.आर.बी. शक्तिशाली है, उनमें स्थानीय यथार्थ है, स्टाफ की क्षमता यह है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी है। यदि उनमें से कुछ सुझाव को कार्यान्वित किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि लोगों के सामान्य विश्वास के कारण आर.आर.बी. को सबसे प्रभावशाली ग्रामीण बैंकिंग संस्था बनाने में काफी सफलता मिलेगी।

इसके साथ ही मैं बैठता हूं: मैं श्री बसुदेव आचार्य की अधिकतर बातों का समर्थन करता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे सुझावों को कार्यान्वित करने से आर.आर.बी. की काफी प्रगति होगी।

श्री जोवाकिम बलला (अलीपुरद्वार): महोदय, मैं आर.आर.बी. अधिनियम, 1976 में संशोधन लाने के क्रम में माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य द्वारा की गई सिफारिशों अथवा सुझावों के संबंध

में मैं उनकी बातों से सहमत हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं।

काफी पहले 1975 में, पांच प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी इसकी स्थापना का उद्देश्य वास्तव में अच्छा था क्योंकि हम इस महान सभा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बात करते रहे हैं और हम ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए 1975 में आर.आर.बी. की स्थापना हमारी अर्थव्यवस्था में वास्तव में मील का पत्थर था।

जब तक हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाते हैं हम भारत के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यही कारण है कि यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और 30 वर्ष बीत जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए 196 आर.आर.बी. स्थापित किए गए हैं। भारत में 196 आर.आर.बी. में से 165 आर.आर.बी. लाभ कमा रहे हैं। 2003-04 में हमने देखा है कि इन 165 आर.आर.बी. ने 930.93 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है।

196 आर.आर.बी. में से सिर्फ 31 आर.आर.बी. है जिन्हें 177.12 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है। इसका अर्थ है कि आर.आर.बी. अच्छा कार्य कर रहे हैं। आर.आर.बी. ने वर्ष 2003-04 में 753.81 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च 2004 को आर.आर.बी. का जमा और अग्रिम कुल मिला कर क्रमश: 56,350 करोड़ रु. और 26,074 करोड़ रु. था। आर.आर.बी. का सी.डी. अनुपात और वसूली का प्रतिशत 46.2 प्रतिशत और 72.33 प्रतिशत था। आर.आर.बी. का निष्पादन वास्तव में आश्चर्यजनक रहा है। वे ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास के संबंध में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

सभी 196 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने 2003.04 के दौरान स्व-सहायता समूह बैंक लिंकेन कार्यक्रम में भाग लिया है। स्व-सहायता समूह की यह अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास विशेषकर दूरस्थ गांवों में महिलाओं के संबंध में काफी महत्वपूर्ण हो गई है। इनमें से कुछ वन ग्रामों में हैं और कुछ दूरवर्ती गांव हैं। उन्हें कभी भी जमा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया है। न ही उन्हें ऋण अथवा अग्रिम के लिए कहा गया जोकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए स्व सहायता समूह भी आर.आर.बी. के नेटवर्किंग के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है।

जहां तक इस अवधारणा की धारणीयता का संबंध है यद्यपि स्वसहायता समूह की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं समूह बना रही हैं। वे स्वयं अपने स्रोत से जमा जुटा रही हैं। वे लघु बचत ला रहे हैं। स्वसहायता समूह महिलाओं द्वारा जुटाए गए बचत की तुलना में समतुल्य चक्रानुक्रम राशि के लिए पहले प्रावधान था। यह 25,000 करोड़ रु. के बराबर था किंतु इसे समाप्त कर दिया गया है। अब वे जो जमा कर रहे हैं यद्यपि उन्हें अधिक व्यक्तिगत जमा लाने के लिए सलाह दी जा रही है ताकि इसके बदले उन्हें जमाराशि का चारगुणा दिया जाए, गरीबी रेखा के नीचे का मानदंड, गरीबी रेखा के नीचे की आधार रेखा है। यह लगभग 447 रु. है। यदि उनकी आय प्रतिमाह 447 रु. है तो हम उन महिलाओं से उनकी आय और बचत से किस तरह अधिक राशि जुटाने की आशा कर सकते हैं?

मैं नहीं समझता कि यह वैज्ञानिक है। तथापि, इसका समुचित विश्लेषण किया जाना है। मैं भारत सरकार से इस अवधारणा पर विचार करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह स्वसहायता समूह की अवधारणा और विचार स्थायी हो ताकि ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से संबद्ध स्वसहायता समूहों की संख्या 2002-03 में 77340 से बढ़ कर 2003-04 में 4105998 हो गई है जिसका अर्थ है कि आर.आर.बी. द्वारा वित्त पोषित की जा रही स्वसहायता समूहों में भारी वृद्धि हुई है। बैंक ऋण की कुल राशि 705.44 करोड़ रुपए है ग्रामीण बैंक अकेले स्वसहायता समूहों का 40 प्रतिशत के लगभग कवर करता है। संबद्ध बैंक ऋण भारत में 12 लाख स्वसहायता समूहों जिसका ध्यान पूरे भारत में विभिन्न वाणिज्यिक बैंक कर रहे हैं में से पांच लाख स्वसहायता समूहों को कवर करता है।

भारत सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को उनका कृषि संबंधी ऋण जो 2003-04 में जिस स्तर पर था उससे 40 प्रतिशत अधिक देने को कहा गया क्योंकि कृषि प्राथमिक ऋण है। इसलिए जहां तक कृषि ऋण का संबंध है आर.आर.बी. को अपना लक्ष्य कम से कम 40 प्रतिशत बढ़ाने की आशा थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नौ महीने के अंदर उन्होंने 40 प्रतिशत का अपना लक्ष्य प्राप्त किया। उन्होंने न सिर्फ अपना लक्ष्य प्राप्त किया किंतु इस सीमित अवधि के दौरान उन्होंने इस लक्ष्य को पार कर लिया।

अब जहां तक कृषि ऋण का संबंध है, यह आर.आर.बी. के कुल योगदान का 65 प्रतिशत है जबकि यह अन्य वाणिज्यिक बैंकों के मामले में 18 प्रतिशत से कम है। स्वभाविक है आर.आर.बी. हमारे देश में ग्रामीण समाज से अलग नहीं किया जा सकता। हम आर.आर.बी. द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुए हमने इस बात को महत्व दिया है कि जहां तक ग्रामीण क्षेत्र

[श्री जोवाकिम बखला]

के लिए ऋण और धनराशि की उपलब्धता का प्रश्न है, अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

जब हम ग्रामीण भारत पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम भारत की प्रगति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अतः जहां तक हमारी ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक-विकास का प्रश्न है प्रादेशिक ग्रामीण बैंक उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारी लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। अतः हमें स्वभाविक रूप से सतर्क रहकर यह पता लगाना होगा कि क्या हमारी जनसंख्या के इस वर्ग को वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों द्वारा उचित सेवा प्रदान की जा रही है अथवा नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं हैं लेकिन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जा रही सेवा विशेष प्रकार की है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के कर्मचारी लोगों के द्वार पर उनसे संपर्क कर रहे हैं जिससे वे बुनियादी रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं।

पहली बात जमा राशि को जुटाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह वास्तव में कठिन है। ग्रामीण क्षेत्रों जहां अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित हैं और जिनके पास आय का कोई उचित साधन नहीं है, सड़क और पेय जल की सुविधा नहीं है और बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं है के लोगों को मनाना अत्यधिक कठिन है। हम ऐसे लोगों से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वे धन राशि जमा करने के बारे में जागरूक हों। हम उनसे यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वे स्वयं बैंक जाकर बैंक द्वारा उनके जीवन यापन में सुधार लाने हेतु दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाएं। ग्रामीण लोगों को जागरूक करने का कार्य प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। वे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें बैंकिंग कार्यों की जानकारी दे रहे हैं।

दूसरा कार्य ये ऋण देने का कर हैं। कास्तकारी, कृषि कार्य में लगे लोगों और सेवा क्षेत्र के लोगों के हितों पर प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। केवल ऋण दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है। हम लोगों को क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं लेकिन जब तक उन्हें क्रेडिट कार्ड का उपयोग अपने लाभ, अपने कार्यकलापों के लिए नहीं करना सिखाया जाता और जब तक उन्हें यह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि अपने कार्यकलापों से किस प्रकार आय सृजित की जाए जिसके लिए उन्हें ऋण दिया गया है, तब तक केवल क्रेडिट कार्ड जारी करना निरर्थक है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में अब तक हो रही वृद्धि का एक कारण यह भी है।

लेकिन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों के कारण यह कम होकर 12.5 प्रतिशत रह गया है जो लगभग नगण्य है।

दूसरी बात यह है कि वैश्वीकरण उदारीकरण और अन्य बातों के पश्चात कृषि का औद्योगिकीकरण किया जा रहा है और इससे नई बात सामने आई है और नई चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। इस बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में कई प्रकार के आधुनिक तंत्र का उपयोग किया जाना है। विशेष रूप से कृषि, क्षेत्र में कई आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि हम अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह प्रतिस्पर्धा का युग है हम पीछे नहीं रह सकते हैं। हमें आगे बढ़ना होगा और अकेले आगे नहीं बढ़ना होगा। हमें ग्रामीण भारत को अपने साथ लेकर चलना होगा। अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को अपने क्रियाकलापों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक शीघ्रातिशीघ्र अपने क्रियाकलापों को पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है, उन्हें सहयोग की आवश्यकता है और वे भारत सरकार से सहयोग मांग रहे हैं ताकि वर्तमान परिदृश्य में वे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

लघु उद्योग और सेवा क्षेत्र का स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रोन्मुखी हैं और ये उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में उभर सकते हैं जिससे रोजगार सृजन की संभावना है। वे जमा जुटा कर रहे हैं। दूसरी ओर वे किसानों, कास्तकारों और सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण दे रहे हैं। साथ ही साथ वे बेरोजगार, ग्रामीण युवा और महिलाओं के लिए रोजगार सृजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

सिंचाई के मुख्य क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। अतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को तैयार करना होगा। यह समय की मांग है। अतः मैं कहूंगा कि भारत सरकार को प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों पर ध्यान देना होगा क्योंकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से ही धनराशि जुटाकर ग्रामीण भारत के आर्थिक पुनर्जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यदि हम जमा राशि का उचित उपयोग करते हैं, यह विकास के लिए एक सबल संसाधन बनेगा। लेकिन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा राशि का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। इसे एक स्थान पर केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए। भूमंडलीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को इस प्रकार समाप्त किया जा सकता है जिसमें ग्रामीण गरीबी में कुछ हद तक कमी आयेगी और गांवों में स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

वे जमा राशि जुटा रहे हैं। साथ ही साथ वे कास्तकारों, किसानों इत्यादि को वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं। इस प्रक्रिया में

रोजगार सृजन की भी संभावना है। बेरोजगारी की समस्या पर अंकुश लग रहा है। वे इस समस्या को सुलझाने के लिए रोजगार सृजन करके शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों, जो स्वसहायता समूह बना रहे हैं, को ऋण प्रदान कर भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रायोजित बैंकों द्वारा संसाधनों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में अंतरित करने के पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से जमा राशि जुटायी जाती है। लेकिन प्रायोजित बैंकों द्वारा इस जमा राशि को शहरी क्षेत्रों में अंतरित कर दिया जाता है। हमें इसके बारे में अत्यधिक सावधान रहना होगा। मैं यह नहीं मांग करता कि सारी राशि अथवा सारी जमा राशि ऋण के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों को वापस भेज दी जाए। किंतु इसका एक अंश जरूर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए।

प्रायोजित बैंकों से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को 4710 करोड़ रु. ऋण की तुलना में जो 450 करोड़ रु. है और नाबार्ड जो 4260 करोड़ रु. है, आर.आर.बी. की जमा राशि जो 32,000 करोड़ रु. है प्रायोजित बैंकों और विभिन्न अन्य अनुमोदित संगठनों के पास 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार पड़ी हुई है। इसलिए, इस पहलू पर अत्यन्त ही ध्यान देना है। इस भ्रम को दूर करना होगा, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नौद्रीकरण के नाम पर चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को संसाधनों के बड़ी मात्रा में प्रवाह के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में पुनर्गठित संरचना का उपयोग किया जाए। *(व्यवधान)*

इसलिए, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं - कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है - कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को उपयुक्त स्वरूप देने के लिए सभी प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। यह अत्यन्त ही आवश्यक है। मैं भारत सरकार से इस प्रयोजन से विधेयक लाने का अनुरोध करूंगा। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने के क्रम में, कुछ ठोस करने की आवश्यकता है। यह अत्यन्त ही उपयुक्त समय है। जब हम ग्रामीण भारत को महत्व दे रहे है तो हमें यह करना चाहिए।

अंततः मैं यह सुझाव देता हूं कि भारत सरकार को प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने के क्रम में ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है और इसकी समुचित निगरानी की जानी चाहिए ताकि अंततः समुचित क्षेत्र ग्रामीण बैंक के गठन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।...

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): धन्यवाद महोदय, आज हम अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो देश की 78 करोड़ की जनसंख्या से संबंधित है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ग्रामीण जनसंख्या, विशेषकर कृषि और स्व-सहायता समूहों और उन सभी को अधिक प्रभावशाली रूप से ऋण उपलब्ध कराने के आदर्श विचार के साथ शुरू किया गया है। यह सफलतापूर्वक पूरा किया गया है हालांकि पूरी तरह से संतोषप्रद नहीं है। इसमें अनेक कमियां हैं निःसंदेह...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अगली बार आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

अब सभा सोमवार 2 मई, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 2 मई, 2005/12 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.स.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अजय चक्रवर्ती	481
2.	श्री ई. पोन्नुस्वामी श्री अर्जुन सेठी	482
3.	श्री मधु गौड यास्खी	493
4.	श्री सुरेश चन्देल श्री संतोष गंगवार	484
5.	श्री तथागत सत्पथी श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	485
6.	श्री ए. साई प्रताप श्री रवि प्रकाश वर्मा	486
7.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री एन.एस.वी. चित्तन	487
8.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री कीर्ति वर्धन सिंह	488
9.	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	489
10.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा श्री मुन्शी राम	490
11.	श्री दरोगा प्रसाद सरोज श्री नवजोत सिंह सिद्धू	491
12.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	492
13.	श्री चंद्रशेखर साहु श्री के.सी. सिंह "बाबा"	493
14.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी श्री रामचन्द्र पासवान	494
15.	सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा श्री मंजुनाथ कुन्नुर	495
16.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	496
17.	श्री डी. विट्टल राव श्री मणि चारेनामै	497
18.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	498
19.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	499
20.	श्री काशी राम राणा श्री कैलाश मेघवाल	500

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.स.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	5240
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5188, 5200, 5239, 5315, 5355
3.	अहमद, श्री अतीक	5173
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	5300, 5376
5.	अजय कुमार, श्री एस.	5369
6.	अजनाला, डा. रतन सिंह	5294
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	5366
8.	अर्गल, श्री अशोक	5225
9.	आठवले, श्री रामदास	5244, 5303, 5318, 5357
10.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	5372
11.	बैठा, श्री कैलास	5175
12.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	5238, 5314
13.	बर्मन, श्री हितेन	5212, 5385
14.	बर्मन, श्री रनेन	5300
15.	बखला, श्री जोवाकिम	5217, 5289, 5385

1	2	3
16.	भगोरा, श्री महावीर	5371
17.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	5187
18.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	5187, 5323
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	5182, 5271
20.	बोस, श्री सुब्रत	5181
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	5215, 5288, 5337, 5366
22.	चन्देल, श्री सुरेश	5284, 5390
23.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	5235, 5279
24.	चौहान, श्री नंद कुमार सिंह	5343
25.	चौरे, श्री बापू हरी	5174, 5311, 5352
26.	चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र	5189, 5194, 5384
27.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	5385
28.	चिन्ता मोहन, डा.	5202, 5326
29.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	5296, 5342
30.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	5215, 5337
31.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	5345
32.	चौधरी, श्री पंकज	5188, 5342
33.	चौधरी, श्री अधीर	5230, 5308, 5308
34.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	5185, 5286, 5335
35.	देव, श्री बिक्रम केशरी	5236, 5313, 5337
36.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	5221, 5303, 5373
37.	धनराजू, डा. के.	5241

1	2	3
38.	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	5294
39.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	5192
40.	गढवी, श्री पी.एस.	5200, 5287, 5387
41.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	5283, 5287
42.	गांधी, श्री प्रदीप	5208, 5321
43.	गंगवार, श्री संतोष	5270, 5332
44.	गीते, श्री अनंत गंगाराम	5234
45.	गोहेन, श्री राजेन	5338
46.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	5363
47.	हमजा, श्री टी.के.	5179, 5278, 5287
48.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	5250
49.	जगन्नाथ, डा. एम.	5247, 5320
50.	जय प्रकाश, श्री	5177, 5274
51.	जयाप्रदा, श्रीमती	5259, 5326
52.	झा, श्री रघुनाथ	5162
53.	जिन्दल, श्री नवीन	5264, 5389
54.	जोगी, श्री अजीत	5262, 5300
55.	जोशी, श्री प्रहलाद	5258, 5303
56.	कलमाडी, श्री सुरेश	5176, 5325
57.	कामत, श्री गुरुदास	5260
58.	कनोडीया, श्री महेश	5199, 5370
59.	करूणाकरन, श्री पी.	5222
60.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5196
61.	खां, श्री सुनील	5246
62.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	5245

1	2	3
63.	खन्ना, श्री अविनाश राय	5194, 5233, 5379, 5384
64.	खारवेनथन, श्री एस.के.	5169, 5266, 5303, 5360
65.	कोली, श्री रामस्वरूप	5164
66.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	5180, 5269
67.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	5303
68.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	5207
69.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	5322
70.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	5229, 5290, 5337
71.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	5205, 5257
72.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	5294
73.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	5364
74.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	5185, 5224, 5305
75.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	5214
76.	महाजन, श्री वाई.जी.	5215, 5231, 5288, 5337
77.	महतो, श्री बीर सिंह	5252
78.	महताब, श्री भर्तृहरि	5248
79.	मंडल, श्री सनत कुमार	5172, 5279, 5303, 5378
80.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	5190
81.	माने, श्रीमती निवेदिता	5283
82.	मनोज, डा. के.एस.	5163
83.	मेघवाल, श्री कैलाश	5167, 5187, 5316

1	2	3
84.	मेहता, श्री आलोक कुमार	5185, 5287, 5307, 5348
85.	मैन्या, डा. टोकचोम	5365
86.	मिश्रा, डा. राजेश	5185
87.	मोदी, श्री सुशील कुमार	5209, 5334, 5359
88.	मो. ताहिर, श्री	5337
89.	मोहिते, श्री सुबोध	5246, 5380
90.	मोल्लाह, श्री हन्नान	5185, 5278
91.	मुन्शी राम, श्री	5215, 5290, 5301, 5337, 5384
92.	मुर्मू, श्री हेमलाल	5223, 5338
93.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	5373
94.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	5307
95.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	5299
96.	नायक, श्री अनन्त	5257, 5261, 5327, 5361
97.	निखिल कुमार, श्री	5230, 5308, 5349
98.	ओराम, श्री जुएल	5341, 5357
99.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5185, 5265, 5331
100.	पलनिसामी, श्री के.सी.	5166, 5272, 5304
101.	पाण्डा, श्री प्रबोध	5199, 5279, 5347
102.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	5216
103.	पासवान, श्री रामचन्द्र	5303, 5386

1	2	3
104.	पासवान, श्री सुकदेव	5185
105.	पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई	5218
106.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	5275, 5367
107.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5185, 5202, 5239, 5254, 5309
108.	पटैरिया, श्रीमती नीता	5219
109.	पाठक, श्री ब्रजेश	5194, 5302, 5345
110.	पाठक, श्री हरिन	5226
111.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	5189, 5220
112.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	5197, 5388
113.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	5203
114.	पिंगले, श्री देविदास	5348, 5374
115.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	5213, 5281, 5282
116.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	5199
117.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	5298, 5391
118.	राजेन्द्र कुमार, श्री	5211, 5304, 5346
119.	रामदास, प्रो. एम.	5256, 5257
120.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	5201, 5202, 5213, 5276, 5281
121.	राणा, श्री काशीराम	5168, 5343
122.	राव, श्री के.एस.	5193
123.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	5186, 5213, 5310, 5351
124.	राव, श्री डी. विट्टल	5277, 5240
125.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	5384
126.	रावले, श्री मोहन	5170
127.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	5293, 5339
128.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	5279, 5285
129.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	5229, 5286
130.	रिजीजू, श्री कीरेन	5300
131.	साहु, श्री चंद्रशेखर	5292
132.	साई प्रताप, श्री ए.	5267, 5334
133.	सज्जन कुमार, श्री	5338
134.	सांगवान, श्री किशन सिंह	5184, 5284
135.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	5210, 5312, 5353
136.	सरोज, श्री तूफानी	5151
137.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	5253
138.	सत्पथी, श्री तथागत	5203, 5285, 5333
139.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	5375
140.	सेठ, श्री लक्ष्मण	5255, 5302
141.	सेठी, श्री अर्जुन	5291, 5334
142.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	5204, 5280, 5303, 5348
143.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5203, 5285, 5295, 5341
144.	शिवन्ना, श्री एम.	5227, 5307
145.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	5215, 5337
146.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	5321
147.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	5268, 5281, 5344

1	2	3
148.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	5385
149.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	5185
150.	सिंह, चौधरी लाल	5237
151.	सिंह, श्री दुष्यंत	5187, 5206, 5328, 5362
152.	सिंह, श्री गणेश	5263, 5329
153.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	5283
154.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	5165, 5317, 5356
155.	सिंह, श्री मोहन	5283
156.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	5191, 5330
157.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	5178, 5297
158.	सिंह, श्री सुग्रीव	5185, 5201, 5239, 5219, 5358
159.	सिंह, श्री सूरज	5386
160.	सिंह, श्री विश्वेन्द्र	5187
161.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	5199, 5368
162.	सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह	5188
163.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	5199, 5370
164.	सुब्बा, श्री एम.के.	5171, 5336
165.	सुमन, श्री रामजीलाल	5259
166.	स्वाई, श्री खारबेल	5200
167.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	5195, 5275
168.	तुम्मर, श्री वी.के.	5343
169.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5185, 5202, 5231, 5308, 5309
170.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	5274, 5377
171.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	5232
172.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	5183, 5306
173.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5273, 5285, 5304, 5354
174.	विनोद कुमार, श्री बी.	5198, 5383
175.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	5219, 5373
176.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	5283, 5287
177.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	5229, 5381
178.	यादव, श्री बालेश्वर	5228, 5283
179.	यादव, श्री गिरिधारी	5252
180.	यादव, श्री राम कृपाल	5185
181.	यादव, श्री सीता राम	5243, 5300, 5303, 5307, 5382
182.	यास्खी, श्री मधु गौड	5283
133.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	5283, 5341, 5376

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	
वित्त	:	481, 483, 484, 486, 487, 489, 491, 497, 498
विधि और न्याय	:	485, 500
खान		
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	496
विद्युत	:	482, 488, 490, 494, 495
ग्रामीण विकास	:	492, 493
वस्त्र	:	499

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	5185, 5231, 5386
वित्त	:	5162, 5163, 5164, 5169, 5172, 5173, 5177, 5179, 5183, 5184, 5188, 5189, 5191, 5192, 5195, 5196, 5198, 5201, 5202, 5205, 5211, 5213, 5215, 5223, 5224, 5229, 5230, 5232, 5234, 5247, 5248, 5249, 5250, 5252, 5264, 5268, 5270, 5275, 5277, 5278, 5279, 5281, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5291, 5293, 5294, 5295, 5298, 5299, 5302, 5305, 5306, 5307, 5308, 5315, 5317, 5322, 5326, 5330, 5332, 5333, 5334, 5335, 5338, 5339, 5342, 5344, 5345, 5346, 5347, 5352, 5353, 5354, 5356, 5358, 5359, 5362, 5363, 5367, 5370, 5372, 5375, 5378, 5380, 5381, 5382, 5385, 5389, 5391
विधि और न्याय	:	5181, 5216, 5225, 5228, 5233, 5244, 5265, 5320, 5341, 5348, 5366, 5379
खान	:	5171, 5180, 5194, 5263, 5321, 5323, 5329
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	5212, 5214, 5219, 5220, 5221, 5243, 5274, 5289, 5300, 5301, 5303, 5314, 5319, 5374, 5377
विद्युत	:	5176, 5186, 5187, 5197, 5199, 5218, 5222, 5235, 5245, 5251, 5257, 5261, 5266, 5272, 5290, 5296, 5297, 5304, 5309, 5310, 5313, 5324, 5325, 5327, 5331, 5349, 5351, 5365
ग्रामीण विकास		5165, 5166, 5168, 5170, 5174, 5175, 5178, 5190, 5193, 5204, 5206, 5217, 5236, 5237, 5241, 5242, 5256, 5267, 5273, 5276, 5282, 5292, 5312, 5316, 5318, 5336, 5350, 5355, 5357, 5360, 5368, 5369, 5371, 5373, 5376, 5383, 5384, 5387, 5388, 5390
वस्त्र	:	5167, 5182, 5200, 5203, 5207, 5208, 5209, 5210, 5226, 5227, 5238, 5239, 5240, 5246, 5253, 5269, 5271, 5280, 5311, 5328, 5337, 5340, 5343, 5361, 5364

इन्टरनेट

लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। यह प्रसारण रात्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अ
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।